वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

NCDC

Assisting Cooperatives. Always !

सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निगम
रा.स.वि.नि. अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित)

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

(राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 की धारा 14 (2) एवं
यथासंशोधित रा.स.वि.नि. नियमावली, 1975 के नियम 14 (ख) के अंतर्गत यथा अपेक्षित)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always !
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

4, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज़ खास, नई दिल्ली—110016

फैक्सः 91—11—26516032 एवं 26962370

वैबसाइटः www.ncdc.in

रा.स.वि.नि. के क्षेत्रीय निदेशालय

बेंगलुरू कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, तीसरा तल, नैशनल गेम्स विलेज, कोरमंगला, बेंगलुरू–560047, कर्नाटक फोनः 080–25702112 फैक्सः 080–25701860 मो. नं.–9311765334 ईमेलः RO-Bangalore@ncdc.in (क्षेत्राधिकारः कर्नाटक)	**भोपाल** ए–8 तीसरा तल, प्लेटिनम प्लाजा, टी.टी. नगर, भोपाल–462003, मध्य प्रदेश फोनः 0755–4902397 फैक्स–0755–4902392 मो. नं.–9311765335 ई–मेलः RO-Bhopal@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : मध्य प्रदेश)	**भुवनेश्वर** आलोक भारती कॉम्प्लेक्स, भू–तल, शहीद नगर, भुवनेश्वर–751007, ओडिशा फोनः 0674–2542107 फैक्सः 0674–2545874 मो.नं.–9311765336 ई–मेलः RO-Bhubaneswar@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : ओडिशा)
चंडीगढ़ बे साइट 1 एवं 2, सेक्टर 14 पंचकुला – 134109, हरियाणा फोनः 0172–2992857 फैक्सः 0172–2992657 मो. नं.–9311765337 ई–मेलः RO-Chandigarh@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, चंडीगढ़)	**चेन्नई** 35, गार्मेंट कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600032, तमिलनाडु फोनः 044–22500034 फैक्सः 044–22500034 मो. नं.–9311765338 ई–मेलः RO-Chennai@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : तमिलनाडु, तथा पुडुचेरी)	**देहरादून** बी–2, फ्रेन्डस एन्क्लेव, शाह नगर, गोरखपुर डाकघर, डिफेंस कॉलोनी रोड़, देहरादून –248001, उत्तराखण्ड फोन/फैक्सः 0135–2665945 मो. नं.–9311765339 ई–मेलः RO-Dehradun@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : उत्तराखंड)
गांधीनगर प्लॉट नं.– 272–273, जी.एच.रोड़, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर–16, गांधीनगर – 382016, गुजरात फोनः 079–23222293, फैक्सः 079–23238292 मो. नं.–9311765340 ई–मेलः RO-Gandhinagar@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : गुजरात, दमन एवं दीव)	**गुवाहाटी** बोरा सर्विस स्टेशन बिल्डिंग, जी.एस. रोड, उल्लूबारी, गुवाहाटी–781007, असम फोनः 0361–2526327 फैक्सः 0361–2525427 मो.नं.–9311765341 ई–मेलः RO-Guwahati@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम)	**हैदराबाद** 5–10–193, एच.ए.सी.ए. भवन ,दूसरा तल, तेलंगाना विधान सभा के सामने, हैदराबाद– 500004, आंध्र प्रदेश फोनः 040–23233760 फैक्सः 040–23240615 मो. नं.–9311765342 ई–मेलः RO-Hyderabad@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना)
जयपुर प्रथम तल, सेंट्रल ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर– 302001, राजस्थान फोनः 0141–2740327 फैक्सः 0141–2740320 मो. नं.–9311765343 ई–मेलः RO-Jaipur@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : राजस्थान)	**कोलकाता** पी–161/1, चौथा तल, वी.आई.पी. रोड, कोलकाता–700054, पश्चिम बंगाल फोनः 033–23554943 फैक्सः 033–23555538 मो. नं.–9311765344 ई–मेलः RO-Kolkata@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)	**लखनऊ** सहकारिता भवन, 14 डॉ. भीमराव अम्बेडकर मार्ग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ– 226001, उत्तर प्रदेश फोनः 0522–2289093 फैक्सः 0522–4231523 मो. नं.–93117653 ई–मेलः RO-Lucknow@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : उत्तर प्रदेश)
पुणे 5, बी.जे. रोड, प्रथम तल, एमआरएसएस भवन, पुणे–411001, महाराष्ट्र फोनः 020–26127049, मो. नं.–9311765347 ई–मेलः RO-Pune@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली)	**पटना** ए–ब्लॉक, कमरा सं0 – 20–21, दूसरा तल, मौय लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड़, पटना–800001, बिहार फोनः 0612–2221467 फैक्सः 0612–2211604 मो. नं.–9311765346 ई–मेलः RO-Patna@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : बिहार)	**रायपुर** दसवां तल, टावर–सी कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, सी.बी.डी.–अटल नगर, 492002, छत्तीसगढ़ फोन : 0771–2999370 फैक्सः 0771–2999370 मो.नं.–9311765348 ई–मेलः RO-Raipur@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : छत्तीसगढ़)
रांची एम–23/डीएस, हरमू, हाउसिंग कालोनी, हरमू, रांची – 834002, फोनः 0651–2972194, फैक्सः 0651–2241494 मो. नं.–9311765349 ई–मेल : RO- Ranchi@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : झारखंड)	**शिमला** गार्गे निवास, सरकारी हाईस्कूल के नजदीक, लोअर कैथू, शिमला–171003, हिमाचल प्रदेश फोनः 0177–2657689 फैक्सः 0177–2658735 मो. नं.–9311765350 ई–मेलः RO-Shimla@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : हिमाचल प्रदेश)	**तिरूअनन्तपुरम** टी.सी. नं–11/808, जी.वी.–2, नालन्दा जंक्शन, नन्थनकोड जंक्शन, कोडियार, पो.–तिरूअनन्तपुरम, केरल–695033, फोनः 0471–2318497 फैक्सः 0471–2311673 मो. नं.–9311765351 ई–मेलः RO-TVM@ncdc.in (क्षेत्राधिकार : केरल और लक्षद्वीप)

विषय सूची

भाग – I अध्याय		
क्र.सं.	**शीर्षक**	**पृष्ठ सं0**
1.	विशिष्टताएं	1–10
2.	उत्पत्ति एवं कार्य	11–14
3.	वित्त	15–23
4.	संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक भूमिका	24–28
5.	विपणन एवं कृषि निवेश	29–32
6.	प्रसंस्करण	33–44
7.	भंडारण एवं शीत श्रृंखला	45–51
8.	औद्योगिक एवं सेवा सहकारिताएं	52–55
9.	कमजोर वर्गों की सहकारिताएं	56–66
10.	उपभोक्ता सहकारिताएं	67–69
11.	एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं	70–75
12.	एफ.पी.ओ. के गठन तथा संवर्धन में रा.स.वि.नि. की भूमिका	76
13.	सहकारिताओं का कंप्यूटरीकरण	77–79
14.	अल्पतम/अल्प विकसित/संघ शासित राज्यों की सहकारिताएं	80–82
15.	सहकारिताओं में महिलाएं	83–84
16.	सहकार 22 के अंतर्गत रा.स.वि.नि. के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	85–88
17.	लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक)	89–93
18.	राजभाषा का संवर्धन	94
19.	सहकारी क्षेत्रक निर्यात संवर्धन परिषद (कॉपएक्सिल)	95–96
भाग– II अनुबंध		
क्र.सं.	**शीर्षक**	**पृष्ठ सं0**
I.	दिनांक 31 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य परिषद के सदस्य	97–102
II.	दिनांक 31 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंध मंडल के सदस्य	103–104
III.	दिनांक 31 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का संगठनात्मक चार्ट	105
IV.	वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यान्वित स्कीमें/सहायता प्रदत्त कार्यकलाप	106–109
V.	वर्ष 2020–21 के दौरान सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए सहायता की पद्धति (पैटर्न)	110–127
VI.	दिनांक 31 मार्च, 2021 को रा.स.वि.नि. में कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जातियों एवं अनु.जन जातियों की संख्या	128
VII.	वर्ष 2020–21 के दौरान रा.स.वि.नि. में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों द्वारा भरी गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या	129
VIII.	वर्ष 2020–21 के दौरान की गई विमुक्तियों के राज्यवार एवं स्कीमवार विवरण	130–137
IX.	वर्ष 1962–63 से 2020–21 तक रा.स.वि.नि. की सभी सहकारी विकास स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार विमुक्त निधियां	138
X.	संक्षिप्तियां	139–140

रा.स.वि.नि. अधिनियम, 1962 की प्रस्तावना

इस अधिनियम के अंतर्गत सहकारी सिद्धांतों के आधार पर कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात एवं आयात, खाद्यानों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन, कुछेक अन्य वस्तुओं और सेवाओं तथा इससे जुड़े मामलों तथा इसके अनुशंगिक मामलों के लिए योजना तैयार करने तथा कार्यक्रमों का संवर्धन करने के उद्देश्य से निगम की संस्थापना तथा नियमन की व्यवस्था है।

गुणवत्ता नीति

हम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के सतत सुधार द्वारा सहकारिता के सिद्धांतों पर, आर्थिक विकास हेतु, सभी नियमों का अनुपालन करते हुए उत्कृष्टता की प्राप्ति एवं ग्राहकों की संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अध्याय –1
विशिष्टताएं

1.1 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि.) एक संविधिक निगम है जिसकी स्थापना सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक विकास करने हेतु एक संसदीय अधिनियम (रा.स.वि.नि. अधिनियम – 1962) के अंतर्गत दिनांक 14.03.1963 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत हुई। निगम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा फसलोत्तर सुविधाओं को गठित करने हेतु कृषक सहकारिताओं का संवर्धन, सुदृढ़ीकरण तथा विकास करना है। निगम कृषि विपणन एवं निवेशों, प्रसंस्करण, भंडारण, शीत श्रृंखला तथा कृषि उत्पाद के विपणन तथा बीजों, उर्वरकों एवं अन्य कृषि निवेशों आदि कार्यक्रमों पर विशेष रुप से बल देता है। निगम गैर कृषि क्षेत्रों में कमजोर वर्गों जैसे डेयरी, पशुधन, हथकरघा, कोशकीटपालन, कुक्कुटपालन, मात्स्यिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारिताओं आदि पर विशेष बल देते हुए आय सृजित कार्यकलापों के संवर्धन हेतु सुविधाओं से सज्जित सहकारिताओं के लिए प्रयासरत है।

1.2 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, न्यू इंडिया तथा कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु सहकार–22 के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य कर रहा है। रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 में अच्छा कार्य निष्पादन करना जारी रखा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान उपलब्धियाँ

स्वीकृतियाँ एवं विमुक्तियां

- स्वीकृत 10567 सहकारी समितियों को लाभान्वित करने वाली 487 इकाइयों/परियोजनाओं के लिए 36537.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये।
- संवितरण 311.67 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहित 24733.24 करोड़ रुपये संवितरित किए, जिसमें से रा.स.वि.नि. के स्वयं के कोष से 4.48 करोड़ रुपये हैं संवितरित किये गये।
- संवितरण 13400 करोड़ रुपये के लक्ष्य से 184.58% अधिक है।

वित्तीय प्रदर्शन

- कर पूर्व शुद्ध लाभ 747.82 करोड़ रुपये
- शून्य प्रतिशत शुद्ध एनपीए
- ऋण की वसूली 99.67% रही।
- वर्ष 2019–20 में 1.72 करोड़ रुपये से वर्ष 2020–21 में प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ बढ़कर 2.28 करोड़ रुपये हो गया।

मितव्ययी वित्तीय कार्य

- ब्याज दरों को प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बनाए रखा गया।
- सख्त नियामक एवं वित्तीय मानदंडों का पालन करने वाले कार्मिकों का संगठन।
- आईएसओ प्रमाणित संगठन।

सांविधिक अनुपालन

- वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे दिनांक 12.02.2021 को राज्य सभा में और दिनांक 09.02.2021 को लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।
- राजभाषा दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा भारत सरकार के सभी मानदंडों का पालन किया गया।

नई पहलें

- युवा सहकार, आयुष्मान सहकार, नंदिनी सहकार, सहकार प्रज्ञा, सहकार मित्र।
- सहकारी क्षेत्रक निर्यात संवर्धन परिषद् (कॉपएक्सिल)
- 33 राज्य सरकारों, एसएयू और अन्य संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन जिनमें से 26 समझौता ज्ञापन वित्तीय वर्ष 2020–21 में हस्ताक्षर किए गए
- सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी इंडिया चैनल
- विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वेबिनार।

1.3 वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु स्वीकृत क्षेत्रवार वित्तीय सहायता एवं लाभार्थी समितियों व सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	लाभभोगी समितियों की संख्या	लाभभोगी समितियों की संख्या (लाख रुपये में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रूपये में)
1	विपणन एवं निवेश	18	5615	60.86	30405.33
2	सेवा, ऋण एवं युवा सहकार	51	46	152.39	4453.66
3	कृषि प्रसंस्करण (चीनी, वस्त्र, तिलहन, खाद्यान्न, फल एवं सब्जी एवं अन्य प्रसंस्करण)	19	19	2.16	1041.93
4	कमजोर वर्ग (डेयरी, पशुधनए मात्स्यिकी एवं जनजाति विकास, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीट पालन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला सहकारिताएँ)	282	3824	4.01	295.93
5	एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाऐं (आईसीडीपी)	12	1052	19.17	235.72
6	एफ.पी.ओ. (सी.बी.बी.ओ. हेतु)	84	–	–	92.07
7	अन्य (भंडारणए शीत श्रंखला, उपभोक्ता, संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक)	21	11	1.17	12.78
	योग	**487**	**10567**	**239.76**	**36537.42**

1.4 निगम ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 24733.24 करोड़ रुपये संवितरित किये (जिसमें 24421.57 करोड़ रुपये ऋण तथा 311.67 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में (जिसमें 4.48 करोड़ रुपये रा.स.वि.नि. की स्वयं की निधि से) सम्मिलित थे। वित्तीय वर्ष 2020–21 में क्षेत्रवार संवितरण निम्न प्रकार से है:

क्र.सं.	कार्यकलाप	संवितरित राशि (करोड़ रूपये में)
1	विपणन एवं निवेश	19605.79
2	सेवा, ऋण एवं युवा सहकार	2996.50
3	कृषि प्रसंस्करण	1643.91
4	कमजोर वर्ग सहकारिताएँ	288.57
5	एकीकृत सहकारिता विकास परियोजनाऐं (आईसीडीपी)	152.61
6	सहकारिताओं का कंप्यूटरीकरण	30.87
7	अन्य (एफ.पी.ओ., भंडारण, शीत श्रृंखला, उपभोक्ता, संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक)	14.99
	योग	**24733.24**

संचयी संवितरण तथा विकास प्रक्षेप पथ

1.5 रा.स.वि.नि. ने अपनी स्थापना से लेकर दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रुप में 1,77,327.48 करोड़ रुपये संवितरित किए। दिनांक 31.03.2021 तक क्षेत्रवार संचयी वितरण इस प्रकार है :–

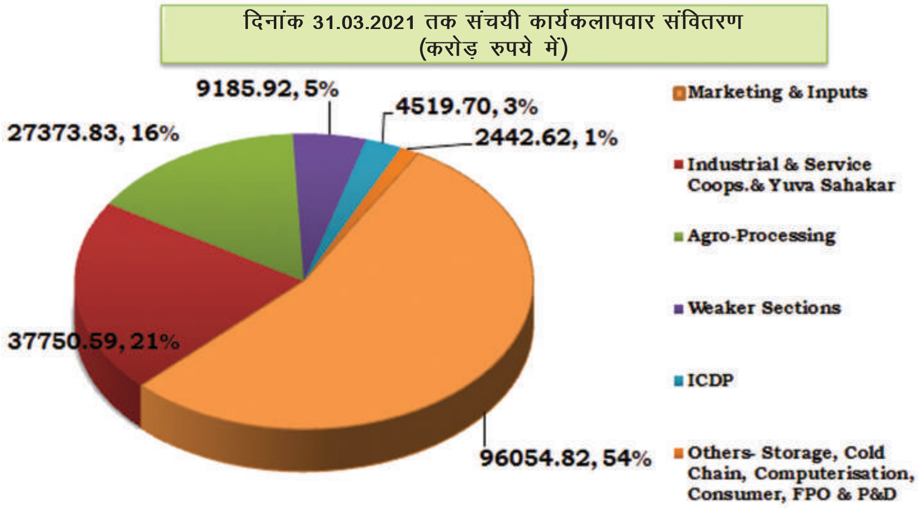

1.5.1 संवितरण वर्ष 2008–09 में 3586.91 करोड़ रुपये से नियमित रुप में बढ़कर वर्ष 2020–21 में 24,733.24 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार स्वीकृतियों में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है, जो कि वर्ष 2020–21 में सर्वाधिक रही।

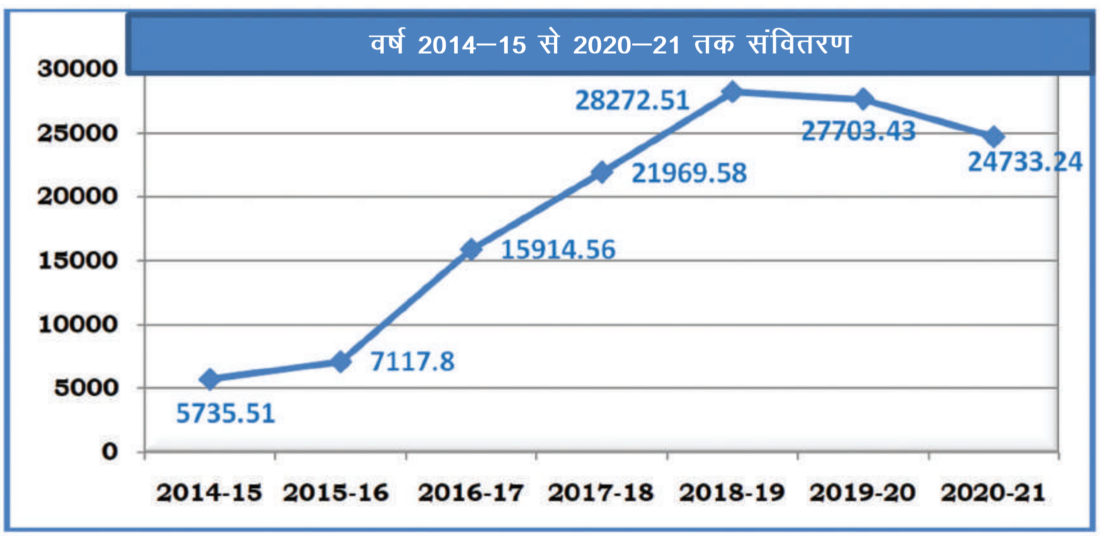

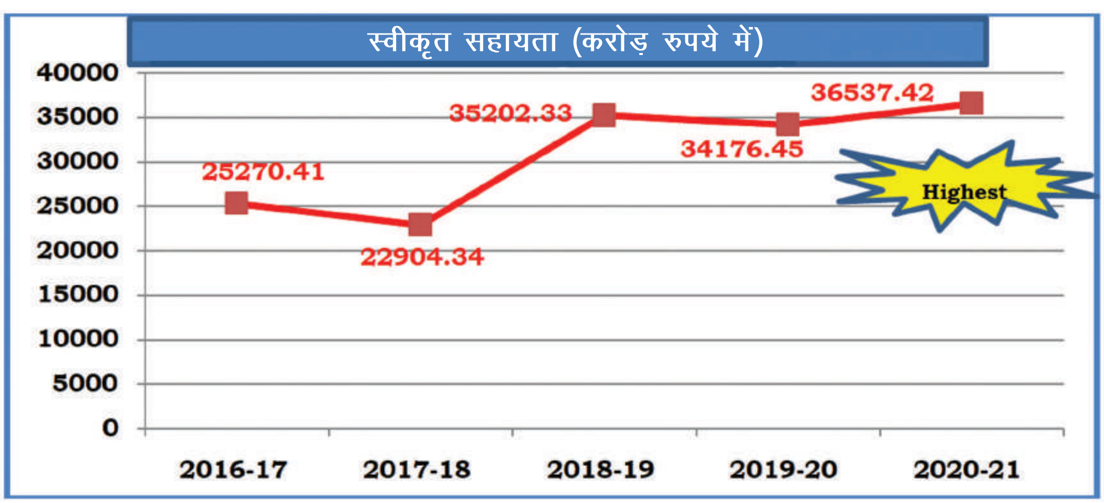

अन्य वित्तीय विशिष्टताएं चार्ट में निम्नवत दर्शाई गई हैं।

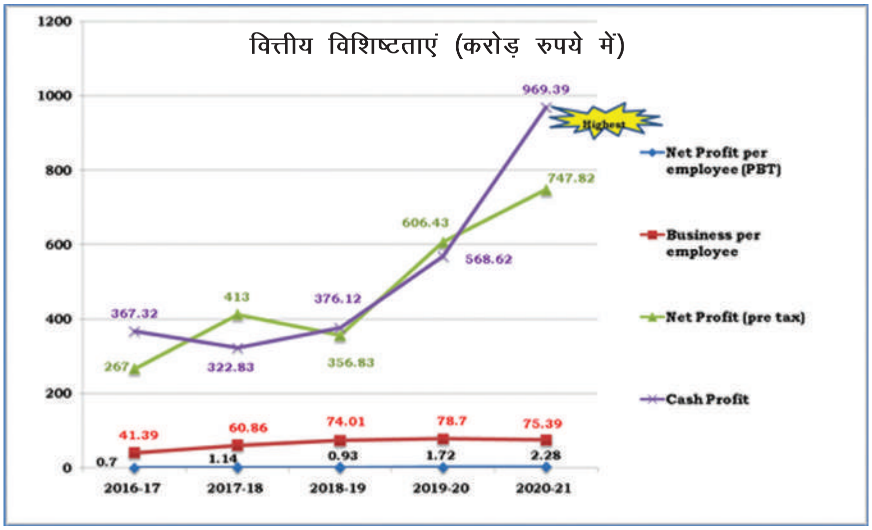

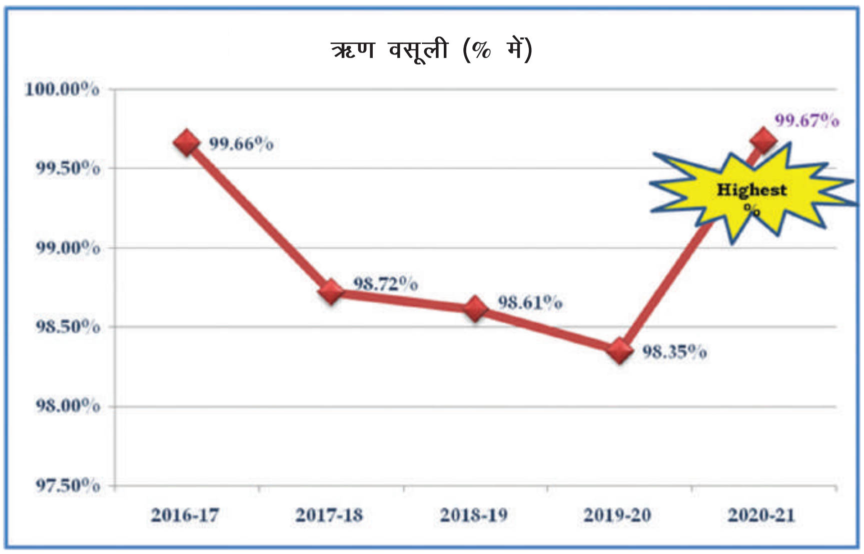

सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों की सहकारिताओं में संवितरण

1.5.2 सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों में कार्यक्रमों का संवर्धन तथा वित्तपोषण करना रा.स.वि.नि. के कार्यक्रमों का एक प्रमुख जोर दिया जाने वाला क्षेत्र है। इन राज्यों (पैरा 2.6.1 पर सूचीबद्ध) में सहकारी कार्यक्रमों हेतु सहायता अपेक्षाकृत उदार शर्तों पर दी जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों को 22406.43 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा 16363.09 करोड़ रूपये की सहायता संवितरित की। रा.स.वि.नि. द्वारा अब तक संवितरित कुल सहायता की 61.32% स्वीकृति तथा 66.16% विमुक्त राशि बनती है। इसमें 167.53 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है तथा 76.27 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों को स्वीकृत एवं संवितरित किए जा चुके हैं।

सहकार – 22

1.6 रा.स.वि.नि. के कार्यकलाप के रुप में मिशन सहकार–22 का शुभारंभ, **कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु सहकारिताओं के माध्यम से वर्ष 2022 के द्वारा मिशन नये भारत** की प्राप्ति हेतु किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कृषि एवं गैर कृषि दोनों ही क्षेत्रों में वित्त पोषण हेतु व्यवहार्य क्षेत्रों की पहचान करके संपूर्ण जिलों का विकास

करना है। इसके लिए आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जा रही हैं। परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित स्कीमों को समावेशी करके उदार बनाया जायेगा। सहकार 22 के 5 घटकों के अंतर्गत उपलब्धियों का विवरण अध्याय—16 में दिया गया है तथा जिसका सार निम्न प्रकार से है :

क. **फोकस—222** — 222 जिलों (नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 महत्वाकांक्षी जिलों समेत) में सहकारिताओं हेतु समावेशी रा.स.वि.नि. सहायता। रा.स.वि.नि. द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक कुल फोकस 222 जिलों के अंतर्गत 89 महत्वाकांक्षी जिलों सहित 203 जिलों को कवर किया जा चुका है।

ख. **पैक्स हब** — अपना किसान संसाधन केन्द्र के रुप में पैक्स तथा अन्य सहकारिताओं का रुपांतरणरू वर्ष 2020—21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने 1 वर्ष में 5000 **'प्राथमिक स्तरीय सहकारिताओं के पोषण'** कार्यक्रम के लक्ष्य को कार्यान्वित किया है। निगम ने दिनांक 31.03.2021 तक 5054 पैक्सों तथा समेकित रुप से 9992 पैक्सों तक पहुँच दर्ज की है।

ग. **ए.ई.एन.ई.सी.** —एक्ट पूर्व एवं पूर्वोत्तर सहकारिताएंः पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में रा.स.वि.नि. ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों की आय दोगुनी करने के अंतिम लक्ष्यों के उद्‌देश्य से सहकारिताओं को सहयोग प्रदान किया।

घ. **सी.ई.एम.टी.सी.** — सहकारिताओं के माध्यम से बाजार उत्कृष्टता केन्द्रः रा.स.वि.नि. अग्रणी विश्वविद्यालयों / संगठनों / संस्थाओं / राज्य सरकारों आदि के साथ कुल 33 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जिनमें 26 पर 2020—21 में हस्ताक्षर किए गए। रा.स.वि.नि. पी.एम.एम.एस. वाई. योजना के अन्तर्गत लिनाक—रा.स.वि.नि. मत्स्य इन्क्यूबेशन सेंटर (लिफिक) की स्थापना गुरुग्राम में कर रहा है।

ड़. **निर्यात सहकार** — रा.स.वि.नि. ने मुख्य कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहकारी क्षेत्र निर्यात संवर्धन परिषद 'कॉपएक्सिल' का गठन किया है।

च. **सहकार प्रज्ञा— लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) क्षमता विकास केंद्र — लिनाक** — रा.स.वि.नि. के प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श विंग के रूप में कार्य करता है। यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और देश भर में इसके 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) हैं। सहकार प्रज्ञा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों में व्यावसायिकता विकसित करने पर केंद्रित है। यह सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के कर्मियों और अपने स्वयं के अधिकारियों के लिए आवश्यकता—आधारित कार्यक्रमों को डिजाइन और संचालित करता है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों सहित भारत और विदेशों में सह—संचालकों के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित करने के लिए सिस्टैब, नेडैक और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी करता है। हाल ही में, लिनाक ने इथोपिया, बांग्लादेश, नेपाल और भारत के वरिष्ठ स्तर के व्यवसायियों के लिए "आपदा जोखिम प्रबंधन मुख्यधारा और सहकारी विकास" पर विश्व बैंक द्वारा सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

लिनाक — रा.स.वि.नि. ने अब तक 33072 सहकारी कर्मियों के लिए 1017 क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान, अकादमी ने 67 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिससे 4380 प्रतिभागियों को लाभ हुआ है।

हाल की पहलों में (i) अकादमी द्वारा विकसित ''प्राथमिक सहकारी समितियों की क्षमता विकास'' पर **45 सहकारी व्यवसाय प्रशिक्षण मॉड्यूल,** (ii) 11 संकाय संसाधन समूहों का गठन, (iii) परामर्श सेवाएं तथा (iv) एक लिनाक – रा.स.वि.नि. मत्स्य व्यवसाय इन्क्यूबेशन केंद्र मत्स्य सहकारी समितियों के लिए सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए (एलआईएफआईसी) शामिल हैं। अन्य पहलों में सहकार कॉपटयूब रा.स.वि.नि. चैनल का शुभारंभ और सहकारी क्षेत्र से संबंधित व्यापक विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करना सम्मिलित है। लिनाक ने मेघालय दुग्ध मिशन के तहत ''डेयरी सहकारी समितियों के संचालन और प्रबंधन'' पर एक क्षमता विकास कार्यक्रम और वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) के सहयोग से ''वेयरहाउस मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक स्टोरेज'' पर दो नए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित किए।

रा.स.वि.नि. ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आठ प्राथमिक सहकारी समितियों को दिए जाने वाले क्षेत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार स्थापित किए हैं।

रा.स.वि.नि. की सामान्य परिषद् और प्रबंध मंडल की बैठकें

1.7 सामान्य परिषद (जीसी) नीति दिशानिर्देश निर्धारित करती है तथा प्रबंध मंडल (बीओएम) निगम के सामान्य प्रबंधन की देख–रेख करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, सामान्य परिषद की दिनांक 11.03.2021 और प्रबंध मंडल की दिनांक 23.06.2020, 04.09.2020, 16.12.2020 तथा 24.02.2021 को बैठकें आयोजित की गई।

अन्य पहलें/प्रमुख विकास

1.8 रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 के दौरान कई नई पहल की हैं। मौजूदा पहलों में विकास के साथ, इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

सहकारी क्षेत्र निर्यात संवर्धन परिषद् (कॉपएक्सिल)

1.8.1 कॉपएक्सिल की आम सभा की पहली बैठक दिनांक 24.03.2021 को रा.स.वि.नि., नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ तथा सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार उपस्थित थे। परिषद् ने अपने नियमित मामलों के प्रबंधन के लिए एक कार्यकारी समिति के गठन के साथ आगे बढ़ने के तरीके को परिभाषित किया। इसके अलावा, परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वाले एक आंतरिक सलाहकार मंच बनाने (सहकारी समितियों की निर्यात संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त सहकारिता योजना तैयार करना) और कॉपएक्सिल के लिए सीड मनी के रूप में आईआईसीटीएफ से लगभग 1.80 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष का उपयोग करने की सलाह दी।

10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन

1.8.2 रा.स.वि.नि., जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ''10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन'' केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत एक कार्यान्वयन एजेंसी है। रा.स.वि.नि. राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के तहत पंजीकृत एफपीओ का गठन और प्रचार करेगा, जिसमें शामिल हैं पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त या आत्मनिर्भर सहकारी समिति अधिनियम, या बहुद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम (एमएससीएस अधिनियम) नाम से जाना जाता है। एफपीओ को रा.स.वि.नि. द्वारा नियुक्त क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा जोकि आवंटित ब्लॉक स्तर पर कार्य करेंगे। वर्ष 2020–21 के लिए रा.स.वि.नि. को 500 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अलावा, डीएसी एंड एफडब्ल्यू के एकीकृत पोषक प्रबंधन (आईएनएम) प्रभाग से रा.स.वि.नि. को 29 जैविक एफपीओ भी आवंटित किए गए हैं। रा.स.वि.नि. ने 83 स्वीकृतियों के लिए एवं 58 आईसीएआर–अटारी– केवीके/संस्थानों को सीबीबीओ के रूप में संलग्न किया है।

आयुष्मान सहकार

1.8.3 रा.स.वि.नि. ने दिनांक 19.10.2020 को माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा शुरू की गई एक अनूठी योजना ''आयुष्मान सहकार'' (आयुष्मान सहकार) की शुरुआत की। इस योजना के तहत, रा.स.वि.नि. आने वाले वर्षों में संभावित सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये तक का ऋण देगा, ताकि सहकारी समितियां देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। यह योजना अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को सम्मिलित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है। बहुसंख्यक महिला सदस्यों वाली सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए यह योजना उदार है। इस योजना के शुभारंभ को प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय प्रकाशनों में व्यापक प्रचार के साथ व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और डीडी न्यूज और कई स्थानीय चैनलों पर प्रबंध निदेशक, रा.स.वि.नि. का एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित किया गया।

सहकार मित्र– प्रशिक्षुता कार्यक्रम योजना (एसआईपी)

1.8.4 माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) के आह्वान को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय वस्तुओं के महत्व पर जोर देते हुए, माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर दिनांक 11.06.2020 को सहकार मित्र योजना (एसआईपी) शुरू की। इस योजना का उद्देश्य सहकारी संस्थानों को युवा पेशेवरों के नए और नवीन विचारों तक पहुँचने में मदद करना है, जबकि प्रशिक्षु को आत्मनिर्भर होने के लिए क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। यह सहकारी समितियों के साथ–साथ पेशेवरों दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है।

1.8.4.1 योजना के तहत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, आईटी आदि जैसे विषयों में पेशेवर स्नातक प्रशिक्षुता के लिए पात्र होंगे। पेशेवर जो कृषि–व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन आदि में एमबीए की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या पूरा कर चुके हैं, वे भी पात्र होंगे। यह एक सभुगतान प्रशिक्षुता कार्यक्रम है जिसके तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को 4 महीने की प्रशिक्षुता अवधि के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। प्रशिक्षु को अपनी प्रशिक्षुता के सफल समापन पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। वर्ष 2020–21 के दौरान 12 प्रशिक्षुओं ने अपना प्रशिक्षुता कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।

नंदिनी सहकार

1.8.5 प्रबंध मंडल, रा.स.वि.नि. ने दिनांक 24.02.2021 को आयोजित अपनी बैठक में नंदिनी सहकार– विशेष रूप से महिला सहकारिताओं के लिए पहली रा.स.वि.नि. योजना को मंजूरी दी। यह योजना महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता का समर्थन करती है। यह महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी और/ या अन्य योजनाओं के ब्याज सबवेंशन के महत्वपूर्ण निवेश को संरेखित करता है। देश में किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी महिला सहकारी समिति पात्र है। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 50% महिला सदस्यों वाली कोई भी सहकारी समिति भी पात्र है। नई और/या अभिनव गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में, महिला सहकारी समितियां जो कम से कम तीन महीने से चल रही हैं, वे भी लागू रा.स.वि.नि. दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं। यह योजना ब्याज सबवेंशन प्रोत्साहन प्रदान करती है।

एमएसपी संचालन हेतु सहायता

1.9 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने 30393.75 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सहायता स्वीकृत की और एमएसपी संचालन के लिए 19564 करोड़ रुपये संवितरित किए। 31.03.2021 तक संचयी रूप से, रा.स.वि.नि. ने इस उद्देश्य के लिए 89471 करोड़ रुपये का संवितरण किया है, जिसमें से 83596 करोड़ रुपये पिछले 8 वर्षों में संवितरित किए गए हैं जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है।

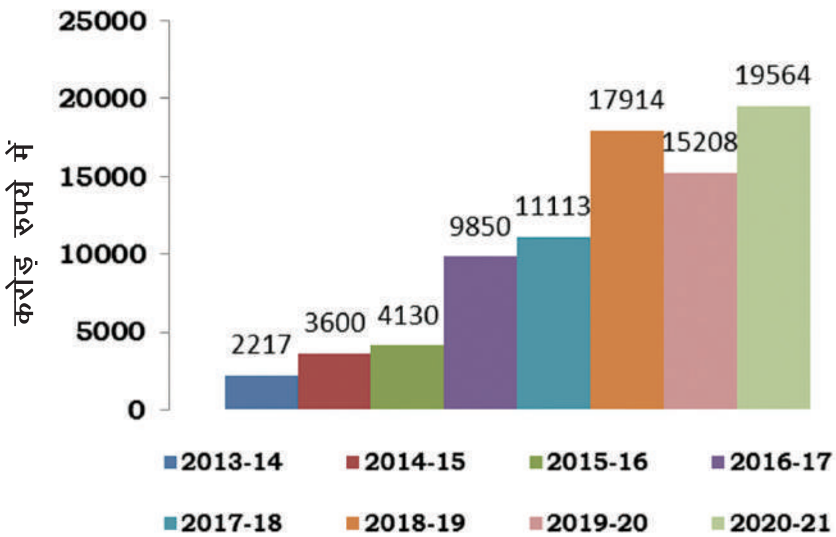

केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता योजना (सीसैक) के अंतर्गत मेगा सहकारी विकास परियोजनाएं

1.10 सीसैक के अंतर्गत हाल के दिनों में स्वीकृत की गई कुछ बड़ी परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं, किसानों की आय को दोगुना करने के संबंध में निम्न प्रकार से हैं :

मणिपुर सुअरपालन मिशन: वर्ष 2020–21 में, रा.स.वि.नि. ने 31.21 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की, जिसमें 23.00 करोड़ रुपये का ऋण और 8.21 करोड़ रुपये की सीसैक सब्सिडी सम्मिलित है, जो मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कुल 32.93 करोड़ रूपये की ब्लॉक लागत पर सुअरपालन सहकारी समितियों के विकास के लिए है। इस परियोजना में न्यूक्लियस पिग ब्रीडिंग फार्म, पालन सह फीडिंग सेंटर, बूचड़खाना सह प्रसंस्करण इकाई, परिवहन वाहन और खुदरा आउटलेट, कोल्ड चेन स्टोरेज आदि की स्थापना की परिकल्पना है। कौशल विकास परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी प्रकार की परियोजनाओं को मणिपुर के शेष 3 जिलों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य सुअरपालन सहकारी समितियों के बीच रोजगार के अवसर पैदा करके और उद्यमिता को बढ़ावा देकर आबादी के वंचित कमजोर वर्ग के जीवन स्तर में सुधार करना है।

मणिपुर में मत्स्य पालन परियोजना: रा.स.वि.नि. ने 4 जिलों (इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, काकचिंग) में मछली पालन के विकास के लिए जून 2020 में मणिपुर सरकार को 125.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। सहायता में ऋण के रूप में 93.10 करोड़ रुपये और सीसैक सब्सिडी के रूप में 32.26 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। परियोजना के तहत शामिल गतिविधियों में नए तालाबों की निकासी/निर्माण, मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण, मछली बीज हैचरी की स्थापना, बर्फ संयंत्र सह शीत भंडारण, खुदरा मछली बाजार केंद्र का विकास, मछली परिवहन सुविधा, पुनर्चक्रण एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), प्रशिक्षण और कौशल विकास सम्मिलित हैं।

उत्तराखंड राज्य मेगा परियोजना समग्र विकास, प्रवास को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और सहकारी समितियों के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से एक एकीकृत परियोजना है। इस परियोजना को वर्ष 2018–19 में 3340 रुपये की कुल लागत के साथ स्वीकृत किया गया था जिसमें 3034 करोड़ रुपये की रा.स.वि.नि. सहायता सम्मिलित है तथा इसे 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया है। इस परियोजना से सहकारिता के 11.90 लाख सदस्य लाभान्वित होंगे और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 22,000 प्रत्यक्ष और 34,000 अप्रत्यक्ष

रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। उक्त परियोजना के लिए अब तक 119.82 करोड़ रुपये का संवितरण किया जा चुका है।

तेलंगाना का पशुधन कार्यक्रमः सीसैक के तहत 5000 करोड़ रुपये प्राथमिक भेड़ प्रजनक सहकारिता के 4 लाख सदस्यों के लाभ के लिए 20 +1 आकार की 4 लाख भेड़ पालन इकाइयों की ग्राउंडिंग के लिए तेलंगाना के 30 जिलों में समितियों को तेलंगाना राज्य भेड़ और बकरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड को स्वीकृत किए गए हैं। अब तक इस परियोजना के लिए 3580.18 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।

तेलंगाना में एकीकृत मत्स्य परियोजनाः राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तेलंगाना स्टेट फिशरमेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड (टीएसएफ़सीओएफ़) को 800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें विपणन के निर्माण के माध्यम से बीज उत्पादन और स्टॉकिंग, मछली उत्पादन जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। बुनियादी ढांचा, नवीन परियोजनाएं और मानव संसाधन विकास, एमआईएस और क्षमता निर्माण। सीसैक योजना के तहत परियोजना का परिव्यय 1000.00 करोड़ रुपये है, जिससे रा.स.वि.नि. की प्रत्यक्ष वित्त पोषण योजना के तहत तेलंगाना के सभी 31 जिलों में प्राइम मछुआरा सहकारी समितियों (पीएफसीएस) के 3 लाख सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक 657.02 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं, जिसमें से 73.91 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान संवितरित किए जा चुके हैं।

मेघालय सरकार का मेघालय दुग्ध मिशनः वर्ष 2018–19 में मवेशियों को शामिल करने और डेयरी फार्मों की स्थापना, प्रशीतन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए कुल परियोजना लागत 215.48 करोड़ रूपये पर वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी समितियों का गठन करके और 2000 सदस्यों के लाभ के लिए शीत श्रृंखला के माध्यम से संघ को दूध की आपूर्ति करके 4 साल की अवधि में स्थानीय गायों के प्रजनन और आनुवंशिक उन्नयन में किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करके उच्च उपज देने वाली देशी दुधारू गायों के पालन को प्रोत्साहित करना है। संचयी रूप में दिनांक 31.03.2021 तक, परियोजना के अंतर्गत 51.18 करोड़ रुपये संवितरित किए गए।

मेघालय सुअरपालन मिशनः 2019–20 में, रा.स.वि.नि. ने 220.50 करोड़ रुपये की कुल ब्लॉक लागत पर मेघालय पिगरी मिशन के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से सुअरपालन क्षेत्र के विकास के लिए 209.48 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। इस परियोजना से 300 ग्राम स्तर की प्राथमिक सहकारी समितियों को आय का एक नियमित स्रोत प्रदान करने की उम्मीद है, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 200 सदस्य हैं, जिससे लगभग 60,000 सदस्य लाभान्वित होंगे। संचयी रूप में दिनांक 31.03.2021 तक, परियोजना के अंतर्गत 57.80 करोड़ रुपये परियोजना के अंतर्गत संवितरित किए गए।

पश्चिम बंगाल नवाचार कार्यक्रम– युवा सहकार योजना के तहत पहली परियोजना को 25.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल के चार जिलों (अर्थात उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और अलीपुरद्वार) में उद्यमिता विकास पहल के लिए 2019–20 में स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना से लगभग 10,000 महिला सदस्यों तक पहुंचने वाले 250 पैक्स/महिला समितियों को लाभ होने की उम्मीद है।

सहकारी संस्था साइबर सुरक्षा सलाहकार फोरम (सीसैफ़)

1.11 सीसैफ़ का गठन सहकारी बैंकों और अन्य सहकारी संस्थाओं के बीच साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों और विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने और साइबर से संबंधित धोखाधड़ी या अपराधों से बचने के लिए किया गया था। नेडैक, बैंकॉक के सहयोग से दिनांक 11.05.2020 को "सहकारिता के लिए साइबर जोखिम और शमन" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसे देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों द्वारा अत्यंत सराहा गया।

संयुक्त कार्य समूह (जे डब्ल्यू जी)

1.12 दोनों संगठनों के बीच दिनांक 08.06.2020 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों का पालन करने के लिए वर्ष में दो बार या आवश्यकता के आधार पर आईसीएआर और रा.स.वि.नि. के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। सहकारी समितियों के विकास के लिए सहयोग करने के लिए रा.स.वि.नि. और आईसीएआर के फोकस क्षेत्र पर काम करने के लिए जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक दिनांक 24.08.2020 को आयोजित की गई थी। वर्ष के दौरान, आईसीएआर ने रा.स.वि.नि. द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के साथ–साथ रा.स.वि.नि. द्वारा आयोजित विभिन्न वेबिनार के लिए विशेषज्ञ संसाधक के लिए अपनी विशेषज्ञता का विस्तार किया है। रा.स.वि.नि. ने 10,000 एफ.पी.ओ. के गठन एवं संवर्धन पर केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत 58 आईसीएआर–अटारी–केवीके/संस्थानों को सीबीबीओ के रूप में नियुक्त किया है।

सहकारिता में महिलाएं

1.13 रा.स.वि.नि. देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सहकारी समितियों के उत्थान के लिए वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने क्रेडिट और सेवा सहकारी समितियों, खाद्यान्न, युवा सहकार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 8 इकाइयों को 833.18 करोड़ रुपये मंजूर किए और विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 800.36 करोड़ रुपये वितरित किए। दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रूप में, स्वीकृत तथा संवितरित सहकारी समितियों, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रचारित, क्रमशः 3655.31 करोड़ रुपये और 2958.29 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2020–21 में 10567 सहकारी समितियों को स्वीकृत 487 परियोजनाओं / इकाइयों में, यह अनुमान है कि 1.74 करोड़ महिलाओं को सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है, जिनमें से 1249 महिला सदस्य प्रबंध मंडल की निदेशक हैं।

संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलाप

1.14 रा.स.वि.नि. के संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यों का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं की सफल अवधारणा एवं कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों और तालमेल का निर्माण करना है। वर्ष 2020–21 के दौरान किये गये संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों का विवरण अध्याय–4 में दिया गया है और संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है :

- प्रासंगिक क्षेत्रों में तकनीकी और प्रबंधकीय विकास के बारे में लगातार वार्ता एवं जानकारी के उन्नयन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पेशेवर निकायों की संस्थागत सदस्यता बनाए रखता है।
- सहकारी समितियों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास और सहयोग के माध्यम से सतत विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दों और क्षेत्रों पर आपसी सहयोग के निर्माण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया। अब तक 33 एमओयू निष्पादित किए जा चुके हैं, जिनमें से 26 पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- 3 नई योजनाएं– **सहकार मित्र** दिनांक 11.06.2020 को, **आयुष्मान सहकार** दिनांक 19.10.2020 को और **नंदिनी सहकार** 24.02.2021 को शुरू की गई।
- दिनांक 24.11.2020 को मेघालय में भारत की सबसे बड़ी सुअरपालन परियोजना का शुभारंभ किया गया।
- **सहकार प्रज्ञा**– लिनाक तथा रा.स.वि.नि. के 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों तथा दिनांक 24.11.2020 को 45 व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से प्राथमिक सहकारी समितियों का नेतृत्व क्षमता विकास।

- **सहकार कॉपटयूब रा.स.वि.नि. चैनल** का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा दिनांक 04.08.2020 को किया गया। यह सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और सहकारी समितियों के विकास में इसकी भूमिका के लिए रा.स.वि.नि. की हालिया पहलों में से एक है। रा.स.वि.नि. के इन–हाउस डिजाइन स्टूडियो ने हिंदी के अलावा उड़िया, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और मिजो सहित हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ''सहकारिता के गठन और पंजीकरण'' पर मार्गदर्शन वीडियो की अवधारणा और निर्माण किया है।

- सहकारी सदस्यों और अपने स्वयं के कर्मचारियों के लाभ के लिए **15 वेबिनार** का आयोजन किया।

- एक अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय का रखरखाव करता है जो पाठकों को संदर्भ सेवाएं और पुस्तकालय ऋण सुविधाएं प्रदान करता है।

- आयुष्मान सहकार, युवा सहकार, नंदिनी सहकार, पीएमएमएसवाई, एनबीएम, पीएमएफएमई, एएमआई, एफपीओ योजनाओं आदि के विशेष संदर्भ में कार्यान्वयन के तहत योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित आधार पर प्रचार बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमएमएसवाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहकारी क्षेत्र में योजना, रा.स.वि.नि. ने मार्च, 2021 में चांदीपुर, ओडिशा के बालासोर, मध्य प्रदेश के मुरैना और पंजिम, गोवा में तीन एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

- **सहयोग,** एक त्रैमासिक ई–न्यूज़लेटर रा.स.वि.नि. द्वारा प्रकाशित किया जाता है और सहकारी समितियों के लाभ के लिए रा.स.वि.नि. वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है।

- वर्ष 2020–21 के दौरान अपना स्वयं का इन–हाउस **डिज़ाइन और प्रोडक्शन–स्टूडियो सेल** स्थापित किया गया है, इस सेल द्वाराः

  – प्रचार सामग्री जैसे फोटो बुकलेट, बैनर, लघु वीडियो, विभिन्न विषयों पर प्रचार फिल्में और इसके तहत तिमाही ई–न्यूजलेटर की डिजाइनिंग की गई।

  – विभिन्न भाषाओं में ''सहकारिता के गठन और पंजीकरण'' पर मार्गदर्शन वीडियो और सहकार कॉपटयूब चैनल पर अपलोड किए गए।

  – लिनाक द्वारा प्रशिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने वाले लघु वीडियो तैयार किए गए हैं।

- भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद और आईआईएम, इंदौर में प्रबंधन में संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) के लिए फेलोशिप की स्थापना। अब तक 58 फेलोशिप प्रदान की जा चुकी हैं।

- वैमनिकॉम, पुणे द्वारा सहकारी व्यवसाय प्रबंधन (पीजीडीसीबीएम) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए फेलोशिप स्थापित की गई। अब तक कुल 57 फेलोशिप प्रदान की गई हैं, जिनमें से एक वित्तीय वर्ष 2020–21 में दी गई थी।

- सहकारी समितियों के निदेशक मंडल के लिए अच्छी कार्यशील समितियों के अध्ययन दौरों का आयोजन किया गया। पिछले 10 वर्षों के दौरान ऐसी 25 अध्ययन यात्राओं का आयोजन किया गया।

राजभाषा का संवर्धन

1.15 रा.स.वि.नि. अपने दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का पालन करना जारी रखे हुए है। इस संबंध में, अन्य बातों के अलावा, रा.स.वि.नि. के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय निदेशालयों में 14.09.2020 से 20.09.2020 तक ''हिंदी सप्ताह'' का आयोजन किया गया था।(विवरण पैरा 18.3 में)

मानव संसाधन फोकस क्षेत्र– प्रशिक्षण और विकास

1.16 रा.स.वि.नि. एक ज्ञान आधारित संगठन है, और लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास

अकादमी (लिनाक) और 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ–साथ अन्य प्रमुख केंद्रों में आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से सीखने और ज्ञान के उन्नयन का वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयास करता है। रा.स.वि.नि. में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया रही है। वर्ष 2020–21 के दौरान, लिनाक ने निगम के कर्मचारियों के लिए 53 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में निगम के 327 कर्मचारियों में से 268 ने भाग लिया। उपरोक्त के अलावा, अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित 17 आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वेबिनार/प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में 95 कर्मचारियों ने भाग लिया है।

फ्राइडे लंच टाइम टॉक श्रृंखला

1.17 एक नई पहल के रूप में, रा.स.वि.नि. ने निगम के कर्मचारियों के लाभ हेतु वर्तमान और उभरते मुद्दों पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक फ्राइडे लंच टाइम टॉक सीरीज़ शुरू की है। जिसके वक्ता रा.स.वि.नि. के कार्मिक होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग पर कर्मचारियों के लिए यह पहल आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कवायद रही है। वार्ता श्रृंखला दिनांक 16.10.2020 से शुरू हुई।

आईएसओ प्रमाणन

1.18 रा.स.वि.नि. के लिए आईएसओ 9001 : 2015 का पुनः प्रमाणन परीक्षण दिनांक 17–23 सितंबर 2020 तक तीसरे पक्ष के प्रमाणन निकाय द्वारा किया गया था। प्रमाणन निकाय ने रा.स.वि.नि. के लिए आईएसओ प्रमाणन जारी रखने की पुष्टि की है।

1.19 **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** 27.10.2020 से 02.11.2020 तक ''सतर्क भारत, समृद्ध भारत'' विषय के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक दलवई द्वारा दिनांक 02.11.2020 को विषय पर एक वार्ता दी गई (विवरण पैरा 2.6.2.1 पर)।

1.20 **रा.स.वि.नि. में 21 जून 2020 को छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** मनाया गया, जिसमें वर्तमान जीवन शैली में योग के महत्व पर एक प्रख्यात योग प्रशिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया गया और उसके बाद व्यावहारिक योग सत्र आयोजित किए गए।

अध्याय – 2
उत्पत्ति एवं कार्य

रा.स.वि.नि. की उत्पत्ति

2.1 रा.स.वि.नि. एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक कार्यकलापों के विकास की गति को तेज करने के लिए अखिल भारतीय ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर एक संसदीय अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 14.03.1963 को हुई थी। इसकी नीतियां तथा कार्यक्रम सामान्य परिषद तथा प्रबंध मण्डल के मार्गदर्शन में तैयार किए जाते हैं, जिनका गठन भारत सरकार द्वारा सहकारिताओं, सरकारी अधिकारियों तथा गैर–सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधिक समूह में से किया जाता है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

2.2 रा.स.वि.नि. एक गैर– इक्विटी आधारित संवर्धनात्मक संगठन है जिसकी स्थापना मात्र सहकारी सिद्धांतों के आधार पर कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण तथा निर्यात एवं आयात, कृषि उत्पाद, खाद्यान्नों तथा कुछेक अधिसूचित वस्तुओं की योजना, संवर्धन तथा वित्तपोषण हेतु की गई। वर्ष 1974 में रा.स.वि.नि. अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि मात्स्यिकी, कुक्कुटपालन, डेयरी, हथकरघा, कोशकीटपालन जैसे और व्यवसायों को सम्मिलित किया जा सके। इस संशोधन के माध्यम से रा.स.वि.नि. के संसाधन आधार को विस्तृत किया गया ताकि यह बाजार से धन जुटा सके। पशुधन, औद्योगिक माल, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प तथा जल संरक्षण कार्यों, सिंचाई, पशु स्वास्थ्य देखभाल, बीमारी की रोकथाम, कृषि बीमा तथा कृषि ऋण, ग्रामीण स्वच्छता तथा श्रमिक सहकारिताओं से संबंधित सेवाओं जैसी कुछेक अधिसूचित सेवाओं जैसे कुछ और क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए इस अधिनियम में वर्ष 2002 में पुनः संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम से रा.स.वि.नि. कुछेक निर्धारित शर्तें पूरी किये जाने पर अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहकारी समितियों का प्रत्यक्ष रूप में वित्तपोषण करने में भी सक्षम हुआ है।

प्रबंधन एवं प्रशासनिक संरचना

2.3 रा.स.वि.नि. का प्रबंधन एक 51 सदस्यीय सामान्य परिषद तथा 12 सदस्यीय प्रबंध मण्डल में निहित है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। सामान्य परिषद निगम के लिए नीतियों का निर्धारण करती है और प्रबंध मण्डल निगम के सामान्य प्रबंधन को देखता है। दिनांक 31.03.2021 को सामान्य परिषद तथा प्रबंध मण्डल के गठन की स्थिति क्रमशः **अनुबंध–I तथा II** पर देखी जा सकती है। वर्ष 2020– 21 के दौरान, सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 11.03.2021 को तथा प्रबंध मंडल की बैठकें क्रमशः दिनांक 23.06.2020, 04.09.2020, 16.12.2020 एवं 24.02.2021 को संपन्न हुई।

रा.स.वि.नि. सचिवालय

2.4 निगम के सचिवालय प्रमुख प्रबंध निदेशक हैं तथा यह मुख्यालय एवं 18 क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, चेन्नई, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिमला तथा तिरूअनंतपुरम के माध्यम से कार्य करता है। 18 कार्यालयों में से 12 अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों में स्थित हैं। रा.स.वि.नि. की प्रशिक्षण अकादमी लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है और विभिन्न राज्यों में इसके 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (क्षे.प्र.कें.) हैं। निगम के शीर्ष संस्थान की भूमिका पूर्ण रूप से निभाने के लिए, निगम ने आंतरिक तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताएं विकसित की हैं।

2.4.1 दिनांक 31.03.2021 तक, रा.स.वि.नि. की संगठनात्मक संरचना अनुबंध–III पर दर्शाई गई है।

कार्यकलापों का दायरा एवं वित्त पोषण की पद्धति

2.5 रा.स.वि.नि. की योजनाएं/कार्यकलाप कारीगरों, बुनकरों, ग्रामीण जनसंख्या एवं अनुसूचित जन जातियों की आय बढ़ाने तथा उनकी आजीविका में सुधार करने हेतु तैयार की जाती हैं। इस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजना के अंतर्गत मात्र महिलाओं द्वारा संघटित सहकारिताओं को सहायता दी जाती है। निगम कार्यकलाप आधारित सहायता के अतिरिक्त, चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास

परियोजना (आईसीडीपी) जैसी क्षेत्र आधारित परियोजनाओं का भी संवर्धन करता है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो विभिन्न सहकारी कार्यकलापों के विकास के माध्यम से जिले की संभावनाओं को उन्मुक्त कर एक जिले के लोगों के समग्र विकास हेतु कार्य करती है। कार्यान्वित की गई योजनाओं एवं रा.स.वि.नि.द्वारा सहायता प्राप्त गतिविधियों का विवरण **अनुबंध IV** एवं **V** पर उपलब्ध है।

2.5.1 रा.स.वि.नि. द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से या सीधे सहकारिताओं को निधियां विशिष्ट सहायता पद्धति के आधार पर दी जाती हैं। निगम ने सहायता प्रदान करने हेतु राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को मुख्यतः तीन श्रेणियों अर्थात सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम विकसित, अल्प विकसित तथा विकसित राज्यों में वर्गीकृत किया है : –

- **सहकारी रूप से अल्पतम विकसित राज्य – अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर (संघ शासित क्षेत्र) तथा लद्दाख (संघ शासित क्षेत्र)।**
- **सहकारी रूप से अल्प विकसित राज्य – आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र) तथा लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)**
- **सहकारी रूप से विकसित राज्य – गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, चंडीगढ़, (संघ शासित क्षेत्र) दादरा एवं नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र), दमन एवं दीव (संघ शासित क्षेत्र), पुडुचेरी (संघ शासित क्षेत्र), दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)।**

पारदर्शिता संबंधी पहल

2.6 रा.स.वि.नि. भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा इसका कार्य पूर्णतः स्पष्ट एवं पारदर्शी मानदंडों पर आधारित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

2.6.1 पारदर्शिता, सक्रिय प्रकटीकरण एवं सांविधिक दायित्वों के अनुपालन के अपने लक्ष्यों के अनुसरण में, रा.स.वि.नि. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रदान कर रहा है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सांविधिक दायित्वों का पालन करने हेतु प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं लिनाक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जन सूचना अधिकारियों को नामित किया गया है। सीपीआईओ, पीआईओ तथा अपीलीय प्राधिकारी का विवरण रा.स.वि.नि. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सतर्कता में बढ़ोतरी

2.6.2 सतर्कता रा.स.वि.नि. प्रबंधन कार्यों का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य सुदृढ़ प्रणालियों एवं कार्य अभ्यासों को सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रभावी जांच और नियंत्रण के साथ अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना है। इसमें रा.स.वि.नि. के प्रबंधन के संपर्क में मुख्य सतर्कता अधिकारी (भारत सरकार द्वारा नियुक्त) द्वारा किए गए निवारक निगरानी एवं दंडात्मक उपाय सम्मिलित हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

2.6.2.1 रा.स.वि.नि. ने दिनांक 27.10.2020 से 02.11.2020 तक **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** का आयोजन किया। इस सप्ताह का मूल विषय था "सतर्क भारत, समृद्ध भारत"। सप्ताह के कार्यकलाप हिन्दी तथा अंग्रेजी में शपथ ग्रहण के साथ प्रारम्भ हुए। इसके पश्चात उपर्युक्त विषय पर निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कार्यशाला तथा निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान दिनांक 02 नवम्बर 2020 को श्री अशोक दलवई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उक्त विषय पर व्याख्यान दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुपालन में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सत्यनिष्ठा शपथ के हाईपर लिंक को रा.स.वि.नि. वेबसाइट से लिंक किया गया है। निगम के कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वे छात्रों, उनके परिवारों तथा सामान्य जन सहित नागरिकों तक पहुँच बनाने का प्रयास करें तथा उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग/

रा.स.वि.नि. की वेबसाइट पर उपलबध सत्यनिष्ठा शपथ ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करें।

2.6.2.2 निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन एवं गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों पर डेटा के रखरखाव, वार्षिक संपत्ति विवरण तथा अनुबंधों की जांच और यादृच्छिक जांच जैसे निगरानी उपाय किए गए।

2.6.3 शिकायतों का निवारण, शिकायत आवेदनों के निपटान के लिए एक शिकायत निवारण समिति उपस्थित है।

आंतरिक प्रक्रियाओं की सुदृढ़ता

2.7 रा.स.वि.नि. ने दूसरों के बीच, ग्राहक संतुष्टि के लिए, अग्रणी प्रक्रिया जोखिमों को कम करने के लिए तथा आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए, कई उपाय किए। प्रमुख प्रणालियां नीचे दी गई हैं (i) रा.स.वि.नि. की परिसंपत्ति–देयता प्रबंध समिति (ii) ऋण वसूली और समीक्षा तंत्र, (iii) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ, (iv) प्रबलित निर्माता और जांच प्रणाली (i) साइबर सुरक्षा, आईटी अवसंरचना की लेखा परीक्षा और आपदा रिकवरी केंद्र की स्थापना सहित आईटी तंत्र

2.7.1 वर्ष 2020–21 के दौरान रा.स.वि.नि. ने अपने आईटी सिस्टम को और अधिक उन्नत किया:

– रा.स.वि.नि. एंटरप्राइज नेटवर्क की परिधि स्तर नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2 पालो ऑल्टो नेक्स्ट जेनरेशन फायरवॉल की उच्च उपलब्धता मोड।

– समीक्षा पोर्टल का विकास जिसमें पांच मॉड्यूल अर्थात वरिष्ठ अधिकारी बैठक, क्षेत्रीय निदेशकों से मासिक डीओ, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, राज्य प्रोफाइल, सामान्य परियोजना निगरानी शामिल हैं।

– रा.स.वि.नि. नेटवर्क पर आईटी उपकरणों/कंप्यूटर/डेस्कटॉप/लैपटॉप सिस्टम एवं मीडिया उपकरणों के उपयोग के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन।

– विभिन्न वेबिनार आदि के लिए पंजीकरण पोर्टलों का विकास।

मानव संसाधन तथा प्रशिक्षण एवं विकास

2.8 कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों की संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या क्रमशः **अनुबंध– VI एंव VII** पर दर्शाई गई है।

2.8.1 रा.स.वि.नि. एक ज्ञान–आधारित संगठन है, और लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) एवं 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के साथ–साथ बाहर के अन्य प्रमुख केंद्रों में आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से सीखने एवं ज्ञान के उन्नयन हेतु लगातार प्रयासरत है। रा.स.वि.नि. में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया रही है। प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) अभ्यास के आधार पर, कार्मिकों के कौशल के उन्नयन के लिए इन–हाउस एवं स्थान विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिजाइन, संचालित या आयोजित किए जाते हैं। कार्मिकों की ग्रूमिंग शुरूआती अवस्था से ही की जाती है। भर्ती के बाद, कार्मिकों को शुरु में निगम के विभिन्न प्रभागों के काम के बारे में एक दिशा प्रदान की जाती है और इसके बाद, उन्हें रा.स.वि.नि. की प्रशिक्षण अकादमी – लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) में प्रशिक्षित किया जाता है।

2.8.2 वर्ष 2020–21 के दौरान, लिनाक ने निगम के कार्मिकों के लिए 53 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में, निगम के कुल 327 कार्मिकों में से 268 ने भाग लिया। उपरोक्त के अलावा, अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित 17 वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वेबिनार/प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में 95 कार्मिकों ने भाग लिया है।

अनुक्रम नीति

2.8.3 सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उभरने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की पदस्थापना की जाती है। जहां सेवानिवृत्त अधिकारी को बदलने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता वाले एक अधिकारी द्वारा तत्काल प्रतिस्थापन संभव नहीं है, अपेक्षित विशेषज्ञता/अनुभव वाले सेवानिवृत्त अधिकारी अनुबंध पर तब तक बने रहते हैं जब तक रिक्त पद भरे नहीं जाते हैं। अंतर को पूरा करने के लिए रा.स.वि.नि. अधिकारियों को

प्रतिनियुक्ति पर भी भर्ती करता है। विशेष आवश्यकता या जहां विशेषज्ञता/पेशेवरों की आवश्यकता होती है, को पूरा करने के लिए, निगम ने एक योजना शुरू की है, जिसमें सेवानिवृत्त सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों/अधिकारियों को सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है।

आउटसोर्सिंग

2.8.4 जूनियर स्तरों पर कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए, रा.स.वि.नि. एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से उपयुक्त कार्मिकों से कार्य लिया जाता है। आउटसोर्स कार्मिकों के प्रदर्शन का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है कि आउटसोर्स द्वारा की गई सेवा की गुणवत्ता आवश्यक स्तर के अनुरूप हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सेवा प्रदाता स्थानीय सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अनुसार रा.स.वि.नि. में तैनात कार्मिकों को भुगतान करता है।

रा.स.वि.नि. पुस्तकालय

2.9 रा.स.वि.नि. पुस्तकालय में लगभग 20220 पुस्तकें हैं जिनमें सहकारिताओं के संबंध में ऑडियो पुस्तकें, कृषि रिपोर्टें और 44 प्रसिद्ध पत्रिकाएं एवं 31 तकनीकी शोधपत्र शामिल हैं। इस पुस्तकालय में पाठकों हेतु प्रतिदिन दिल्ली और विभिन्न महत्वपूर्ण महानगरों से 12 हिन्दी समाचार पत्रों को मिलाकर प्रकाशित 29 दैनिक समाचार पत्र आते हैं। वर्ष 2020–21 में मुख्यालय में पुस्तकालय के लिए खरीदी गईं 50 पुस्तकों में से 23 पुस्तकें हिंदी में थीं तथा हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर 51% से अधिक व्यय किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय अपने पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में भी पुस्तकें रखते हैं।

2.9.1 यह पुस्तकालय, सूचना पुनः प्राप्ति तथा भंडारण के लिये लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम (लिबसिस 4एक्स) का प्रयोग करता है। पुस्तकालय पाठकों को संदर्भ सेवाएं और अंतर पुस्तकालय उधार सुविधाएं प्रदान करता है। पुस्तकालय दस्तावेज अर्थात प्रबंध मंडल एवं सामान्य परिषद की बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त, वार्षिक रिपोर्ट, रा.स.वि.नि. कार्यालय रिकॉर्ड/दस्तावेजों आदि का डिजिटाइजेशन कार्य भी कर रहा है तथा रा.स.वि.नि. के प्रबंध सूचना प्रणाली प्रभाग की सहायता से आई.डी.एम.एस. सॉफ्टवेयर भी अपलोड किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2021 तक कुल मिलाकर डिजिटाइज किये गये पेजों की कुल संख्या 61.21 लाख थी जो पाठकों के लिए आई.डी.एम.एस. के माध्यम से अब आसानी से उपलब्ध हैं।

फ्राइडे लंच टाइम टॉक सीरीज

2.10 रा.स.वि.नि. के कार्मिकों के बौद्धिक एवं वाक कौशल को बेहतर बनाने हेतु दिनांक 16.10.2020 को प्रबंध निदेशक द्वारा शुरू की गई एक पहल ''फ्राइडे लंच टाइम टॉक सीरीज'' शीर्षक से वार्ता की एक श्रृंखला प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 01.00 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय, लिनाक एवं क्षेत्रीय कार्यालय में कार्मिकों के लाभ हेतु सहकारी क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था, रेटिंग एजेंसियों द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट आदि में वर्तमान एवं उभरते मुद्दों पर आयोजित की जाती है। प्रत्येक संगोष्ठी में सामान्यतः तीन वक्ता होते हैं और प्रत्येक भाषण लगभग 7 मिनट की अवधि का होता है। दिनांक 31.03.2021 तक, 66 वक्ताओं के साथ 22 वार्ता श्रृंखला आयोजित की गई हैं। चर्चा किए गए लेख द इकोनॉमिस्ट, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मैनेजमेंट बिजनेस रिव्यू, फाइनेंशियल टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, केयर रेटिंग जैसी प्रसिद्ध एजेंसियों द्वारा प्रकाशित अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित हैं। अब तक टॉक सीरीज को रा.स.वि.नि. के कार्मिकों द्वारा भारी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। टॉक सीरीज का समन्वय रा.स.वि.नि. के कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी सेल द्वारा किया जा रहा है।

कोविड अनुपालन

2.11 कोविड –19 संकट के दौरान, पूरे भारत में रा.स.वि.नि. कार्यालयों ने अपने कार्मिकों के स्वास्थ्य और एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा व्यापारिक निरंतरता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ–साथ स्थानीय अधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुसार कई उपाय शुरू किए। इन उपायों में परस्पर विभिन्न निवारक उपायों पर निर्देश जारी करना, वर्क फ्रॉम होम हेतु दिशा–निर्देश, परिसर की सफाई, महामारी के पहलुओं पर कार्मिकों के लिए नियमित वर्चुअल बैठक, बीमार पड़ने वाले कार्मिकों के साथ नियमित अनुवर्ती, ऑनलाइन डॉक्टरों की व्यवस्था' परामर्श

आदि शामिल हैं। सामान्य कार्यालय संचालन धीरे–धीरे फिर से शुरू हो गया क्योंकि लॉकडाउन में छूट दी गई, जबकि उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को बदलने का अनुसरण किया गया।

रा.स.वि.नि. उपस्थिति

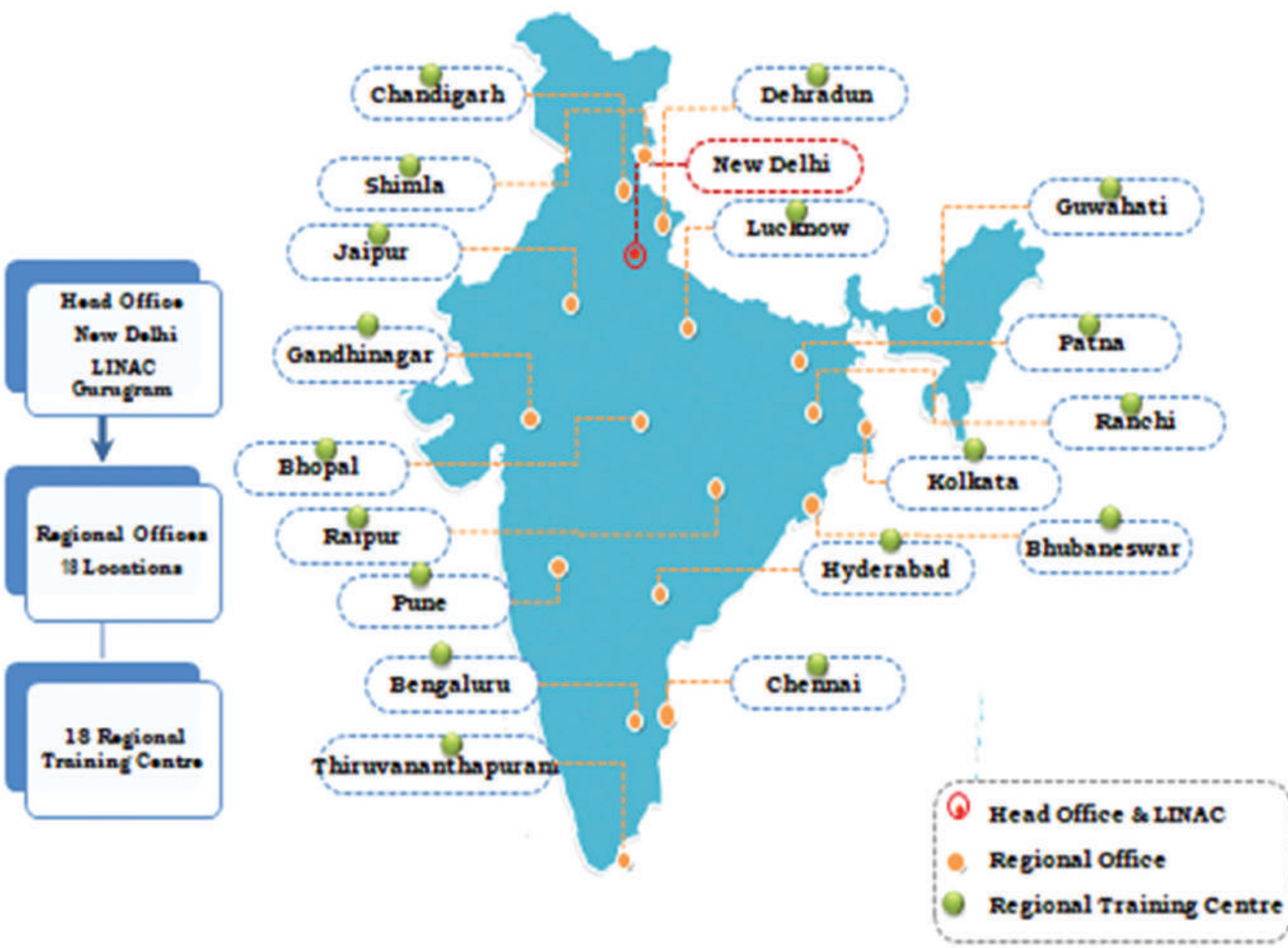

अध्याय–3
वित्त

3.1 निगम की निधियों के स्रोतों तथा प्रयोज्यता को दर्शाते हुए दिनांक 31.03.2021 की वित्तीय स्थिति तालिका–1 पर है।

3.2 पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों सहित वर्ष 2020–21 की वित्तीय विशिष्टताएं निम्न प्रकार से हैं :–

(करोड़ रुपये में)

		2020–21	2019–20
i)	संवितरण	**24733.24**	27703.43
ii)	निवल लाभ (कर पूर्व)	**747.82**	606.43
iii)	निवल एनपीए	–	–
iv)	बकाया ऋण	**20430.70**	26278.75
v)	ऋणों की वसूली	**99.67%**	98.35%

3.3 रा.स.वि.नि. संसाधन एवं निधियों की उपयोगिता निम्न प्रकार से है :–

(करोड़ रुपये में)

		2020–21	2019–20
संसाधन			
i)	भारत सरकार, चीनी विकास निधि, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) एवं ब्याज सब्सिडी (तालिका–2)	**475.81**	205.78
ii)	रा.स.वि.नि. की आंतरिक संभूतियां एवं बाजार उधार (आवती निधियां समेत)	**24257.43**	27497.65
	कुल संसाधन	**24733.24**	27703.43
	उपयोगिता		
	संवितरण	**24733.24**	27703.43

3.3.1 निगम अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर निधियां जुटाने में सफल रहा, जैसा कि **तालिका –3** में दर्शाया गया है। बैंकों से ऋण जुटाने के अलावा, निगम ने पूंजी बाजार साधन (इंस्ट्रूमेंट्स) यथा कॉमर्शियल पेपर, करयुक्त बाण्डों के निर्गम तथा सर्वोच्च कृषि वित्तीय संस्था अर्थात् नाबार्ड से उधार लेकर अपने वित्त पोषण प्रोफाइल को भी विविधीकृत किया है जिससे निधियों की लागत में कमी आयी है।

3.4 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रणाली पर नरसिम्हन समिति द्वारा की गई सिफारिशें और तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में बैंकों को जारी किए गए मार्गदर्शी नियम, निगम में वर्ष 1992–93 से स्वैच्छिक तौर पर कार्यान्वित किये जा रहे हैं, जो कि प्रबंध मंडल द्वारा दिनांक 30.06.1993 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किए गए। वर्ष 2006–07 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी नियमों के अनुसार, वे ऋण जिनके संबंध में ब्याज 180 से अधिक दिनों की अवधि तक अतिदेय रहा और/अथवा उनके मूलधन की किश्त 365 दिन की अवधि, तक अतिदेय रही, ऐसे ऋण एनपीए के रूप में माने गए और इन एनपीए पर उपचित ब्याज को ब्याज आय में शामिल नहीं किया गया। यही नीति वर्ष 2020–21 में भी जारी रही। एनपीए के संबंध में 35.35 करोड़ रूपये का उपचित ब्याज (गत वर्ष 36.06 करोड़ रूपये), वर्ष की ब्याज आय में परिकलित नहीं किया गया है।

3.5 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, एनपीए के संबंध में निम्नलिखित भुगतान प्राप्त हुआ तथा उसी राशि के एनपीए प्रावधान का प्रत्यावर्तन हो गया :–

(i) सतपुड़ा तापी एसएसके, महाराष्ट्र – 10 लाख रुपये।

(ii) महुआ सहकारी शीत भंडारण लि0, बिहार – 12.74 लाख रुपये।

(iii) कियिपन्योर एमपीसीएस लि0, अरुणाचल प्रदेश – 0.66 लाख रुपये।

(iv) नेशनल फडरेशन ऑफ फार्मर पीपीआरसी ऑफ इण्डिया लि0, – 394.88 लाख रुपये।

(v) श्री मारोली बाजार विभाग सहकारी मंडली, गुजरात – 157.96 लाख रुपये।

(vi) इछाबा चाय उत्पादक समिति लि0, नागालैंड – 0.03 लाख रुपये।

उपर्युक्त के आलोक में, उक्त छह लेखाओं के एनपीए प्रावधान को वर्ष 2020–21 में प्राप्त मूलधन राशि अर्थात 576.27 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रावधान के साथ प्रत्यावर्तित कर दी गई।

3.5.1 वर्ष 2020–21 के दौरान, लेखों पर सृजित 37.27 करोड़ रूपये के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित लेखों को एनपीए के रूप उदघोषित किया गया है :–

(i) सिद्धेश्वर एसएसके लि., महाराष्ट्र – 29.42 करोड़ रुपये।

(ii) संपतराव देशमुख सहकारी दुग्ध संघ लि., महाराष्ट्र – 7.51 करोड़ रुपये।

(iii) श्री शक्ति विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, मध्य प्रदेश – 0.31 करोड़ रुपये।

(iv) ताप्ती बीज उत्पादन संस्था मर्यादित, मध्य प्रदेश – 0.03 करोड़ रुपये।

3.6 गत वर्ष के अंत में एनपीए हेतु मूलधन की वसूली तथा वर्ष 2020–21 में अगली वृद्धियों के परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2020 को 239.80 करोड़ रूपये का सकल एनपीए जो दिनांक 31.03.2021 को बढ़कर 271.31 करोड़ रूपये (239.80+37.27–5.76) हो गया। दिनांक 31.03.2021 को निवल एनपीए शून्य था। दिनांक 31.03.2021 को एनपीए प्रावधानों का विवरण **तालिका–4** में दर्शाया गया है।

3.7 मानक परिसंपत्तियों के लिए 0.40% की दर से सामान्य प्रावधान तैयार किया गया है। दिनांक 31.03.2020 को 75.41 करोड़ रूपये का प्रावधान पहले ही रखा जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2020–21 में 14.97 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रत्यावर्तन हो गया है तथा पुनः सृजित ऋण पर 5% की दर से 13.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2021 तक लेखों में 74.29 करोड़ रुपये (75.41+13.85–14.97) का कुल प्रावधान रखा गया है।

3.8 दिनांक 31.03.2021 को केन्द्रीय सरकार का बकाया ऋण "शून्य" था।

3.9 वर्ष 2020–21 के दौरान निगम द्वारा कार्यान्वित स्कीमें/सहायता प्राप्त कार्यकलाप तथा सहायता पैटर्न **अनुबंध– IV एवं V** में दिये गये हैं।

3.10 निगम ने वर्ष 2020–21 के दौरान 311.67 करोड़ रूपये की सब्सिडी (4.48 करोड़ रूपये राशि निगम की अपनी निधियों से) सहित 24733.24 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता संवितरित की। वर्ष 2020–21 के दौरान योजनावार संवितरण के विवरण **तालिका–5** पर दर्शाए गए हैं। संवितरण के राज्यवार/कार्यकलापवार विवरण **अनुबंध –VIII** पर दिए गए हैं।

3.11 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निगम की उधार देने की शर्तें **तालिका–6** में दी गई हैं।

3.12 निगम द्वारा वर्ष 2020–21 तक विभिन्न स्कीमों के लिये प्रदान की गई संचयी वित्तीय सहायता 177327.48 करोड़ रुपये है जो **तालिका–7** पर दर्शाई गई है। संचयी सहायता का राज्यवार विवरण **अनुबंध–IX** पर दर्शाया गया है।

तालिका–1

31 मार्च, 2021 को निधियों के स्रोत एवं प्रयोज्यता
(31 मार्च, 2021 तक तुलन पत्र सारांश)

(करोड़ रुपये में)

		दिनांक 31.03.2021 को			दिनांक 31.03.2020 तक	
		राशि	%		:राशि	%
क. स्रोत						
1 रा.स.वि.नि. की निधियां/रिजर्व		3694.70	18.13%		3160.30	11.93%
2 रा.स.वि.नि. बांड		1430.00	7.02%		1000.00	3.77%
3 बैंकों से प्राप्त ऋण		15102.73	74.12%		22212.49	83.85%
4 एनएसटीएफडीसी से ऋण		147.74	0.73%		117.34	0.44%
योग :		**20375.16**	**100%**		**26490.13**	**100%**
ख. प्रयोज्यताएं						
1 लाभार्थियों को दिए गए अग्रिम ऋण		20430.70			26278.76	
2 स्थाई परिसंपत्तियां		9.12			8.53	
3 सहकारिताओं की हिस्सा पूंजी में निवेश		5.53			5.53	
4 **निवल चालू परिसम्पतियां**	(i - ii)	–70.20		(i - ii)	197.31	
(i) <u>चालू परिसंपत्तियां</u>						
(क) उपचित ब्याज	368.57			540.41		
(ख) अग्रिम, प्राप्य एवं कर	69.41			89.47		
(ग) नकदी एवं बैंक शेष	9.40			9.08		
(i)	447.38			638.96		
(ii) <u>चालू देयताएं एवं प्रावधान</u>						
(क) बाजार उधार/एनएसटीएफडीसी ऋण पर ब्याज	59.49			61.22		
(ख) संदिग्ध ऋणों, मानक परिसंपत्तियों तथा निवेशों हेतु प्रावधान	346.90			316.52		
(ग) अनप्रयुक्त अनुदान	68.85			7.59		
(घ) अन्य	42.34			56.32		
(ii)	517.58			441.65		
योग :	**20375.16**			**26490.13**		

तालिका–2

वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और एनएसटीएफडीसी से प्राप्त सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम	ऋण	अनुदान
क.	**केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं**		
I	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम – सहकारिताओं के विकास हेतु रा.स.वि.नि. के कार्यक्रम को सहायता (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) – सहकारी विपणन, प्रसंस्करण एवं भंडारण आदि हेतु सहायता – एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं – सहकारी कताई मिलों में अशपूंजी सहभागिता राष्ट्रीय बीज निगम		311.39
II	कृषिक विपणन एकीकृत स्कीम (आईएसएएम–डीएमआई)	–	4.40
III	कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ)	–	27.50
IV	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	–	18.57
V	ब्याज सब्सिडी (महाराष्ट्र सरकार)	–	0.50
ख.	चीनी विकास निधि (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)	59.62	
ग.	जनजाति विकास हेतु आवधिक ऋण (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम)	53.83	
	योग :	**113.45**	**362.36**
	योग (ऋण+अनुदान)	**475.81**	

तालिका–3

रा.स.वि.नि. द्वारा जुटाये गए ऋणों/निधियों की शर्तें

(अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021)

क्र.सं.	ऋण का विवरण	अवधि	अदायगी की शर्तें
क.	अल्पावधिक ऋण/एफ सी ऋण पूर्णतया हेज्ड	7 दिन से 6 माह	मूलधन की वापसी परिपक्वता पर और ब्याज मासिक आधार पर देय है।
ख.	बैंकों से दीर्घकालीन ऋण	5 वर्ष	एक वर्ष के विलंबकाल के बाद मूलधन वार्षिक किश्तों में देय हैं तथा ब्याज मासिक रूप से देय है!
ग.	नकद ऋण सुविधा	1 वर्ष	मूलधन की अदायगी ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय की जा सकती है और ब्याज मासिक आधार पर देय है।
घ.	कॉमर्शियल पेपर	88 दिन से 90 दिन	मूलधन और ब्याज की अदायगी परिपक्वता पर

तालिका–4

दिनांक 31.03.2021 को एनपीए प्रावधानों के विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. स	ऋणी का नाम	गैर निष्पादन परिसम्पति का स्वरूप	दिनांक 31.3. 2021 को बकाया ऋण	दिनांक 31.3.2020 तक किए गए प्रावधान		वर्ष 2020–21 के दौरान प्रस्तावित प्रावधान	दिनांक 31.3.2021 को कुल प्रावधान		31.3. 2021 तक निवल एनपीए	प्रतिभूति
				राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत		
1	सतपुडातापी एसएसके लि0, (महाराष्ट्र)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	2250.16928	2,260.16928	100.44%	(10.00)	2250.16928	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
2	पेट्रोफिल्स (गुजरात)	परिसंपत्ति घाटा	667.44000	667.44000	100%	–	667.44000	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
3	दौलत एस.एस.के (महाराष्ट्र)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	1401.98800	1,401.98800	100%	–	1401.98800	100%	–	राज्य सरकार की गारंटी
4	मयूर सहकारी दुग्ध संघ (महाराष्ट्र)	– वही –	395.49853	395.49853	100%	–	395.49853	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
5	दुर्गापुर कुक्कुटपालन सह. समि. लि0 (पश्चिम बंगाल)	– वही –	28.68500	28.68500	100%	–	28.68500	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
6	मैट्रिसीज प्राथमिक औद्योगिक सह.समिति, (अरूणाचल प्रदेश)	– वही –	20.63000	20.63000	100%	–	20.63000	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
7	त्जुरांग्सा बहुउद्दशीय सहकारी समिति लि0 (नागालैंड)	– वही –	10.76475	10.76475	100%	–	10.76475	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
8	वसंतराव दादा पटिल एसएसके लि0 (महाराष्ट्र)	– वही –	54.23015	54.23015	100%	–	54.23015	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
9	टेक बोगो बहुउद्दशीय सहकारी समिति (अरूणाचल प्रदेश)	– वही –	23.51800	23.51800	100%	–	23.51800	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
10	किमिन कुढ़ बहुउद्दशीय समिति लि0 (अरूणाचल प्रदेश)	– वही –	145.70100	145.70100	100%	–	145.70100	100%	–	राज्य सरकार की गारंटी
11	अम्मा अब्बा एमपीसीएस लि0 (अरूणाचल प्रदेश)	1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध	132.18000	132.18000	100%	–	132.18000	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
12	कियी पैन्यौर एम पी सी एस लि. (अरूणाचल प्रदेश)	– वही –	31.90523	32.56800	102%	(0.66277)	31.90523	100%	–	राज्य सरकार की गारंटी
13	श्री विठ्ठल एसएसके – (महाराष्ट्र)	– वही –	3320.71400	320.71400	100%	–	3320.71400	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
14	आदिनाथ एसएसके : (महाराष्ट्र)	– वही –	2500.00000	2,500.00000	100%	–	2500.00000	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
15	प्राथमिक कृषि पट्टिना सहकारी संघए इंल्लई (कर्नाटक)	1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध	20.84200	20.84200	100%	–	20.84200	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
16	जवाहर शेतकारी सहकारी सूत गिरनी लि0 (महाराष्ट्र)	– वही –	2800.00000	2,800.00000	100%	–	2800.00000	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
17	नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स इंडिया लि0 नई दिल्ली	– वही –	1105.15771	1,500.03794	136%	(394.88023)	1105.15771	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
18	पुरी जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0, उड़ीसा	1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध	25.06820	25.06820	100%	–	25.06820	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
19	महुआ सहकारी कोल्ड स्टोरेज लि0	– वही –	1503.50898	1,516.24643	101%	(12.73745)	1503.50898	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन

तालिका जारी...

क्र. स	ऋणी का नाम	गैर निष्पादन परिसम्पति का स्वरूप	दिनांक 31.3. 2021 को बकाया ऋण	दिनांक 31.3.2020 तक किए गए प्रावधान		वर्ष 2020–21 के दौरान प्रस्तावित प्रावधान	दिनांक 31.3.2021 को कुल प्रावधान		31.3. 2021 तक निवल एनपीए	प्रतिभूति
				राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत		
20	मंगल सिद्धी एमएमएसएस लि0, महाराष्ट्र	1 वर्ष तक संदिग्ध	41.77871	41.77871	100%	–	41.77871	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
21	लोकनायक जयप्रकाश नारायण एसएसएसजीजी लि0, महाराष्ट्र	– वही –	6411.90000	6,411.90000	100%	–	6411.90000	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
22	श्री मारोली बाजार विभाग विविध विक्रयकारी सहकार मंडी सीमित, गुजरात	– वही –	254.17976	412.14158	162%	(157.96182)	254.17976	100%	–	परिसम्पतियों का रेहन
23	इछाबा चाय उत्पादक सहकारी समिति लि0,	– वही –	258.29959	258.32787	100%	(0.02828)	258.29959	100%	–	राज्य सरकार की गारंटी
24	सिद्धेश्वर एसएसके, महाराष्ट्र	उपमानक	2941.94961	–	0%	2,941.94961	2941.94961	100%	–	परिसम्पत्तियों के रेहन
25	सम्पतराव देशमुख सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ	उपमानक	750.75171	–	0%	750.75171	750.75171	100%	–	परिसम्पत्तियों के रेहन
26	श्री शक्ति विपणन सहकारी संस्था मर्यादित	उपमानक	30.71200	–	0%	30.71200	30.71200	100%	–	–वही–
27	ताप्ती बीज उत्पादक संस्था मर्यादित, मध्य प्रदेश	उपमानक	3.20000	–	0%	3.20000	3.20000	100%	–	–वही–
	योग		23,980,42944		3,150.34277	27,130.77221				

तालिका–5
वर्ष 2020–21 के दौरान योजनावार विमुकतियाँ

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना	ऋण	अनुदान
क.	**केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं**		
	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम–सहकारिताओं के विकास हेतु रा.स.वि.नि. के कार्यक्रमों को सहायता (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)		
	i. सहकारी विपणन, प्रसंस्करण तथा भंडारण आदि हेतु सहायता	**169.13**	**225.75**
	ii. एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं	**–**	**16.27**
	iii. कताई मिलों में शेयर पूँजी हिस्सा	**15.173**	**61.40**
	2. कृषि विपणन एकीकृत स्कीम (आईएसएएम–डीएमआई)	**3.51**	**0.95**
	3. कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)	**–**	**2.32**
	4. महाराष्ट्र से ब्याज सब्सिडी	**–**	**0.50**
ख.	**चीनी विकास निधि**	59.62	.
ग.	**निगम प्रायोजित स्कीम**	24174.15	4.48
	योग :	24421.57	311.67
	योग (ऋण + अनुदान)	**24733.24**	

नोटः केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के अंतर्गत सब्सिडी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और ऋण रा.स.वि.नि. द्वारा अपने स्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका–6

निगम द्वारा ऋण उधार देने की शर्त

ऋण के विवरण से	ब्याज की प्रभावी दर*			
	01.04.20 से 08.06.20	09.06.20 से 24.08.20	25.08.20 से 04.02.21	05.02.21से 31.03.21
क. आवधिक ऋण:				
– राज्य सरकारों के माध्यम से संवितरण (वार्षिक अंतराल पर)				
(i) कमजोर वर्गों के कार्यक्रम	10.11%	9.55%	9.50%	9.50%
(ii) अन्य कार्यक्रम	10.36%	9.80%	9.70%	9.70%
– सहकारी समितियों को अर्धवार्षिक अंतराल पर प्रत्यक्ष संवितरण				
(I) कमजोर वर्गों के कार्यक्रम				
– 50.00 लाख रूपये की परियोजना लागत तक	10.41%	9.85%	-	-
– 100 लाख रुपये परियोजना लागत तक	-	-	9.80%	9.80%
– 50.00 लाख रूपये से अधिक की परियोजना लागत हेतु	10.76%	10.20%	-	-
– 100 लाख रुपये से अधिक की परियोजना	-	-	9.92%	9.92%
(II) अन्य कार्यक्रम	10.89%	10.30%	9.97%	9.97%
ख. कार्यशील पूंजी ऋण:				
क) राज्य सरकारों के माध्यम से				
(i) 30 दिनों तक				
(ii) 31 दिन – 90 दिन	7.45% से	7.35% से	6.35% से	6.25% से
(iii) 91 दिन – 180 दिन	9.49%	9.06%	8.56%	8.46%
(iv) 181 दिन – 270 दिन				
(v) 271 दिन – एक वर्ष				
(vi) 1 वर्ष से अधिक – 2 वर्ष तक				
ख) प्रत्यक्ष वित्त पोषण				
(i) 30 दिनों तक				
(ii) 31 दिन – 90 दिन	7.48% से	7.38% से	6.38% से	6.28% से
(iii) 91 दिन – 180 दिन	9.54%	9.11%	8.61 %	8.51%
(iv) 181 दिन – 270 दिन				
(v) 271 दिन – 1 वर्ष				
(vi) 1 वर्ष से अधिकि – 2 वर्ष तक				

<u>नोट</u> :

(i किश्त का भुगतान देय तिथि या उसके पहले प्राप्त न होने की स्थिति में, सामान्य दर (प्रभावी.1%) लागू है

(ii विलंबित भुगतानों पर ब्याज की सामान्य दर से 2.50% ब्याज लिया जाता है।

(iii ब्याज धनराशि जारी करने के समय विद्यमान दरों पर लिया जाएगा और मासिक चक्रवृद्धि आधार पर लिया जाएगा।

(iv ऋण की अवधि 3 महीने से 8 वर्ष तक होती है

(v प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, प्रसंस्करण शुल्क प्रत्येक मामले में स्वीकृत राशि का 0.5% लिया जाता है, जो रु. 3 लाख रूपए से अधिक नहीं है (6 करोड़ रूपये का 0.5%) हालाँकि, एक वर्ष तक के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

तालिका–6 का अनुबंध

दिनांक 05.02.2021 से प्रभावी प्रत्यक्ष वित्त पोषण के अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋण हेतु प्रभावी ब्याज दर*

ख. कार्यशील पूंजी ऋण	30 दिनों तक		31 दिनों से 120 दिनों तक		121 दिनों से 180 दिनों तक		181 दिनों से 270 दिनों तक		271 दिनों से –1 वर्ष तक		1 वर्ष से 2 वर्ष तक	
राज्य सरकार/सीधे वित्त पोषण के माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋणों के संवितरण हेतु राशिवार, अवधिवार ब्याज दर	राज्य सरकार के माध्यम से	प्रत्यक्ष वित्त पोषण से	राज्य सरकार के माध्यम से	प्रत्यक्ष वित्त पोषण से	राज्य सरकार के माध्यम से	प्रत्यक्ष वित्त पोषण से	राज्य सरकार के माध्यम से	प्रत्यक्ष वित्त पोषण से	राज्य सरकार के माध्यम से	प्रत्यक्ष वित्त पोषण से	राज्य सरकार के माध्यम से	प्रत्यक्ष वित्त पोषण से
(i) 50 करोड़ तक	6.58%	6.78%	6.81%	6.96%	7.08%	7.14%	7.48%	7.54%	7.84%	7.89%	8.46%	8.51%
(ii) > 50 करोड़ तथा 100 करोड़ तक	6.57%	6.75%	6.80%	6.93%	7.04%	7.09%	7.44%	7.49%	7.82%	7.87%	8.46%	8.51%
(iii) > 100 करोड़ तथा 300 करोड़ तक	6.56%	6.73%	6.79%	6.91%	7.01%	7.06%	7.41%	7.46%	7.80%	7.85%	8.46%	8.51%
(iv) > 300 करोड़ तथा 1000 करोड़ तक	6.56%	6.70%	6.79%	6.88%	6.99%	7.04%	7.39%	7.44%	7.78%	7.83%	8.46%	8.51%
(v) > 1000 करोड़	6.55%	6.68%	6.78%	6.86%	6.96%	7.01%	7.36%	7.41%	7.76%	7.81%	8.46%	8.51%
(vi) प्राधिकृत निकायों द्वारा एमएसपी प्राचलनों हेत < 2000 करोड़	6.28%	6.41%	6.39%	6.48%	6.79%	6.85%	7.34%	7.39%	7.74%	7.79%	8.36%	8.46%
(vii) प्राधिकृत निकायों द्वारा एमएसपी प्राचलनों हेत ≥ 2000 करोड़ रुपये तथा > 300 करोड़ रुपये आहरण @ किश्ते	6.25%	6.28%	6.35%	6.39%	6.64%	6.69%	7.29%	7.34%	7.69%	7.74%	8.31%	8.41%
(viii) शीत श्रृंखला परियोजनाओं हेतु	6.55%	6.68%	6.78%	6.86%	6.96%	7.01%	7.36%	7.41%	7.76%	7.81%	8.46%	8.51%

***किश्तों पर अथवा देय तिथि को भुगतान की शर्त पर।**

***30 दिनों तक की अवधि हेतु लिए गए कार्यशील पूँजी ऋण पर पूर्व भुगतान मान्य नहीं है**

+ स्वीकृत राशि के लिए अधिकृत निकायों द्वारा एमएसपी संचालन के लिए ≥ 2000 करोड़ रुपये और निकासी/किश्तों @ 300 करोड़ रुपये से अधकि नहीं होनी चाहिए जैसा कि संकेत दिया गया है।

उपरोक्त क्रमांक (vii) पर उधारकर्ता को ब्याज दर में कमी का लाभ, यदि कोई हो तो का लाभ उठाने की अनुमति है। 21 दिनों की प्रतिधारण अवधि के बाद प्रत्येक संवितरण के लिए प्राप्त संपूर्ण ऋण अवधि के दौरान अधिकतम दो बार तक और आगे शर्तो के अधीन कि रा.स.वि.नि द्वारा अनुमत ब्याज के प्रत्येक रीसेट के बाद अगले 30 दिनों तक ऋण के पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं है। ब्याज दर के पुनर्निधारण का लाभ उधारकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के पांचवें दिन से प्रभावी होगा।

तालिका–7

रा.स.वि.नि. द्वारा कार्यकलापवार संवितरित वित्तीय सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यकलाप	वर्ष 2020–21 के दौरान संवितरण		दिनांक 31.3.2021 तक संचयी संवितरण	
		राशि	%	राशि	%
i)	विपणन एवं निवेश	19605.79	79.27%	96054.82	54.17%
ii)	कृषि प्रसंस्करण	1643.91	6.65%	27373.83	15.44%
iii)	औद्योगिक एवं सेवा सहकारिताएं	2996.23	12.11%	37750.33	21.29%
iv)	एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं	152.61	0.62%	4519.7	2.55%
v)	कमजोर वर्गों के कार्यक्रम	288.57	1.17%	9185.91	5.18%
vi)	भंडारण एवं शीत श्रृंखला	7.29	0.03%	1376.12	0.78%
vii)	उपभोक्ता सहकारिताएं	0.89	0.00%	346.05	0.20%
viii)	सहकारिताओं का कम्प्यूटरीकरण	30.87	0.12%	576.53	0.33%
ix)	संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलाप	4.48	0.02%	141.6	0.08%
x)	युवा सहकार	0.27	0.00%	0.27	0.00%
xi)	कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)	2.32	0.01%	2.32	0.00%
	योग	**24733.24**	**100%**	**177327.48**	**100%**

अध्याय–4

संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक भूमिका

4.1 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम देश में सहकारी विकास कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन, समन्वयन एवं वित्त पोषण के कार्यो में संलग्न है। यह कृषकों और कृषि एवं संबद्ध ग्रामीण आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ी कमजोर वर्गों की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। रा.स.वि.नि. की नीति इन संस्थाओं को सुदृढ़ एवं विकसित करने की है ताकि वे अपने सदस्यों की सेवा कर सकें तथा उनकी आय में सतत बढ़ोत्तरी बनाए रखने में सक्षम हो सकें।

4.1.1 रा.स.वि.नि. की संवर्धनात्मक तथा विकासात्मक भूमिका विशिष्ट रूप से निगम के कार्यकलापों के निम्नलिखित क्षेत्रों में परिलक्षित होती है:–

क) सहकारी विकास हेतु नियोजन में सहायता करना तथा इस प्रकार, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को वार्षिक योजनाओं के निर्माण में सहायता करना।

ख) विशिष्ट एवं एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं प्रायोजित करना।

ग) सहकारी क्षेत्रक विकास परियोजनाएं तैयार करने में परामर्श सहायता प्रदान करना।

घ) विभिन्न सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं आदि के साथ सहकारिताओं के कार्यकलापों का समन्वय करना।

ड.) निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु सहकारी कार्मिकों की कार्यात्मक दक्षताओं का उन्नयन (अपग्रेड) करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

च) सूचनाओं के आदान–प्रदान को सरल बनाने और प्रगति की समीक्षा आदि करने हेतु अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करना।

छ) सर्वोत्तम कार्य करने वाली सहकारी समितियों के कार्यनिष्पादन को नकद पुरस्कारों तथा प्रशस्ति पत्रों के माध्यम से सम्मानित करना जिनके लिए निगम द्वारा ''रा.स.वि.नि. द्विवार्षिक सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार'' की संस्थापना की गई है।

4.1.2 वर्ष 2020–21 के दौरान रा.स.वि.नि. द्वारा विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु 4.48 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की गई। रा.स.वि.नि. द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 तक विभिन्न संवर्धनात्मक तथा विकासात्मक कार्यक्रमों को चलाने हेतु कुल 141.60 करोड़ रूपए राशि प्रदान की गई।

व्यवसायिक संगठनों की सदस्यता

4.2 रा.स.वि.नि. संबंधित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय तथा प्रबंधकीय विकास के क्षेत्र में निरंतर अन्तरसंवाद तथा सूचना उन्नयन (अपग्रेडेशन) के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक निकायों का संस्थागत सदस्य है। रा.स.वि.नि. निम्नलिखित व्यवसायिक संगठनों का सदस्य है :–

- क्षेत्रीय कृषिक सहकारिता विकास नेटवर्क, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र (नेडैक), बैंकॉक। **प्रबंध निदेशक, रा.स.वि.नि. नेडैक के अध्यक्ष हैं।**
- अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) जिनेवा, स्विटजरलैंड।
- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं कृषिक बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र, (सिस्टैब), पुणे।
- भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई), नई दिल्ली।
- ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा), आणंद, गुजरात।

अन्य संगठनों से संबद्धता

4.2.1 रा.स.वि.नि. को निम्नलिखित मंचों/संस्थाओं में भी प्रतिनिधित्व/संबद्धता प्राप्त है:–

- इण्डियन पोटाश लि0 (आईपीएल)।
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)।
- अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल लि0, (एफ्कोस्पिन) मुंबई।
- भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि0 (इफको), नई दिल्ली।
- कृषक भारती सहकारी लि0 (कृभको), नोएडा, उत्तर प्रदेश।

- अखिल भारतीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन.सी.सी.एफ.), नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लि0, (फिश्कोपफेड)
- अखिल भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, (ट्राइफेड)
- नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि।
- केरल राज्य सहकारी रबड़ विपणन संघ (रबड़ मार्क), कोच्चि।
- भारतीय फार्म वानिकी विकास सहकारी लि0 (आई. एफ.एफ.डी.सी.), गुरुग्राम।
- ओडिशा सहकारी कॉयर निगम लि0 (ओसीसीसी), भुवनेश्वर।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम की तकनीकी परामर्शन सह–जांच समिति, वस्त्र मंत्रालय (टीयूएफएस), भारत सरकार।
- केन्द्रीय तेल उद्योग एवं व्यापार संगठन (सीओओआईटी), नई दिल्ली।

समझौता ज्ञापन

4.3 रा.स.वि.नि. ने विभिन्न राज्य सरकारों और संगठनों के साथ सहकारिता, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास एवं सतत विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दों एवं क्षेत्रों पर आपसी सहयोग बनाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। रा.स.वि.नि. ने 33 ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। जिसमें से 26 समझौता ज्ञापन (एमओयू) वित्तीय वर्ष 2020–21 में निष्पादित किए गए थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

1. दिनांक 26.03.2018 को भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड)।
2. दिनांक 25.05.2018 को राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, मैनेज, हैदराबाद।
3. दिनांक 07.10.2018 को उत्तराखंड सरकार (रा.स.वि.नि. की सहायता से मेगा परियोजना हेतु)।
4. दिनांक 08.01.2019 को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)।
5. दिनांक 24.04.2019 को राज्य सरकार द्वारा स्थापित पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय।
6. दिनांक 20.05.2019 को राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण समिति संघ (नैफकॉफ)।
7. दिनांक 20.12.2019 का तमिलनाडु सरकार।
8. दिनांक 28.05.2020 को अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक लि0 (नैफकॉफ)।
9. दिनांक 8.06.2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)।
10. दिनांक 23.07.2020 को शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू–कश्मीर (एस.के.यू.ए.एस.टी.के.)।
11. दिनांक 04.08.2020 को उत्तराखंड सरकार (एफपीओ कार्यक्रम के लिए)।
12. दिनांक 18.08.2020 को भारतीय मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
13. दिनांक 11.09.2020 को ओडिशा सरकार (एफपीओ कार्यक्रम के लिए)।
14. दिनांक 29.09.2020 को डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
15. दिनांक 06.10.2020 को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर।
16. दिनांक 21.10.2020 को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
17. दिनांक 26.10.2020 को असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम।
18. दिनांक 09.11.2020 को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
19. दिनांक 17.11.2020 को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
20. दिनांक 18.11.2020 को आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, (अंगराव) आंध्र प्रदेश।

21. दिनांक 28.11.2020 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर।

22. दिनांक 02.12.2020 को शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू और कश्मीर (एस.के.यू.ए.एस.टी.जे.)।

23. दिनांक 23.12.2020 को स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एस–व्यासा), बेंगलुरु, कर्नाटक।

24. दिनांक दिसंबर 2020 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई.)।

25. दिनांक 04.01.2021 को महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र।

26. दिनांक 12.01.2021 को गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) तमिलनाडु।

27. दिनांक 03.02.2021 को गुजरात विश्वविद्यालय, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात।

28. दिनांक 17.02.2021 को तेलंगाना सरकार (एफपीओ के लिए)।

29. दिनांक 19.02.2021 को रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई, इंडियन ऑयल ओडिशा कैंपस, भुवनेश्वर।

30. दिनांक 22.02.2021 को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)।

31. दिनांक 24.02.2021 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप (एफएफपीओ के लिए)।

32. दिनांक 05.03.2021 को केरल कृषि विश्वविद्यालय।

33. दिनांक 16.03.2021 को छत्तीसगढ़ सरकार (एफपीओ कार्यक्रम के लिए)।

नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का शुभारंभ

4.4 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने सहकारी समिति के सदस्यों से सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ अप्रत्यक्ष माध्यम से निम्नलिखित नई योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए:

क. दिनांक 11.06.2020 को सहकार मित्र योजना।

ख. दिनांक 04.08.2020 को सहकार कॉपट्यूब रा.स.वि.नि. चैनल।

ग. दिनांक 19.10.2020 को आयुष्मान सहकार।

घ. सहकार प्रज्ञा– लिनाक के 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों तथा दिनांक 24.11.2020 को 45 व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉडयूल के माध्यम से प्राथमिक सहकारी समितियों का क्षमता विकास।

ड़ दिनांक 24.02.2021 को नंदिनी सहकार एक महिला केंद्रित योजना शुरू की गई।

4.4.1 भारत की सबसे बड़ी सुअरपालन परियोजना, 225 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मेघालय सुअरपालन मिशन रा.स.वि.नि. मुख्यालय में दिनांक 10.09.2020 को श्री कॉनराड के संगमा, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री, श्री कैलाश चौधरी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री प्रेस्टन तिनसोंग, मेघालय के माननीय उपमुख्यमंत्री एवं अन्य, की उपस्थिति में शुरू की गई थी। उसी दिन परियोजना के लिए 52.37 करोड़ रुपये की पहली किश्त संवितरित की गई थी।

रा.स.वि.नि. द्वारा आयोजित वेबिनार

4.5 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने सहकारी समितियों के सदस्यों एवं अपने स्वयं के कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न वेबिनार आयोजित किए:

i. दिनांक 11.05.2020 को नेडैक बैंकॉक के सहयोग से **''सहकारिता के लिए साइबर जोखिम और शमन''**।

ii. दिनांक 22.05.2020 को राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, पश्चिम बंगाल सरकार, उत्तराखंड सरकार तथा शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर के साथ साझेदारी में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने के लिए **''मीठी क्रांति – आत्मनिर्भर भारत''**।

iii. दिनांक 05.06.2020 को **''सहकार सुरक्षा: कृषि सहकारिता के हेतु टिड्डी मुद्दा''**।

iv. **''उत्पादक सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र:** दिनांक 12.06.2020 को एम.ओ.एफ.पी.आई. तथा रा.स.वि.नि. द्वारा सहयोगात्मक दृष्टिकोण''।

v. डॉ. (प्रो.) राकेश यादव, हृदय रोग विशेषज्ञ, एम्स, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23.06.2020 को **''प्रिवेंटिव हेल्थ इन कोविड टाइम्स''** पर वार्ता की गई।

vi. दिनांक 03.07.2021 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर **''जलवायु कार्रवाई हेतु सहकारिताएं''** पर वार्ता की गई।

vii. दिनांक 22.07.2020 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, आईसीएआर तथा केरल, बिहार, मणिपुर और गोवा की सरकारों के साथ साझेदारी में **''बतख खेती के माध्यम से उद्यमिता विकास''** पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

viii. दिनांक 03.09.2020 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ साझेदारी में **''नए अध्यादेशः सहकारिताओं हेतु नए अवसर''** पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

ix. दिनांक 15.09.2020 को एम्स रायपुर के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ नितिन एम. नागरकर द्वारा **''निवारक स्वास्थ्य–ईएनटी संबंधित मुद्दों''** पर चर्चा की गई।

x. दिनांक 17.09.2020 को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के उप निदेशक श्री के.पी.शर्मा द्वारा **''राजभाषा नीति और उसके कार्यान्वयन''** पर कार्यशाला आयोजित की गई।

xi. डॉ. नम्रेता सिंह, आहार विशेषज्ञ, एम्स, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.10.2020 को **''सहकार सुरक्षा – कोविड समय के दौरान पोषण''** पर वर्ता की गई।

xii. दिनांक 01.11.2020 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक दलवई द्वारा **''सतर्क भारत, समृद्ध भारत (विजिलेंट इंडिया, प्रोसपेरोस इंडिया)''** पर वार्ता आयोजित की गई।

xiii. दिनांक 28.01.2021 को नेडैक, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार तथा रा.स.वि.नि. के लिनाक द्वारा संयुक्त रूप से **''सहकारिता द्वारा समुद्री शैवाल व्यवसाय पर उद्यमिता विकास''** पर कार्यशाला आयोजित की गई।

xiv. दिनांक 26.02.2021 को **''केवीके आईसीएआर सीबीबीओ के रूप में – रा.स.वि.नि. के साथ एफपीओ योजना में भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व''।**

xv. **रा.स.वि.नि. द्वारा दिनांक 28.02.2021 को देश के पहले किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का पंजीकरण** अर्थात् कृषक उत्पादन संगठन और आधुनिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

4.5.1 रा.स.वि.नि. के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय नियमित आधार पर आयुष्मान सहकार, युवा सहकार, नंदिनी सहकार, पीएमएमएसवाई, एनबीएचएम, पीएमएफएमई, एएमआई, एफपीओ योजनाओं आदि के विशेष संदर्भ में कार्यान्वयन के तहत योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार बैठकें आयोजित करते हैं। सहकारी क्षेत्र में पीएमएमएसवाई योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, रा.स.वि.नि. ने मार्च, 2021 में चांदीपुर, ओडिशा के बालासोर, मध्य प्रदेश में मुरैना और पंजिम, गोवा में तीन एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

रा.स.वि.नि. एवं आईसीएआर का संयुक्त कार्य समूह

4.6 रा.स.वि.नि. एवं आईसीएआर ने उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के निर्यात को प्रोत्साहन देने, उपज अर्थात मुर्गी पालन, डेयरी, सुअर पालन, मत्स्य पालन, आदि सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए दोनों संगठनों के अनुभव, विशेषज्ञता और सुदृढ़ता का लाभ उठाने के उद्देश्य से दिनांक 08.06.2020 को एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किये हैं।

4.6.1 कार्य योजना के संबंध में समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद–II के अनुसार, दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ एक वर्ष में कम से कम दो बार या आवश्यकता के आधार पर समझौता ज्ञापन के निष्पादन का पालन करने और इसके विकास के लिए आवश्यक उपाय सुझाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना की गई थी। जेडब्ल्यूजी की जाने वाली गतिविधियों की पहचान करेगा और समझौता

ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पार्टी के योगदान को परिभाषित करेगा।

4.6.2 सहकारी समितियों के विकास के लिए सहयोग करने हेतु रा.स.वि.नि. तथा आईसीएआर के लिए बल दिये जाने वाले क्षेत्र पर काम करने के लिए जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक दिनांक 24.08.2020 को आयोजित की गई थी। वर्ष के दौरान, आईसीएआर ने रा.स.वि.नि. द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के साथ–साथ रा.स.वि.नि. द्वारा आयोजित वेबिनार के लिए संसाधन व्यक्तियों हेतु अपनी विशेषज्ञता का विस्तार किया। रा.स.वि.नि. ने 10,000 एफ.पी.ओ. के गठन एवं संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत 58 आई.सी.ए.आर.–अटारी–के.वी.के./संस्थानों को सीबीबीओ के रूप में नियुक्त किया है।

सहकार मित्रः प्रशिक्षुता कार्यक्रम योजना (एसआईपी)

4.7 यह योजना दिनांक 11.06.2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थानों को युवा पेशेवरों के नए और नवीन विचारों तक पहुँचने में सहायता करना था, इससे प्रशिक्षु को आत्मनिर्भर होने के लिए क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। रा.स.वि.नि. युवा पेशेवरों को पेड इंटर्न के रूप में रा.स.वि.नि. तथा सहकारी समितियों के कामकाज से व्यावहारिक अनुभव और सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह अकादमिक संस्थानों के पेशेवरों को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिका विकसित करने का अवसर भी प्रदान करता है।

4.7.1 कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे विषयों में पेशेवर स्नातक प्रशिक्षुता के लिए पात्र हैं। पेशेवर जो कृषि–व्यवसाय, सहकारिता, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन आदि में एमबीए की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या पूरी कर चुके हैं, वे भी पात्र होंगे। प्रशिक्षु को रा.स.वि.नि. से वजीफा मिलेगा। प्रशिक्षु को अपनी प्रशिक्षुता के सफल समापन पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

4.7.2 वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 21 प्रशिक्षुओं के दो बैच कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें से 12 ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपनी प्रशिक्षुता पूरी कर ली है और शेष ने अगले वित्तीय वर्ष में अपनी प्रशिक्षुता को आगे बढ़ाया है।

रा.स.वि.नि. पुस्तकालय

4.8 रा.स.वि.नि. में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो पाठकों को संदर्भ सेवाएं और अंतर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है।

डिजाइन एवं प्रोडक्शन–स्टूडियो सेल

4.9 रा.स.वि.नि. ने वीडियो और ग्राफिकल आर्टवर्क बनाने के लिए अपना खुद का इन–हाउस डिजाइन और प्रोडक्शन–स्टूडियो सेल स्थापित किया है। वर्ष 2020–21 के दौरान, सेल ने विभिन्न विषयों पर फोटो बुकलेट, बैनर, लघु वीडियो, प्रचार फिल्मों जैसे प्रचार आइटम तैयार किए और त्रैमासिक ई–न्यूजलेटर तैयार किया। स्टूडियो सेल द्वारा विभिन्न भाषाओं में ''सहकारिता का गठन एवं पंजीकरण'' पर मार्गदर्शन वीडियो तैयार किए गए हैं और सहकार कॉपट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विधिक आवश्यकताओं को उजागर करने वाली भाषाओं में मार्गदर्शन वीडियो तैयार किए गए हैं। हिंदी के अलावा उड़िया, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और मिजो सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 24 विभिन्न राज्यों के लिए दिनांक 31.03.2021 तक मार्गदर्शन वीडियो लॉन्च किए गए हैं।

अन्य संवधर्नात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियाँ

4.10 अपनी संवधर्नात्मक एवं विकासात्मक भूमिका के अन्तर्गत, रा.स.वि.नि. ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद एवं आईआईएम, इंदौर के प्रबंधन में संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) के लिए 58 अध्येतावृत्तियां प्रदान की है। इसके अलावा, लिनाक ने वैमनीकॉम पुणे द्वारा पोस्ट–ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट (पी.जी.डी.सी.बी.एम.) के लिए 57 अध्येतावृत्तियां प्रदान की हैं, जिनमें से एक को वित्तीय वर्ष 2020–21 में पुरस्कृत किया गया है। रा.स.वि.नि. सहकारी समितियों के निदेशक मंडल के लिए उत्तम कार्यशील समितियों के अध्ययन दौरों का आयोजन करता है। रा.स.वि.नि. ने पिछले 10 वर्षों के दौरान ऐसे 25 अध्ययन दौरों का आयोजन किया है।

अध्याय–5

विपणन एवं कृषिक निवेश

5.1 रा.स.वि.नि., संरचनात्मक सुविधाओं के सृजन तथा व्यवसायिक कार्य करने के लिए विपणन सहकारिताओं को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्वीकृत और विमुक्त की गई सहायता तथा दिनांक 31.03.2021 तक विमुक्त की गई संचयी सहायता के विवरण **तालिका–1 क** एवं **1 ख** में दिये गये हैं।

कृषिक उत्पाद के विपणन हेतु स्कीमें

कार्यशील पूंजी सहायता – न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता

5.2 सरकार 22 अधिदेशित फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तथा गन्ने हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) की उद्घोषणा करती है जो कि संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों पर किए जाते हैं। खरीफ के मौसम की 14 अनिवार्य अर्थात् धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, छिलके वाली मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमूखी, तिल, काला तिल एवं कपास हैं और 6 रबी की फसलें अर्थात् गेहूँ, जौ, चना, मसूर (लेंटिल), रेपसीड/सरसों एवं कुसम हैं तथा दो अन्य वाणिज्यिक फसलें अर्थात् जूट तथा गरी (कोपरा) हैं। इसके साथ ही तोरिया और बिना भूसी वाले नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः रेपसीड/सरसों एवं नारियल के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

5.2.1 रा.स.वि.नि., सहकारी विपणन संघों तथा अन्य सहकारिता एजेंसियों के माध्यम से एम.एस.पी. क्रियाकलापों हेतु कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने 30393.75 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सहायता स्वीकृत की तथा 19564.00 करोड़ रुपये की सहायता विमुक्त की। दिनांक 31.03.2021 को संचयी रुप में रा.स.वि.नि. ने एम.एस.पी. क्रियाकलापों हेतु 89471.00 करोड़ रुपये का संवितरण किया जिसमें 83596.00 करोड़ रुपये पिछले 7 वर्षों में विमुक्त किए गए जैसा कि दर्शाया गया है।

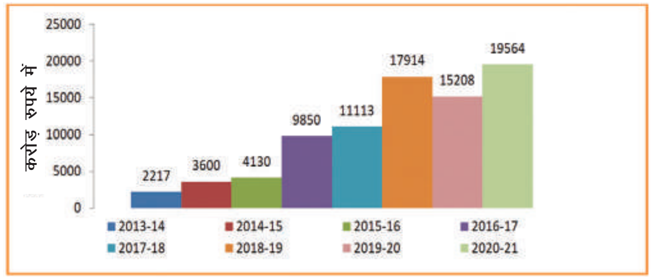

मार्जिन मनी सहायता

5.3 रा.स.वि.नि. द्वारा व्यवसायिक कार्यकलापों के विकास हेतु कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला, क्षेत्रीय और प्राथमिक स्तरीय सहकारी विपणन/कॅमोडिटी संघों/समितियों को मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है। निगम ने वर्ष 2020–21 के दौरान 1.57 करोड़ रूपये हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा 6.74 करोड़ रूपये हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश में विमुक्त की। रा.स.वि.नि. ने कृषि उत्पादों के विपणन हेतु दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रूप में 855.63 करोड़ रूपये की मार्जिन मनी सहायता विमुक्त की है।

प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों (पी.सी.एम.एस) के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण

5.4 रा.स.वि.नि., प्राथमिक/जिला सहकारी विपणन समितियों के अंश पूंजी आधार को सुदृढ़ करने तथा उनकी मार्जिन मनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे समितियां, अपने व्यवसाय का विस्तार करने हेतु निधियां जुटा सकें और कमजोर समितियां पुनर्जीवित हो सकें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रा.स.वि.नि. ने हरियाणा राज्य सरकार को पैक्स के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण करने हेतु 0.36 करोड़ रुपये

की राशि विमुक्त की। निगम ने दिनांक 31.03.2021 तक, इस योजना के अंतर्गत संचयी रूप में 124.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

परिवहन वाहनों की खरीद हेतु सहायता

5.5 रा.स.वि.नि., विपणन तथा प्रसंस्करण सहकारिताओं को परिवहन वाहनों की खरीद हेतु सहायता प्रदान करता है। रा.स.वि.नि. ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गोवा सरकार को इस उद्देश्य हेतु 0.19 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की।

विपणन कॉम्पलेक्स, कस्टम हायरिंग केन्द्र, साझा कृषि की स्थापना

5.6 वित्तीय वर्ष 2018–19 में रा.स.वि.नि ने लघु एवं सीमांती किसानों को कृषि संबंधी मशीनरी एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखंड सरकार को कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, बुनियादी ढांचे का निर्माण, एम.पी.ए.सी.एस. के लिए सामूहिक–कृषि एवं ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग हेतु कार्यशील पूंजी के रूप में 698.00 करोड़ रूपये की ब्लॉक लागत पर 628.23 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की, जिसमें आवधिक ऋण के रूप में 455.02 करोड़ रूपये, सब्सिडी के रूप में 130.00 करोड़ रूपये एवं कार्यशील पूंजी के रूप में 43.20 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई। इसी क्रम में, राज्य सरकार को 18.05 करोड़ रूपये की विमुक्ति की गई है।

निवेश हेतु स्कीम

कृषि निवेश, विनिर्माण एवं संबद्ध इकाईयों की स्थापना हेतु सहायता

5.7 कृषि मशीनीकरण की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांशतः किसान आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु पूंजी की कमी के कारण मशीनीकरण का लाभ नहीं उठा पाते। मशीनीकरण का अभाव कृषि क्रियाकलापों में सुधार मुख्यतः श्रम केंद्रित फसलें जैसे धान, आलू इत्यादि में हो रही विलम्बता का मुख्य कारण है। खेती की लागत को कम करने के लिए त्वरित और समयानुसार कृषि संचालन के लिए बेहतर कृषि उपकरणों और मशीन का प्रयोग आवश्यक है। कृषि कार्य जैसे कि निराई, गुड़ाई, मिट्टी का ढ़ीला पड़ना, ऊपर उठना, सिंचाई, कीट और बीमारी नियंत्रण, कटाई, थ्रेशिंग आदि को समय से पूर्ण करना, भूमि को शीघ्र रिक्त करने के लिए आवश्यक है।

5.7.1 वर्ष के दौरान रा.स.वि.नि. ने स्वीकृत सहायता में से पश्चिम बंगाल को 1000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा फार्म मशीनीकरण की स्थापना के लिए प. बंगाल सरकार को 400 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है। वर्ष 2020–21 के दौरान रा.स.वि.नि. ने 11.40 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की एवं संचयी रूप में दिनांक 31.03.2021 तक 125.60 करोड़ रुपये परियोजना हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को विमुक्त किये हैं।

5.7.2 वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने 1692.60 करोड़ रूपये की ब्लॉक लागत पर 8463 पैक्स के माध्यम से फार्म मशीनरी दल की स्थापना हेतु बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। प्रथम चरण हेतु, 2927 पैक्स के लिए 556.13 करोड़ रूपये की सहायता स्वीकृत की गई थी, जिसमें 452.05 करोड़ रूपये उक्त परियोजना के लिए विमुक्त किए गए थे।

5.7.3 केरल का 0.96 करोड़ रुपये की मार्जिनी मनी सहायता स्वीकृत तथा 3.90 करोड़ रुपये तेलंगाना को विमुक्त किए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत तेलंगाना को 1.58 करोड़ रुपये कृषिक निवेशों, विनिर्माण एवं संबद्ध इकाइयों की स्थापना हेतु स्वीकृत किये गये।

कृषक सेवा सहकारिताएं

5.8 इस स्कीम के अंतर्गत उन सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाती है जो विस्तृत आवश्यक कृषि निवेश एवं किसानों की गैर ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहकारी समितियों को प्रभावी किसान सेवा केंद्र के रुप में विकसित करने के उद्देश्य से फर्टिलाइजर के खुदरा वितरण एवं अन्य कृषि निवेश तथा गैर ऋण कार्यकलापों में संलग्न है। संरचना सृजन तथा आवश्यकता आधारित कृषि वस्तुएं जैसे हल, थ्रेशर, कुल्हाड़ियां, फावड़े, चारा काटने वाली मशीनें, कल्टिवेटर, बीज ड्रिल इत्यादि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये वस्तुएँ सदस्यों द्वारा बेहद कम कीमत पर प्रयोग की जाएंगी। वर्ष 2020–21 के दौरान, केरल में किसान सेवा सहकारिताओं को 0.15 करोड़ रुपये की सहायता विमुक्त की गई है।

तालिका –1 क

कृषिक विपणन और निवेश कार्यकलापों हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत की गई स्वीकृतियों और विमुक्तियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति	
			वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	विमुक्त राशि
सहकारी रुप से विकसित राज्य/महासंघ						
1	गुजरात				2	0.12
2	हरियाणा				0	0.00
3	केरल				2	0.17
4	नैफेड				26	70.75
5	एनसीसीएफ				2	1.18
	उप–योग				**32**	**72.22**
सहकारी रुप से अल्प विकसित राज्य						
6	आंध्र प्रदेश				50	215.01
7	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				1	0.10
8	छत्तीसगढ़				146	55.23
9	गोवा			0.19	5	0.64
10	हिमाचल प्रदेश	1	0.15	5.65	221	153.43
11	मध्य प्रदेश				14	4.36
12	ओडिशा	4	1.43	0.80	199	15.60
13	राजस्थान				385	26.87
14	तेलंगाना	1	0.58		8	1.89
15	उत्तर प्रदेश			0.29	68	26.98
16	उत्तराखंड			3.07	683	77.33
17	पश्चिम बंगाल			11.40	374	139.46
	उप–योग	**6**	**2.16**	**21.40**	**2154**	**716.90**
सहकारी रुप से अल्पतम विकसित राज्य						
18	अरुणाचल प्रदेश				9	0.28
19	असम				177	9.10
20	बिहार			13.00	8080	522.71
21	जम्मू एवं कश्मीर				15	1.00
22	झारखंड				19	0.68
23	मणिपुर				15	0.73
24	मेघालय				42	2.34
25	मिजोरम				18	4.39
26	नागालैंड				26	2.24
27	सिक्किम				5	10.60
28	त्रिपुरा				37	1.19
	उप–योग			**13.00**	**8443**	**555.26**
	कुल योग	**6**	**2.16**	**34.40**	**10629**	**1344.38**

तालिका–1 ख

कृषिक विपणन एवं निवेश कार्यकलापों हेतु निगम प्रायोजित योजना के अंतर्गत की गई स्वीकृतियों और विमुक्तियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति	
			वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	विमुक्त राशि
सहकारी रुप से विकसित राज्य						
1	गुजरात	1	0.50		150	80.04
2	हरियाणा	2	12394.11	6344.00	308	14505.11
3	कर्नाटक	3	3.97	2.38	1262	92.09
4	केरल			1.11	1187	166.64
5	महाराट्र				441	73.30
6	पंजाब				322	302.08
7	तमिलनाडु				264	199.34
8	इफको				6	1690.00
9	नैफेड				8	5274.45
10	नैकोफ (दिल्ली)				1	99.30
	उप–योग	**6**	**12398.58**	**6347.49**	**3949**	**22482.35**
सहकारी रुप से अल्प विकसित राज्य						
11	आंध्र प्रदेश				566	986.09
12	छत्तीसगढ़	1	12000.00	12000.00	88	57066.41
13	गोवा				1	0.20
14	हिमाचल प्रदेश				8	55.02
15	मध्य प्रदेश				394	1644.85
16	ओडिशा				63	30.45
17	राजस्थान				343	103.16
18	तेलंगाना	4	5504.60	423.90	16	8275.11
19	उत्तर प्रदेश	1	500.00	800.00	2753	3859.97
20	उत्तराखण्ड				197	12.62
21	पश्चिम बंगाल				1556	13.40
	उप–योग	**6**	**18004.60**	**13223.90**	**5985**	**72047.28**
सहकारी रुप से अल्पतम विकसित राज्य						
22	असम				24	0.31
23	बिहार				1	0.18
24	मणिपुर				83	2.89
25	नागालैंड				28	0.52
26	त्रिपुरा				122	1.53
	उप–योग				258	5.43
	कुल योग	**12**	**30403.18**	**19571.39**	**10192**	**94535.06**

अध्याय–6

प्रसंस्करण

6.1 रा.स.वि.नि. चीनी मिलों, चीनी उपोत्पाद इकाइयों जैसे शराब कारखानों एवं कोजेनरेशन इकाइयों, कताई मिलों, कपास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाईयों, पॉवरलूमों, तेल मिलों, चावल मिलों, दाल मिलों, कॉफी, चाय, रबड़ तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों आदि जैसी कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तारण एवं विविधीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम द्वारा चलाये गये फसल/जिंसवार कार्यकलाप निम्न प्रकार से हैं :–

चीनी सहकारिताएं

6.2 रा.स.वि.नि. द्वारा चीनी सहकारिताओं को वित्त पोषित करना प्रसंस्करण क्षेत्र में इसकी सहायता का प्रमुख भाग है।

6.2.1 सहकारी चीनी क्षेत्रक विकास

देश में संस्थापित सहकारी चीनी कारखानों की संख्या वर्ष 1950–51 में 2 की संख्या से बढ़कर वर्ष **2020–21 में 283** हो गई है। वर्ष 2020–21 के अंत तक सहकारी क्षेत्र की संस्थापित चीनी उत्पादन क्षमता 128.97 लाख मैट्रिक टन थी जो देश की कुल 347.10 लाख मैट्रिक टन क्षमता का लगभग 37.16% बनती है। वर्ष 2020–21 सत्र के दौरान, 189 चीनी सहकारी मिलें संचालित थीं। दिनांक 31.03.2021 तक, इन मिलों ने देश में 278.12 लाख मै0टन के कुल उत्पादन का 31.40% अर्थात 87.32 लाख मै0टन चीनी का उत्पादन किया।

6.2.2 सहकारी चीनी मिलों की सहायता हेतु योजनाएँ

रा.स.वि.नि., सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना तथा उनके विकास कार्यों में निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से सहायता करता है:

i) नई सहकारी चीनी मिलों में इक्विटी सहभागिता हेतु राज्य सरकारों के संसाधनों की संपूर्ति के लिए उन्हें निवेश ऋण सहायता प्रदान करना।

ii) नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना तथा वर्तमान सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/क्षमता विस्तारण हेतु आवधिक ऋण सहायता प्रदान करना।

iii) डिस्टिलेरी एवं कोजेनरेशन संयंत्रों जैसी चीनी उपोत्पाद इकाइयों की स्थापनार्थ आवधिक ऋण सहायता प्रदान करना।

iv) सहकारी चीनी मिलों की मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पावधिक/मध्यावधिक ऋण प्रदान करना।

6.2.3 रा.स.वि.नि. को सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों हेतु चीनी विकास निधि (एसडीएफ) की सहायता की निगरानी तथा वसूली करने हेतु भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। चीनी विकास निधि (एसडीएफ) से प्रोमोटर के अंशदान में कमी होने पर चीनी मिल, एथेनॉल तथा कोजेनरेशन परियोजनाएं उदार ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। चीनी विकास निधि ने दिनांक 01.01.2015 से मात्र विस्तारण वाली परियोजनाओं को सहायता देना बंद कर दिया है। तथापि 5000 टीसीडी क्षमता तक की कोजेनरेशन अथवा एथेनॉल परियोजना युक्त विस्तारण हेतु चीनी विकास निधि (एसडीएफ) की सहायता उपलब्ध है। कोजेनेरेशन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय अक्षम ऊर्जा मंत्रालय से अधिकतम 6.00 करोड़ रूपये प्रति परियोजना के आधार पर 60.00 लाख रूपये प्रति मेगावाट अतिरिक्त पॉवर की दर से पूंजी सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। यदि परियोजना हेतु सहायता रा.स.वि.नि. द्वारा दी जाती है तो एसडीएफ और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की सहायता, रा.स.वि.नि. द्वारा स्वीकृत सहायता के साथ समन्वित की जाती है।

6.2.4 रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 के दौरान चीनी सहकारिताओं को क्रमशः 1022.94 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत तथा 1482.82 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की। निगम ने सहकारी चीनी सहकारिताओं के विकास हेतु दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रुप से 21224.53 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की है जिसका विवरण **तालिका–1** में दर्शाया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2020–21 के दौरान,

चीनी विकास निधि (एसडीएफ) ने सहकारी चीनी कारखानों के आधुनिकीकरण सह विस्तारण, एथेनॉल एवं कोजेनरेशन परियोजनाओं और गन्ना विकास कार्यकलापों के लिए क्रमशः 22.79 करोड़ रूपये की ऋण सहायता स्वीकृत की तथा 59.62 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की। एसडीएफ ने दिनांक 31.03.2021 तक, सहकारिताओं को कुल 2359.05 करोड़ रूपये की सहायता विमुक्त की है। चीनी विकास निधि सहायता के संबंध में राज्यवार विवरण **तालिका–2** में दर्शाया गया है।

वस्त्र सहकारितायें

6.3 वस्त्र क्षेत्र में रा.स.वि.नि. सहायता के अंतर्गत कमजोर वर्ग वस्त्र सहकारिताओं के अतिरिक्त सहकारी कताई मिलों, बुनाई, कढ़ाई एवं परिधान क्षेत्र का वित्त पोषण सम्मिलित है।

सहकारी क्षेत्र में संस्थापित क्षमता

6.3.1 देश में कुल 38.00 लाख तकुओं (स्पिंडल्स) तथा 10670 रोटरों की संस्थापित क्षमता के साथ 175 (जिनमें 50% के करीब प्रचालन में हैं) सहकारी कताई मिलें कार्यरत हैं।

सहकारी कताई मिलें

6.3.2 निगम ने वर्ष के दौरान सहकारी क्षेत्र में नई जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों तथा कताई मिलों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों के विस्तारण/आधुनिकीकरण, रूग्ण सहकारी कताई मिलों की पुनर्स्थापना तथा सहकारी कताई मिलों और राज्य सहकारी कपास विपणन महासंघों को मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु, अपनी योजनाओं को जारी रखा। रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 के दौरान 3 कार्यक्रमों के लिए 17.45 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की और 95.05 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की गई। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रूप में सहकारी कताई मिलों को 3117.37 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की, जिसका विवरण **तालिका–3** में दर्शाया गया है।

सहकारी कपास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयाँ

6.3.3 रा.स.वि.नि. सहकारी क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों से युक्त नई कपास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों की स्थापना, वर्तमान जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा उनकी मार्जिन मनी/कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान रा.स.वि.नि. ने गदग सहकारी कपास विक्रय समिति, कर्नाटक को 1.25 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की तथा 1.35 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की। निगम ने इस शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 31.03.2021 तक कुल मिलाकर 31.71 करोड़ रूपये की सहायता विमुक्त की है, जिसका विवरण **तालिका–4** में दिया गया है।

पॉवरलूम एवं गारमेंटिंग

6.3.4 इस योजना के अंतर्गत सहायता, पॉवरलूम सेक्टर के विकास, अर्थात (क) पर्याप्त कार्यशील पूँजी जुटाने हेतु मार्जिन मनी/अंश पूँजी सहायता प्रदान करने (ख) करघों की खरीद/करघों एवं साजो सामान सहित वर्कशेडों के निर्माण, गोदामों/शोरूमों/विपणन परिसरों/सहकारी वस्त्र संपदाओं के आधुनिकीकरण/निर्माण/नवीनीकरण/उद्घाटन और (ग) पूर्व/उत्तर लूम प्रसंस्करण/वस्त्र/बुनाई इकाइयों की स्थापना, हेतु प्रदान की जाती है। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक पॉवरलूम सहकारिताओं की 453 परियोजनाओं/इकाइयों को संचयी रूप में 360.13 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की तथा 341.01 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की, जिनका विवरण **तालिका–5** में दर्शाया गया है।

खाद्यान्न

6.4 रा.स.वि.नि., खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे चावल मिलों, चावल के पापड़ों की इकाइयों, दाल मिलों, गेहूँ आटा मिलों, मक्का प्रसंस्करण इकाइयों, पशुचारा इकाइयों आदि की संस्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 के दौरान गुजरात राज्यों की 1 खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाई को 0.094 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा 3 राज्यों अर्थात् तेलंगाना उत्तराखंड तथा आंध्र प्रदेश में खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाइयों को 1.07 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की। निगम ने इस शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 31.03.2021 तक कुल मिलाकर 1404 खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता प्रदान की और 168.00 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की, जिनका विवरण **तालिका–6** में दर्शाया गया है।

तेलहन

6.5 रा.स.वि.नि. तेलहन प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने तेलंगाना की 1 तेलहन प्रसंस्करण इकाई हेतु 1.65 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रूप में 161 तेलहन प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता प्रदान की तथा 695.08 करोड़ रूपये की सहायता विमुक्त की है जिनका विवरण **तालिका–7** में दर्शाया गया है।

बागानी फसलें

6.6 रा.स.वि.नि. ने बागानी फसल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा बागानी फसल उत्पादक सहकारिताओं की कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर सहायता प्रदान की। निगम ने वर्ष 2020–21 के दौरान अरुणाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र में 2 प्रसंस्करण सहकारिताओं को 2.21 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रूप में बागानी फसलों की 123 प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता प्रदान की तथा 176.01 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की है, जिनका विवरण **तालिका–8** में दर्शाया गया है।

फल एवं सब्जी

6.7 रा.स.वि.नि., सहकारिताओं द्वारा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। रा.स.वि.नि. की योजना का प्राथमिक उद्देश्य, कुशल ढंग से प्रसंस्करण के माध्यम से उत्पादकों को उद्यान कृषि उत्पाद के मूल्य वृद्धि लाभ प्रदान करना है, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि करने में मदद मिल सके। रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 के दौरान हरियाणा तथा गुजरात राज्य में 3 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों को 0.20 करोड़ रूपये की सहायता स्वीकृत की तथा नागालैंड एवं हरियाणा राज्य की प्रत्येक 1 फल एवं सब्जी इकाई को 0.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक कुल मिलाकर 84 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 61.23 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की है, जिनका विवरण **तालिका–9** में दर्शाया गया है।

तालिका –1

सहकारी चीनी कारखानों को स्वीकृत तथा विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	कार्यकलाप	इकाइयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त	स्वीकृत इकाई	पूर्ण इकाई	विमुक्त राशि
1	आंध्र प्रदेश	नई मिलें				11	11	5.80
		आधु. एवं विस्तारण				6	6	36.61
		कार्यशील पूंजी				7	7	681.45
		ब्रिज ऋण				1	1	7.50
		टी.पी. सेल						0.05
		उप –योग				**25**	**25**	**731.41**
2	आसाम	नई मिलें				1	1	1.58
		पुनर्स्थापना				1	1	0.50
		उप –योग				**2**	**2**	**2.08**
3	छत्तीसगढ़	नई मिलें				2	2	101.63
		कार्यशील पूंजी				7	7	308.94
		उप –योग				**9**	**9**	**410.57**
4	गोवा	पुनर्स्थापना				1	1	0.36
5	गुजरात	नई मिलें				13	11	40.27
		आधु. एवं विस्तारण				12	12	152.06
		पुनर्स्थापना				4	4	2.90
		उप–उत्पाद इकाई				3	3	40.41
		टी.पी. सेल						0.05
		मार्जिन मनी				1	1	10.00
		कार्यशील पूंजी	1	38.40	45.23	42	42	1591.73
		उप –योग	**1**	**38.40**	**45.23**	**75**	**73**	**1837.42**
6	हरियाणा	नई मिलें				8	8	15.65
		आधु. एवं विस्तारण				2	2	0.66
		पुनर्स्थापना				2	2	1.01
		उप–उत्पाद इकाई				1	1	0.78
		टी.पी. सेल						0.05
		कार्यशील पूंजी			300.00	4	4	1500.00
		उप –योग	**0**		**300.00**	**17**	**17**	**1518.15**
7	केरल	आधु. एवं विस्तारण				1	1	0.24
		उप–उत्पाद इकाई				1	1	1.32
		उप –योग				**2**	**2**	**1.56**
8	कर्नाटक	नई मिलें				24	24	238.98
		आधु. एवं विस्तारण			58.81	13	12	170.48
		टी.पी. सेल						0.05
		उप–उत्पाद इकाई			49.60	3	2	158.13
		कार्यशील पूंजी	1	75.00	.	22	22	1353.24
		उप –योग	**1**	**75.00**	**108.41**	**62**	**60**	**1920.88**

तालिका जारी...

9	मध्य प्रदेश	नई मिलें				4	4	24.01
		पुनर्स्थापना				1	1	0.47
		कार्यशील पूंजी				1	1	0.00
		उप –योग		**0.00**	**0.00**	**6**	**6**	**24.48**
10	महाराष्ट्र	नई मिलें				125	125	711.25
		आधु. एवं विस्तारण				52	48	939.96
		उप–उत्पाद इकाई			31.50	59	54	1002.96
		पुनर्स्थापना				1	1	0.50
		ब्रिज ऋण				14	14	334.23
		टी.पी. सेल						0.14
		मार्जिन मनी	1	125.00		5	4	82.50
		कार्यशील पूंजी	8	784.54	997.68	147	147	9842.01
		उप –योग	**9**	**909.54**	**1029.18**	**403**	**393**	**12913.55**
11	ओडिशा	नई मिलें				2	2	1.80
		आधु. एवं विस्तारण				1	1	9.05
		उप–उत्पाद इकाई				1	1	0.28
		पुनर्स्थापना				1	1	1.72
		उप –योग				**5**	**5**	**12.85**
12	पुडुचेरी	कार्यशील पूंजी				1	1	20.00
13	पंजाब	नई मिलें				11	11	26.85
		आधु. एवं विस्तारण				6	6	37.11
		उप–उत्पाद इकाई				3	3	22.02
		टी.पी. सेल						0.15
		उप –योग				**20**	**20**	**86.13**
14	राजस्थान	पुनर्स्थापना				1	1	0.60
15	तमिलनाडु	नई मिलें				8	8	26.24
		आधु. एवं विस्तारण				5	5	63.49
		उप–उत्पाद इकाई				9	9	23.05
		पुनर्स्थापना				1	1	0.60
		कार्यशील पूंजी				12	12	333.78
		उप –योग				**35**	**35**	**447.16**
16	उत्तर प्रदेश	नई मिलें				25	25	24.85
		आधु. एवं विस्तारण				14	14	212.50
		उप–उत्पाद इकाई				13	7	30.74
		पुनर्स्थापना				4	4	4.51
		टी.पी. सेल						0.05
		कार्यशील पूंजी				32	32	1005.80
		उप –योग				**88**	**82**	**1278.45**
17	उत्तराखंड	नई मिलें				3	3	2.24
		आधु. एवं विस्तारण				3	3	15.60
		उप –योग				**6**	**6**	**17.84**
18	एनएफसीएसएफ	टी.पी. सेल						0.14
19	एनएचईसी	अंश पूंजी						0.90
	कुल योग		11	1022.94	1482.82	758	738	21224.53

आधु.–आधुनिकीकरण, विस्तार–विस्तारण

नोटः कुछ समितियों ने एक से अधिक बार सहायता प्राप्त की है।

तालिका–2

चीनी विकास निधि (एसडीईएफ) के अंतर्गत सहकारी चीनी कारखानों को स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2020–21 में स्वीकृतियों की संख्या	राशि		दिनांक 31.3.2021 को विमुक्त संचयी सहायता
			वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त	
1	आंध्र प्रदेश				19.66
2	गुजरात				65.07
3	हरियाणा				35.66
4	कर्नाटक			27.84	184.60
5	मध्य प्रदेश				13.97
6	महाराष्ट्र	1	22.79	9.00	1846.59
7	ओडिशा				7.19
8	तमिलनाडु				31.78
9	उत्तर प्रदेश				116.07
10	उत्तराखंड				10.54
11	पंजाब			22.78	27.92
	योग	**1**	**22.79**	**59.62**	**2359.05**

तालिका –3

सहकारी वस्त्र परियोजनाओं को स्वीकृत तथा विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ	वर्ष 2020–21 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयों (संख्या)	पूर्ण इकाइयों (संख्या)	विमुक्त राशि
क.	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीएसआईएसएसी)							
1	आंध्र प्रदेश					19	19	60.71
2	असम					3	3	12.05
3	बिहार					3	3	8.97
4	गुजरात					1	1	0.39
5	हरियाणा					1	1	0.71
6	कर्नाटक					21	21	79.42
7	केरल				9.06	17	12	198.98
8	महाराष्ट्र				55.43	89	80	693.31
9	मध्य प्रदेश					7	7	24.95
10	ओडिशा					7	7	15.61
11	पुडुचेरी					1	0	22.26
12	पंजाब					8	8	34.47
13	राजस्थान					14	14	108.24
14	तमिलनाडु				0.81	48	48	159.07
15	उत्तर प्रदेश					15	15	44.39
16	पश्चिम बंगाल				11.26	11	8	87.92
	योग (क):				**76.56**	**265**	**247**	**1551.45**
ख	**निगम प्रायोजित स्कीम**							
1	गुजरात					20	20	141.13
2	कर्नाटक					10	10	5.06
3	केरल					1	1	0.34
4	मध्य प्रदेश					14	14	289.39
5	महाराष्ट्र	3	2	17.45	18.49	83	80	1088.03
6	ओडिशा					5	5	1.35
7	पुडुचेरी					1	1	7.00
8	पंजाब					11	11	7.66
9	राजस्थान					1	1	7.50
10	तमिलनाडु					14	14	2.70
11	पश्चिम बंगाल					1	1	7.63
	योग (ख):	**3**	**2**	**17.45**	**18.49**	**161**	**158**	**1557.79**
	योग (क+ख):	**3**	**2**	**17.45**	**95.05**	**426**	**405**	**3109.24**
ग	**निगम प्रायोजित स्कीम**							
	तकनीकी वस्त्र परियोजना							
	केरल					**1**		**8.13**
	योग (क+ख+ग):	**3**	**2**	**17.45**	**95.05**	**427**	**405**	**3117.37**

तालिका 4
जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों को स्वीकृत/विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ.शासित क्षेत्र	वर्ष 2020–21 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयों (संख्या)	पूर्ण इकाइयों (संख्या)	विमुक्त राशि
क	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम**							
1	आंध्र प्रदेश					2	2	4.88
2	मेघालय					1	1	0.63
3	ओडिशा					1	1	3.76
4	राजस्थान					11	11	1.44
5	तेलंगाना					1	1	1.16
	योग (क)					**16**	**16**	**11.87**
ख	**निगम प्रायोजित स्कीम**							
1	आंध्र प्रदेश					1	1	0.11
2	गुजरात					8	8	1.05
3	कर्नाटक	1	1	1.25	1.35	18	17	13.22
4	मध्य प्रदेश					15	15	1.00
5	महाराष्ट्र					15	15	0.24
6	पुडुचेरी					1	1	0.08
7	पंजाब					10	10	3.81
8	तमिलनाडु					8	8	0.33
	योग (ख)	**1**	**1**	**1.25**	**1.35**	**76**	**75**	**19.84**
ぃ	**कुल योग:(क+ख)**	**1**	**1**	**1.25**	**1.35**	**92**	**91**	**31.71**

तालिका –5
पावरलूम इकाइयों को स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कार्यकलाप	दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति		
			स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि
क	**निगम प्रायोजित स्कीम**				
1.	गुजरात	मार्जिन मनी	1	1	0.05
		वर्कशेड	1	1	0.50
		योग	**2**	**2**	**0.55**
2.	कर्नाटक	वर्कशेड	10	10	9.11
		प्रसंस्करण इकाई	1	1	8.73
		योग	**11**	**11**	**17.84**
3.	केरल	मार्जिन मनी	5	5	0.57
		वर्कशेड	8	8	24.76
		प्रसंस्करण इकाई	1	1	0.40
		योग	**14**	**14**	**25.73**
4.	मध्य प्रदेश	प्रसंस्करण इकाई	**1**	**1**	**0.50**
5.	महाराष्ट्र	मार्जिन मनी	79	79	11.35
		वर्कशेड	307	261	190.47
		प्रसंस्करण इकाई	18*	18	74.19
		गारमेंट/बुनाई इकाई	12*	10	15.47
		योग	**416**	**368**	**291.48**
6.	नागालैण्ड	वर्कशेड	1	1	0.43
7.	पश्चिम बंगाल	मार्जिन मनी	2	2	0.28
		वर्कशेड	3	3	3.24
		योग	**5**	**5**	**3.52**
		योग (क)	450	402	340.05
ख	**निगम प्रायोजित स्कीम**				
1	पश्चिम बंगाल	मार्जिन मनी	3	3	0.96
		योग (क+ख)	**453**	**405**	**341.01**

*वर्ष 2020–21 के दौरान, प्रसंस्करण में 5 तथा परिधान में से 32 अस्वीकृत परियोजनाओं को समायोजित किया गया है।

तालिका– 6

खाद्यान्न इकाइयों हेतु स्वीकृत एवं विमुक्त वित्तीय सहायता का विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष में 2020–21 स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाइयाँ	राशि		दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयाँ (सं0)	पूर्ण इकाइयाँ (सं0)	विमुक्त सहायता
क	सहकारिता की दृष्टि से अल्प/अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
1	आंध्र प्रदेश				0.07	111	110	7.49
2	असम					31	31	0.79
3	बिहार					12	12	0.58
4	छत्तीसगढ*					68	68	0.00
5	झारखण्ड*					2	2	0.00
6	जम्मू एवं कश्मीर*					22	22	0.00
7	मध्य प्रदेश					65	65	6.94
8	मणिपुर					2	2	0.11
9	नागालैण्ड					2	2	0.33
10	ओडिशा					30	30	0.63
11	राजस्थान					14	14	0.49
12	तेलंगाना				0.60	4	3	13.63
13	उत्तर प्रदेश					32	32	0.99
14	उत्तराखण्ड*				0.40	655	5	2.87
15	पश्चिम बंगाल					17	17	2.61
16	हिमाचल प्रदेश					1	1	0.02
	उप–योग (क)	**1**	**1**		**1.07**	**1068**	**417**	**38.94**
ख	सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
1	दिल्ली (नैफेड)					1	1	0.07
2	गुजरात	1	1	0.09		34	32	2.76
3	हरियाणा					17	17	1.78
4	कर्नाटक					96	96	4.79
5	केरल					10	9	5.45
6	महाराष्ट्र					135	113	109.78
7	पंजाब					14	14	1.38
8	तमिलनाडु					26	26	1.37
9	मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी					3	3	1.68
	उप –योग (ख)	**1**	**1**	**0.09**	**.**	**336**	**311**	**129.06**
	योग (क.ख)	**1**	**1**	**0.09**	**1.07**	**1404**	**728**	**168.00**

तालिका –7

तेलहन एवं अन्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में तथा इकाइयाँ संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2020–21 में विमुक्त राशि	दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति		
			स्वीकृत इकाइयाँ	पूर्ण इकाइयाँ	विमुक्त राशि
क.	**सहकारिता की दृष्टि से अल्प/अल्पतम विकसित राज्य**				
1	आंध्र प्रदेश		10	10	129.29
2	असम		10	10	24.58
3	छत्तीसगढ़		3	3	1.09
4	जम्मू एवं कश्मीर		1	1	5.46
5	मध्य प्रदेश		16	16	145.19
6	ओडिशा		13	13	6.42
7	राजस्थान		21	21	151.76
8	उत्तर प्रदेश		5	5	1.96
9	उत्तराखंड		4	4	11.24
10	पश्चिम बंगाल		1	1	0.16
11	तेलंगाना	1.65	2	2	79.47
	योग (क)	**1.65**	**86**	**86**	**556.62**
ख.	**सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य**				
1	गुजरात		18	18	10.00
2	हरियाणा		2	2	0.37
3	कर्नाटक		13	13	28.27
4	केरल		19	16	77.00
5	महाराष्ट्र		9	9	5.64
6	पंजाब		6	6	13.04
7	तमिलनाडु		8	8	3.12
8	नैफेड		0	0	1.02
	योग (ख)		**75**	**72**	**138.46**
	योग (क+ख)	**1.65**	**161**	**158**	**695.08**
ग.	**पार्टिकल बोर्ड/पेपर बोर्ड,ब्रिकेट महाराष्ट्र**		**5**	**5**	**78.71**

* रा.स.वि.नि. सहायता प्राप्त रायचुर इकाई, कर्नाटक को संभालने हेतु नेफेड को प्रदान की गई सहायता

तालिका–8

बागानी फसल इकाइयों हेतु स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यकलाप	वर्ष 2020–21 में विमुक्त राशि	दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति		
				स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि
क	**सहकारिता की दृष्टि से अल्प/अल्पतम विकसित राज्य**					
1	अरूणाचल प्रदेश	प्रसंस्करण	1.44	7	7	43.79
2	हिमाचल प्रदेश	प्रसंस्करण		5	5	3.30
3	मेघालय	प्रसंस्करण		3	3	0.13
5	नागालैण्ड	प्रसंस्करण		2	2	6.20
6	ओडिशा	प्रसंस्करण		2	2	0.03
7	राजस्थान	प्रसंस्करण		1	1	0.03
	उप योग (क)		**1.44**	**20**	**20**	**53.48**
ख.	**सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य**					
1	गुजरात	प्रसंस्करण		1	1	1.08
2	कर्नाटक	प्रसंस्करण		18	17	6.94
3	केरल	प्रसंस्करण		37	37	50.20
		विपणन		2	2	1.80
4	महाराष्ट्र	प्रसंस्करण	0.77	23	18	52.02
5	तमिलनाडु	प्रसंस्करण		22	22	10.49
	उप योग (ख)		**0.77**	**103**	**97**	**122.53**
	योग (क+ख):		**2.21**	**123**	**117**	**176.01**

तालिका – 9

फल एवं सब्जी की प्रसंस्करण इकाइयों हेतु स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	कार्यकलाप वर्ष 2020–21 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाइयाँ	राशि वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	राशि वर्ष 2020–21 में विमुक्त (संख्या)	दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ	विमुक्त राशि
क	**सहकारिता की दृष्टि से अल्प/अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**							
1	अरूणाचल प्रदेश					1	1	0.51
2	उत्तराखंड					2	2	0.48
3	ओडिशा					2	2	0.11
4	असम					1	1	0.10
5	बिहार					1	1	0.00
6	हिमाचल प्रदेश					12	12	2.81
7	मणिपुर					1	1	0.39
8	नागालैण्ड				0.04	2	2	1.13
9	राजस्थान					2	2	0.06
10	पश्चिम बंगाल					3	3	0.39
11	मिजोरम					1	1	0.14
	उप योग (क)				**0.04**	**28**	**28**	**6.12**
ख.	**सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**							
1	केरल					12	12	12.44
2	महाराष्ट्र					22	11	39.86
3	आंध्र प्रदेश					2	2	0.02
4	मध्य प्रदेश					2	2	0.07
5	पंजाब					1	1	0.33
6	तमिलनाडु					5	5	0.39
7	कर्नाटक					3	3	0.20
8	दिल्ली					1	1	0.21
9	गुजरात	1	1	0.05		3	2	1.31
10	हरियाणा	2	3	0.15	0.10	4	3	0.28
	उप योग (ख)	**3**	**4**	**0.20**	**0.10**	**55**	**42**	**55.11**
	योग (क+ख)	**3**	**4**	**0.20**	**0.14**	**83**	**70**	**61.23**

अध्याय–7
भंडारण एवं शीत श्रृंखला

सहकारी भंडारण

7.1 रा.स.वि.नि. सहकारी क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करने में सहायता प्रदान करने हेतु सुनियोजित एवं सतत प्रयास करता रहा है। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, रा.स.वि.नि. से सहायता प्राप्त सहकारिताओं के स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता वर्ष 1962–63 में लगभग 11 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर दिनांक 31.03.2021 के अंत तक 165.22 लाख मैट्रिक टन हो गई है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा गोदामों के निर्माण, गोदामों की मरम्मत एवं नवीनीकरण तकनीकी एवं व्यवसाय संवर्धन हेतु मार्जिन मनी सहायता वाले विभिन्न भंडारण कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल मिलाकर 1099.108 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की गई है। रा.स.वि.नि. वित्त पोषण से सृजित भंडारण क्षमता का विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

7.1.1 रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न स्कीमों अर्थात केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन योजना (सीएसआईएसएएम) की उपयोजना कृषि विपणन अवसंरचना (भंडारण संरचना), केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीएसआईएसएसी) के अंतर्गत 9.89 करोड़ रूपये की कुल ब्लॉक लागत पर 16853 मैट्रिक टन क्षमता के 18 गोदामों के निर्माण का अनुमोदन किया जिसमें रा.स.वि.नि. के 7.60 करोड़ रूपये के सहायतांश में 5.59 करोड़ रूपये ऋण के रूप में तथा 2.01 करोड़ रूपये सब्सिडी के रूप में सम्मिलित हैं। स्कीमवार विवरण **तालिका–2** तथा **तालिका–3** में दिया गया है। वर्ष 2020–21 का कार्यनिष्पादन **तालिका–4** में दर्शाया गया है।

सहकारी शीत श्रृंखला

7.2 रा.स.वि.नि. ने अपना संपूर्ण ध्यान जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को बाजार में लम्बे समय तक विपणन के लिए बनाये रखने हेतु किसानों की उपज में मूल्यवर्धन लाने पर केन्द्रीत किया है। रा.स.वि.नि. द्वारा सहायता प्राप्त शीत श्रृंखला के घटकों ने व्यापक रूप से –

(i) एकीकृत पैक हाउस

(ii) रीफर परिवहन वाहन

(iii) शीत भंडारण (थोक–फार्म गेट के नजदीक)

(iv) शीत भंडारण (हब– बाजार के नजदीक) एवं

(i) पकने वाली इकाइयाँ इत्यादि।

रा.स.वि.नि. ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सहायता अनुदान के साथ प्रदान किया जाएगा जो कि

(i) केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीएसआइएसएसी),

(ii) कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई.), केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम की उप–योजना,

(iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन स्कीम,

(iv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्कीम (एमओएफपीआई) तथा

(v) मत्स्य विभाग, मत्स्यिकी, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय की स्कीम के माध्यम से होगा।

7.2.1 दिनांक 31.03.2021 तक 9.69 लाख मैट्रिक टन क्षमता वाली 317 शीत भंडारण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके सापेक्ष, रा.स.वि.नि. से सहायता प्राप्त कुल 9.35 लाख मैट्रिक टन क्षमता वाली 306 सहकारी शीत भंडारण परियोजनाएं पूर्ण/संस्थापित कर ली गई हैं। दिनांक 31.03.2021 तक सहकारी शीत भंडारों तथा संवितरित वित्तीय सहायता की राज्यवार स्थिति **तालिका–5** में दी गई है।

7.2.2 दिनांक 31.03.2021 तक, उत्तराखण्ड, मणिपुर एवं बिहार राज्यों में 3 शीत श्रृंखला परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और लाभार्थी समितियों को 9.22 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की गई है। दिनांक 31.03.2021 तक शीत श्रृंखला अवसंरचना एवं विमुक्त किए गए वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण **तालिका–6** में दिया गया है।

निगम ने दिनांक 31.03.2021 तक देश भर में सहकारी शीत श्रृंखला प्रणाली (शीत भंडारणों सहित) के संवर्धन एवं विकास हेतु संचयी रुप से 220.45 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की है।

तालिका–1

दिनांक 31.03.2021 तक स्वीकृत एवं पूर्ण की गई भंडारण क्षमता का राज्यवार विवरण

(क्षमता मैट्रिक टनों में)

राज्य	स्वीकृत इकाइयों की संख्या			निरस्त इकाइयों की संख्या			पूर्ण इकाइयों की संख्या				संचयी संवितरण
	ग्रामीण	विपणन	क्षमता	ग्रामीण	विपणन	क्षमता	ग्रामीण	विपणन	योग	क्षमता	
(क) सहकारी रूप से अल्पतम विकसित राज्य											
अरूणाचल प्रदेश	5	13	5750	0	6	2500	5	7	12	3250	0.310
असम	1053	287	367510	283	22	67960	770	265	1035	299550	12.240
बिहार	2974	579	650550	519	83	92950	2455	496	2951	557600	51.390
झारखंड	139	4	14292	0	0	0	139	4	143	14292	0.664
जम्मू एवं कश्मीर	170	72	39600	37	27	16400	133	45	178	23200	0.430
मणिपुर	241	22	37880	83	4	11750	158	18	176	26130	0.850
मेघालय	108	74	45750	18	15	10250	90	59	149	35500	1.510
मिजोरम	126	11	15586	2	1	250	124	9	133	14286	5.022
नागालैण्ड	154	14	18300	38	0	1900	116	14	130	16400	2.660
त्रिपुरा	249	24	31835	63	5	7650	186	19	205	24185	10.260
संघ राज्य क्षेत्र	11	17	25450	11	12	14550	0	5	5	10900	0.700
योग (क)	**5230**	**1117**	**1252503**	**1054**	**175**	**226160**	**4176**	**941**	**5117**	**1025293**	**86.036**
(ख) सहकारी रूप से अल्प विकसित राज्य											
आंध्र प्रदेश	4278	1018	818974	265	119	90670	4013	899	4912	728304	52.431
छत्तीसगढ़	81	132	464550	0	11	112672	80	121	201	351550	35.937
हिमाचल प्रदेश	1739	222	215265	95	12	9450	1644	210	1854	205815	18.314
मध्य प्रदेश	6628	1218	1776036	1181	101	277132	5497	1121	6618	1528495	121.629
ओडिशा	2286	679	548680	335	84	61900	1951	595	2546	486780	19.70
राजस्थान	5159	476	670662	360	80	93450	4793	396	5189	575820	50.940
तेलंगाना	9	5	23490	0	0	0	5	0	5	6030	5.279
उत्तर प्रदेश	9554	899	2355930	259	95	248140	9301	797	10098	2107190	133.196
उत्तराखंड	60	43	88800	0	1	0	60	42	102	88800	5.206
पश्चिम बंगाल	3688	612	631860	851	139	146500	2837	473	3310	485360	31.749
योग (ख)	**33482**	**5304**	**7594247**	**3346**	**642**	**1039914**	**30181**	**4654**	**34836**	**6564144**	**474.381**
(ग) सहकारी रूप से विकसित राज्य											
दिल्ली	0	1	1000	0	1	1000	0	0	0	0	0
गुजरात	1995	530	876393	128	54	58234	1868	456	2324	731410	94.299
हरियाणा	1592	511	1374734	135	18	49607	1490	457	1947	1315789	146.156
कर्नाटक	5942	1092	1344420	713	114	110781	5223	966	6189	1194921	89.379
केरल	2422	170	397384	255	25	30169	2142	145	2287	362025	34.415
महाराष्ट्र	4488	1790	2608222	626	260	285132	3864	1528	5392	2323090	103.787
पंजाब	4647	875	2182301	760	45	194611	3887	830	4717	1987690	44.365
तमिलनाडु	4807	606	1068248	48	195	84520	4759	411	5170	983728	21.240
नैफेड	0	13	55300	0	4	15100	0	9	9	40200	3.640
एनसीसीएफ	0	1	10000	0	0	0	0	1	1	10000	1.410
पुडुचेरी	0	1	4000	0	1	4000	0	0	0	0	0
योग (ग)	**25893**	**5590**	**9922002**	**2665**	**717**	**833154**	**23233**	**4803**	**28036**	**8948853**	**538.691**
कुल योग (क+ख+ग)	**64605**	**12011**	**18768752**	**7065**	**1534**	**2099228**	**57590**	**10398**	**67988**	**16538290**	**1099.1080**

तालिका – 2

वर्ष 2020–21 में भंडारण कार्य निष्पादन हेतु स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2020–21 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाईयों की संख्या	राशि	
				वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त
(क)	**अल्प विकसित राज्य**				
1	झारखण्ड	1	4	0.295	0.224
2	मिजोरम	1	1	1.758	
	उप योग (क)	**2**	**5**	**2.053**	**0.224**
(ख)	**अल्पतम विकसित राज्य**				
1	छत्तीसगढ़				0.073
2	मध्य प्रदेश	2	5	1.351	1.316
3	तेलंगाना	1	5	3.256	1.741
4	उत्तर प्रदेश	1	1	0.592	0.249
	उप योग (ख)	**4**	**11**	**5.199**	**3.379**
(ग)	**विकसित राज्य**				
1	गुजरात	1	1	0.151	0.114
2	हरियाणा				1.538
3	कर्नाटक	1	1	0.200	1.562
4	केरल				0.472
	उप योग (ग)	**2**	**2**	**0.351**	**3.686**
	कुल योग (क+ख+ग)	**8**	**18**	**7.603**	**7.289**

तालिका–3

वर्ष 2020–21 के दौरान अनुमोदित भंडारण कार्यक्रम तथा संवितरित वित्तीय सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	स्वीकृत इकाइयों की संख्या			स्वीकृत क्षमता (मै.ट.)			अनुमोदित	स्वीकृत राशि			विमुक्त राशि		
	ग्रामीण	विप.	योग	ग्रामीण	विप.	योग	ब्लाक लागत	ऋण	सब्सिडी	योग	ऋण	सब्सिडी	योग
1. गोदामों का निर्माण													
क. कृषि विपणन (सीएसआईएसएएम) हेतु केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम की उपयोजना – कृषि विपणन संरचना (एएमआई)													
गुजरात	1		1	542		542	0.190	0.104	0.047	0.151	0.052	0.024	0.076
झारखंड		4	4		392	392	0.447	0.224	0.071	0.295	0.224	0.000	0.224
कर्नाटक		1	1		167	167	0.300	0.185	0.015	0.200	1.320	0.242	1.562
केरल											0.445	0.027	0.472
छत्तीसगढ़											0.063	0.011	0.073
उप–योग (क)	**1**	**5**	**6**	**542**	**559**	**1101**	**0.937**	**0.513**	**0.133**	**0.646**	**2.104**	**0.304**	**2.407**
ख. केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता योजना (सीएसआईएसएसी)													
मध्य प्रदेश	0	5	5	0	2559	2559	1.755	1.000	0.351	1.351	0.956	0.360	1.316
उत्तर प्रदेश	1	0	1	500	0	500	0.696	0.453	0.139	0.592	0.229	0.019	0.249
तेलंगाना	0	5	5	0	11643	11643	4.651	2.326	0.930	3.256	1.244	0.497	1.741
मिजोरम	0	1	1	0	1050	1050	1.850	1.295	0.463	1.758			0.000
गुजरात												0.038	0.038
हरियाणा (राष्ट्रीय स्तरीय संघ)											1.226	0.312	1.538
उप–योग (ख)	**1**	**11**	**12**	**500**	**15252**	**15752**	**8.952**	**5.074**	**1.883**	**6.957**	**3.655**	**1.226**	**4.882**
(ग) निगम प्रायोजित स्कीम–शून्य													
(घ) बीज उत्पाद में वृद्धि हेतु केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम – शून्य													
योग (क+ख+ग+घ)	**2**	**16**	**18**	**1042**	**15811**	**16853**	**9.889**	**5.587**	**2.016**	**7.603**	**5.759**	**1.530**	**7.289**
2. गोदामों के नवीकरण–शून्य													
उप–योग (1+2) (गोदामों का निर्माण)	**2**	**16**	**18**	**1042**	**15811**	**16853**	**9.889**	**5.587**	**2.016**	**7.603**	**5.759**	**1.530**	**7.289**

तालिका–4
भंडारण कार्यक्रम – वर्ष 2020–21 का कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	स्कीम		लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
(क)	**गोदामों का निर्माण**				
1	**कृषि विपणन केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत योजना की उपयोजना – केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहायता योजना तथा कृषि विपणन संरचना योजना (एएमआई)**				
	गोदामों की स्वीकृति	संख्या	70	18	25.71%
	गोदामों की क्षमता	क्षमता मै. टन में	62470	16853	26.97%
	निधियों की विमुक्ति	करोड़ रुपये में	43.50	7.289	16.75%
2	**निगम प्रायोजित स्कीम तथा बीज उत्पादन में वृद्धि हेतु सहायता**				
	गोदामों की स्वीकृति	संख्या	5	0	–
	गोदामों की क्षमता	क्षमता मै. टन में	2000	0	–
	निधियों की विमुक्ति	करोड़ रुपये में	6.00	0	–
(ख)	**गोदामों की पूर्णता**				
1	**कृषि विपणन केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत स्कीम (सीसैक) – तथा कृषि विपणन संरचना स्कीम (एएमआई) – कृषि विपणन केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत स्कीम की उपयोजना**				
	गोदामों की पूर्णता	संख्या	40	25	62.50%
	गोदामों की क्षमता	क्षमता मै. टन में	84116	16724	19.88%
2	**निगम प्रायोजित स्कीम तथा बीज उत्पादन में वृद्धि हेतु सहायता**				
	गोदामों की पूर्णता	संख्या	10	0	–
	गोदामों की क्षमता	क्षमता मै. टन में	4500	0	–
(ग)	**गोदामों की पूर्णता**				
	निगम प्रायोजित स्कीम/कृषि विपणन संरचना स्कीम (एएमआई) तथा केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता योजना (सीएसआईएसएसी)				
	गोदामों की स्वीकृति	संख्या	8	0	–
	गोदामों की क्षमता	क्षमता मै. टन में	620	0	–
	निधियों की विमुक्ति	करोड़ रुपये में	0.50	0	–

तालिका–5

दिनांक 31.03.2021 तक रा.स.वि.नि. द्वारा शीत भंडारों/शीत श्रृंखला तथा विमुक्त वित्तीय सहायता का राज्य वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क. सं.	राज्य	स्वीकृत		संस्थापित		विमुक्त सहायता
		संख्या	क्षमता (टन में)	संख्या	क्षमता (टन में)	
1	आंध्र प्रदेश	2 (1)	6000 + 5000	1	1000	3.963
2	असम	1	1000	1	1000	0.058
3	बिहार	20 (4)	59850 + 12000	20 (4)	59850 + 12000	36.192
4	गुजरात#	4 (1)	5200 + 1800	4 (1)	5200 + 1800	4.103
5	हरियाणा	4	12000	4	12000	2.199
6	हिमाचल प्रदेश	2	1080	2	1080	0.597
7	जम्मू एवं कश्मीर	3	3400	3	3400	0.135
8	झारखंड	1	5000	-	0	1.000
9	मध्य प्रदेश	24 (9)	90400 + 22250	24 (9)	90400 + 22250	25.586
10	कर्नाटक	5	7800	5	7800	2.708
11	महाराष्ट्र	4	7000	3	4000	4.433
12	नागालैण्ड	1	1000	1	1000	0.166
13	ओडिशा	21 (3)	36170 + 4000	21 (3)	36170 + 4000	7.143
14	पंजाब	16 (1)	22300 + 2000	16 (1)	22300 + 2000	0.442
15	राजस्थान	3	6000	3	6000	0.268
16	तमिलनाडु	2	3750	2	3750	1.205
17	त्रिपुरा	1 (1)	2000 + 3000	1 (1)	2000 + 3000	2.376
18	उत्तर प्रदेश	95 (1)	282600 + 2000	95 (1)	282600 + 2000	30.049
19	पश्चिम बंगाल	68 (17)	271625 + 90200	62 (16)	265050 + 80800	88.507
20	चंडीगढ़	1	1000	1	1000	0.000
21	नैफेड, नई दिल्ली	1	2500	1	2500	0.075
22	एनपीसी अध्ययन	-	-	-	0	0.022
	योग	**279 (38) = 317**	**827675 + 142250 = 969925**	**270 (36) = 306**	**808100 + 127850 = 935950**	**211.227**

( ) शीत भंडारणों की संख्या जहॉं क्षमता विस्तार किया गया + विस्तारित क्षमता (टनों में)

तालिका–6

रा.स.वि.नि. द्वारा दिनांक 31.03.2021 को शीत श्रृंखला अवसंरचना एवं विमुक्त वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत इकाइयाँ		स्वीकृत क्षमता												कुल विमुक्त सहायता
		लाभार्थी समिति	कुल स्वीकृत इकाइयों की संख्या	एकीकृत पैक हाऊस			पूर्व प्रशीतन इकाईयाँ			एकल अवसंरचना			रीफर वाहन			
				संख्या	प्रति इकाई क्षमता (मै.ट./है.)	कुल (मै.ट./है.)	संख्या	प्रति इकाई क्षमता (मै.ट./है.)	कुल (मै.ट./है.)	संख्या	प्रति इकाई क्षमता (मै.ट./है.)	कुल (मै.ट./है.)	संख्या	प्रति इकाई क्षमता (मै.ट./है.)	कुल (मै.ट./है.)	
1.	बिहार	1	14	2	5	10	3	6	18	1	2500	2500	5	15	75	9.000
							2	10	20	1	1000	1000				
									38			**3500**				
2.	मणिपुर	7	17	6	1	6	6	6	36	5	100	500	6	4	24	0.00#
										6	30	180				
												680				
3	उत्तराखंड	401	556	400	2	800	शून्य			2	5000	10000	150	4	600	0.218
										2	2000	4000	2	15	30	
												14000	152	19	**630**	
	योग	**409**	**587**	**408**	**8**	**816**			**74**			**18180**			**729**	**9.218**

* सहकारिता विभाग – मणिपुर सरकार ने 478.936 लाख रुपये के वित्तीय सहायता की 1 किश्त वापस कर दी गई है।

अध्याय–8

औद्योगिक एवं सेवा सहकारिताएं

सेवा सहकारिताएं

8.1 रा.स.वि.नि. विभिन्न ''सेवा सहकारिताओं'' को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और इस उद्देश्य हेतु निम्नलिखित सेवाएं शामिल की गईं :–

(i) सहकारिताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले जल संरक्षण कार्य/सेवाएं, सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई

(ii) सहकारिताओं के माध्यम से पशु देखभाल/स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम

(iii) सहकारिताओं के माध्यम से कृषि बीमा एवं कृषि ऋण तथा

(iv) सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता/जल निकासी/मल जल व्ययन प्रणालियां।

8.1.1 अधिसूचित सेवाओं की सूची में विस्तार कर (क) पर्यटन (ख) आतिथ्य (ग) यातायात (घ) नवीन, गैर पारम्पारिक एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा (विद्युत) का उत्पादन एवं वितरण तथा (ड.) ग्रामीण आवास (च) अस्पताल (छ) स्वास्थ्य देखभाल एवं (ज) शिक्षा सहकारिताएं सम्मिलित किए गए। श्रम सहकारिताओं से संबंधित सेवाओं को भी अधिसूचित सेवाओं की सूची में शामिल किया गया है।

8.1.2 रा.स.वि.नि. ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली, एलोपैथी, होम्योपैथी आदि को कवर करते हुए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों की सहायता हेतु **''आयुष्मान सहकार''** योजना शुरु की है। यह योजना योग कल्याण केंद्रों, बुजुर्गों की देखभाल सेवाओ, डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित उपशामक देखभाल, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ सहायता प्राप्त चिकित्सा प्रक्रियाओं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सहित प्रोत्साहन के रुप में, एनसीडीसी उधारकर्ता सहकारी समितियों की परियोजना गतिविधियों के लिए आवधिक ऋण पर लागू ब्याज दर से 1% कम प्रदान करेगा, जहां समय पर पुनर्भुगतान के मामले में महिला सदस्य ऋण की वसूली संपूर्ण अवधि के लिए बहुमत में है।

8.1.3 रा.स.वि.नि. द्वारा सेवा सहकारिताओं को निम्नलिखित कार्यकलापों हेतु सहायता दी जाती हैः

i) अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, आधुनिकीकरण, विस्तारण, मरम्मत, नवीनीकरण आदिय

ii) मार्जिन मनी सहायता

iii) कार्यशील पूंजी सहायता

iv) वर्तमान सेवा सहकारी इकाइयों का विस्तारण/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण तथा

v) कृषि क्लीनिकों/शोरूमों/सेवा परिसरों की स्थापना/निर्माण।

8.1.4 वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने अस्पताल के विस्तार, अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण और 12 सहकारी बैंकों/क्रेडिट सहकारिताओं को शेयर पूंजी आधार के सुदृढ़ीकरण हेतु 3.35 करोड़ रूपये स्वीकृत किए तथा 20.31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की है। दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रूप से, रा.स.वि.नि. ने 335.95 करोड़ रुपये विमुक्त किए हैं। विवरण **तालिका** में दिया गया है।

कृषिक ऋण सहकारिताएं :

8.1.5 रा.स.वि.नि. द्वारा वित्तपोषित कृषि ऋण सहकारिताएं निम्न प्रकार से हैं :–

क) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारिताएं

ख) प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

ग) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

घ) राज्य सहकारी बैंक तथा

ड.) राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

8.1.6 कृषि ऋण सहकारिताओं को निम्न योजनाओं हेतु सहायता दी जाती हैः

i) अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण/मार्जिन मनी सहायता

ii) कृषि ऋण सहकारिताओं को रा.स.वि.नि. के वित्तपोषण के क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यकलापों/वस्तुओं/ सेवाओं के लिए अल्पावधिक ऋण/अग्रिम हेतु कार्यशील पूंजी ऋणों के लिए दो वर्ष तक का अल्पावधिक ऋण प्रदान करना;

iii) रा.स.वि.नि. के वित्तपोषण के क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यकलापों/वस्तुओं/सेवाओं हेतु ऋण/अग्रिम का संवितरण करने के लिए महिला ऋण सहकारिताओं को तीन वर्ष की अवधि तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना; तथा

iv) कृषि ऋण सहकारिताओं के शाखा/कार्यालय भवनों, बैंकिंग काउंटर, स्ट्रांग रूमों, सुरक्षित जमा वाल्ट्स, वाहनों, फर्नीचर एवं फिक्सचर आदि जैसी संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, आधुनिकीकरण, विस्तारण, मरम्मत, नवीकरण आदि।

8.1.7 रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020—21 के दौरान बिहार, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा मध्य प्रदेश राज्यों में (1) राज्य सहकारी बैंक, (2) राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों, (5) जिला सहकारी बैंकों, (2) राज्य स्तरीय महासंघ, (19) सहकारी समितियों तथा (3) सेवा सहकारी बैंकों को 4404.76 करोड़ रूपये की कार्यशील पूंजी ऋण सहायता स्वीकृत की। वर्ष 2020—21 के दौरान 2930.91 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक कृषि ऋण सहकारिताओं हेतु संचयी रूप में 36613.20 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की। सहायता विवरण **तालिका** में दर्शाया गया है।

श्रम सहकारिताएं

8.2 रा.स.वि.नि., वर्ष 2014—15 से श्रम संविदा/निर्माण, खनन, वन एवं अन्य श्रम साध्य सहकारिताओं जिनमें ग्रामीण कारीगर, शिल्पी, रिक्शा चालक, भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक आदि कामगार सम्मिलित हैं, को लाभ पहुंचाने हेतु सहायता प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित हेतु सहायता दी जाती है :—

(i) अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण/मार्जिन मनी सहायता;

(ii) निर्माण से संबंधित मशीनों/उपकरणों/उपस्करों एवं साजो सामान तथा श्रमिक सहकारिताओं से संबंधित लोडिंग/अनलोडिंग/पैकिंग उपकरणों की खरीद;

(iii) श्रम सहकारिताओं द्वारा सेवा परिसरों/गोदामों की स्थापना/निर्माण;

(iv) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरीय श्रमिक सहकारी संघों द्वारा डेटा बैंक की स्थापना के लिए कम्प्यूटरीकरण, फर्नीचर तथा ढांचागत सुविधाएं।

8.2.1 रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020—21 के दौरान, राज्य सरकार, केरल के माध्यम से श्रम सहकारिता को 45.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा विमुक्त की गई। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक श्रम सहकारिताओं को संचयी रूप में 199.02 करोड़ रूपये की सहायता स्वीकृत तथा 198.51 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की गई है जिसका विवरण **तालिका** में दर्शाया गया है।

औद्योगिक सहकारिताएं

8.3 रा.स.वि.नि. वर्ष 2003—04 से औद्योगिक माल के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, आयात और निर्यात हेतु औद्योगिक सहकारिताओं को सहायता प्रदान कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत ये सहायता निम्नलिखित कार्यकलापों हेतु दी जाती है :—

(i) औद्योगिक माल, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प और अन्य उत्पादों के उत्पादन/निर्माण/ जुड़ाव/ प्रसंस्करण हेतु औद्योगिक वर्कशेडों/ इकाइयों एवं संयंत्र और मशीनरी समेत स्थापना;

(ii) वर्तमान औद्योगिक सहकारी इकाइयों का विस्तारण/आधुनिकीकरण/नवीकरण;

(iii) शोरूमों/वेयरहाउसों/परिवहन वाहनों आदि सहित विपणन संरचनाओं का निर्माण;

(iv) अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण/मार्जिन मनी सहायता तथा व्यवसायिक प्रचालनों हेतु औद्योगिक सहकारिताओं को कार्यशील पूंजी सहायता; तथा

(v) लघु उद्योगों के लिए सहकारी औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना।

8.3.1 रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक औद्योगिक सहकारिताओं को संचयी रूप में 11.65 करोड़ रूपये की

राशि विमुक्त की, जिसका विवरण **तालिका** में दर्शाया गया है।

युवा सहकार – सहकारी उद्यम सहयोग नवीन स्कीम

8.4 ''युवा सहकार'' योजना का उद्देश्य नवाचारी तथा/या नए विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह रा.स.वि.नि. द्वारा बनाए गए सहकारी **स्टार्ट–अप एवं इनोवेशन फंड** से जुड़ा हुआ है। प्रोत्साहन के रूप में, रा.स.वि.नि. समय पर पुनर्भुगतान के मामले में परियोजना गतिविधियों के लिए आवधिक ऋण पर ब्याज की लागू दर से 2% कम प्रदान करेगा। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहकारी समितियों, नीति आयोग द्वारा चिन्हित सहकारिताओं का महत्वाकांक्षी जिलों में पंजीकृत और संचालित, 100% महिलाओं/अ.जा.जा./दिव्यांग सदस्यों वाली सहकारी समितियों के लिए अधिक उदार है। सहकारी समिति, जो एक वर्ष या उससे अधिक समय से चल रही है, के मामले में परियोजना की लागत 3.00 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सहकारी समिति, जो तीन महीने से अधिक समय से चल रही हो परन्तु एक वर्ष से कम है, के मामले में परियोजना की लागत 1.00 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपितु, एक बार सहकारी समिति अपने संचालन के एक वर्ष पूरा करने के बाद, यह एक वर्ष से कार्यरत सहकारी समिति के लिए स्वीकार्य सहायता हेतु पहले ली गई सहायता को छोडकर, यदि कोई हो, के पात्र हो जाएगी।

8.4.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने केरल राज्य में सहकारी समिति को 0.55 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। दिनांक 31.03.2021 तक रा.स.वि.नि. ने युवा सहकार स्कीम के अंतर्गत संचयी रुप में 4 परियोजनाओं को 57.85 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की तथा 0.44 करोड़ रुपये की सहायता विमुक्त की। स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। सहायता का विवरण **तालिका** में प्रदान किया गया है।

तालिका

दिनांक 31.03.2021 तक सहाय्यत औद्योगिक, श्रम, ऋण एवं सेवा सहकारिताओं को स्वीकृत तथा विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2020 –21 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	राशि		31.03.2021 को संचयी स्थिति		
			स्वीकृत (वर्ष 2020–21)	विमुक्ति (वर्ष 2020–21)	स्वीकृत इकाईयाँ	पूर्ण इकाईयाँ	विमुक्त राशि
I)	**सेवा सहकारिताएं**						
क)	**सेवा सहकारिताएं**						
1	अरूणाचल प्रदेश				2	2	3.64
2	दिल्ली				1	1	0.00
3	हरियाणा	2	1.20	0.92	14	12	136.68
4	हिमाचल प्रदेश				1	1	0.38
5	कर्नाटक				1	1	2.52
6	केरल	2	2.15	19.39	158	58	186.73
7	तेलंगाना				1	1	3.22
8	उत्तराखंड				1		0.00
9	पश्चिम बंगाल				1		2.79
	उप–योग (क)	**4**	**3.35**	**20.31**	**180**	**76**	**335.95**
ख)	**कृषि ऋण सहकारिताएं**						
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह				1	1	20.00

तालिका जारी...

2	आंध्र प्रदेश	2	575.00	575.00	17	13	2317.53
3	बिहार	1	2000.00	1600.00	6	4	2400.00
4	गुजरात				11	9	470.88
5	हिमाचल प्रदेश				1	1	300.00
6	कर्नाटक	27	33.06	28.81	100	91	349.14
7	केरल	3	85.00	168.00	85	67	6340.88
8	मध्य प्रदेश	5	950.00	199.90	48	33	5348.90
9	महाराष्ट्र	4	61.70	27.20	19	17	108.23
10	ओडिशा				8	6	2905.00
11	राजस्थान	1	300.00	132.00	11	9	11287.00
12	तेलंगाना	1	200.00	200.00	4	4	700.00
13	तमिलनाडु				11	11	2060.15
14	उत्तर प्रदेश				16	8	775.50
15	पश्चिम बंगाल				6	5	660.00
16	पंजाब	1	200.00	0.00	4	2	570.00
	उप–योग (क)	**45**	**4404.76**	**2930.91**	**348**	**281**	**36613.20**
ग)	**श्रम सहकारिताएं**						
1	दिल्ली				1	1	0.10
2	हिमाचल प्रदेश				1	1	0.23
3	केरल	1	45.00	45.00	14	13	198.08
4	तेलंगाना				1		0.10
	उप–योग (ग)	**1**	**45.00**	**45.00**	**17**	**15**	**198.51**
	योग (क+ख+ग) (सेवा)	**50**	**4453.11**	**2996.23**	**545**	**372**	**37147.66**
II)	**औद्योगिक सहकारिताएं**						
1	अरूणाचल प्रदेश				7	5	7.93
2	हरियाणा				1	1	0.04
3	केरल				11	11	3.04
4	मेघालय				1	1	0.16
5	नागालैंड				2	1	0.49
	योग (औद्योगिक)				**22**	**19**	**11.65**
III)	**युवा सहकार**						
1	आंध्र प्रदेश				1		0.17
2	उत्तराखंड				1		0.00
3	पश्चिम बंगाल				1		0.00
4	केरल	1	0.55	0.27	1		0.27
	योग (युवा सहकार)	**1**	**0.55**	**0.27**	**4**		**0.44**
	कुल योग (I+II+III)	**51**	**4453.66**	**2996.49**	**571**	**391**	**37159.75**

अध्याय–9

कमजोर वर्गों की सहकारिताएं

9.1 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मात्स्यिकी, कुक्कुटपालन, डेयरी, पशुधन, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, श्रम तथा महिला सहकारिताओं से संबंधित समितियों हेतु विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं तथा कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों का संवर्धन एवं वित्तपोषण कर रहा है।

मात्स्यिकी

9.2 रा.स.वि.नि., मात्स्यिकी सहकारिताओं को उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन आदि कार्यकलाप शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है और इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यकलाप सम्मिलित हैं :–

i) मत्स्य नौका, जालों और इंजनों जैसे प्रचालनात्मक निवेशों की खरीद।

ii) विपणन, परिवहन वाहनों, बर्फ संयंत्रों, शीत भंडारों, खुदरा दुकानों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि हेतु संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन।

iii) अंतर्देशीय मात्स्यिकी, मत्स्यपालन, बीज फार्मों, हैचरीज आदि का विकास।

iv) व्यवहार्यता रिपोर्टों की तैयारी।

v) एकीकृत मात्स्यिकी विकास परियोजनाएं (समुद्रीय, अंतर्देशीय और खारा जल)।

9.2.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता योजना के अंतर्गत, 6 परियोजनाओं के लिए 197.32 करोड़ रुपये (ऋण के रूप में 154.85 करोड़ रुपये तथा सब्सिडी के रूप में 42.45 करोड़ रुपए) की सहायता स्वीकृत की गई तथा 119.17 करोड़ रूपये (94.20 करोड़ रुपये ऋण के रूप में और 24.97 करोड़ सब्सिडी के रूप में रुपए) विमुक्त किए गए।

एकीकृत मत्स्य विकास परियोजनाएँ

9.2.2 रा.स.वि.नि. ने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि में स्वीकृत कुल 69 एकीकृत मत्स्य विकास परियोजनाओं (42 समुद्री और 27 अंतर्देशीय मत्स्य पालन परियोजनाएं) में सहायता की है, जिसमें उत्पादन से उपभोक्ता तक सभी गतिविधियाँ (खेत से थाली तक) आगे और पीछे के लिंकेज के साथ एकीकृत हैं। मुख्य घटक मछली बीज उत्पादन, मछली उत्पादन, मछली पकड़ने के उपकरण, हार्वेस्टिंग तथा विपणन के बुनियादी ढांचे, परिवहन वाहन, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, नवाचारी परियोजनाएं, क्षमता विकास, परियोजना प्रबंधन, विस्तार, कम्प्यूटरीकरण आदि हैं। इन परियोजनाओं में पूर्ण मूल्य श्रृंखला मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास पर जोर दिया जाता है। सभी एकीकृत परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले मछुआरों की कुल संख्या 6 लाख से अधिक होने का अनुमान है।

रा.स.वि.नि., ने दिनांक 31.03.2021 तक इस शीर्ष के अंतर्गत कुल मिलाकर 3056.99 करोड़ रूपये की सहायता स्वीकृत तथा 2202.70 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की है, जिसका विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

मात्स्यकी एवं एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि (एफ.आई.डी.एफ.) योजना

9.2.3 भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 7522.48 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक एफ.आई.डी.एफ. योजना का गठन किया गया है। नाबार्ड, रा.स.वि.नि. तथा सभी अनुसूचित बैंक नोडल ऋणदाता एजेंसियों के रूप में काम करते हैं। यह योजना क्षेत्र से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल करती है तथा योजना में स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। रा.स.वि.नि. सहकारी क्षेत्र में योग्य संस्थाओं (ईई) को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से या सीधे पात्र सहकारी समितियों और संघ आदि जो अपने वित्तीय नियमों और शर्तों के अनुसार सीलिंग पर ब्याज की निर्धारित दर के अनुसार एफ.आई.डी.एफ. के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज सबवेंशन और योजना के संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड को भी पूरा करते हैं, को ऋण प्रदान करेगा।

उत्तराखंड मत्स्य क्षेत्रक में मेगा परियोजना

रा.स.वि.नि. ने उत्तराखंड राज्य में मत्स्य पालन के एकीकृत विकास के लिए उत्तराखंड सरकार को 148.04 करोड़ रुपये की स्वीकृति की, जिसमें ट्राउट खेती, ट्राउट हैचरी, आंतरिक ट्राउट हैचरी, पंगासिंग फार्मिंग, प्रमुख कार्प फार्मिंग, बीट डेवलपमेंट एंड एंगलिंग प्रमोशन, जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं। प्रदूषण मुक्त ग्राम तालाब, बत्तख हैचरी, एकीकृत खेती, मछली खुदरा दुकानों, बाजार, वन स्टॉप एक्वा दुकान और सूचना सेवाओं (ओएएसआईएस), विपणन एवं प्रबंधन तथा जिला सहकारी मत्स्य विकास और विपणन महासंघ के माध्यम से बाजार विकास (हरिद्वार) के लाभ हेतु वित्त वर्ष 2018–19 में प्रत्यक्ष रूप से 2441 सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। अब तक, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 36.64 करोड़ रूपये का संवितरण किया गया है।

तेलंगाना एकीकृत मत्स्य परियोजना

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने तेलंगाना में मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समिति संघ लिमिटेड (टीएसएफसीओएफ) को 800 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें विभिन्न माध्यमों से बीज उत्पादन और भंडारण, अनेक माध्यमों से मछली उत्पादन, विपणन, अवसंरचना, नवाचारी परियोजना एवं मानव संसाधन विकास, एमआईएस और क्षमता निर्माण जैसी विभिन्न गतिविधियों को सीसैक योजना के तहत 1000.00 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ रा.स.वि.नि. की प्रत्यक्ष वित्तपोषण योजना के अंतर्गत तेलंगाना के सभी 31 जिलों के प्राथमिक मछुआरा सहकारी समितियों (पीएफसीएस) के 3 लाख सदस्यों को लाभ हेतु सम्मिलित किया गया।। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक 657.02 करोड़ रुपये का संवितरण किया जा चुका है, जिसमें से वर्ष 2020–21 के दौरान 73.91 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई)

9.2.4 केंद्रीय बजट वर्ष 2019–20 में पी.एम.एम.एस.वाई. की घोषणा की गई थी तथा इसे मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, फसलोत्तर बुनियादी ढांचे और प्रबंधन, आधुनिकीकरण, मूल्य श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण, सुगमता, मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा और मछुआरों के कल्याण में गम्भीर अंतराल सरल करने के उद्देश्य से सृजित किया गया है। पी.एम.एम.एस.वाई. एक छत्रक योजना (अम्ब्रेला स्कीम) है जिसमें दो अलग–अलग घटक हैं (क) केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएस) तथा (ख) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)। पी.एम.एम.एस.वाई. को कुल अनुमानित निवेश 20,050 करोड़ रूपये के केंद्रीय निवेश के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिसमें केंद्रीय अंश 9407 करोड़ रूपये तथा राज्य अंश 4880 करोड़ रूपये एवं लाभार्थियों का अंशदान 5763 करोड़ रूपये है। पी.एम.एम.एस.वाई. को वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाएगा।

9.2.5 योजना परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, जब भी लाभार्थी उन्मुख परियोजनाओं के लिए संस्थागत वित्त का लाभ उठाने का इच्छुक होता है, रा.स.वि.नि. ऋण सहायता प्रदान कर सकती है तथा ऋण गारंटी कवर का यथासंभव विस्तार कर सकती है।

कुक्कुटपालन

9.3 रा.स.वि.नि. कुक्कुटपालन सहकारिताओं को सहायता प्रदान कर रहा है। इस क्षेत्र में जिन कार्यकलापों हेतु सहायता दी जाती है, वे इस प्रकार से हैंः–

i) एकीकृत कुक्कुटपालन इकाइयों की स्थापना;

ii) बैकयार्ड कुक्कुटपालन कृषि हेतु सदस्य कृषकों को पुल्लेट्स बिक्री के प्रावधानों के साथ प्रत्येक इकाई हेतु 5000 अथवा इससे अधिक की पालन क्षमता वाली कुक्कुटपालन इकाइयों के क्लस्टर की स्थापना;

iii) समितियों को नवजात चूजे प्रदान करने हेतु इन्क्यूबेटर्स, हैचर्स तथा साजो सामान की खरीद;

iv) उत्पादक सदस्यों को शामिल करके कुक्कुटपालन उत्पादों का विपणन;

v) प्रतिदिन 300 पक्षियों की न्यूनतम क्षमता के साथ कुक्कुटपालन ड्रेसिंग इकाइयाँ ;

vi) सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

vii) वर्तमान क्षमता का विस्तारण; और

viii) व्यापार टर्नओवर बढ़ाने हेतु मार्जिन मनी/कार्यशील पूँजी सहायता।

9.3.1 रा.स.वि.नि. ने संचयी रूप में कुक्कुटपालन कार्यक्रम के लिए 96.38 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की है। अब तक 377 परियोजनाओं/इकाइयों के लिए कुल मिलाकर 117.27 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है इन इकाइयों में से दिनांक 31.03.2021 के अंत तक 322 इकाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में चल रही हैं। निगम द्वारा कुक्कुटपालन परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृत तथा विमुक्त की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण **तालिका–2** में दर्शाया गया है।

डेयरी एवं पशुधन

डेयरी

9.4 रा.स.वि.नि. प्राथमिक, जिला तथा राज्य स्तर की सहकारिताओं को निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करता है :–

i) स्वचालित दूध एकत्रीकरण संयंत्र (ए.एम.सी.एस.) की स्थापना के साथ दूध एकत्रीकरण केंद्रों की स्थापना/विस्तारण/आधुनिकीकरण

ii) दुधारू पशुओं की खरीद, पालन तथा प्रजनन;

iii) प्रजाति सुधार (पशु खरीद);

iv) परिवहन वाहनों की खरीद (इंसुलेटेड टैंकर एवं रेफ्रीजरेटेड वैन) के साथ ही स्वचालित दूध एकत्रीकरण संयत्र की स्थापना;

v) दूध परीक्षण उपकरण, की खरीद एवं परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना;

vi) दूध प्रशीतन संयत्र, दूध प्रसंस्करण, पैकेजिंग, दूध पावडर संयंत्र एवं दूध उत्पाद जैसे मक्खन, आइसक्रीम, स्वादिष्ट दूध, पनीर, चीज, दही आदि की स्थापना/विस्तारण/नवीकरण

vii) यू.एच.टी. दूध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयाँ ;

viii) सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना एवं विस्तार;

ix) दूध एवं दूध उत्पादों का विपणन (मिल्क पार्लर);

x) पशुचारा मिश्रण/विनिर्माण इकाईयों की स्थापना

xi) किसान संगठनों, मोबाईल पशु चिकित्सा देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान एवं चारा विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी निवेश के प्रावधानों के साथ एकीकृत डेयरी परियोजनाओं की स्थापना तथा

xii) व्यापार कारोबार में वृद्धि हेतु मार्जिन मनी, कार्यशील पूंजी सहायता।

डेयरी प्रसंस्करण तथा संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)

9.4.1 रा.स.वि.नि., नबार्ड में गठित केन्द्रीय क्षेत्रक डेयरी प्रसंस्करण एवं संरचना विकास निधि स्कीम से संसाधन उधार लेने के लिए एक नोडल उधार इकाई के रुप में चिन्हित है तथा पात्र उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। रा.स.वि.नि., पात्र उधारकर्ताओं द्वारा निधियों के उचित उपयोग के लिए तथा नबार्ड को ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। इस स्कीम के अंतर्गत सहकारी दुग्ध संघ, राज्य सहकारी डेयरी संघ एवं बहुराज्य दुग्ध सहकारिताएं रा.स.वि.नि. से ऋण लेने हेतु पात्र हैं।

पशुधन

9.4.2 रा.स.वि.नि. निम्नलिखित कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है :–

(i) एकीकृत पशुधन परियोजनाओं/वर्तमान इकाइयों के आधुनिकीकरण/विस्तारण/नवीकरण,

(ii) प्रजनन (बेहतर नस्ल), मांस, ऊन, त्वचा, ऊन एवं अन्य उप–उत्पादों के लिए पशुधन की खरीद;

(iii) बूचड़खानों की स्थापना;

(iv) प्रसंस्करण तथा विपणन संरचनाओं,

(v) परिवहन वाहनों एवं उपकरण की खरीद तथा;

(vi) व्यापार टर्नओवर बढ़ाने हेतु मार्जिन मनी/कार्यशील पूँजी सहायता।

9.4.3 वर्ष 2020–21 के दौरान डेयरी कार्यक्रम के अंतर्गत रा.स.वि.नि. ने 136 इकाईयों हेतु 23.07 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तथा 42.67 करोड़ रुपये संवितरित किये। इसके साथ

रा.स.वि.नि. ने पशुधन कार्यक्रम हेतु राज्य सरकारों/संघों को 140 इकाईयों को स्वीकृति देते हुए 31.21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तथा 125.82 करोड़ रुपए विमुक्त किए।

9.4.4 रा.स.वि.नि. ने डेयरी तथा पशुधन सहकारिताओं को संचयी रुप में दिनांक 31.03.2021 तक 11207.30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तथा 5887.73 करोड़ रुपए विमुक्त किए जैसा कि **तालिका –3** में दर्शाया गया है।

हथकरघा

9.5 हथकरघा सहकारिताओं के विकास की स्कीम के अंतर्गत (क) शीर्ष, क्षेत्रीय तथा प्राथमिक हथकरघा सहकारिताओं के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण/मार्जिन मनी सहायता, (ख) पूर्व (प्रि) तथा उत्तर (पोस्ट) लूम प्रसंस्करण सुविधाओं का सृजन, (ग) शोरूमों तथा गोदामों का निर्माण तथा नवीकरण और (घ) हथकरघा वर्कशेडों की स्थापना सम्मिलित हैं।

9.5.1 निगम ने वर्ष 2020–21 के दौरान 0.90 करोड़ रुपये की राशि (0.675 करोड़ रुपये ऋण के रुप में तथा 0.225 करोड़ रुपये सीएसआईएसएसी सब्सिडी) स्वीकृत की। रा.स.वि.नि., स्कीम के आरंभ से लेकर अब तक 3600 इकाइयों/परियोजनाओं हेतु 597.16 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत और 3479 हथकरघा इकाइयों की पूर्णता होने के साथ 469.65 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त कर चुका है, जिनका विवरण **तालिका–4** में दर्शाया गया है।

कॉयर

9.6 रा.स.वि.नि., शीर्ष/क्षेत्र स्तरीय कॉयर सहकारिताओं द्वारा (क) अंशपूंजी आधार/मार्जिनी मनी सहायता का सुदृढ़ीकरण, (ख) प्रसंस्करण सुविधाओं के सृजन, (ग) गोदामों तथा शोरुमों के निर्माण तथा (घ) परिवहन वाहनों की खरीद हेतु कॉयर सहकारिताओं को सहायता प्रदान करती है।

केरल में एकीकृत कॉयर विकास परियोजना

9.6.1 केरल सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कॉयरफेड के माध्यम से 1000 कॉयर सहकारी समितियों के एकीकृत विकास के लिए सहायता प्राप्त की है। 200 करोड़ रुपये की स्वीकृत सहायता में से, राज्य सरकार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत शेष के साथ 300 कॉयर सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं के पूरा होने के साथ 110.00 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त की है। योजना की स्थापना के बाद से, रा.स.वि.नि. ने संचयी रूप में 267.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं और 721 इकाइयों के पूरा होने के साथ 177.57 करोड़ रुपये जारी किए हैं। दिनांक 31.03.2021 तक की राज्यवार स्वीकृति तथा विमुक्ति की स्थिति **तालिका 5** में दी गई है।

जूट

9.7 यह स्कीम (क) जूट मिलों की स्थापना/विस्तारण/आधुनिकीकरण तथा (ख) गोदामों तथा शोरुमों के निर्माण समेत जूट सहकारिताओं के विकास हेतु तैयार की गई है। इस स्कीम के आरंभ से रा.स.वि.नि. ने संचयी रुप में 184 इकाईयों/ परियोजनाओं हेतु 48.37 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा 183 इकाइयों/परियोजनाओं के पूर्ण होने तक 39.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की। दिनांक 31.03.2021 तक राज्यवार स्वीकृतियों एवं विमुक्तियों की स्थिति **तालिका–6** पर दर्शायी गई है।

अनुसूचित जाति (एससी) की सहकारिताएं

9.8 निगम ने अनुसूचित जाति की सहकारिताओं के आर्थिक उत्थान के लिए विशिष्ट स्कीम तैयार की है। जिन समितियों में 40% से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों के होते हैं। उन्हें रा.स.वि.नि. की सहायता के उद्देश्यार्थ अनुसूचित जाति की सहकारिताएं माना जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान निगम द्वारा 7.02 करोड़ रूपये की सहायता विमुक्ति की गई। संचयी रुप में, रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक 9081 इकाइयाँ स्वीकृत की हैं और 311.25 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की है। अनुसूचित जाति की सहकारिताओं को प्रदान की गई सहायता का विवरण **तालिका–7** में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सहकारिताएं

9.9 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की सहकारी संरचना में मुख्यतः प्राथमिक स्तर पर 3621 वृहत आकार की कृषि बहुद्देशीय सहकारी समितियां (लैम्पस), 12 जनजातीय विकास सहकारी निगम/महासंघ (टीडीसीसीएफ) और राज्य स्तर पर झारखंड राज्य सहकारी लाख विपणन संघ (झास्कोलैम्फ) और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि0 (ट्राइफेड) सम्मिलित हैं। निगम ने लैम्पस के अंशपूंजी आधार को सुदृढ़ करने हेतु विशिष्ट स्कीम तैयार

की है और यह लघुवनोपजों तथा अधिशेष (सरप्लस) कृषि उत्पादों की खरीद एवं विपणन, उर्वरकों तथा अन्य कृषि निवेशों के वितरण, उपभोक्ता वस्तुओं आदि की बिक्री करने के लिए जनजाति सहकारी विकास निगम (टीडीसीसीएफ) को मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी प्रदान करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान रा.स.वि.नि. ने 143 इकाइयों हेतु जनजातीय सहकारिताओं को 38.36 करोड़ रूपये की सहायता स्वीकृत की और 68.64 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रूप में 7974 इकाइयाँ स्वीकृत की हैं और 5262.44 करोड़ रूपये की सहायता विमुक्त की है। जनजाति सहकारिताओं को प्रदान की गई सहायता के विवरण **तालिका–7** में दिये गये हैं।

श्रम सहकारिताएं

9.10 रा.स.वि.नि., श्रम सहकारिताओं को सहायता प्रदान कर रहा है जिस कारण श्रम संविदा/निर्माण/वन खनन तथा ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पियों, रिक्शाचालकों, भूमिहीन श्रमिकों आदि जैसी अन्य श्रम सहकारिताओं को लाभ मिलते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप सम्मिलित हैं :–

i) अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण/मार्जिन मनी सहायता;

ii) श्रम सहकारिताओं से संबंधित मशीनों एवं उपस्करों, उपकरणों तथा साजोसमान तथा लोडिंग/अनलोडिंग/ पैकिंग के उपस्करों की खरीद;

iii) सेवा परिसरों/गोदामों की स्थापना/निर्माण; तथा

iv) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर के श्रम सहकारी संघों द्वारा डेटा बैंक स्थापित करने के लिए कम्प्यूटरीकरण, फर्नीचर तथा संरचनात्मक सुविधाएं।

9.10.1 वर्ष 2020–21 के दौरान रा.स.वि.नि. ने 45.00 करोड़ रुपए श्रम सहकारिताओं को केरल सरकार के माध्यम से स्वीकृत एवं विमुक्त किए। रा.स.वि.नि. ने संचयी रुप में दिनांक 31.03.2021 तक श्रम सहकारिताओं को 199.01 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है तथा 198.50 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की है।

महिला सहकारिताएं

9.11 रा.स.वि.नि. ने मात्र महिलाओं द्वारा गठित सहकारिताओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की है। निगम ने वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत महिला सहकारिताओं की 8 इकाइयों/परियोजनाओं के लिए 833.18 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है तथा 800.36 करोड़ रूपये की सहायता विमुक्त की है। वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यकलापवार स्वीकृतियों तथा विमुक्तियों के विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष के दौरान महिला सहकारिताओं को वित्तीय सहायता

(करोड़ रूपये में)

कार्यकलाप	सहायता प्राप्त महिला समितियों की संख्या	महिला समितियों को स्वीकृत सहायता	महिला समितियों को विमुक्त सहायता
डेयरी एवं पशुधन	1	0.05	
सेवा सहकारिता	6	833.04	796.850
आईसीडीपी	.	.	3.438
खाद्यान्न	1	0.09	0.070
योग	**8**	**833.18**	**800.358**

तालिका–1

दिनांक 31.03.2021 तक मात्स्यिकी सहकारिताओं हेतु स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	कार्यकलाप	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाइयाँ	राशि		दिनांक 31.03.2021 को संचयी स्थिति	
				वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	विमुक्त राशि
क	**केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीएसआईएसएसी)**						
1	अंडमान एवं निकोबार	आईएफडीपी				1	
2	असम	मत्स्यपालन				39	0.185
3	आंध्र प्रदेश	आईएफडीपी				637	47.191
4	बिहार	मत्स्यपालन				7	0.019
5	हिमाचल प्रदेश	मत्स्यपालन				15	0.210
6	केरल	आईएफडीपी	2	71.755	37.851	6	133.855
7	मध्य प्रदेश	मत्स्यपालन				15	0.013
8	मणिपुर	मत्स्यपालन	4	125.561		128	1.739
9	मिजोरम	मत्स्यपालन				4	0.188
10	नागालैंड	मत्स्यपालन				202	7.945
11	ओडिशा	नौका एवं जाल				538	2.793
12	राजस्थान	नौका एवं जाल				95	0.149
13	उत्तर प्रदेश	मत्स्यपालन				4	0.006
14	त्रिपुरा	मत्स्यपालन				60	0.367
15	पश्चिम बंगाल	आईएफडीपी			0.283	174	338.636
16	तेलंगाना	आईएफडीपी			73.912	1	660.122
17	उत्तराखंड	आईएफडीपी			6.040	1	36.647
	उप –योग (क)		**6**	**197.316**	**118.086**	**1927**	**1230.065**
ख	**निगम प्रायोजित योजना**						
1	गोवा	बर्फ संयंत्र				3	1ण521
2	गुजरात	एफआरपी नौका				1103	36.175
3	हरियाणा	मत्स्यपालन				1	0.008
4	कर्नाटक	आईएफडीपी				71	15.612
5	केरल	आईएफडीपी				41	310.493
6	महाराष्ट्र	मशीनीकृत नौका आदि			1.091	3806	569.967
7	तमिलनाडु	आईएफडीपी				3625	35.582
8	दमन एवं दीव	मशीनीकृत नौका आदि				19	1.808
9	पुडुचेरी	नौका एवं जाल				5	0ण033
10	पश्चिम बंगाल	बर्फ संयंत्र				1	
	उप– योग (ख)				**1.091**	**8675**	**971.119**
ग	**संस्थाएं**						
1	फिशकॉपफैड					6	1.073
2	अन्य					3	0.367
	उप –योग (ग)					**9**	**1.440**
	कुल योग (क+ख+ग)		**6**	**197.316**	**119.177**	**10611**	**2202.704**

तालिका–2

वर्ष 2020–21 में कुक्कुटपालन इकाइयों हेतु की गई स्वीकृतियों तथा विमुक्तियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिनांक 31.3.2021 को संचयी स्थिति	
		स्वीकृत इकाइयाँ	विमुक्त राशि
केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीसैक)			
1	आंध्र प्रदेश	2	0.092
2	अरूणाचल प्रदेश	1	1.425
3	असम	1	0.075
4	बिहार	1	0.000
5	हिमाचल प्रदेश	1	0.043
6	जम्मू एवं कश्मीर	87	21.182
7	झारखंड	5	9.732
8	मेघालय	1	0.000
9	मणिपुर	33	2.358
10	मिजोरम	1	0.098
11	नागालैंड	143	8.602
12	उत्तर प्रदेश	2	0.122
13	पश्चिम बंगाल	8	1.658
	योग (क)	**286**	**45.996**
ख	**निगम प्रायोजित योजना**		
1	गुजरात	1	1.553
2	हरियाणा	1	0.054
3	कर्नाटक	7	0.478
4	केरल	3	0.124
5	महाराष्ट्र	78	44.172
6	तमिलनाडु	1	0.005
	योग (ख)	**91**	**46.386**
	कुल योग (क+ख)	**377**	**96.382**

तालिका–3

वर्ष 2020–21 में डेयरी तथा पशुधन सहकारिताओं हेतु की गई स्वीकृतियों तथा विमुक्तियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाइयाँ	धनराशि		दिनांक 31.3.2021 तक संचयी स्थिति	
			वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयाँ	विमुक्त राशि
क	**डेयरी**					
	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम					
1	आंध्र प्रदेश				6	14.752
2	अरूणाचल प्रदेश कर्नाटक				17	0.685
3	असम				1	0.200
4	बिहार*		0.960	6.124	38	314.493
5	गुजरात	1		6.595	901	297.953
6	कर्नाटक			0.340	120	44.820
7	मध्य प्रदेश				1	0.000
8	महाराष्ट्र	1	5.326	3.236	18	29.145
9	मेघालय				2094	51.356
10	नागालैंड				8	0.580
11	पंजाब				1	32.000
12	राजस्थान			24.365	7	221.139
13	तेलंगाना				1	0.722
14	उत्तराखंड			0.517	5276	13.722
15	उत्तर प्रदेश				4	8.400
	योग	**2**	**6.285**	**41.178**	**8493**	**1029.968**
	निगम प्रायोजित योजना					
1	गुजरात*	133	15.583	0.307	4062	330.393
2	कर्नाटक				477	43.834
3	महाराष्ट्र	1	1.200	1.190	31	35.522
4	ओडिशा				1	2.000
5	पंजाब				7	6.205
6	तमिलनाडु				3	8.943
7	उत्तर प्रदेश				1	0.000
	योग	**134**	**16.783**	**1.497**	**4582**	**426.897**
	योग (डेयरी)	**136**	**23.068**	**42.675**	**13075**	**1456.865**
ख	**पशुधन**					
	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम					
1	अंडमान एवं निकोबार				544	
2	आंध्र प्रदेश			6.897	13857	79.054
3	मणिपुर	140	31.212		140	
4	मेघालय			57.804	2	57.885
5	मिजोरम				2	0201
6	नागालैंड				18	1.097
7	तेलंगाना*			38.068	613919	4098.632
8	उत्तराखंड			5.954	10019	48.218
9	पश्चिम बंगाल			17.100	100000	145.600
	योग	**140**	**31.212**	**125.823**	**738501**	**4430.687**
	निगम प्रायोजित योजना					
1	केरल				1	0.180
	योग (पशुधन)	**140**	**31.212**	**125.823**	**738502**	**4430.867**
	कुल योग (डेयरी एवं पशुधन)	**276**	**54.280**	**168.498**	**751577**	**5887.732***

*गुजरात में ए.एम.आई. योजना के अंतर्गत 5 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं तथा ए.एम.आई. योजना के अंतर्गत 1 परियोजना ने 0.307 करोड रुपये की सहायता प्राप्त की।

तालिका–4
हथकरघा सहकारिताओं को स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिनांक 31.3.2021 तक संचयी स्थिति		
		स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्णइकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि
I	**केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम**			
क.	**सहकारी रूप से अल्प विकसित राज्य**			
1	आंध्र प्रदेश	573	504	266.05
2	हिमाचल प्रदेश	257*	254	11.98
3	मध्य प्रदेश	33	33	0.56
4	ओडिशा	55*	55	23.82
5	राजस्थान	32	32	3.41
6	तेलंगाना	50	1	66.04
7	उत्तराखंड	9	9	0.51
8	उत्तर प्रदेश	19	19	0.99
9	पश्चिम बंगाल	257	257	4.36
	योग (क)	**1285**	**1165**	**377.72**
ख.	**सहकारी रूप से अल्पतम विकसित राज्य**			
1	असम	183	183	7.49
2	अरूणाचल प्रदेश	3	3	0.39
3	बिहार	1	1	0.05
4	मणिपुर	739	739	4.72
5	मेघालय	51	51	0.51
6	मिजोरम	115	115	7.10
7	नागालैंड	222	222	5.97
8	त्रिपुरा	1	1	0.30
	योग (ख)	**1315**	**1315**	**26.53**
ग.	**सहकारी रूप से विकसित राज्य**			
	तमिलनाडु	**2**	**2**	**5.58**
	योग (क+ख+ग)	**2602**	**2481**	**409.83**
II	**निगम प्रायोजित स्कीम**			
घ.	**सहकारी रूप से विकसित राज्य/संघ शासित क्षेत्र/अन्य**			
1	दिल्ली	2	2	0.26
2	गुजरात	1	1	0.10
3	हरियाणा	6	6	0.29
4	कर्नाटक	171	171	3.43
5	केरल	226	226	20.43
6	महाराष्ट्र	111	111	5.86
7	पंजाब	34	34	3.86
8	तमिलनाडु	445	445	16.24
9	अन्य (पेट्रोफिल्स)	2	2	9.35
	योग (घ)	**998**	**998**	**59.82**
	कुल योग	**3600**	**3479**	**469.65**

*वर्ष 2018–19 के दौरान अस्वीकृत परियोजनाएं (हिमाचल प्रदेश में 2 तथा ओडिशा में 2)

नोटः वित्तीय वर्ष 2020–21 में मिजोरम में 0.90 करोड़ रुपये संवितरित किये।

तालिका – 5

कॉयर सहकारिताओं को स्वीकश्त तथा विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्य	दिनांक 31.03.2021 तक संचयी स्थिति		
		स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि
क	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम**			
1	**ओडिशा**	**34**	**34**	**4.13**
ख	**निगम प्रायोजित स्कीम**			
1	कर्नाटक	27	27	10.65
2	केरल	1333	633	158.78
3	तमिलनाडु	27	27	4.01
	योग (ख)	**1387**	**687**	**173.44**
	योग (क+ख)	**1421**	**721**	**177.57**

तालिका –6

जूट सहकारिताओं को स्वीकश्त तथा विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्य	दिनांक 31.3.2021 तक संचयी स्थिति		
		स्वीकृत इकाइयाँ	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि (संख्या)
क	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम**			
1	असम	4	3	36.20
2	बिहार	27	27	0.58
3	मेघालय	5	5	0.28
4	ओडिशा	13	13	0.14
5	त्रिपुरा	21	21	0.27
6	पश्चिम बंगाल	108	108	1.92
	योग (क)	**178**	**177**	**39.39**
ख	**निगम प्रायोजित स्कीम**			
1	**आंध्र प्रदेश**	**6**	**6**	**0.22**
	कुल योग (क+ख)	**184**	**183**	**39.61**

तालिका–7

अनु0जाति तथा अनु0जन जा0 सहकारिताओं को स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यकलाप	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाइयां	राशि		दिनांक 31.03.2021 तक संचयी स्थिति	
			वर्ष 2020–21 में स्वीकृत	वर्ष 2020–21 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयां (संख्या)	विमुक्त राशि
I	**अनुसूचित जाति की सहकारिताएं**					
क.	**केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीसैक)**					
1	मत्स्यपालन				171	286.564
2	कुक्कुटपालन, डेयरी एवं पशुधन				8	1.658
3	ग्रामीण उपभोक्ता				4133	5.200
4	भंडारण				1	0.208
5	आईसीडीपी			7.018	4	9.803
6	हथकरघा				4	0.380
	योग (क)			7.018	**4321**	**303.813**
ख	**निगम प्रायोजित स्कीम**					
1	औद्योगिक सहकारिताएं				4	0.160
2	फल एवं सब्जियां				3	1.170
3	ग्रामीण उपभोक्ता				4743	6.064
4	लिनाक				10	0.040
	योग (ख)				4760	7.434
	कुल योग (क+ख)–अनु0जा0 सहकारिताएं			**7.018**	**9081**	**311.247**
II	**अनुसूचित जनजाति सहकारिताएं**					
क	**स्कीमः केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीसैक)**					
1	औद्योगिक सहकारिताएं				8	8.560
2	सेवा सहकारिताएं				1	0.350
3	शीत श्रृंखला				63	61.037
4	प्रसंस्करण (बागानी फसलें)			1.440	13	50.130
5	प्रसंस्करण (तेलहन)				3	1.090
6	मत्स्यपालन एवं जनजाति विकास				334	14.312
7	कुक्कुटपालन, डेयरी एवं पशुधन	140	31.210	57.804	3388	133.809
8	फल एवं सब्जियां			0.040	8	3.210
9	विपणन एवं निवेश	1	0.150	0.150	586	83.740
10	ग्रामीण उपभोक्ता				465	4.141
11	आईसीडीपी	1	5.239	8.302	49	421.163
12	भंडारण	1	1.758	0	353	22.917
13	एमआईएस				4	19.976
14	हथकरघा			0.900	16	4.841
	योग (क)	**143**	**38.357**	**68.636**	**5291**	**829.276**
ख	**निगम प्रायोजित स्कीम**					
1	शीत श्रृखला				1	1.548
2	भंडारण				199	35.441
3	ग्रामीण उपभोक्ता				1247	1.636
4	विपणन एवं निवेश				1158	4389.460
5	लिनाक				9	0.027
6	सेवा सहकारिताएं				3	3.440
7	कुक्कुटपालन, डेयरी एवं पशुधन				66	1.611
	योग (ख)				2683	4433.163
	कुल योग (क+ख) अनु0जन0जा0 सहकारिताएं	**143**	**38.357**	**68.636**	**7974**	**5262.439**

* पूर्ववर्ती पुनःसंरचित केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम

अध्याय –10

उपभोक्ता सहकारिताएं

10.1 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सहकारिताओं की भूमिका न केवल निजी व्यापारियों की अनैतिक व्यापार–वृत्तियों के विरूद्ध उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में, बल्कि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक/उचित मूल्यों पर गुणवत्तापरक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने हेतु भी महत्वपूर्ण है। यह सहकारिताएं उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उनकी दहलीज पर उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर लाभदायक सेवा प्रदान कर रही हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं।

रा.स.वि.नि. द्वारा सहायता

10.2 रा.स.वि.नि. अपने विभिन्न उपभोक्ता कार्यकलापों के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने हेतु प्राथमिक सहकारिताओं, जिला थोक उपभोक्ता भंडारों और राज्य उपभोक्ता महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता (i) वर्तमान संरचनात्मक सुविधाओं के विस्तारण/नवीकरण, नई संरचनाओं जैसे शॉपिंग सेंटरों/गोदामों/केरोसीन बंक आदि के निर्माण, (ii) कार्यशील पूंजी जुटाने हेतु मार्जिन मनी प्रदान करने, (iii) फर्नीचर एवं फिक्सचर तथा परिवहन वाहनों की खरीद करने, (iv) कम्प्यूटरीकरण और (v) उपभोक्ता उन्मुखी प्रसंस्करण/औद्योगिक कार्यकलापों से संबंधित संरचनाओं के सृजन/विस्तारण/आधुनिकीकरण हेतु प्रदान की जाती है।

10.3 उपभोक्ता सहकारिताओं हेतु जारी स्कीमों के अंतर्गत रा.स.वि.नि. के कार्यनिष्पादन का सारांश निम्न प्रकार से हैः–

- रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम के अंतर्गत 0.69 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की और 0.81 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की (**तालिका–1**) तथा दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रूप में 93.27 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की। (**तालिका–2**)।
- रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 के दौरान निगम प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 0.08 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की, (**तालिका–1**) तथा दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रूप में 235.30 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की (**तालिका–3**)।

तालिका – 1

वर्ष 2020–21 के दौरान उपभोक्ता कार्यकलापों हेतु स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम				निगम प्रायोजित स्कीम		योग			
		स्वीकृतियां		विमुक्तियां		विमुक्तियां		स्वीकृतियां		विमुक्तियां	
		इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
1	हिमाचल प्रदेश	3	0.69	4	0.73			3	0.69	4	0.73
2	केरल					1	0.08			1	0.08
3	राजस्थान			1	0.08					1	0.08
	योग	**3**	**0.69**	**5**	**0.81**	**1**	**0.08**	**3**	**0.69**	**6**	**0.89**

तालिका–2

दिनांक 31.03.2021 तक केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ता कार्यकलापों हेतु विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त कार्यक्रमों की संख्या			प्रदान की गई कुल सहायता
		समितियां	शाखाएं	योग	
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1		1	1.08
2	आंध्र प्रदेश	1097	46	1143	1.25
3	असम	271		271	0.49
4	बिहार	2485		2485	1.41
5	छत्तीसगढ़	2		2	0.02
6	गोवा	38		38	0.02
7	गुजरात	971	22	993	0.78
8	हरियाणा	1380		1380	0.54
9	हिमाचल प्रदेश	1665		1665	23.30
10	जम्मू एवं कश्मीर	1		1	0.00
11	कर्नाटक	3139	2	3141	2.28
12	केरल	1314	4	1318	0.93
13	मध्य प्रदेश	5462	305	5767	7.12
14	महाराष्ट्र	2717	5	2722	2.29
15	मणिपुर	59		59	0.06
16	मेघालय	47		47	0.10
17	मिजोरम	72		72	1.18
18	नागालैंड	22		22	0.08
19	ओडिशा	2140	457	2597	3.46
20	पंजाब	2149		2149	1.43
21	राजस्थान	3506	76	3582	10.93
22	सिक्किम	56		56	0.58
23	तमिलनाडु	4497	7975	12472	10.23
24	तेलंगाना	2		2	0.40
25	त्रिपुरा	195		195	0.24
26	उत्तर प्रदेश	9007	607	9614	12.10
27	उत्तराखंड				0.09
28	पश्चिम बंगाल	2362	5	2367	10.89
	योग	**44657**	**9504**	**54161**	**93.27**

तालिका – 3

दिनांक 31.03.2021 तक निगम प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ता कार्यकलापों हेतु विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त कार्यक्रमों की संख्या प्रदान की गई सहायता						
		छात्र स्टोर	समितियां	समितियों की शाखाएं	योग	छात्र स्टोर	समितियां और उनकी शाखाएं	योग
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह						0.30	0.30
2	आंध्र प्रदेश	14	2311		2325	0.02	2.98	3.00
3	असम	2	307		309		0.49	0.49
4	बिहार		2531		2531		1.55	1.55
5	चंडीगढ़						0.01	0.01
6	छत्तीसगढ़		3		3		0.10	0.10
7	दिल्ली		17		17		12.25	12.25
8	गोवा		13	25	38		0.05	0.05
9	गुजरात	6	1395	24	1425	0.01	22.50	22.51
10	हरियाणा		1039		1039		1.92	1.92
11	हिमाचल प्रदेश		1541		1541		1.82	1.82
12	जम्मू एवं कश्मीर	1	471		472		0.34	0.34
13	कर्नाटक	83	3215		3298	0.19	8.26	8.45
14	केरल	971	1436		2407	1.51	130.58	132.09
15	मध्य प्रदेश	7	5844	201	6052	0.01	10.93	10.94
16	महाराष्ट्र	78	3751	12	3841	0.12	3.10	3.22
17	मणिपुर		140		140		0.13	0.13
18	मेघालय		45		45		0.09	0.09
19	मिजोरम		62		62		0.23	0.23
20	नागालैंड		29		29		0.15	0.15
21	ओडिशा	18	2520	362	2900	0.02	4.43	4.45
22	पुडुचेरी						0.01	0.01
23	पंजाब		2666		2666		4.20	4.20
24	राजस्थान	14	3956		3970	0.03	3.94	3.97
25	सिक्किम		55		55		0.14	0.14
26	तमिल नाडु	127	4527	1948	6602	0.19	7.95	8.14
27	त्रिपुरा		420	16	436		0.56	0.56
28	उत्तर प्रदेश	4	9080	223	9307		10.12	10.13
29	उत्तराखंड		14		14		0.47	0.47
30	पश्चिम बंगाल	39	3263	5	3307	0.04	3.55	3.59
	योग	**1364**	**50651**	**2816**	**54831**	**2.14**	**233.15**	**235.30**

अध्याय – 11

एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

11.1 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी) में स्थानीय आवश्यकताओं तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक क्षेत्र आधारित अवधारणा अंतर्निहित है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहकारिताओं का विकास करना, सहकारिताओं को बहुद्देशीय संस्थाओं के रूप में परिवर्तित करना तथा सहकारिताओं के बीच समस्तर तथा शीर्ष स्तर होरिजेंटल एंड वर्टिकल कार्यात्मक संपर्कों का विकास करना है, ताकि सहकारिताएं ग्रामीण समुदाय की समग्र आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

11.2 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत ग्राम स्तरीय सहकारिताओं के ढांचागत विकास, जैसे आधुनिक कार्यालय एवं बैंकिंग सुविधाओं की स्थापना, उपभोक्ता दुकानों की स्थापना, वैज्ञानिक भंडारों के निर्माण सहायता प्राप्त सहकारिताओं का व्यवसायिक विकास एवं जनशक्ति विकास आदि पर बल दिया जाता है।

स्वीकृतियां

11.3 वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. 12 नई परियोजनाओं अर्थात् हरियाणा (6 जिले – गुरुग्राम, मेवात सहित) (चरण –2), कैथल (चरण –2), करनाल (चरण –2), कुरुक्षेत्र (चरण –2), पानीपत (चरण –2), और सोनीपत (चरण –2), हिमाचल प्रदेश (1 जिला– ऊना (चरण –2), मिजोरम (1 जिला– ममित) और उत्तर प्रदेश (4 जिले– आगरा, हापुड़, सीतापुर और उन्नाव) को स्वीकृति प्रदान की जिसमें 245.79 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 235.35 करोड़ रुपये की रा.स.वि.नि. सहायता सम्मिलित है जिसमें 205.82 करोड़ रुपये ऋण के रुप में और 29.53 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में सम्मिलित हैं। कुल 29.53 करोड़ रुपये की सब्सिडी जिसमें 12.88 करोड़ रुपये परियोजना कार्यान्वयन हेतु तथा केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता योजना (सीएसआईएसी) के तहत लाभार्थी सहकारी समितियों के लिए 13.15 करोड़ रुपये और केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन स्कीम (सीएसआईएसएएम) के अंतर्गत कृषि विपणन संरचना (एएमआई) सब्सिडी के 3.50 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, रा.स.वि.नि. ने सीसैक स्कीम के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु 0.10 करोड़ रुपये तथा रा.स.वि.नि. के लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक), गुरुग्राम में आईसीडीपी के पीआईटी कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु 0.27 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई थी।

11.3.1 रा.स.वि.नि. ने संचयी रूप में दिनांक 31.03.2021 तक, 6861.05 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 395 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें रा.स.वि.नि. की अंशदान 6514.39 करोड़ रुपये है, जिसमें ऋण के रूप में 5344.90 करोड़ रुपये और सब्सिडी के रूप में 1169.49 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रशिक्षण के लिए 5.02 करोड़ रुपये और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए 0.64 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता भी वर्ष 2020–21 तक स्वीकृत की गई। दिनांक 31.03.2021 तक स्वीकृत आईसीडी परियोजनाओं का विवरण **तालिका–1** में दिया गया है।

संवितरण:

11.4 रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 के दौरान 14 राज्यों में 152.34 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की, जिसमें 101.14 करोड़ रूपये ऋण के रूप में और 51.20 करोड़ रूपये सब्सिडी के रूप में शामिल हैं। इस सब्सिडी में केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम के अंतर्गत 16.00 करोड़ रूपये की राशि परियोजना कार्यान्वयन हेतु, 35.00 करोड़ रूपये की राशि सीसैक के अंतर्गत लाभार्थी सहकारी समितियों हेतु एवं सीसैम स्कीम के अंतर्गत एएमआई (पूर्ववर्ती जीबीवाई) सब्सिडी हेतु 0.20 करोड़ रूपये की राशि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, 0.27 करोड़ रूपये की सब्सिडी लिनाक, गुरूग्राम में सहकारी समितियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में प्रयुक्त की गई।

11.4.1 रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रूप में 4496.68 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की जिसमें 3820.66 करोड़ रूपये की राशि ऋण के रूप में तथा 676.02 करोड़ रूपये की राशि सब्सिडी के रूप में सम्मिलित है। उपर्युक्त के अतिरिक्त लिनाक, गुरूग्राम में सहकारी समितियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 5.02 करोड़ रूपये सब्सिडी सहायता प्रयुक्त की गई।

11.5 कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत 395 परियोजनाओं में से 256 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं 18 परियोजनाएं अस्वीकृत/बीच में समाप्त तथा शेष 121 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन कुल 395 परियोजनाओं में से 307 परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित सहकारिता की दृष्टि से अल्प/अल्पतम विकसित राज्यों में स्वीकृत की गई हैं।

11.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राज्यवार स्वीकृत और विमुक्त सहायता तथा संचयी विमुक्तियों की स्थिति **तालिका–2** पर दर्शाई गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के माध्यम से महिला सहकारिताओं हेतु 3.44 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की।

तालिका – 1

वर्ष 2020–21 तक स्वीकृत एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
	अरूणाचल प्रदेश	
1	संपूर्ण राज्य	2000–01
2	अरूणाचल भाग–II	2013–14
	असम	
3	नगांव	1988–89
4	कछार	1999–00
5	हेलाकंडी	1999–00
	आंध्र प्रदेश	
6	पूर्वी गोदावरी	1989–90
7	चित्तूर	1991–92
8	कृष्णा	1993–94
9	कुरनूल	1995–96
10	गुन्टुर	1999–00
11	नेल्लौर	2003–04
12	विशाखापतनम	2003–04
13	पश्चिमी गोदावरी	2005–06
14	अनंतपुर	2005–06
15	श्रीकाकुलम	2005–06
16	कडप्पा	2005–06
17	विजयनगरम	2005–06
18	प्रकाशम	2008–09
19	कुरनूल (फेज–2)	2017–18
20	पूर्वी गोदावरी (फेज–2)	2017–18
21	चित्तूर (फेज–2)	2018–19
	अंडमान निकोबार	
22	दक्षिण, उत्तर व मध्य	2018–19
	तेलंगाना	
23	नालगोंडा	1995–96
24	निजामाबाद	1989–90
25	निजामाबाद	2000–01
26	मेडक	2003–04
27	वारंगल	2003–04
28	आदिलाबाद	2005–06
29	रंगारेड्डी	2005–06
30	करीमनगर	2005–06
31	मेहबूब नगर	2005–06
32	खम्माम	2008–09
	बिहार	
33	भोजपुर	1987–88
34	रोहताश	1987–88
35	गोपालगंज	1999–00
36	मधुबनी	1999–00
37	सीतामढी	2001–02
38	गया	2001–02
39	भोजपुर (आरा)	2002–03
40	सारण (छपरा)	2002–03
41	सिवान	2002–03
42	कैमूर	2008–09
43	खगड़िया	2009–10
44	शिवहर	2009–10
45	वैशाली	2010–11
46	नालन्दा	2010–11
47	अररिया	2011–12
48	जहानाबाद	2011–12
	बिहार (कृजारी)	
49	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	2011–12
50	**दरभंगा**	2014–15
51	औरंगाबाद	2014–15
52	पूर्णिया	2014–15
53	बेगूसराय	2014–15
54	पश्चिमी चंपारण	2014–15
	छत्तीसगढ़	
55	दुर्ग	1987–88
56	बस्तर	1994–95
57	रायपुर	1995–96
58	जसपुर	2001–02

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
59	रायगढ़	2001–02
60	अम्बिकापुर (सरगुजा)	2002–03
61	राजनंदगांव	2002–03
	गुजरात	
62	पंचमहल	1991–92
63	सुरेन्द्र नगर	1991–92
	हरियाणा	
64	भिवानी	1991–92
65	अंबाला	1994–95
66	गुरूग्राम	1994–95
67	सिरसा	1994–95
68	हिसार	1995–96
69	सोनीपत	2001–02
70	पानीपत	2001–02
71	करनाल	2001–02
72	कुरूक्षेत्र	2001–02
73	कैथल	2001–02
74	रेवाड़ी	2001–02
75	यमुना नगर	2004–05
76	फरीदाबाद	2004–05
77	जीन्द	2005–06
78	महेन्द्रगढ़	2006–07
79	झज्जर	2007–08
80	रोहतक	2007–08
81	भिवानी (चरण–II)	2010–11
82	अम्बाला (चरण–II)	2012–13
83	हिसार (चरण–II)	2012–13
84	सिरसा (चरण–II)	2012–13
85	पंचकूला	2012–13
86	फतेहाबाद (चरण–II)	2013–14
87	रेवाड़ी (चरण–II)	2017–18
88	गुरूग्राम मेवात सहित (चरण–2)	2020–21
89	गुरूग्राम (चरण–2)	2020–21
90	गुरूग्राम (चरण–2)	2020–21
91	गुरूग्राम (चरण–2)	2020–21
92	गुरूग्राम (चरण–2)	2020–21
93	गुरूग्राम (चरण–2)	2020–21
	हिमाचल प्रदेश	
94	बिलासपुर	1986–87
95	सिरमौर	1987–88
96	हमीरपुर	1988–89
97	कांगड़ा	1990–91
98	शिमला	1991–92
99	चम्बा	1996–97
100	कुल्लू	1996–97

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
101	सोलन	1998–99
102	ऊना	2000–01
103	मंडी	2002–03
104	किन्नौर	2005–06
105	लाहौल स्पिती	2005–06
106	सिरमौर (चरण–II)	2010–11
107	बिलासपुर (चरण–II)	2010–11
108	हमीरपुर (चरण–II)	2010–11
109	कुल्लू (चरण–II)	2013–14
110	कांगड़ा (चरण–II)	2013–14
111	शिमला (चरण–II)	2013–14
112	सोलन (चरण–II)	2017–18
113	मंडी (चरण–II)	2018–19
114	ऊना (चरण–II)	2020–21
	जम्मू एवं कश्मीर	
115	कठुआ	2003–04
116	अनंतनाग	2003–04
117	डोडा	2014–15
118	बारामुल्ला	2014–15
	झारखंड	
119	सिहंभूम	1997–98
120	रांची	1997–98
121	देवघर	2002–03
122	दुमका	2002–03
123	हजारीबाग	2002–03
124	गढ़वा	2006–07
125	लहरदागा	2007–08
126	साहिबगंज	2008–09
127	लातेहर	2006–07
128	गिरीडीह	2006–07
129	गोड्डा	2007–08
130	धनबाद	2007–08
131	पूर्वी सिंहभूम	2007–08
132	चतरा	2008–09
133	पलामू	2008–09
134	कोडरमा	2008–09
135	पाकुर	2008–09
136	जामताड़ा	2008–09
137	बोकारो	2013–14
138	सिमडेगा	2013–14
139	गुमला	2013–14
	कर्नाटक	
140	बेंगलुरू	1987–88
141	चिकमंगलूर	1988–89
142	चित्रदुर्ग	1997–98

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
143	गुलबर्गा	2005–06
144	बेल्लारी	2011–12
145	बीजापुर	2011–12
	केरल	
146	वायानाड	1987–88
147	पालघाट	1988–89
148	कोट्टायम	1988–89
149	इडुक्की	1993–94
150	पटनमतिट्टा	1993–94
151	त्रिशूर	1995–96
152	मालाप्पुरम	1998–99
153	कासरगोड	1998–99
154	कन्नूर	1998–99
155	इरनाकुलम	2001–02
156	कोजीकोडे	2001–02
157	कोल्लम	2001–02
158	एलापुजा	2001–02
159	तिरूअनंतपुरम	2003–04
160	वायनाड (चरण–II)	2008–09
161	इडुक्की (चरण–II)	2013–14
162	पालाक्काड (चरण–II)	2014–15
163	थ्रीसूर (चरण–II)	2015–16
	मध्य प्रदेश	
164	नरसिहंपुर	1994–95
165	रायसेन	1994–95
166	खरगौन	1995–96
167	गुना	1997–98
168	सिधी	1997–98
169	छिंदवाड़ा	1998–99
170	जबलपुर	1999–00
171	भिंड	2000–01
172	रतलाम	2000–01
173	राजगढ़	2001–02
174	झाबुआ	2006–07
175	सिहौर	2006–07
176	ऊज्जैन	2006–07
177	सागर	2006–07
178	विदिशा	2006–07
179	मंदसौर	2006–07
180	बैतूल	2007–08
181	नीमच	2007–08
182	इंदौर	2007–08
183	शहडोल	2007–08
184	अनूपपुर	2007–08
185	उमरिया	2007–08

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
186	टीकमगढ़	2007–08
187	खंडवा	2007–08
188	बुरहानपुर	2007–08
189	रीवा	2011–12
190	बालाघाट	2011–12
191	शाजापुर	2011–12
192	धार	2012–13
193	होशंगाबाद	2012–13
194	शिवपुरी	2012–13
195	सिवनी	2012–13
196	देवास	2012–13
197	भोपाल	2012–13
198	हरदा	2012–13
199	छत्तरपुर	2013–14
200	ग्वालियर	2013–14
201	मांडला	2015–16
202	मुरैना	2015–16
203	पन्ना	2015–16
204	सतना	2015–16
205	शिवपुर	2015–16
	मणिपुर	
206	बिशनपुर	1986–87
207	थौबाल	1988–89
208	चूड़ाचांदपुर	1990–91
209	उखरूल	2000–01
210	इम्फाल पश्चिमी	2000–01
211	इम्फाल पूर्वी	2000–01
	मेघालय	
212	पूर्वी खासी हिल	1986–87
213	जयन्तिया	1999–00
214	पश्चिमी गारो हिल्स	1999–00
215	पश्चिमी खासी हिल्स	2001–02
216	पूर्वी गारो हिल्स	2001–02
217	रिभोई	2004–05
218	दक्षिणी गारो हिल्स	2004–05
	मिजोरम	
219	आईजॉल	1993–94
220	चिमतुईपुई	1993–94
221	लुंगलेई	1997–98
222	कोलासिब (चरण–II)	2014–15
223	लुंगलेई (चरण–II)	2014–15
224	आईजॉल (चरण–II)	2014–15
225	सरछिप (चरण–II)	2014–15
226	चम्फाई (चरण–II)	2014–15
227	मामित	2020–21

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
	नागालैंड	
228	कोहिमा	1987–88
229	मोकोकचुंग	1990–91
230	वोखा	1995–96
231	तुएनसांग	2000–01
232	फेक	2000–01
233	जूनहेबोटो	2008–09
234	मोन	2008–09
235	दीमापुर	2008–09
236	परेन	2017–18
237	किफरे	2017–18
238	लोंगलैंग	2017–18
239	तुगसंग (चरण–II)	2017–18
240	कोहिमा (चरण–II)	2017–18
	ओडिशा	
241	कोरापुट एवं मलकानगिरी	2001–02
242	आंगुल	2010–11
243	धेनकैनाल	2010–11
	पंजाब	
244	फिरोजपुर	1994–95
245	होशियारपुर	1994–95
246	रोपड़	1998–99
247	पटियाला	1999–2000
	राजस्थान	
248	बांसवाड़ा	1993–94
249	जालौर	1993–94
250	सीकर	1993–94
251	अलवर	1998–99
252	सवाईमाधोपुर	1998–99
253	टोंक	1998–99
254	झालावाड़	1998–99
255	जोधपुर	2002–03
256	दौसा	2006–07
257	बारन	2006–07
258	हनुमानगढ़	2006–07
259	अजमेर	2006–07
260	जैसलमेर	2006–07
261	बूंदी	2006–07
262	झुन्झुन	2006–07
263	भीलवाड़ा	2006–07
264	बीकानेर	2008–09
265	बाड़मेर	2008–09
266	डूंगरपुर	2008–09
267	भरतपुर	2008–09
268	कोटा	2008–09

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
269	सिरोही	2011–12
270	प्रतापगढ़	2011–12
271	चुरू	2011–12
272	पाली	2011–12
273	राजसमंद	2011–12
274	चित्तौड़गढ़	2011–12
275	उदयपुर	2011–12
276	धौलपुर	2011–12
277	नागौर	2011–12
278	श्रीगंगानगर	2011–12
279	जयपुर	2011–12
280	सीकर (चरण–II)	2015–16
281	बांसवाड़ा –(चरण–II)	2015–16
282	जालौर (चरण–II)	2015–16
	सिक्किम	
283	पूर्वी सिक्किम	1992–93
284	दक्षिणी सिक्किम	1992–93
	तमिलनाडु	
285	कामराज नगर	1988–89
286	दक्षिणी आरकोट	1990–91
287	कोयम्बटूर	1993–94
288	धर्मपुरी	1994–95
289	तिरूअन्नामलाई	1995–96
290	कांचीपुरम	1998–99
291	रामनाथपुरम	1998–99
292	तिरूवरूर	2000–01
293	तिरूचिरापल्ली	2001–02
294	पेरम्बलूर	2001–02
295	तंजावुर	2001–02
296	थेनी	2004–05
297	टूथूकुडी	2004–05
298	पुड्डुकोटाई	2006–07
299	सेलम	2006–07
300	इरोड	2006–07
301	मदुरई	2006–07
302	शिवगंगा	2009–10
303	दिंडीगुल	2009–10
304	तिरूनेलवेली	2009–10
305	वेल्लौर	2010–11
306	करूर	2010–11
307	नागापट्टिनम	2010–11
308	नीलगिरी	2012–13
309	नामाक्कल	2014–15
310	तिरूवल्लूर	2014–15
311	कन्याकुमारी	2014–15

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
312	चेन्नई	2016–17
	त्रिपुरा	
313	पश्चिमी त्रिपुरा	1988–89
314	दक्षिणी त्रिपुरा	2008–09
315	उत्तरी त्रिपुरा	2015–16
316	उनाकोटि	2015–16
317	धलाई	2015–16
	उत्तर प्रदेश	
318	जौनपुर	1991–92
319	वाराणसी	1991–92
320	मथुरा	1997–98
321	रायबरेली	1997–98
322	गोरखपुर	1997–98
323	रामपुर	1999–00
324	मुजफ्फरनगर	1999–00
325	बगपत	1999–00
326	बुलंद शहर	1999–00
327	मिर्जापुर	2003–04
328	देवरिया	2003–04
329	बिजनौर	2004–05
330	लखीमपुर खीरी	2004–05
331	बाराबंकी	2004–05
332	बदायुं	2005–06
333	सोनभद्र	2005–06
334	फिरोजाबाद	2005–06
335	फर्रूखाबाद	2005–06
336	कन्नौज	2005–06
337	चित्रकूट	2006–07
338	अलीगढ़	2008–09
339	प्रतापगढ़	2008–09
340	गाजीपुर	2008–09
341	फैजाबाद	2010–11
342	मैनपुरी	2010–11
343	मऊ	2010–11
344	बांदा	2013–14
345	मुरादाबाद	2013–14
346	सहारनपुर	2013–14
347	एटा	2013–14
348	बरेली	2013–14
349	बलिया	2013–14
350	कासगंज	2013–14
351	इटावा	2013–14
352	अंबेडकरनगर	2015–16
353	कौशाम्बी	2015–16
354	इलाहाबाद	2015–16
355	जालौन	2015–16
356	हमीरपुर	2015–16
357	महोबा	2015–16
358	मेरठ	2016–17
359	शाहजहांपुर	2016–17
360	पीलीभीत	2016–17
361	हाथरस	2016–17
362	झांसी	2016–17
363	अमरोहा	2016–17
364	सोनभद्र (चरण–II)	2018–19
365	हरिद्वार	1999–00
366	चमोली	2001–02
367	पिथौरागढ़	2002–03
368	देहरादून	2003–04
369	आगरा	2020–21
370	हापुड़	2020–21
371	सीतापुर	2020–21
372	उन्नाव	2020–21
	उत्तराखंड	
373	अल्मोड़ा	2003–04
374	टिहरी	2003–04
375	पौढ़ी गढ़वाल	2006–07
376	नैनीताल	2006–07
377	ऊधमसिंह नगर	2009–10
378	रूद्रप्रयाग	2012–13
379	बागेश्वर	2012–13
380	चंपावत	2012–13
381	उत्तरकाशी	2012–13
	पश्चिम बंगाल	
382	नदिया	1984–85
383	हुगली	1992–93
384	बीरभूम	1999–00
385	कूच बिहार	1999–00
386	हुगली	2000–01
387	पुरूलिया	2002–03
388	उत्तरी 24 परगना	2002–03
389	मालदा	2002–03
390	दक्षिणी 24 परगना	2003–04
391	उत्तरी दिनाजपुर	2009–10
392	पश्चिमी मेदिनीपुर	2009–10
393	बर्दवान	2009–10
394	बांकुरा	2011–12
395	हावड़ा	2011–12

तालिका –2

एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत सहायता का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 2020–21 के दौरान संवितरण			दिनांक 31.03.2021 तक संचयी स्थिति			
		ऋण	सब्सिडी	योग	स्वीकृत इकाइयाँ	ऋण	सब्सिडी	योग
1	आंध्र प्रदेश		22.02	22.02	16	254.50	47.48	301.98
2	अंडमान एवं निकोबार				1	7.13	0.00	7.13
3	अरूणाचल प्रदेश				2	45.21	17.10	62.31
4	असम				3	7.42	1.77	9.19
5	बिहार	11.28	3.19	14.47	22	341.61	64.69	406.30
6	छत्तीसगढ़				7	22.08	2.85	24.93
7	गुजरात				2	8.29	0.53	8.82
8	हिमाचल प्रदेश	29.33		29.33	21	234.95	60.88	295.83
9	हरियाणा	5.88	0.49	6.37	24	226.41	19.00	245.41
10	जम्मू एवं कश्मीर				4	7.88	2.38	10.26
11	झारखंड		0.70	0.70	21	113.55	24.11	137.66
12	कर्नाटक				6	23.28	2.86	26.14
13	केरल	20.93	1.38	22.31	18	231.76	14.59	246.35
14	मध्य प्रदेश	1.21	5.94	7.15	42	472.74	107.16	579.90
15	मणिपुर				6	11.34	3.52	14.86
16	मेघालय				7	19.52	6.53	26.05
17	मिजोरम	0.88	0.38	1.26	8	40.46	15.11	55.57
18	नागालैण्ड	4.28	1.76	6.04	13	84.22	29.38	113.60
19	ओडिशा				3	25.56	5.95	31.51
20	पंजाब				4	14.74	2.44	17.18
21	राजस्थान		1.36	1.36	35	481.31	104.48	585.79
22	सिक्किम				2	0.97	0.44	1.41
23	तमिलनाडु	16.77	3.99	20.76	28	644.62	48.70	693.32
24	तेलंगाना		0.38	0.38	10	72.89	13.73	86.62
25	त्रिपुरा	1.20	2.01	3.21	5	18.33	6.84	25.17
26	उत्तर प्रदेश	15.26	7.30	22.56	47	294.98	47.11	342.09
27	उत्तराखंड		1.08	1.08	13	68.81	20.01	88.82
28	पश्चिम बंगाल				14	46.10	6.39	52.49
	योग	**101.14**	**51.20**	**152.34**	**383**	**3820.66**	**676.02**	**4496.68**

नोट : (i) डी.पी.आर. तैयार करने हेतु 0.10 करोड़ रूपये की स्वीकृति की गई
(पुडुचेरी में 0.04 करोड़ रूपये एवं उत्तर प्रदेश में 0.02 करोड़ रुपये तथा राजस्थान में 0.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए)।

(ii) लिनाक, गुरुग्राम में सहकारिता कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु लिनाक को 0.27 करोड़ रुपये स्वीकृत एवं संवितरित किए गए।

अध्याय–12

एफपीओ के गठन एवं संवर्धन में रा.स.वि.नि की भूमिका

12.1 रा.स.वि.नि., जुलाई 2020 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्रक योजना, "10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन" के अंतर्गत एक कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है, जहां 2 हेक्टेयर से कम की लघु एवं सीमांत जोत किसानों की आबादी 80% से अधिक है और दुखद रूप से भूमि के एक छोटे हिस्से का स्वामित्व है। यह खंड ग्रामीण परिवारों के पांचवें हिस्से से अधिक को चिन्हित करता है, जिसमें कृषि में स्वरोजगार उनके प्रमुख व्यवसाय के रूप में है। योजना के तहत, रा.स.वि.नि. एफपीओ के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है जो केवल सहकारी समितियों के रूप में इन्हें गठन का समर्थन करती है और बढ़ावा देती है। योजना के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं : –

- जीवंत एवं सतत आय केंद्रित खेती की सुविधा तथा समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 10,000 एफपीओ को एक समग्र और व्यापक आधारित सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
- कुशल लागत प्रभावी और प्रभावी संसाधन उपयोग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए और उनकी उपज के लिए बेहतर तरलता और बाजार संबंधों के माध्यम से उच्च लाभ प्राप्त करना।
- एफपीओ के प्रबंधन, निवेश, उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, मार्केट लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज और प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि के सभी पहलुओं में गठन से 5 वर्षों तक नए एफपीओ को सहायता तथा समर्थन प्रदान करना।

एफपीओ के संवर्धन में रा.स.वि.नि. की भूमिका

12.2 रा.स.वि.नि. योजना के तहत सहकारी समितियों के लिए एक विकासात्मक वित्तपोषण संस्थान के रूप में एक कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाता है। रा.स.वि.नि., एफपीओ का गठन और संवर्धन करेगा, जो कि राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के तहत पंजीकृत होगा, जिसमें पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त या आत्मनिर्भर सहकारी समितियां अधिनियम या किसी भी नाम से जाना जाता है, या बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति अधिनियम (एमएससीएस अधिनियम) सम्मिलित हैं। रा.स.वि.नि. अपने क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से एफपीओ का संवर्धन करेगा, जो आवंटित ब्लॉक स्तर पर कार्य करेंगे और एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए जिम्मेदार होगा। इस योजना की पुस्तिका रा.स.वि.नि. वेबसाइट पर उपलब्ध है और योजना का विवरण संक्षेप में अनुबंध–V पर दिया गया है।

वर्ष 2020–21 हेतु लक्ष्य

12.3 वर्ष 2020–21 के लिए रा.स.वि.नि. को 500 एफपीओ के गठन और संवर्धन का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अलावा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के आईएनएम प्रभाग से रा.स.वि.नि. को 29 ऑर्गेनिक एफपीओ भी आवंटित किए गए हैं। रा.स.वि.नि. ने 83 स्वीकृतियों के द्वारा और 58 आईसीएआर–अटारी– केवीके/संस्थानों को सीबीबीओ के रूप में नियुक्त किया है।

अध्याय 13
सहकारिताओं का कंप्यूटरीकरण

13.1 रा.स.वि.नि. सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारिताओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपने कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के तहत, रा.स.वि.नि. समितियों में आईटी सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सहकारी समितियों को आधुनिक आईटी और संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर, उद्यम स्तर नेटवर्क, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना, नेटवर्क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आईटी लेखापरीक्षा, भंडारण समाधान, सीबीएस, एटीएम, पीओएस मशीन, कियोस्क के साथ ई–लॉबी, कर्मियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

13.2 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने इस कार्यक्रम के लिए 30.87 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता संवितरित की। निगम ने संचयी रूप से, 410 समितियों एवं सहकारी बैंकों को 1558.36 करोड़ रूपये स्वीकृत किए एवं 576.21 करोड़ रूपये विमुक्त किए। 371 समितियों/बैंकों की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं जिसका विवरण तालिका में दिया गया है।

सहकारी संस्था साइबर–सुरक्षा सलाहकार मंच (सीसैफ)

13.3 मई 2019 में, रा.स.वि.नि. ने सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए रा.स.वि.नि. अधिनियम के अंतर्गत दिये गये अधिदेश के आलोक में **सहकारी संस्था साइबर–सुरक्षा सलाहकार मंच (सीसैफ)** की शुरुआत और गठन किया। मंच का उद्देश्य सहकारी बैंकों और अन्य सहकारी संस्थानों को साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों और घटनाओं से अवगत कराना और साइबर से संबंधित किसी भी धोखाधड़ी या अपराधों से बचाना है।

13.3.1 मंच का काम दो समितियों द्वारा संचालित किया जाएगा, अर्थात (i) संचालन समिति और (ii) प्रवर्तन समिति। संचालन समिति में बैंकों के आईटी पेशेवर और प्रबंध निदेशक होते हैं, जो बैंकों के सामने आने वाली समस्याओं के परिचालन पहलुओं पर ध्यान देंगे और प्रवर्तन समिति भारत सरकार और अन्य के साथ उठाए जाने वाले मुद्दों पर ध्यान देगी। दोनों समितियां की सह–अध्यक्षता डॉ गुलशन राय एवं रा.स.वि.नि. के प्रबंध निदेशक, नैफस्कब के प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष नैफकब द्वारा की जाएगी।

13.3.2 सहकारी समितियों के बीच (i) एक मॉडल साइबर सुरक्षा नीति तैयार करना, जिस पर वे विचार कर सकें और अपना सकें, (ii) बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा बीमा प्रावधानों पर एक मॉडल दस्तावेज का मसौदा तैयार करना, जिससे वे बीमा कंपनियों के साथ बातचीत कर सकें। (iii) बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण और (iv) वेब अनुप्रयोगों पर सेवा प्रदाताओं के साथ कार्य करने के लिए एक मॉडल कानूनी दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए चार कार्य समूहों ने मसौदा तैयार किया गया है।

''सहकारिताओं के लिए साइबर जोखिम एवं शमन'' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार

13.3.3 रा.स.वि.नि. और एनईडीएसी ने संयुक्त रुप से 11 मई, 2020 को ''सहकारिता के लिए साइबर जोखिम एवं शमन'' पर एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें विशेषज्ञ संसाधक के रुप में डॉ. गुलशन राय, वरिष्ठ सलाहकार, रा.स.वि.नि. और पूर्व साइबर सुरक्षा प्रमुख, पीएमओ शामिल थे। वेबिनार ने 20 देशों, 4 अंतरराष्ट्रीय संगठनों और प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की भागीदारी को आकर्षित किया। वेबिनार में साइबर सुरक्षा ढांचा विकसित करने, इसके समयबद्ध कार्यान्वयन और चूक के मामले में जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। वेबिनार ने उन प्रतिमान परिवर्तनों पर प्रकाश डाला, जो कोविड–19 महामारी ने प्रस्तुत किए तथा आईसीटी की सर्वोपरि भूमिका ने खतरों/जोखिमों पर ध्यान आकृष्ट किया।

आधुनिक बैंकिंग इकाइयों के रूप में पैक्स

भारत में 97% गाँव प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) द्वारा कवर किये जाते हैं। सहकारी संरचना में आधार स्तर पर किसानों के साथ पैक्स उनके सदस्य के रूप में शामिल हैं। रा.स.वि.नि. मानक सुविधाओं में पैक्स की आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक कैश काउंटर, माइक्रो–एटीएम, उपयुक्त सॉफ्टवेयर, सुरक्षित वॉल्ट, पावर बैकअप, डिस्प्ले बोर्ड, क्षमता निर्माण आदि हेतु सहायता प्रदान करता है। निम्न प्रकार से पैक्स को सहायता मिलेगी :–

- बैंक सुविधा रहित ग्राम पंचायतों साथ **दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ** प्रदान करना
- राज्य के कृषि क्षेत्र में **ऋण प्रवाह** में वशद्धि हुई है क्योंकि बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुंच है और ऋणों की आसान और समयबद्ध स्वीकृति के लिए सदस्य स्वेच्छा से पैक्स से संपर्क कर सकते हैं।
- औपचारिक बैंकिंग सुविधा प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में **बचत और ऋण वितरण में सुधार**।
- डीसीसीबी या एससीबी से जुड़े होने के कारण सभी पैक्स सदस्यों का **एनईएफटी, आरटीजीएस और अन्य ऑनलाइन भुगतान सुविधाएं** उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सदस्यों / किसानों को आकर्षित कर पैक्स की **शेयर पूंजी में बढ़ोत्तरी**।
- उचित समय पर कृषि संचालन कार्यों को सुगम बनाना, जिससे फसल की उत्पादकता एवं उपज में वृद्धि हो सके

रा.स.वि.नि. ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2631 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की सहायता के लिए 28.88 लाख सदस्यों के साथ वर्ष 2018–19 में बैंकिंग बिंदुओं के रूप में पैक्स के कम्प्यूटरीकरण तथा संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 315.72 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 19.08 करोड़ रुपये पैक्स को संवितरित किये गये तथा 2343 पैक्स हेतु संचयी रुप में 225.36 करोड़ रुपये संवितरित किये।

रा.स.वि.नि. ने फरवरी 2019 में उत्तराखंड सरकार को 664 एमपैक्स (650 एमपैक्स. राज्य सहकारी बैंक़ 13 डीसीबी) को आधुनिक बैंकिंग इकाइयों के रूप में विकसित करने तथा राज्य सहकारी बैंक को कम्प्यूटरीकरण, आरटीजीएस को सक्षम करने के लिए सिस्टम, एनईएफटी तथा मोबाइल बैंकिंग हेतु 765.35 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को स्वीकृत की है।

तालिका
दिनांक 31.03.2021 तक कंप्यूटरीकरण हेतु स्वीकृत/विमुक्त सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	राशि वर्ष 2020–21 में विमुक्त	दिनांक 31.3.2021 को संचयी स्थिति स्वीकृतियों की संख्या	पूर्ण स्वीकृतियों की संख्या	विमुक्त राशि
केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम					
1	आंध्र प्रदेश		2	2	0.97
2	अरूणाचल प्रदेश		1	1	5.39
3	असम	5.59	2	1	30.79
4	बिहार		1	1	0.22
5	गुजरात		1	1	12.46
6	गोवा		8	7	1.58
7	हिमाचल प्रदेश	1.20	19	17	64.80
8	मध्य प्रदेश		15	12	14.25
9	मेघालय		1	1	0.59
10	नागालैंड		1	1	14.18
11	ओडिशा		1	1	0.01
12	राजस्थान		7	5	55.14
13	पश्चिम बंगाल	19.08	47	40	225.26
14	उत्तर प्रदेश	4.86	54	40	111.16
15	उत्तराख.ड	0.14	18	15	22.64
16	मिजोरम		1	1	0.39
17	तेलंगाना		1	1	0.19
18	झारखंड		2	0	0.00
	उप योग :	**30.87**	**182**	**147**	**560.02**
निगम प्रायोजित स्कीम					
1	आंध्र प्रदेश		5	5	0.59
2	असम		1	1	0.18
3	गुजरात		2	2	0.17
4	हरियाणा		2	2	0.30
5	हिमाचल प्रदेश		2	2	0.13
6	कर्नाटक		2	2	0.13
7	केरल		184	183	9.74
8	मध्य प्रदेश		3	3	0.21
9	महाराष्ट्र		8	6	2.63
10	ओडिशा		2	2	0.15
11	पंजाब		3	3	0.20
12	राजस्थान		1	1	0.11
13	तमिलनाडु		3	3	0.60
14	उत्तर प्रदेश		2	2	0.30
15	पश्चिम बंगाल		1	1	0.05
16	एफकॉस्पिन		1	1	0.03
17	फिशकोफेड		2	2	0.06
18	नेफैड		1	1	0.42
19	एनएचईसी		1	1	0.16
20	एनआईसी		1	1	0.03
21	छत्तीसगढ़		1	0	0.00
	उप योग :		**228**	**224**	**16.19**
	कुल योग :	**30.87**	**410**	**371**	**576.21**

अध्याय – 14

अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारिताएं

14.1 रा.स.वि.नि. अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों की सहकारिताओं को आवश्यक सब्सिडी अवयव सहित उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार ने अल्पतम विकसित/अल्प विकसित राज्यों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है:–

सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम विकसित राज्य :

अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर एवं लदाख (संघ राज्य क्षेत्र)।

सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र :

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र) और लक्षद्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)।

14.2 रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2020–21 के दौरान सहकारी रूप से अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों को 22406.43 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा 16363.09 करोड़ रूपये की सहायता विमुक्त की, जिसका विवरण जो निम्न प्रकार से है :–

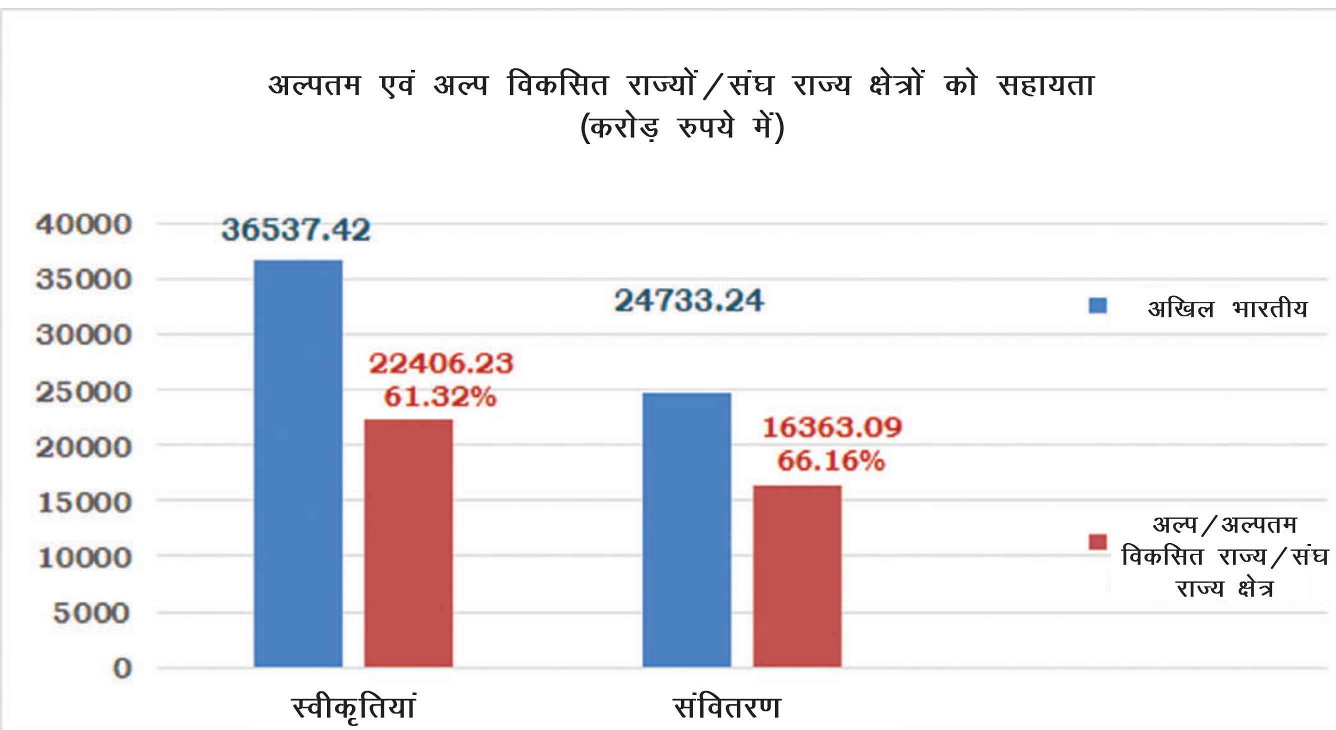

14.3 दिनांक 31.03.2021 तक, रा.स.वि.नि. की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों हेतु 121402.04 करोड़ रुपये संवितरित किए गए, जो अब तक जारी कुल सहायता 177327.48 करोड़ रुपये का लगभग 68.46% है।

तालिका–1

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार स्वीकृतियों तथा विमुक्तियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वष 2020–21 में स्वीकृति			वर्ष 2020–21 में संवितरण		
	ऋण	सब्सिडी	कुल	ऋण	सब्सिडी	कुल
सहकारी रूप से अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44
असम	0.00	1.75	1.75	4.04	1.55	5.59
बिहार	2000.00	11.00	2011.00	1611.28	22.32	1633.60
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	116.10	40.67	156.77	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	44.35	13.46	57.80
मिजोरम	5.05	1.94	7.00	1.55	0.61	2.16
नागालैण्ड	0.00	2.00	2.00	4.28	1.79	6.07
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	1.20	2.01	3.20
झारखंड	0.22	4.07	4.29	0.22	0.70	0.92
योग	2121.38	62.94	2184.32	1666.92	43.87	1710.79
सहकारी रूप से अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	575.00	7.00	582.00	575.05	28.93	603.98
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.15	0.04	0.19
हिमाचल प्रदेश	21.11	8.80	29.91	30.45	6.45	36.90
मध्य प्रदेश	951.00	3.60	954.60	202.06	6.30	208.36
ओडिशा	1.14	2.04	3.18	0.64	0.16	0.80
राजस्थान	300.00	6.04	306.04	132.08	25.72	157.80
उत्तर प्रदेश	561.68	19.69	581.37	819.16	8.80	827.95
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	22.30	36.83	59.13
छत्तीसगढ़	12000.00	4.50	12004.50	12000.06	0.01	12000.07
उत्तराख.ड	0.00	5.50	5.50	0.10	17.12	17.22
तेलंगाना	5751.71	3.32	5755.02	685.11	54.77	739.88
योग	**20161.63**	**60.48**	**20222.11**	**14467.16**	**185.13**	**14652.30**
सहकारी रूप से विकसित राज्य + अन्य						
दिल्ली	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	2.32
आईएफएफडीसी	0.00	0.00	0.00	1.23	0.31	1.54
गुजरात	50.15	13.09	63.23	46.25	6.00	52.25
हरियाणा	12515.86	11.39	12527.25	6645.02	0.09	6645.11
कर्नाटक	113.47	4.26	117.73	170.11	0.58	170.69
केरल	194.33	12.13	206.45	295.53	8.01	303.54
महाराष्ट्र	993.72	5.75	999.47	1089.80	55.79	1145.59
पंजाब	200.00	3.25	203.25	22.77	0.00	22.77
तमिलनाडु	0.00	6.50	6.50	16.77	4.81	21.58
पुडुचेरी	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
अन्य	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75
योग	**14067.52**	**63.48**	**14131.00**	**8287.48**	**82.66**	**8370.15**
कुल योग	**36350.53**	**186.90**	**36537.42**	**24421.57**	**311.67**	**24733.24**
अल्प विकसित सह अल्पतम विकसित	**22283.01**	**123.42**	**22406.43**	**16134.09**	**229.00**	**16363.09**
प्रतिशत			**61.32**			**66.16**

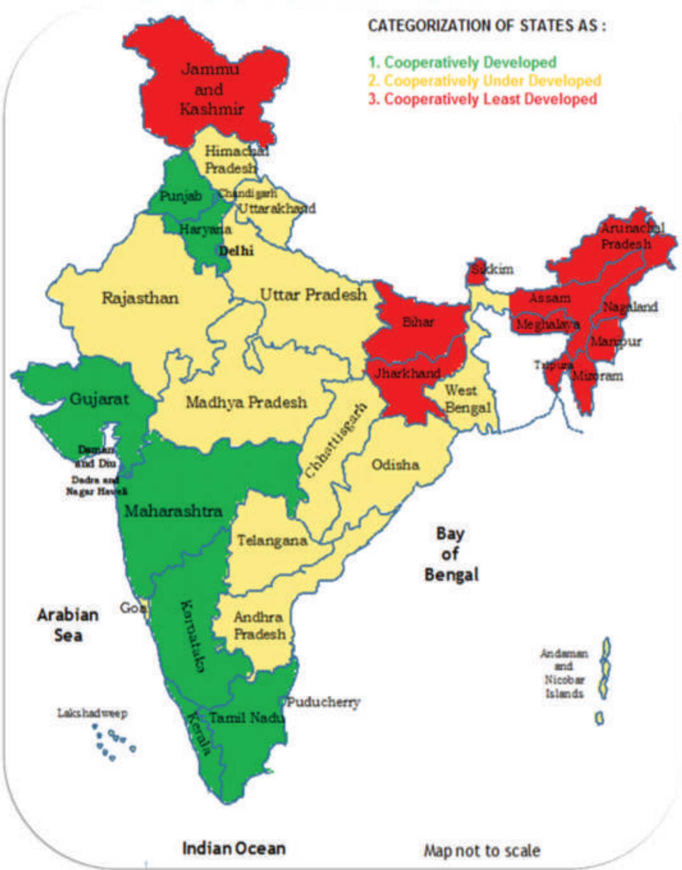

सहकारिता की दृष्टि से विकसित	सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित	सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम विकसित
गुजरात	आंध्र प्रदेश	सभी उत्तर पूर्वी राज्य (7)
महाराष्ट्र	उत्तराखंड	सिक्किम
हरियाणा	पश्चिम बंगाल	बिहार
पंजाब	हिमाचल प्रदेश	झारखंड
कर्नाटक	गोवा	जम्मू व कश्मीर
तमिलनाडु	छत्तीसगढ	लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश
केरल	मध्य प्रदेश	
दिल्ली	उड़ीसा	
चंडीगढ़	अंडमान व निकोबार द्वीप समुह	
दादरा एवं नगर हवेली	उत्तर प्रदेश	
पुदुचेरी	राजस्थान	
दमन और दीव	लक्षद्वीप	
	तेलंगाना	

अध्याय – 15
सहकारिताओं में महिलाएं

15.1 रा.स.वि.नि., सरकार की नीति के अनुसरण में अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए महिला सहकारिताओं को प्रोत्साहित करता है। निगम द्वारा सहायता प्रदान करने में कोई लिंग भेदभाव नहीं किया जाता है। मात्र महिलाओं द्वारा गठित सहकारिताएं अथवा महिला सदस्यों वाली सहकारिताएं भी निगम की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। रा.स.वि.नि. ने खाद्यान्न, प्रसंस्करण, बागानी फसलें, तेलहन, प्रसंस्करण, मात्स्यिकी, डेयरी एवं पशुधन, भंडारण, कताई मिलें, हथकरघा एवं विद्युत करघा बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ, युवा सहकार एवं सेवाओं से संबंधित कार्यकलापों को सहायता प्रदान की है।

15.2 महिला सहकारिताएं अब केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कशषिक सहकारिता स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी तथा रियायती वित्तपोषण प्राप्त करने के उद्देश्य से कमजोर वर्ग के कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल हैं।

सहकारिताओं में महिलाओं को प्रात्साहित करने हेतु रा.स.वि.नि. की पहल

15.3 हाल के वर्षों में, रा.स.वि.नि. ने तीन योजनाएँ शुरु की है जो सहकारिताओं में महिलाओं के लिए अनुकूल है। योजनाओं का विवरण अनुबंध – V में उपलब्ध है एवं संक्षेप में विवरण निम्नलिखित प्रस्तुत है :

– **युवा सहकार : सहकारिता उद्यम सहायता एवं नवीन योजना** : इस योजना का उद्देश्य सभी प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलिति करते हुए सहकारी क्षेत्र में स्टार्ट–अप को सक्षम बनाना है। नई, नवाचार एवं मूल्य श्रृंखला में बढ़ोतरी लाने वाली परियोजनाओं से लैस किसी भी प्रकार की सहकारी समिति उस योजना के नियमों एवं शर्तों की पूर्ति के अधीन सहायता के लिए पात्र है। 100% महिला सदस्यों वाली सहकारी समितियों के लिए वित्त पोषण पद्धति अधिक अनुकूल है एवं परियोजनाएँ 80%–20% के ऋण इक्विटी अनुपात के साथ वित्त पोषण के लिए पात्र है।

– **आयुष्मान सहकार** : इस योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों की सहायता करना है। (क) अस्पतालों/स्वास्थ्य देखभाल/ शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से किफायती एवं समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनाय (ख) आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देनाय (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूर्ति करने हेतु : (घ) शिक्षा, सेवाएँ, बीमा एवं उससे संबंधित गतिविधियों सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। यह सहायता बुनियादी ढाँचे के निर्माण, मार्जिन मनी एवं कार्यशील पूँजी हेतु प्रदान की जाती है। प्रोत्साहन के रूप में, रा.स.वि.नि. ऋण की पूरी अवधि हेतु बहुसंख्यक महिला सदस्यों वाली एक उधारकर्ता सहकारिताओं द्वारा सावधि ऋण के समय पर पुनर्भुगतान हेतु ऋण की पूरी अवधि के लिए लागू ब्याज दर से 1% कम प्रदान करता है।

– **नंदिनी सहकार** : इस योजना का प्रारम्भ फरवरी, 2021 में हुआ जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है। यह महिला सहकारिताओं के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता का समर्थन करता है। यह महिला उद्यमों, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण तथा सब्सिडी और/ या अन्य योजनाओं के ब्याज सबवेंशन के महत्वपूर्ण इनपुट को रुपान्तरित करता है। देश भर में किसी भी राज्य/ बहुराज्य सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी महिला सहकारी समिति की पात्र है। प्राथमिक स्तर पर कोई भी सहकारी मिति जिसमें 50% महिलाएँ सदस्य हैं, वे भी इसके पात्र हैं। नई और/या नवीन गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में महिला सहकारी समितियाँ

जो कम से कम तीन महीने से परिचालित हैं, रा.स.वि.नि. के लागू दिशा निर्देशों के अनुसार भी पात्र हैं। गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर समय पर पुनर्भुगतान हेतु ब्याज सबवेंशन प्रोत्साहन लागू होगाः (क) नई एवं नवीन गतिविधियाँ – 2% एवं (ख) नई एवं नवीन गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियाँ –1%

15.4 वर्ष 2020–21 के दौरान रा.स.वि.नि. ने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि युवा सहकार (जूट), सेवा सहकारिता, खाद्यान्न एवं डेयरी व पशुधन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रमों हेतु 8 इकाइयों को 833.18 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकश्त की जो महिला सहकारिताओं को स्वीकृत उक्त 8 परियोजनाओं/इकाइयों में 1.48 करोड़ महिलाओं को सदस्य के रुप में नामांकित किया गया है जिससे 2.65 लाख महिला सदस्यों के निरंतर रोजगार में सहयोग की उम्मीद है। वर्ष 2020–21 में 10567 सहकारिताओं के लिए स्वीकृत 487 परियोजनाओं/इकाइयों में अनुमानतः 1.74 करोड़ महिला सदस्य नामांकित हैं और इनमें से 1249 महिला सदस्य, निदेशक मंडलों में सम्मिलित हैं।

15.4.1 रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.3.2021 तक केवल महिलाओं द्वारा सवंर्धित सहकारिताओं के विकास हेतु संचयी रूप में क्रमशः 3655.31 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत तथा 2958.29 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की।

लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक), गुरुग्राम

15.5 महिला प्रतिभागियों को बढ़ावा देने और उन्हें नेतृत्व करने और सहकारिताओं को सशक्त बनाने के लिए अकादमी महिला निदेशकों/सहकारिताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 520 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। उपर्युक्त में से 1 कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया।

पिछले 5 वर्षों के दौरान, लिनाक द्वारा आयोजित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला प्रतिभागियों का विवरण

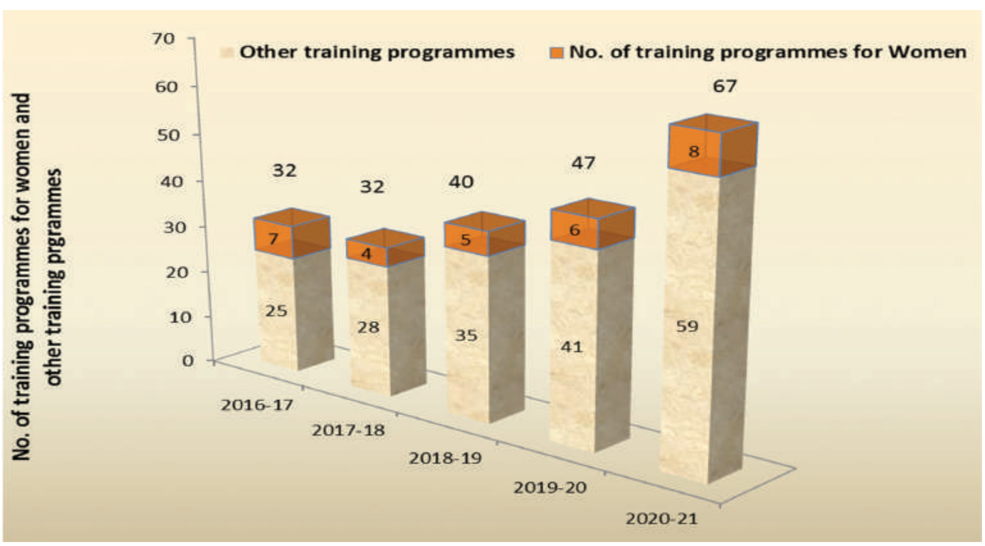

महिला सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने पर क्षेत्रीय कार्यशाला

15.6 रा.स.वि.नि. ने नागपुर में 1–2 फरवरी, 2020 को सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, भागीदारी और नेतृत्व पर आयोजित एक सम्मेलन और कार्यशाला में भाग लिया, जो सहकार भारती द्वारा आयोजित किया गया था।

अध्याय–16

सहकार 22 के अंतर्गत रा.स.वि.नि. के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

16.1 रा.स.वि.नि. के सक्रिय कार्यकलापों के रुप में से एक मिशन **सहकार–22** है, जो कि वर्ष 2022 तक सहकारिताओं के माध्यम से कृषकों की आय को दोगुना करने के माध्यम से न्यू इंडिया मिशन की प्राप्ति हेतु दिनांक 28.02.2018 को माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि एवं गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में वित्त पोषण हेतु व्यवहार्य क्षेत्रों की पहचान करके जिलों का संपूर्ण विकास करना है। इस कार्यक्रम से संबंधित सहायता आवश्यकतानुसार प्रदान की जाएगी। परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण केंद्र तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं को समावेशी करके उदार बनाया जाएगा। सहकार – 22 में निम्न प्रकार से सम्मिलित हैं:–

क. **फोकस 222** :– 222 जिलों (नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 महत्वाकांक्षी जिलों समेत) में सहकारिताओं हेतु रा.स.वि.नि. सहायता का समावेशन।

ख. **पैक्स हब** :– पैक्स तथा अन्य सहकारिताओं का **''अपना किसान संसाधन केंद्र''** के रुप में रुपांतरण

ग. **ए.ई.एन.ई.सी** :– एक्ट ईस्ट तथा पूर्वोत्तर सहकारिताएँ।

घ. **सी.ई.एम.टी.सी.** :– सहकारिताओं के माध्यम से बाजार उत्कृष्टता केंद्र।

ड़ **सहकार प्रज्ञा** :– सहकाऱ – 22 हेतु क्षमता विकास आधार के रुप में लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी।

16.2 रा.स.वि.नि. द्वारा मुख्य रणनीति के रुप में सहकार–22 समेत निम्नलिखित सात सूत्रीय कार्ययोजना को अंगीकृत करने का लक्ष्य है :–

i. **सभी महत्वाकांक्षी जिलों** को सहायता प्रदान करना।

ii. एक वर्ष में 5000 प्राथमिक समितियों में एक मिलियन सदस्यों (10,00,000) तक पहुँच बनाते हुए **अगले पांच वर्षों में पांच मिलियन सहकारी सदस्यों को बनाने का लक्ष्य।**

iii. नवीन एवं उद्यमिता हेतु महत्वपूर्ण स्कीम के रुप में **युवा सहकार**।

iv. सहकारिताओं के माध्यम से कृषक कल्याण उपाय के रुप में **आयुष्मान सहकार** (योजनाबद्ध)

v. सहकारी क्षेत्र निर्यात संवर्धन फोरम, नैडेक लिंक्ड तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले जैसे तंत्रों के माध्यम से **निर्यात सहकार** (योजनाबद्ध)

vi. **सहकारी व्यवसाय करने की सुविधा को** सरल बनाना।

vii. सहकारी व्यवसायों में **सुरक्षा, प्रतिभूति, खोजनीय तथा गुणवत्ता (एसएसटीयू)** को सवंर्धित करना।

सहकार–22 के अंतर्गत उपलब्धियां

फोकस 222 – 222 जिलों में सहकारिताओं हेतु रा.स.वि.नि. सहायता का समावेशन

16.3 रा.स.वि.नि., सहकार 22 कार्यक्रम के अंतर्गत, नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 महत्वाकांक्षी जिलों तथा 104 अन्य जिलों समेत देश के 222 जिलों में हस्तक्षेप करते हुए विशेष बल देगा। रा.स.वि.नि., वित्तीय सहायता की आवश्यकताओं तथा केंद्र एवं राज्य सरकार स्कीमों के समावेशन सुविधा को चिन्हित करने में प्रयासरत है। वर्ष 2020–21 के दौरान, 21 आकांक्षी जिलों तथा आकांक्षी जिलों के अतिरिक्त 104 अन्य जिलें सम्मिलित हैं। दिनांक 31.03.2021 तक कुल 203 जिले फोकस–222 के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिनमें से 98 महत्वकांक्षी तथा 105 अन्य जिले हैं। महत्वाकांक्षी जिलों एवं अन्य विशेष बल दिये जाने वाले जिलों को कवर किये जाने वाले विवरण **तालिका – 1** पर है।

पैक्स हब – अपना किसान संसाधन केंद्र के रुप में पैक्स तथा अन्य सहकारिताओं का रुपांतरण

16.4 वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने पैक्स को सदस्यों और किसानों की बेहतरी के लिए उत्पादों एवं सेवाओं का उपयोग करने तथा उनकी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अपना किसान

संसाधन केंद्र विभिन्न कृषि उत्पादों और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसान/ग्रामीण आबादी के लिए वन–स्टॉप सुविधा केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। रा.स.वि.नि.ने वर्ष 2019–20 के दौरान प्राथमिक स्तर के सहकारिताओं के पोषण हेतु कार्यक्रम को कार्यान्वित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत, एक वर्ष में 5000 प्राथमिक स्तर के समितियों में 1 मिलियन सदस्यों तक पहुंचने का लक्ष्य है और अगले 5 वर्षों में 5 मिलियन सहकारी सदस्यों को लक्षित करना है। वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने 5042 पैक्स के अपने लक्ष्य से अधिक 5054 पैक्स तक अपनी पहुँच स्थापित की है। क्षेत्रीय निदेशालय वार/राज्यवार उपलब्धि **तालिका –2** में संलग्न है। दिनांक 30.03.2021 तक, संचयी रुप में रा.स.वि.नि. ने 9992 पैक्स तक अपनी पहुँच स्थापित बनाई है।

एईएनईसी – अधिनियम पूर्व और पूर्वोत्तर सहकारिताएं

16.5 किसानों की आय दोगुनी करने के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में किसानों को लाभान्वित करने के लिए एईएनईसी के अंतर्गत, रा.स.वि.नि. ने 10 पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों: –अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में सहकारिताओं की सहायता की है। एईएनईसी के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुछ प्रमुख परियोजनाएँ हैं:– (i) बिहार राज्य हेतु एमएसपी पर धान की खरीद में सहायता (ii) मणिपुर में एकीकृत मात्स्यिकी विकासात्मक परियोजना

16.5.1 इन क्षेत्रों में संभावित क्षेत्रों के संवर्धन और विकास के लिए कार्यशालाएं और क्षमता निर्माण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इस संबंध में, मेघालय राज्य सरकार के लिए मेघालय दुग्ध मिशन के अंतर्गत "डेयरी सहकारिताओं के संचालन एवं प्रबंधन" क्षमता विकास कार्यक्रम पर दो (2) ऑनलाइन एक्जीक्यूटिव विकासात्मक कार्यक्रम वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से क्रमशः दिनांक 18–22 जनवरी, 2021 एवं दिनांक 8–12 फरवरी, 2021 के दौरान लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) द्वारा आयोजित किए गए थे।

सी.ई.एम.टी.सी. – सहकारिताओं के माध्यम से बाजार के लिए उत्कृष्टता केंद्र

16.6 सी.ई.एम.टी.सी. (सहकारिताओं के माध्यम से बाजार के लिए उत्कृष्टता केंद्र) उपभोक्ताओं के साथ उत्कृष्टता केंद्र के एकीकरण और सहकारिताओं के साथ ग्राम और अन्य बाजारों को एकीकृत करने पर केंद्रित है। इस संबंध में, कृषि और सहकारी क्षेत्र में कार्रवाई अनुसंधान, प्रणाली और प्रौद्योगिकी विकास की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2020–21 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने प्रमुख विश्वविद्यालय/केंद्र/संगठन/राज्य सरकार के साथ 33 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सहकार प्रज्ञा – सहकार 22 हेतु क्षमता विकास आधार के रूप में लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी

16.7 वर्ष 2020–21 के दौरान, लिनाक ने 67 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आईसीडीपी पर, रा.स.वि.नि. अधिकारियों हेतु 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहकारिताओं की महिला निदेशक के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य हेतु 17 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से सहकारी क्षेत्र के विभिन्न स्तर के हितधारकों समेत 4380 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

16.7.1 वर्ष 2020–21 के दौरान, प्राथमिक सहकारिताओं हेतु लिनाक के 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र एवं 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल का अनावरण माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा किया गया। सहकारी सिद्धांतों पर समितियों को संचालित करने एवं ग्रामीण विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रमुख पदाधिकारियों को उपयुक्त ज्ञान, दक्षताओं एवं मानसिकता से लैस करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर क्षमता विकासात्मक कार्यक्रम करने के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है।

16.7.2 सामान्य प्रबंधन, व्यवसाय विकास और संपत्ति प्रबंधन और लेखा एवं बुक कीपिंग संचालन में महिला निदेशकों की भूमिका तथा सहकारिताओं में व्यावसायिक विकास पर 54 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राथमिक स्तर की सहकारिताओं के 3696 अधिकारियों के लिए ये क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किए गए थे। लिनाक भी व्यापक परियोजना अध्ययन, परियोजना अवधारणा नोट निर्माण एवं डीपीआर तैयार करता है।

तालिका–1
सम्मिलित महत्वाकांक्षी जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य	महत्वाकांक्षी जिलों की कुल संख्या	वर्ष 2020–21		दिनांक 31.03.2021 तक संचयी स्थिति	
			सम्मिलित महत्वाकांक्षी जिले	संख्या	सम्मिलित महत्वाकांक्षी जिले	संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3	.	.	वाई.एस.आर. कडप्पा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम	3
2	अरुणाचल प्रदेश	1	.	.	नामसाई	1
3	असम	7	.	.	हलाकांडी	1
4	बिहार	13	बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा, कटिहार तथा शेखपुरा	6	अररिया, बेगूसराय, पूर्णियां, गया, औरंगाबाद, खगरिया, सीतामढ़ी	13
5	छत्तीसगढ़	10	बीजापुर, बांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुन्द, नारायणपुर, सुकमा	7	दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगाव	10
6	गुजरात	2	दाहोद तथा नर्मदा	2	दाहोद, नर्मदा	2
7	हरियाणा	1	.	.	मेवात	1
8	हिमाचल प्रदेश	1	.	.	चंबा	1
9	जम्मू और कश्मीर	2	.	.	बारामूला और कूपवाड़ा	2
10	झारखण्ड	19	दुमका तथा रांची	2	गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, पाकूर, पलामू, रांची, साहेबगंज, गुमला, चतरा, दुमका, बोकारो, पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा, गोड्डा, खुंटी, लोहारदंगा और पूर्वी सिंहभूमि	18
11	कर्नाटक	2	रायचूर	1	रायचूर	1
12	केरल	1	.	.	वायनाड	1
13	मध्य प्रदेश	8	विदिशा	1	छतरपुर, गुना, खण्डवा, राजगढ़, सिंगरौली, बड़वानी और विदिशा	7
14	महाराष्ट्र	4	.	.	नंदूरबार, उस्मानाबाद, वासिम और गढ़चिरौली	4
15	मणिपुर	1	.	.	–	0
16	मेघालय	1	.	.	रीभोई	1
17	मिजोरम	1	मामित	1	मामित	1
18	नागालैंड	1	.	.	किफेरे	1
19	ओड़िशा	10	.	.	कोरापुट, मलकानगिरी, ढेंकनाल और नौपाड़ा	4
20	पंजाब	2	.	.	फिरोजपुर	1
21	राजस्थान	5	.	.	सिरोही, धौलपुर, बारां, करौली और जैसलमेर	5
22	सिक्किम	1	.	.	–	0
23	तमिलनाडु	2	.	.	रामनाथपुरम्, विरुधनगर	2
24	तेलंगाना	3	.	.	खम्मम, आसिफबाद और भूपालपाली	3
25	त्रिपुरा	1	.	.	धलाई	1
26	उत्तर प्रदेश	8	सिद्धार्थनगर	1	बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट तथा चंदौली	7
27	उत्तराखंड	2	.	.	हरिद्वार और उधम सिंह नगर	2
28	पश्चिम बंगाल	5	.	.	वीरभूम, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद	5
					और नादिया	
	योग	**117**		**21**		**98**

तालिका – 2

वर्ष 2020–21 के दौरान प्राथमिक स्तरीय सहकारिताओं के पोषण के अंतर्गत लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का क्षेत्रीय कार्यालय/राज्यवार विवरण

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक उपलब्धि
1	बेंगलूरू	कर्नाटक	300	300
2	भोपाल	मध्य प्रदेश	275	276
3	भुवनेश्वर	ओडिशा	300	301
4	चंडीगढ़	हरियाणा	100	105
		पंजाब	150	150
		जम्मू एवं कश्मीर	10	11
		चंडीगढ़ के.श.प्र.	2	2
		लद्दाख	5	0
		उप–योग	**267**	**268**
5	चेन्नई	तमिलनाडु	300	306
		पुडुचेरी	25	26
		उप–योग	**325**	**332**
6	देहरादून	उत्तराखंड	300	272
7	गांधीनगर	गुजरात	250	255
8	गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश	5	10
		असम	150	150
		मणिपुर	15	18
		मेघालय	30	30
		मिजोरम	15	15
		नागालैंड	30	29
		त्रिपुरा	10	11
		उप–योग	**255**	**263**
9	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	56	56
		तेलंगाना	244	251
		उप–योग	**300**	**307**
10	जयपुर	राजस्थान	200	205
11	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	300	300
		सिक्किम	10	10
		उप–योग	**310**	**310**
12	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	400	409
13	पटना	बिहार	400	401
14	पुणे	महाराष्ट्र	200	209
		गोवा	10	10
		उप–योग	**210**	**219**
15	रायपुर	छत्तीसगढ़	200	200
16	रांची	झारखंड	200	201
17	शिमला	हिमाचल प्रदेश	150	150
18	तिरूअनंतपुरम	केरल	400	382
		लक्षद्वीप	0	3
		उप–योग	**400**	**385**
		योग	**5042**	**5054**

अध्याय 17

लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक)

17.1 रा.स.वि.नि. ने वर्ष 1985 में विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से अपना प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया। प्रशिक्षण संस्थान अनेक वर्षों से भारत तथा विदेशों में सहकारी क्षेत्र के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक बड़ा संस्थान बन गया है। संस्थान के सुदृढ़ निर्माण तथा सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए, भारत सरकार ने प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श की व्यापक सोच के साथ संस्थान को उन्नत किया है तथा फरवरी, 2018 में इसका नाम बदलकर लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी कर दिया गया। अकादमी का प्रबंधन एक शासकीय निकाय और कार्यकारिणी समिति में निहित है, जिसमें प्रत्येक में 10 सदस्य शामिल हैं।

17.2 **लिनाक के कार्य एवं गतिविधियां निम्न प्रकार से हैं** :–

क) किसानों की आय को दोगुना करने के माध्यम से सहकारिताओं में वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, रा.स.वि.नि. की नई मिशन माध्यम से गतिविधि **सहकार–22** को लागू करना। अन्य में सहकार 22 हेतु क्षमता विकास के आधार के रुप में **लक्ष्मण राव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी** के साथ **सहकार प्रज्ञा** शामिल हैं।

ख) सहायता प्राप्त परियोजनाओं और सहकारिताओं के प्रबंधन के कार्यान्वयन में सुधार करने हेतु उचित ज्ञान, दक्षता और मानसिकता के साथ प्रमुख पदाधिकारी को युक्त करने हेतु आवश्यकता आधारित कार्यक्रम का डिजाइन और संचालन करती है। तदनुसार यह निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करती है।

i. रा.स.वि.नि. सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्मिकों के लिए।

ii. परियोजना निर्माण, समीक्षा, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन संबंधी परियोजनाएं।

iii. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

iv. सार्क एवं एशिया प्रशांत क्षेत्रों के सहकारिता कर्मियों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा देश के सहकारी संगठनों की विशेष आग्रह पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

v. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

vi. सहयोगी कार्यक्रम (अर्थात् राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के साथ फल एवं सब्जी के विपणन, वार्डा के साथ भंडारण, मैनेज के साथ कृषि परियोजनाओं की मानिटरिंग प्रणाली, नैफ्स्कब के साथ यूसीबी हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम)

vii. आग्रह अनुसार (उदाहरण राज्य सरकार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से)

viii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं स्टेट मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण तथा

ix. रा.स.वि.नि. कार्मिकों हेतु

ग) परामर्श एवं अनुसंधान

घ) रा.स.वि.नि. की संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन

17.3 लिनाक में विशिष्ट विशेषज्ञों एवं पेशेवरों की अपनी कोर टीम है, जो सामान्यतः ग्यारह परिचालन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात (i) सहकारी वित्त, (ii) आपूर्ति श्रश्ंखला, (iii) नई सहकारिता एवं नवाचार, (iv) पशुधन, मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन, (v) डेयरी, (vi) महिला, युवा एवं विशेष केंद्रित सहकारिता, (vii) व्यापार, निर्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले, (viii) एकीकृत सहकारी व्यवसाय विकास,

(ix) आई टी एवं बैंकिंग, (x) परिचालन एवं सेवाएँ, (xi) सहकारी कानून। अतिथि संकाय के रुप में, निजी/सहकारी क्षेत्रक के शीर्ष पेशेवरों तक इसकी पहुँच है। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से, प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति की रुपरेखा को अपनाते हुए, लिनाक अपने ग्राहक सहकारिताओं के लिए प्रशिक्षण आवश्यक विश्लेषण (टी.एन.ए.) तैयार करता है, विशेष रुप से डिजाइन कार्यक्रम बनाता है एवं उन्हें प्रस्तुत करता है।

17.3.1 लिनाक द्वारा पूरे किए जाने वाले विभिन्न कार्य क्षेत्रों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ, परियोजना निर्माण, मूल्यांकन एवं निगरानी, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर–सुरक्षा, कृषि उत्पाद विपणन सहकारिताओं हेतु प्रबंधन विकासात्मक कार्यक्रम (एम.डी.पी.), महिला सहकारिताओं हेतु एम.डी.पी., डेयरी सहकारिताओं हेतु एम.डी.पी., संगठनात्मक विकास, सामान्य प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, सहकारी बैंकिंग, एम. पी.ओ./एफ.एफ.पी.ओ. संबंधित कार्यक्रम एवं रा.स.वि.नि. तथा सरकारी योजनाओं पर जागरुकता कार्यक्रम सम्मिलित है।

17.4 अकादमी ने अपनी गत वर्षों की यात्रा में क्षमता विकास संबंधी हस्तक्षेप के लिए अनेक प्रमुख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं कृषि बैंकिंग प्रशिक्षण (सिस्टैब), अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन, एशिया प्रशांत कृषि सहकारिता विकास नेटवर्क (नेडैक), बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए), राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विस्तारण प्रबंधन संस्थान (मैनेज), राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक परिसंघ (नैफस्कब) एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ (ट्राईफेड) से कार्यात्मक साझेदारी विकसित की है।

17.5 लिनाक को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली के पास दिल्ली–जयपुर एक्सप्रेसवे पर एक अत्यधिक सुगम और पांच–एकड़ वाई–फाई सक्षम परिसर में स्थापित किया गया है। इसमें अत्य–आधुनिक बुनियादी ढ़ाचे है जिसमें वातानुकूलित प्लेनरी हॉल, सिंडिकेट रूम, सभागार, पुस्तकालय, वातानुकूलित छात्रावास के कमरे और भोजन सुविधाएँ सम्मिलित हैं। लिनाक ने वर्चुअल क्लासरूम और ई–लर्निंग कोर्स चलाने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने किया है। अन्य सुविधाओं में योग हॉल, इनडोर और आउटडोर खेल मिनी व्यायामशाला शामिल हैं।

लिनाक की उपलब्धियाँ

17.6 अकादमी ने दिनांक 31.03.2021 तक संचयी रुप में 33072 कार्मिकों को 1017 प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया है जिसमें भारत सरकार से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन के अंतर्गत 150 कार्यक्रमों में 4830 कार्मिक ने भाग लिया। पिछले पाँच वर्षों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ – पिछले पाँच वर्षों के दौरान, लिनाक द्वारा आयोजित कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या तथा प्रतिभागियों की संख्या।

महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें सहकारिताओं का नेतृत्व और सुचालन करने हेतु, अकादमी महिला निदेशकों/सहकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। वर्ष के दौरान 8 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 520 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें से 1 विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य की महिला सहकर्मियों के लिए थे। पिछले पाँच वर्षों के दौरान लिनाक ने सहकारिताओं की महिला सदस्यों हेतु विशेष रुप से 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 2020–21 के दौरान विशिष्टताएं

वर्ष 2020–21 के दौरान लिनाक द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या

17.7 अकादमी ने 67 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 4380 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में (3) अंतर्राष्ट्रीय, (3) एकीकश्त सहकारी विकास परियोजना संबंधी, (8) महिला निदेशकों, (3) भंडारण प्रबंधन एवं वैज्ञानिक भंडारण (डब्ल्यूएमएसए), (4) डेयरी सहकारिताएँ, (36) रा.स.वि.नि. और (9) अन्य शामिल थे।

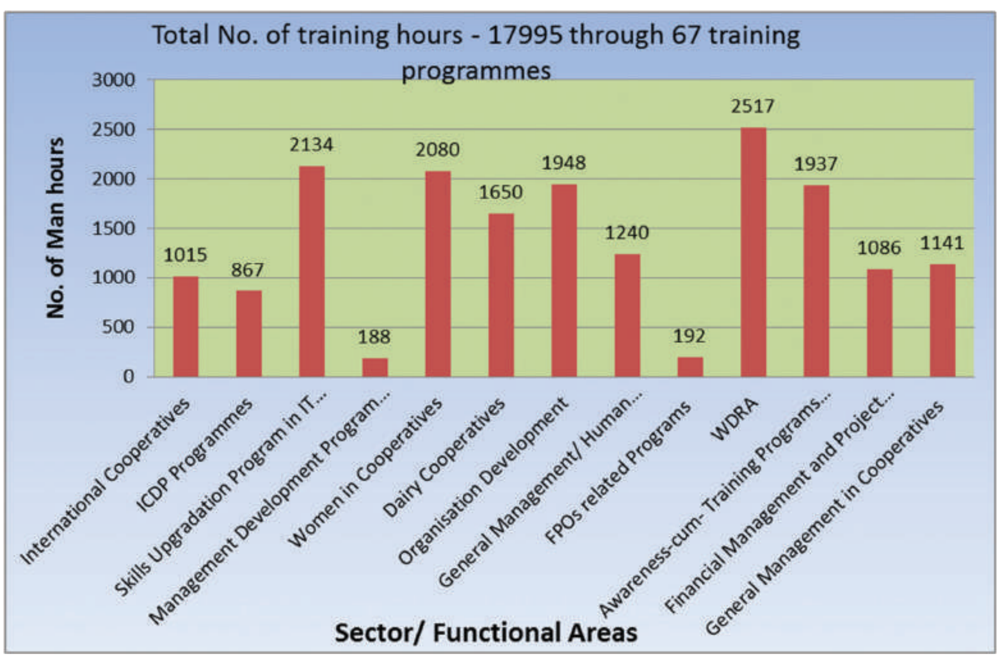

लिनाक द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यात्मक समूह वार प्रशिक्षण घंटे

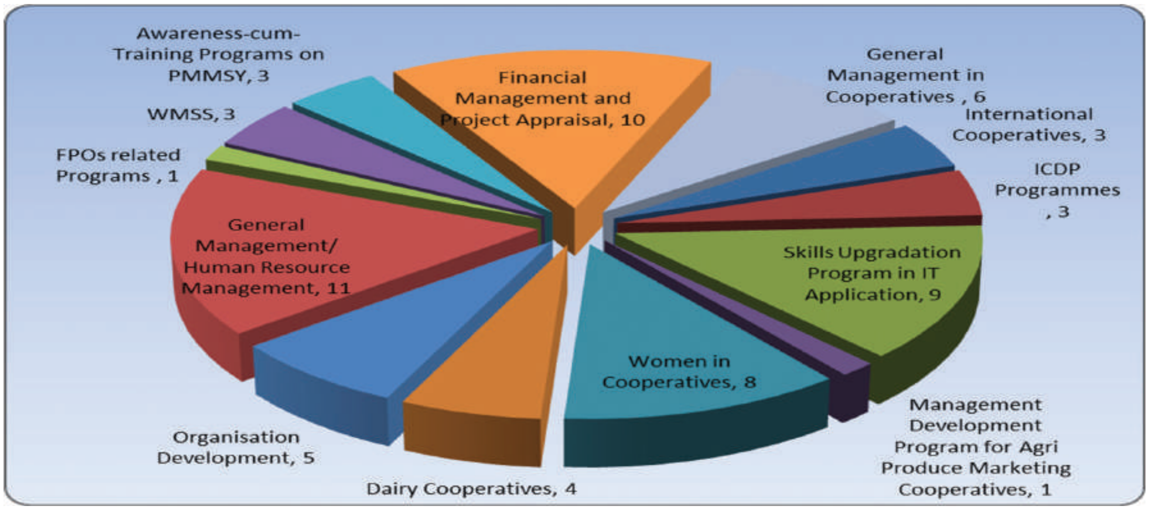

लिनाक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र

17.8 कॉर्पोरेशन का लिनाक के दायरे और पहुंच का विस्तार करने और प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के पोषण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, लिनाक के 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, राँची, शिमला एवं तिरूअनंतपुरम में एक–एक स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र वर्ष के दौरान प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रबंधन पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे प्राथमिक सहकारी समितियों की क्षमता विकास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाता है जो सहकारी क्षेत्र की रीढ़ हैं। सहकारी समितियों द्वारा समाजों को चलाने और ग्रामीण विकास केंद्रों के रूप में उभरने के लिए प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रमुख पदाधिकारियों को उपयुक्त ज्ञान, दक्षता और मानसिकता से लैस करने की आवश्यकता के आधार पर कार्यक्रमों को अनुकूलित और डिजाइन किया गया है।

17.8.1 वर्ष 2020–21 के लिए लिनाक के प्रशिक्षण कैलेंडर के भाग के रूप में, प्राथमिक स्तर की सहकारिताओं हेतु इन प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा कुल 54 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लिनाक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में कुल 3696 कर्मियों को प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों में सामान्य प्रबंधन, व्यवसाय विकास और संपत्ति प्रबंधन और लेखा और बहीखाता पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

17.9 रा.स.वि.नि. एवं नेडैक ने **''सहकारिता हेतु साइबर जोखिम एवं शमन''** विषय पर दिनांक 11 मई, 2020 को लिनाक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें सहकारिताओं को पूरे देश में फैली साइबर जोखिम से बचाने के साथ–साथ उनके उन्नत संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता प्रदान की गई। इस वेबिनार में मंत्रीगण, राजदूतों सहित 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संबंधित सहकारिताओं के प्रमुख व अध्यक्षों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित 20 देशों के 274 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17.9.1 **"समावेशी शहरी विकास हेतु क्षेत्र आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना – भारतीय संदर्भ में रा.स.वि.नि. की आईसीडीपी योजना का अनुभव"** पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम सिस्टैब, पुणे के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम उद्देश्य देश में सांतवीं योजना के बाद से रा.स.वि.नि. द्वारा वित्त पोषण किये जा रहे जिलों में सहकारी समितियों के एकीकृत विकास पर परियोजना के अनूठे मॉडल को साझा करना था। दिनांक 24–28 अगस्त, 2020 के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में सार्क देशों के सिस्टैब के सदस्य संस्थानों के 20 अधिकारियों और सहकारी कर्मियों ने भाग लिया।

17.9.2 अकादमी ने सहकारी विभागों, सहकारी संघों/बैंकों/समितियों तथा सार्क क्षेत्र के सिस्टैब के सदस्य संस्थानों से ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के लिए **"कृषि**

सहकारिताओं एवं ग्रामीण वित्तीय संस्थानों हेतु प्रबंधकीय कौशल का विकास" पर दिनांक 21–25 सितम्बर, 2020 से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया। यह कार्यक्रम रा.स.वि.नि. के भारत में ग्रामीण ऋण एवं बहुद्देशीय सहकारी समितियों का विकास करने के अनुभव पर आधारित, प्राथमिक सहकारिताओं एवं ग्रामीण वित्तीय संस्थानों में ज्ञान एवं क्षमता का विकास करने पर केन्द्रित था। कार्यक्रम में 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

नए प्रशिक्षण कार्यक्रम

17.10 मेघालय दुग्ध मिशन के अंतर्गत **"डेयरी सहकारिताओं के परिचालन एवं प्रबंधन"–क्षमता विकास कार्यक्रम** पर मेघालय के लाइन विभाग के कार्मिकों हेतु दो ऑनलाइन अधिशासी विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17.10.1 लिनाक ने भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) के सहयोग से **''गोदाम प्रबंधन एवं वैज्ञानिक भंडारण''** पर 5 दिवसीय तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम पैक्स गोदामों के वेयरहाउस मैन के 120 प्रभारी/प्रबंधकों/पर्यवेक्षकों/सचिवों हेतु आयोजित किए गए थे। सीडब्ल्यूसी, एन.आई.पी.एच.एम., एफ.एस.एस.ए.आई., डब्ल्यू.डी.आर.एकृ एवं अन्य संबंधित संगठनों के अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा सत्रों का आयोजन किया गया।

एकीकृत परियोजना आधारित कार्यक्रम

17.11 वर्ष 2020–21 के दौरान, आईसीडीपी के अधिकारियों के विकास हेतु, आईसीडीपी के अंतर्गत **प्राथमिक स्तरीय सहकारिताओं को सुदृढ़ करने हेतु (रिफ्रेशर) पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में कुल 68 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17.12 वर्ष के दौरान **''सहकारिताओं के विकास एवं संचालन में महिला निदेशकों की भूमिका''** पर 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 520 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें चार विशेष रुप से पूर्वोत्तर राज्यों की महिला सहकारिताओं के लिए थे। ये प्रतिभागी महिला सहकारिताओं/स्वयं सहायता समूहों की महिला निदेशक/प्रबंधक थीं।

17.13 तेलंगाना राज्य डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के 44 प्रबंधकों एवं अधिकारियों के लिए **दुधारु पशु विकास हेतु विस्तार एवं मार्गदर्शन कौशल** पर दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

17.14 वर्ष 2020–21 के दौरान, अकादमी चयनित संगठनों के लिपिक, पर्यवेक्षी एवं प्रबंधकीय सतरीय कार्मिकों हेतु **''माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एवं इंटरनेट पर कौशल क्लिनिक''** पर पाँच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में 313 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17.15 मार्कफेड के मध्य स्तरीय प्रबंधकों हेतु **"मार्कफेड में व्यवसायिक अवसरों, आवश्यक तंत्रों एवं प्रबंधन का विकास"** विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17.16 रा.स.वि.नि. द्वारा संवर्धित लिनाक, गुरुग्राम को सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एफपीओ हेतु केंद्रीय स्तरीय नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रुप में नामित किया गया है तथा रा.स.वि.नि. द्वारा **केंद्रीय क्षेत्रक योजना, 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन** के तहत प्रचारित किया गया है।

17.17 **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)** के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार, अकादमी ने मध्य प्रदेश एवं गोवा के मत्स्य सहकारी समितियों के कार्मिकों हेतु दो 1 दिवसीय **''जागरुकता शिविर''** का आयोजन किया और इसमें 242 प्रतिभागियों ने भाग लिया। लिनाक द्वारा मत्स्य विभाग, भारत सरकार एवं ओडिशा हेतु संयुक्त रुप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर एक 1 दिवसीय राज्य स्तरीय जागरुकता–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

लिनाक– रा.स.वि.नि. मत्स्य व्यवसाय ऊष्मान केंद्र (एल.आई.एफ.आई.सी.)

17.18 नई पहल के रुप में, लिनाक मत्स्य पालन सहकारिताओं की सहायता हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के अंतर्गत एल.आई.एफ.आई.सी. की स्थापना कर रहा है। एल.आई.एफ.आई.सी. युवा पेशेवरों (प्रोफेशनलों)/उद्यमियों, प्रगतिशील मछली किसानों, मत्स्य पालन आधारित उद्योगों एवं अन्य संस्थानों को प्रासंगिक ऊष्मान को समर्थन प्रदान करेगा जो प्राथमिक,

जिला, राज्य, बहु–राज्य या राष्ट्रीय संघ स्तर पर विभिन्न प्रकार के मत्स्य पालन सहकारिताओं सहित सहयोग करेंगे। यह मुख्य रुप से व्यापारिक मॉडल आरम्भ (लॉन्च) करने पर ध्यान केंद्रित करेगा एवं असंख्य बाजार संचालकों, स्थायी राजस्व सृजन एवं व्यापार संचालन पर बातचीत करने में सहायता प्रदान करेगा। संक्षेप में, बिजनेस इन्क्यूबेटर स्वाभाविक रुप से वैज्ञानिक इन्क्यूबेटर के बाद अगला कदम है, क्योंकि यह नए उत्पादों एवं नवीन व्यापार मॉडल को बाजार में लाभदायक बनाएगा।

संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलाप

17.19 रा.स.वि.नि. की संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक भूमिका के अंतर्गत, उपलब्धियां निम्न प्रकार है–

i. आई.आई.एम., अहमदाबाद तथा आई.आई.एम., इंदौर में संकाय विकास कार्यक्रम (एफ.डी.पी.) हेतु 58 छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

ii. वैमनीकॉम, पुणे में सहकारी व्यापार प्रबंधन (पी.जी.डी.सी.बी.एम.) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु 57 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

iii. पिछले 10 वर्षों के दौरान, उन्नत कार्यशील सहकारी समितियों के लिए 25 अध्ययन दौरे आयोजित किए गए।

17.19.1 वर्ष 2020–21 के दौरान, लिनाक द्वारा वैमनिकॉम, पुणे में सहकारी व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में एक फेलोशिप प्रदान किया गया।

अध्याय . 18
राजभाषा संवर्धन

18.1 रा.स.वि.नि. हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, निगम में एक हिंदी अनुभाग कार्यरत है। राजभाषा नियम, 1976, रा.स.वि.नि. के नियम 10 के उप–नियम (4) के अनुसरण में, प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय निदेशालयों तथा लिनाक, गुरुग्राम को भारत के राजपत्र में अपने दिन–प्रतिदिन के आधिकारिक कार्य करने के लिए अधिसूचित करवा लिया है।

18.2 वर्ष 2020–21 में राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

- ✓ सभी लेटरहेड, साइनबोर्ड, रबर स्टैम्प और प्रपत्र द्विभाषी रूप में जारी हैं।
- ✓ सभी सामान्य आदेश, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना और प्रशासनिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में जारी किए गए थे।
- ✓ 17204 पत्र हिंदी में जारी किए गए थे। क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्यों और व्यक्तियों से हिंदी में प्राप्त पत्रों का हिंदी में उत्तर दिया गया।
- ✓ राजभाषा नीति कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए प्रधान कार्यालय और लिनाक, गुरुग्राम के प्रभागों का निरीक्षण किया गया।
- ✓ वर्ष के दौरान क्षेत्रीय निदेशालयों से प्राप्त हिंदी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और कार्रवाई के बिंदुओं को अनुपालन के लिए क्षेत्रीय निदेशालयों को अवगत कराया गया।
- ✓ कुल पुस्तकालय अनुदान का 51.21% हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया गया था।
- ✓ निगम नियमित रूप से अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करता है। संचयी रूप से, समिति के गठन की तारीख से वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत तक 140 बैठकें हुई हैं।
- ✓ सभी 327 अधिकारी/कर्मचारी (जिनमें 47 मल्टी टास्किंग स्टाफ, ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन शामिल हैं) के पास हिंदी में ज्ञान/प्रवीणता है।
- ✓ सरकारी कामकाज में नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा डिक्टेशन में हिंदी का उपयोग करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, नकद पुरस्कार योजनाएं 2020–21 के दौरान जारी रहीं। प्रधान कार्यालय के 23 कार्मिकों, 3 क्षेत्रीय निदेशालयों और 3 प्रभागों को डिक्टेशन में पुरस्कार प्रदान किए गए।
- ✓ राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने हेतु भोपाल, पटना, पुणे, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय निदेशालयों के सभी अनुभागों/प्रभागों का निरीक्षण किया गया।
- ✓ राजभाषा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 को रा.स.वि.नि., मुख्यालय, नई दिल्ली का सफलतापूर्वक राजभाषाई निरीक्षण किया गया।
- ✓ वर्ष 2019–20 के दौरान, क्षेत्रीय राजभाषा समिति द्वारा जयपुर, क्षेत्रीय निदेशालय को 'क' क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में कार्य करने की सराहनीय प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी प्रकार क्षेत्रीय निदेशालय, चंडीगढ़ को 'ख' क्षेत्र में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा क्षेत्रीय निदेशालय, भुवनेश्वर को 'ग' क्षेत्र में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया।

हिंदी सप्ताह का आयोजन

18.3 कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 14.09.2020 से 20.09.2020 तक **"हिंदी सप्ताह"** का आयोजन किया गया था। सप्ताह भर चलने वाले समारोह के दौरान टाइपिंग, निबंध लेखन, नोटिंग ड्राफ्टिंग और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, सभी हिंदी भाषा में और 43 विजेताओं ने अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने **"राजभाषा नीति एवं इसका कार्यान्वयन विषय"** पर व्याख्यान दिया। एक कवि सम्मेलन का संचालन कवि समूह पोएट्स ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था और निगम के कर्मचारियों द्वारा इसकी सराहना की गई थी। प्रधान कार्यालय के अलावा सभी क्षेत्रीय निदेशालयों ने भी अपने संबंधित कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढाने के लिए हिंदी सप्ताह का आयोजन किया।

अध्याय–19

सहकारी क्षेत्रक निर्यात संवर्धन परिषद (कॉपएक्सिल)

19.1 नवंबर, 2018 में नेडैक की सामान्य सभा (एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में कृषि सहकारिताओं के विकास हेतु नेटवर्क) और नई दिल्ली में रा.स.वि.नि. के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में, वैश्विक सहकारी समितियों को उनके आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करने का विचार उत्पन्न हुआ। इसके बाद, कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रा.स.वि.नि. के आदेश के अनुरूप और भारत सरकार की पहली **कृषि निर्यात नीति, 2018** से प्रेरणा लेते हुए रा.स.वि.नि. ने भारतीय सहकारी उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ)** का आयोजन किया ताकि कृषकों को उनके उत्पादों का उच्च मूल्य प्राप्त होने में सहायता प्राप्त हो सके। आईआईसीटीएफ के आयोजन के विचार से भारतीय सहकारी उत्पादों के निर्यात को संवर्धित करने में यह पहला कदम था।

19.2 इसके पश्चात, रा.स.वि.नि. ने अपने हितधारकों के हित में निर्यात झुकाव के साथ मापन और एकत्रीकरण के कार्य को करने के लिए एपीडा के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। रा.स.वि.नि. ने **''कृषि निर्यात एवं निर्यात संवर्धन प्रभाग''** नामक एक प्रभाग कशषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में भारतीय सहकारी समितियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अप्रैल 2019 में, सहकारिता से सहकारिता (सी2सी) व्यापार को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के समग्र संदर्भ में लिनाक, गुरूग्राम में आयोजित *सहकार प्रज्ञा* के तहत *चिंतन शिविर* में एक निर्यात संवर्धन निकाय की स्थापना का विचार उत्पन्न हुआ।

19.3 कृषि निर्यात नीति 2018 के क्रम में कृषि निर्यात दोगुना करने एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला से भारतीय किसानों एवं कृषि उत्पादों को जोड़ने के उद्देश्य से रा.स.वि.नि. ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित विभागों (सहकारिता, कृषि, बागवानी, उद्योग, चीनी तथा वस्त्र विभाग) के साथ दिनांक 16.05.2019 को नई दिल्ली में एक **परामर्श बैठक** आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष एनआरएए और अध्यक्ष डीएफआई कार्यान्वयन समिति, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने की थी। बैठक में 9 अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों, 3 आरसीएस, एक प्रबंध निदेशक और 20 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अध्यक्ष एपीडा, प्रबंध निदेशक, नेफेड तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अलावा व्यापार मंडल के निदेशक ने भी भाग लिया। परामर्श बैठक में सभी स्तरों के प्रतिभागियों की कुल संख्या 51 थी। बैठक में विचार–विमर्श के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि रा.स.वि.नि. अपने संस्थागत उपक्रम के तहत **एक सहकारी क्षेत्र निर्यात संवर्धन मंच** का गठन करेगा।

19.4 इसके अतिरिक्त, दिनांक 02.07.2019 को आइआईसीटीएफ अनावरण कार्यक्रम में संयुक्त प्रेस सम्मेलन के दौरान, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में माननीय वाणिज्य और उद्योग केंद्रीय मंत्री, श्री पीयूष गोयल तथा माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की उपस्थिति में, औपचारिक रूप से यह घोषणा की गई कि रा.स.वि.नि. सहकारी क्षेत्र के लिए निर्यात संवर्धन निकाय का गठन करेगा।

19.5 दिनांक 11–13 अक्तूबर, 2019 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आईआईसीटीएफ का सफलतापूर्वक संचालन किया गया एवं भारतीय सहकारिताओं, सभी 6 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाले 35 देशों, विदेशी खरीददारों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं भारत के राज्य/केंद्र सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस आयोजन के दौरान 3 दिनों में प्रदर्शनियों, व्यापार से व्यापार/सहकारिता से सहकारिता बैठकों, सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया गया और 35000 से अधिक आगंतुकों का आगमन हुआ। इस आयोजन के दौरान, 23 देशों के 125 विदेशी खरीददारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और 1.2 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के लिए पचहत्तर ज्ञापन पत्र (एमओआई) पर हस्ताक्षर किए गए। आईआईसीटीएफ की विशाल सफलता ने भारतीय सहकारी समितियों के लिए निर्यात संवर्धन निकाय बनाने की

आवश्यकता का आश्वासन एवं प्रेरणा दी।

19.6 रा.स.वि.नि. के प्रबंध मंडल ने दिनांक 05.02.2020 को आयोजित बैठक में भारतीय सहकारी क्षेत्र द्वारा निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के साथ **सहकारी क्षेत्रक निर्यात संवर्धन परिषद (कॉपएक्सिल)** के गठन को मंजूरी दी, जिससे आईआईसीटीएफ के लाभ को आगे बढ़ाया जा सके और सहकारिताओं की सहायता के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किया जा सके। सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिए दिनांक 06.03.2020 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कॉपएक्सिल के गठन तथा उसके उद्देश्यों की सूचना दी गई थी :

- रा.स.वि.नि. अधिनियम के तहत निर्धारित सहकारी समितियों के कार्य को बढ़ावा देने एवं विकास करने के लिए
- सहकारी समितियों को अपने निर्यात को विकसित करने तथा वृद्धि करने में वाणिज्यिक रूप से उपयोगी जानकारी और सहायता प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता और डिजाईन सुधार, मानकों और विनिर्देशों, उत्पाद विकास नवाचार आदि जैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियों को व्यवसायिक सलाह प्रदान करने हेतु।
- विदेशी बाजार में अवसर तलाशने हेतु विदेश में प्रतिनिधि मंडलों की यात्राओं का आयोजन करना।
- भारत और विदेशों में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता–विक्रेता की बैठकें आयोजित करना।
- केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों दोनों स्तरों पर सहकारी निर्यात समुदाय तथा सरकार के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए।
- एक सांख्यिकीय आधार का निर्माण करने और देश के निर्यात और आयात, सहकारी समितियों के निर्यात और आयात, साथ ही अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा पर आंकड़े प्रदान करने हेतु।
- सहकारी समितियों को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए वैश्विक निर्यात बाजार को जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इंटरफेस सहित एक मंच प्रदान करने हेतु।
- निर्यात के लिए तंत्रों की तरह स्टार्ट–अप या स्टार्ट–अप जैसे तंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और निर्यात के लिए सहायता प्रदान करना तथा
- कोई अन्य गतिविधि जो कॉपएक्सिल या रा.स.वि.नि. या भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

19.7 **कॉपएक्सिल का कार्यालय रा.स.वि.नि. कार्यालय लिनाक, सेक्टर–18, गुरुग्राम, हरियाणा** में होगा और प्रबंधन एवं सामान्य निकाय के अंतर्गत होगा, जो अपनी पहली सामान्य निकाय बैठक में एक कार्यकारी समिति का गठन करेगा। कार्यकारी समिति में न्यूनतम 7 सदस्यों और अधिकतम 15 सदस्यों, जिन्हें सामान्य निकाय द्वारा तय किए गए तरीके से चुना जाएगा। कार्यकारी समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक, एनसीडीसी द्वारा की जाएगी। कार्यकारी समिति (i) आवश्यकतानुसार समितियों या उप समितियों का गठन कर सकती है। (ii) कार्यकारी समिति, समय के अनुसार, सामान्य निकाय के अनुसमर्थन के अधीन विभिन्न मामलों को विनियमित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को लागू करेगी और जरूरी होने पर आवयक संशोधन भी करेगी। रा.स.वि.नि. के प्रबंध निदेशक सामान्य निकाय के भी अध्यक्ष होंगे।

19.8 कॉपएक्सिल की सामान्य सभा की पहली बैठक दिनांक 24.03.2021 को रा.स.वि.नि., नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसमें माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने भाग लिया था। बैठक में वर्चुअल मोड के माध्यम भारत सरकार, मपीडा, एपीडा, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय/बहु राज्य सहकारी संघों तथा 25 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के राजय स्तरीय सहकारी विपणन संघों के प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(i) कॉपएक्सिल के नियमित मामलों के प्रबंधन हेतु एक कार्यकारी समिति का गठन।

(ii) विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व सहित एक आंतरिक सलाहकार मंच का गठन।

(iii) सहकारिताओं की निर्यात संबंधी जरुरतों को पूरा करने हेतु वित्त पोषण के लिए निर्यात सहकार योजना तैयार करना।

(iv) कॉपएक्सिल हेतु बुनियादी जमा पूँजी के रुप में लगभग 1.80 करोड़ रुपये के आईआईसीटीएफ राजस्व अधिशेष का उपयोग करना।

19.9 सहकारी क्षेत्रक निर्यात संवर्धन परिषद, मार्च, 2020 में सहकारिताओं की सक्रिय सहभागियों की एकजुटता से स्थापित की गई, जो आने वाले वर्षों में सहकारिताओं द्वारा निर्यात को बढ़ावा देगा।

अनुबंध

अनुबंध –I

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
(नैशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)
(दिनांक 31.03.2021 तक)

सामान्य परिषद – रा.स.वि.नि.

(केन्द्र सरकार द्वारा अपनी दिनांक 01.07.2020 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.428(ई) के अंतर्गत गठित भारत के राजपत्र – असाधारण के भाग–II के खंड–3 के उपखंड (I) में प्रकाशित)

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
I.	**धारा 3(4) (i) के अंतर्गत नामित**	
1.	**श्री नरेंद्र सिंह तोमर,** केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार, कृषि भवन, **नई दिल्ली–110001.**	अध्यक्ष
2.	**श्री संजय अग्रवाल,** सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, **नई दिल्ली 110001.**	उपाध्यक्ष
II.	**धारा 3(4) (ii) के अंतर्गत आर्थिक मामलों से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से नामित**	
3.	अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
4.	**सुश्री लीना नन्दन,** सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कमरा सं. 49, कृषि भवन,**नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
5.	**श्री सुधांशु पांडे,** सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
6.	**श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह,** सचिव, वस्त्र मंत्रालय, कमरा न0–129, उद्योग भवन, **नई दिल्ली–110011.**	सदस्य
7.	**डा. टी. वी. सोमनाथन,** सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा नं. 129ए, नार्थ ब्लाक, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य

8.	**श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम,** सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, खेल गांव मार्ग, **नई दिल्ली–110049.**	सदस्य
9.	**श्री अमिताभ कांत,** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग, **नई दिल्ली–110001**	सदस्य
10.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
III.	**धारा 3(4) (iii) के अंतर्गत नामित**	
11.	**गोविंदा राजुलु चिंताला,** अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), प्लॉट न0–सी–24, जी–ब्लॉक, बान्द्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स नं. 8121, बान्द्रा (ईस्ट), **मुंबई–400051.**	सदस्य
IV.	**धारा 3(4) (v) के अंतर्गत नामित**	
12.	**श्री डी0वी0 प्रसाद,** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, 16–20, बाराखम्बा रोड, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
V.	**धारा 3(4) (vi) के अंतर्गत नामित**	
13.	**श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव,** प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग, **नई दिल्ली–110016.**	सदस्य
VI	**धारा 3(4) (vii) के अंतर्गत नामित**	
14.	रिक्त	रिक्त
VII.	**धारा 3(4) (viii) के अंतर्गत नामित**	
15.	**श्री दिनेश कुमार खरा,** अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, **मुंबई–400021. महाराष्ट्र।**	सदस्य
VIII.	**धारा 3(4) (ix) के अंतर्गत नामित**	
16.	**श्री दिलीप संघानी,** अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग, **नई दिल्ली–110016.**	सदस्य

IX.	**धारा 3(4) (x) के अंतर्गत नामित**	
17.	**श्री डॉ बिजेन्दर सिंह,** अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि0, 1, सिद्धार्थ एन्कलेव, आश्रम क्रॉस रोड, **नई दिल्ली–110014**	सदस्य
X.	**धारा 3(4) (xi) के अंतर्गत नामित**	
18.	**श्री जयप्रकाश आर. सालुंके दांदेगावकर,** अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि0, अंसल प्लाजा, ब्लॉक –सी, दूसरा तल, अगस्त क्रांति मार्ग, **नई दिल्ली–110049**	सदस्य
XI.	**धारा 3(4) (xii) के अंतर्गत नामित**	
19.	**श्री राजेन्द्र यदरावकर पाटिल,** अध्यक्ष, अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कनाडा बिल्डिंग, दूसरा तल, 226, डी0 एन0 रोड, **मुंबई–400001.**	सदस्य
XII.	**धारा 3(4) (xiii) के अंतर्गत नामित**	
20.	**श्री कोंदुरु रविंदर राव,** अध्यक्ष, राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ लि0,जे0 के0 चैम्बर, 5वां तल, प्लाट नं0–76,सेक्टर–17, वाशी, **नवी मुंबई–400703.**	सदस्य
XIII.	**धारा 3(4) (xiv) के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नामित प्रतिनिधि**	
21.	**श्री मनींदर सिंह,** अपर मुख्य सचिव (सहकारिता), असम सरकार, सीएम ब्लाक, तृतीय तल, असम सचिवालय, दिसपुर, **गुवाहाटी–781006. (असम)**	सदस्य
22.	**श्रीमती बंदना प्रेयशी,** सचिव (सहकारिता), बिहार सरकार, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, **पटना–800 015.**	सदस्य
23.	**श्री उमाकांत उमराव,** प्रधान सचिव (सहकारिता), मध्य प्रदेश सरकार, तीसरा तल, वल्लभ भवन, **मंत्रालय, भोपाल–462001.**	सदस्य
24.	**श्री अब्बुबेकर सिद्धिकी पी.,** सचिव (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता), झारखंड सरकार, नेपाल हाऊस, पोस्ट. दोरान्दा, **रांची (झारखंड) – 834002**	सदस्य

25.	**श्री नवीन कुमार चौधरी,** प्रधान सचिव (सहकारिता), जम्मू एवं कश्मीर सरकार, सिविल सचिवालय, 2/37–मिनी ब्लॉक, **जम्मू–180001** (अक्तूबर – अप्रैल के मध्य) सिविल सचिवालय, **श्रीनगर** (मई–सितंबर के मध्य)	सदस्य
26.	**श्री राजगोपाल देवरा,** प्रधान सचिव (वितीय सुधार), महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय एनेक्सी, **मुंबई–400032.**	सदस्य
27.	**श्री संजीव कौशल,** अपर मुख्य सचिव (सहकारिता) हरियाणा सरकार, कमरा सं. 46, 8वॉ तल, हरियाणा मेन सिविल सचिवालय, सेक्टर–1, **चण्डीगढ़–160001**	सदस्य
28.	**श्री के. शिव प्रसाद,** वित्तीय आयुक्त (सहकारिता), पंजाब सरकार, कमरा नं0–422, चौथा तल, सेक्टर–9, पंजाब लघु सचिवालय, **चंडीगढ़ –160009**	सदस्य
29.	**श्री शम्भु कालोलिकर,** प्रधान सचिव, हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र एवं खादी विभाग,तमिलनाडु सरकार, नवां तल, सचिवालय परिसर,फोर्ट सेंट जॉर्ज, **चेन्नई–600 009**	सदस्य
30.	**श्री कुंजी लाल मीना,** प्रधान सचिव (कृषि एवं सहकारिता), राजस्थान सरकार, 5101, राजस्थान सचिवालय मुख्य भवन, **जयपुर – 302008**	सदस्य
31.	**श्रीमती अनीता राजेन्द्र,** सचिव तेलंगाना सरकार, पशुपालन, डेरी विकास एवं मत्स्य विभाग, बीआरकेआर भवन, तृतीय तल, तेलंगाना सचिवालय, **हैदराबाद–500063.**	सदस्य
XV.	**धारा 3(4) (xv) के अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारी संघों के नामित प्रतिनिधिः**	
32.	**श्री कैलाश भगत,** अध्यक्ष, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लि0, सेक्टर–5, पंचकूला – 134109 **हरियाणा**	सदस्य
33.	**श्री बालाचंद्रा जरकीहोली,** अध्यक्ष, कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 (के0एम0एफ), केएमएफ कॉम्लेक्स, डा0 एम0एच0 मैरी गौड़ा रोड, **बेंगलूरू–560 029**	सदस्य

34.	**श्री कांचार्ला रामकृष्ण रेड्डी,** अध्यक्ष, तेलंगाना राज्य सहकारी तेलहन उत्पादक महासंघ लि0,नवां तल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, **हैदराबाद– 500004**	सदस्य
35.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन महासंघ लि0, 880, सिविल लाईन, रायपुर–492001. **छत्तीसगढ़** ।(पंजीकृत सहकारी समिति के नियंत्रणाधीन)	सदस्य
36.	**श्री श्यामलभाई बी. पटेल,** अध्यक्ष, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लि0 (जी.सी.एम.एम.एफ.), अमूल डेयरी रोड, पोस्ट बॉक्स नं0–10, **आणंद–388 001, गुजरात**।	सदस्य
37.	**श्री एन. सरवण कुमार,** अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि,(कॉम्फेड), विकास भवन, बेली रोड, **पटना– 800014, बिहार**	सदस्य
38.	**श्री पी0 पी0 चित्तरंजन,** अध्यक्ष, केरल राज्य सहकारी मात्स्यिकी महासंघ लि0 (मत्स्यफेड), कमलेश्वरम, पो0ऑ0 मानाकुड, **तिरूअनन्तपुरम – 695009, केरल**	सदस्य
39.	**श्री वाई. मधुसूदन रेड्डी,** अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन महासंघ लि0,डी0 नं0–55–17–2 से 4, पांचवा तल, स्टालिन कॉरपोरेट, औद्योगिक क्षेत्र, ऑटो नगर, **विजयवाड़ा–520 007. आंध्र प्रदेश।**	सदस्य
40.	**श्री कमल कांति सेन,** अध्यक्ष, त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लि0, पी0ओ0 चौमुहानी, **अगरतला–799 001.त्रिपुरा**।	सदस्य
41.	**श्री सांग कांडुमोसोबी,** अध्यक्ष, अरूणाचल प्रदेश सहकारी कृषि विपणन महासंघ लि0 (मार्कफेड), मार्फत आरसीएस कार्यालय, उच्च न्यायालय मार्ग, डी सेक्टर, **नाहरलागुन–791110 अरूणाचल प्रदेश।**	सदस्य
42.	अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन महासंघ लि0, जहांगीराबाद, **भोपाल – 462 008, मध्य प्रदेश।**	सदस्य

XVI.	**धारा 3(4) (xvi) के अंतर्गत कृषि सहकारी विकास में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले नामित व्यक्ति।**	
43.	**श्री गंगाधर दंयनदेवा पवार,** ओम निवास, सिविल अस्पताल के सामने, कर्दाबाद, **परभनी – 431401, महाराष्ट्र**	सदस्य
44.	**डा. उदय वासुदेव जोशी,** 5, चिरायू सीएचएस,ब्राहमण अली, अलीबाग, **जिला–रायगढ़ 402201, महाराष्ट्र,**	सदस्य
45.	**डा. राम कैलाश यादव,** 2ए–128, आवास विकास कालोनी, शिकोहाबाद, **जिला–फिरोजाबाद,उत्तर प्रदेश**	सदस्य
46.	**श्री धनंजय कुमार सिंह,** एस. 52/82, सहकारी भवन छावनी, **वाराणसी–221002 उत्तर प्रदेश**	सदस्य
XVII.	**धारा 3(4) (xvii) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरीय संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा सहकारी कार्यक्रमों के सवर्धन एवं विकास में रूचि रखने वाले नामित व्यक्ति**	
47.	**श्री के.के. रवीन्द्रन,** प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ लि0 (एनसीएआरडीबीएफ), 701, सातवां तल, ए– विंग, बीएसईएल टेक पार्क, वाशी **नवी मुंबई–400703.**	सदस्य
48.	**श्रीमती कपिलाबेन वांकर,** अध्यक्ष, स्व–रोजगार महिला संघ (सेवा), विक्टोरिया गार्डन के सामने, भाद्रा, **अहमदाबाद–380 001,गुजरात.**	सदस्य
49.	**श्री ज्योतिन्द्र मनसुख लाल मेहता,** अध्यक्ष, राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण समिति महासंघ लि0, (नैफकब), बी –14, तीसरा तल, ए ब्लॉक, शॉपिंग परिसर, नारायणा विहार, रिंग रोड, **नई दिल्ली – 110028.**	सदस्य
50.	**डा0 यू.एस. अवस्थी,** प्रबंध निदेशक, इफको, सी–1, जिला केन्द्र, साकेत प्लेस, **नई दिल्ली–110 017.**	सदस्य
XVIII.	**धारा 3(4) (xviii) के अंतर्गत नामित**	
51.	**श्री संदीप कुमार नायक,** प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4, सिरी इंस्टीटयूशनल एरिया, हौज खास, **नई दिल्ली –110016.**	सदस्य

अनुबंध – II

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
(नैशनल को–ऑपरेटिव डेवलपमैंट कॉरपोरेशन)
(दिनांक 31.03.2021 तक)

प्रबंध मंडल – रा.स.वि.नि.

केन्द्र सरकार द्वारा अपनी दिनांक 01.07.2020 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 427 (ई) के अंतर्गत गठित भारत के राजपत्र – असाधारण के भाग– II के खंड–3 के उपखंड (i) में प्रकाशित)

क.सं0	सदस्यों के नाम	पदनाम
	धारा 10(1)(i) के अंतर्गत नामित	
1.	**श्री संजय अग्रवाल,** सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, **नई दिल्ली–110001.**	अध्यक्ष
	धारा 10(1)(ii) के अंतर्गत नामित	
2.	अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,	उपाध्यक्ष
3.	**श्री सुधांशू पांडे,** सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,	सदस्य
4.	**अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,** कृषि एवं सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	सदस्य
	धारा 10(1)(iii) के अंतर्गत नामित	
5.	**श्री गोविन्दा राजुलू चिंताला,** अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड),	सदस्य
	धारा 10(1)(iv) के अंतर्गत नामित	
6.	**श्री जयप्रकाश आर. सालुंके दांदेगावकर,** अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि0,	सदस्य
	धारा 10(1)(v) के अंतर्गत नामित	
7.	**श्रीमती अनीता राजेन्द्र,** सचिव तेलंगाना सरकार, पशुपालन, डेरी विकास एवं मत्स्य विभाग,	सदस्य
8.	**श्री राजगोपाल देवरा,** प्रमुख सचिव (वित्तीय सुधार), महाराष्ट्र सरकार, वित्त विभाग,	सदस्य
	धारा 10(1)(vi) के अंतर्गत नामित	
9.	**श्री वाई. मधुसुदन रेड्डी** अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन महासंघ लि0,	सदस्य
10.	**श्री श्यामलभाई बी. पटेल,** अध्यक्ष, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लि0,	सदस्य
	धारा 10(1)(vii) के अंतर्गत नामित	
11.	**श्री धनन्जय सिंह,** सदस्य	
	धारा 10(1)(viii) के अंतर्गत नामित	
12.	**श्री संदीप कुमार नायक,** प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,	सदस्य

अनुबंध–III
रा.स.वि.नि. का संगठनात्मक चार्ट (31.03.2021 को)

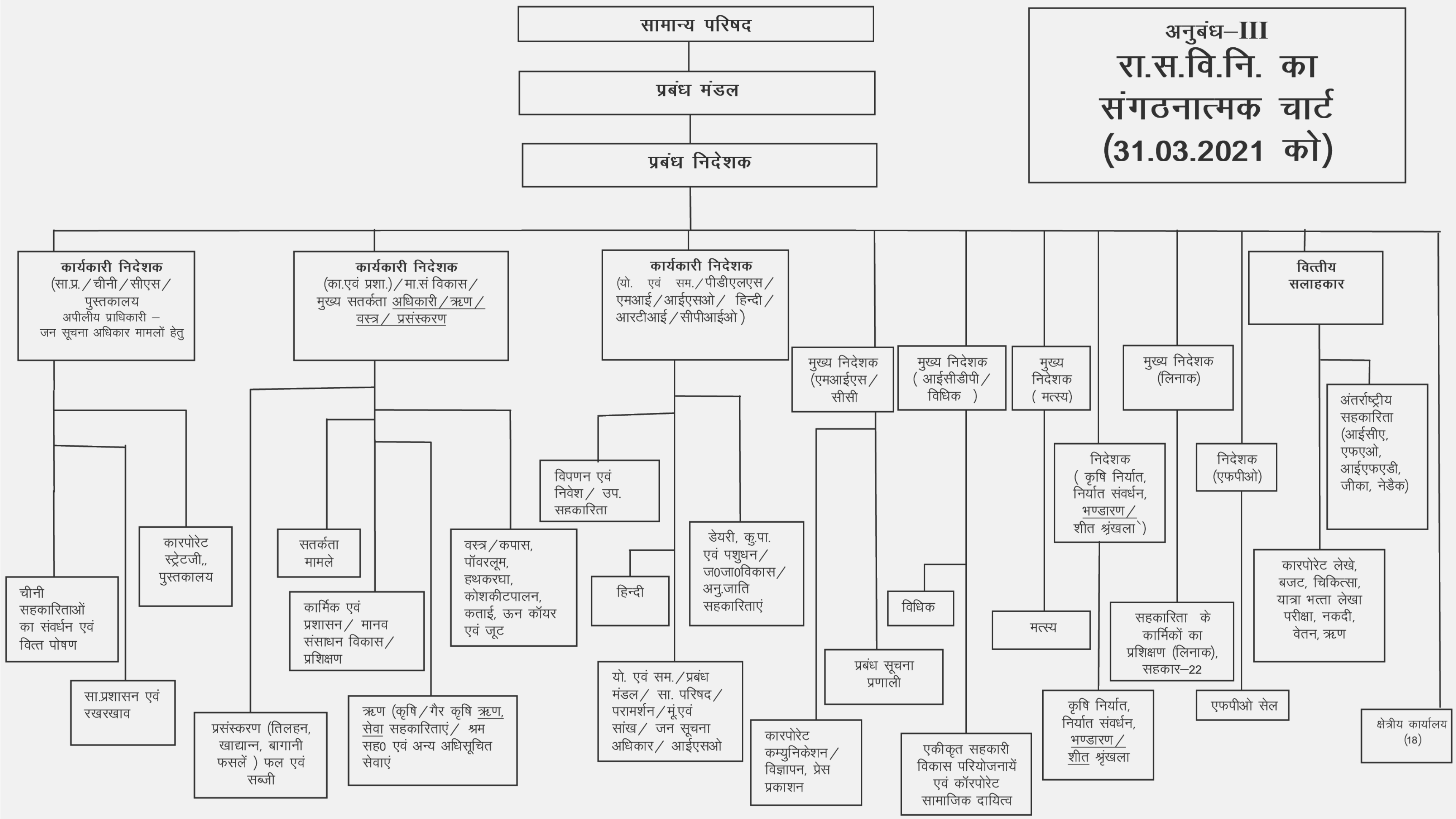

अनुबंध– IV

रा.स.वि.नि. द्वारा कार्यान्वित स्कीमें/सहायता प्राप्त कार्यकलाप

क. कार्यान्वित स्कीमें :

I. केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम – सहकारिताओं के विकास हेतु रा.स.वि.नि. के कार्यक्रम को सहायता – कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग,(डी.ए.सी. व एफ डब्ल्यू) कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय, (एम.ओ.ए. व एफ. डब्ल्यू) भारत सरकार :–

क) सहकारिताओं के विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, उपभोक्ता, सहकारिताओं के कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स), जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों के कंप्यूटरीकरण तथा राज्य सहकारी संघों के प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं सवंर्द्धनात्मक प्रकोष्ठ स्कीम (टेपरिंग आधार पर सब्सिडी) हेतु सहायता।

ख) जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग कार्यक्रमों तथा नई कताई मिलों की स्थापना/वर्तमान सहकारी कताई मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तारण/पुनर्स्थापना हेतु सहायता।

ग) चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं (आईसीडीपी)

II. अन्य केन्द्रीय योजनाएं :

क) **भंडारण तथा भंडारण संरचना के अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन (सीएसआईएसएएम) स्कीम की उपयोजना–कृषिक विपणन संरचना (एएमआई)** – कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (प्रशिक्षण), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

ख) **एकीकृत बागवानी विकास मिशन** – कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

ग) **शीत श्रृंखला, मूल्य वृद्धि तथा परिरक्षण संरचना स्कीम** – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

घ) **प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन निधि** (वस्त्र मंत्रालय) के अंतर्गत ब्याज छूट – वस्त्र मंत्रालय

ङ) **चीनी विकास निधि** – खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

च) **राष्ट्रीय कृषि विस्तारण एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी)** की बीज एवं पादप सामग्री के उप मिशन के अंतर्गत बीज उत्पादन अवयवों को बढ़ाने हेतु सहायता।

छ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)– मत्स्यिकी विभाग, मत्स्यिकी, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय

ज) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

झ) डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) मत्स्यिकी, पशुधन, डेयरी मंत्रालय

ञ) मत्स्यिकी तथा एक्वा कल्चर अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) योजना, मत्स्यिकी विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

III. रा.स.वि.नि. प्रायोजित स्कीमें

ख. सहायता प्राप्त कार्यकलाप:

क. विपणन :

. मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी सहायता

. प्राथमिक/जिला विपणन समितियों के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण

. फर्नीचर, फिक्सचर, प्रशीतित वैनों समेत परिवहन वाहनों की खरीद

. कृषि विपणन संरचना, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण

ख. प्रसंस्करण :

- नये चीनी कारखानों की स्थापना (निवेश ऋण)
- वर्तमान चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण तथा विस्तारण/विविधीकरण (निवेश ऋण. आवधिक ऋण
- नई कताई मिलों की स्थापना/वर्तमान कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तारण/पुर्नस्थापना
- वर्तमान कपास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण तथा आधुनिक कपास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों की स्थापना
- लघु एवं मध्यम आकार की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की प्रसंस्करण इकाइयाँ/प्रि/पोस्ट लूम प्रसंस्करण/ गार्मेंट एवं बुनाई इकाइयाँ।
- खााद्यान्न/तेलहन/बागानी फसलें/फल एवं सब्जी/मक्का स्टार्च/पार्टिकल बोर्ड आदि जैसी अन्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
- मार्जिन–मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।
- नई कताई मिलों में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी सहभागिता

ग. भंडारण :

- गोदामों का निर्माण तथा वर्तमान गोदामों की मरम्मत/नवीकरण
- मार्जिन–मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।

घ. शीत श्रृंखला :

- शीत भंडारों का निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण
- शीत श्रृंखला के अवयवों की स्थापना जिसमें मुख्यतः शामिल हैं – (i) एकीकृत पैक हाउस, (ii) परिवहन से संबंधित (iii) शीत भंडारण (फार्म गेट के पास–थोक) (iv) शीत भंडारण (बाजार के पास हब) और (v) रिपीन यूनिट (पकाने के लिए इकाईयां/सामग्री) इत्यादि।
- मार्जिन –मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।

ड. सहकारिताओं के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण :

- संरचनाओं जैसे शॉपिंग केन्द्रों, डीजल/करोसिन बंक एवं भंडारों तथा थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों, विभागीय उपभोक्ता भंडारों एवं उपभोक्ता संघों का नव निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण।
- उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु फर्नीचर फिक्सचर, प्रशीतित वाहनों समेत यातायात वाहनों की खरीद।
- मार्जिन–मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।

च. औद्योगिक

- सभी प्रकार की औद्योगिक सहकारिताएं, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प/ग्रामीण शिल्प आदि।

छ. ऋण एवं सेवा सहकारिताएं :

- कृषि ऋण/कृषि बीमा
- जल संरक्षण कार्य/सेवाएं
- ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई
- पशु देखभाल/स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम।
- सहकारिताओं के जरिए ग्रामीण स्वच्छता, जल निकासी, मल–जल व्ययन प्रणाली।

- पर्यटन, आतिथ्य, यातायात
- नये, गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत का उत्पादन एवं वितरण।
- ग्रामीण आवास
- अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा
- ऋण सहकारी समितियों के लिए संरचना निर्माण

ज. सहकारी बैकिंग इकाई :

- आधुनिक बैंकिंग इकाईयों से संबंधित संरचना निर्माण के लिए पैक्स को सहायता

झ. कृषिक सेवाएं :

- सहकारी कृषक सेवा केन्द्र
- कस्टम हायरिंग हेतु कृषि सेवा केन्द्र।
- कृषि निवेश उत्पादन एवं संबद्ध इकाइयों की स्थापना।
- सिंचाई/जल संग्रहण कार्यक्रम।

न. जिला योजना स्कीमें :

- चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

ट. कमजोर वर्गों की सहकारिताएं :

- मात्स्यिकी, डेयरी एवं पशुधन, कुक्कुटपालन, अनु0 जा0, जन जातीय सहकारिताएं, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, महिला, पर्वतीय क्षेत्र, तंबाकू तथा श्रम सहकारिताएं।

ठ. सहकारिताओं के कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता :

- हार्डवेयर, सिस्टम व सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, स्थल तैयारी, जन शक्ति, विकासात्मक क्षमता, प्रशिक्षण आदि समेत कंप्यूटरों की खरीद/संस्थापना/कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता दी जाती है।

ड. युवा सहकार– सहकारी उद्यम सहायता एवं नवीन योजना – सहकारी उद्यम सहायता एवं नवीन योजनाः इस योजना का उद्देश्य नवगठित सहकारी समितियों को नए एवं/या नवीन विचारों के साथ प्रोत्साहित करना है। यह रा.स.वि.नि. द्वारा बनाए गए सहकारी स्टार्ट–अप एवं इनोवेशन फंड से जुड़ा है।

ढ़) आयुष्मान सहकार : इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को शामिल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है।

ण) नंदिनी सहकार : इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता का समर्थन करना है। यह महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण तथा सब्सिडी और/या अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान के महत्वपूर्ण निवेश को एकत्रित करेगा।

त. संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम :

- तकनीकी एवं संवर्धनात्मक प्रकोष्ठ
- अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट, प्रबंधन अध्ययन
- बाजार सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रमों आदि हेतु परामर्शन।

अनुबंध– V

सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए सहायता की पद्धति (पैटर्न)

रा.स.वि.नि. सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए ऋण (आवधिक तथा निवेश दोनों प्रकार के ऋण) तथा सब्सिडी के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीएसआईएसएसी) तथा अन्य केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों तथा रा.स.वि.नि. प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत दी जाती है। निगम द्वारा ऋण अवयव अपनी निजी निधियों से जबकि सब्सिडी अवयव केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम तथा अन्य केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित परिव्यय में से दिया जाता है। सब्सिडी की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने की शर्त पर दी जाती है अन्यथा समकक्ष राशि ऋण के रुप में प्रदान की जाती है। सीएसआईएसएसी के अंतर्गत सब्सिडी कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए हैं।

2. रा.स.वि.नि. के निधि पोषण के उद्देश्यार्थ देश के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया हैः

- **<u>सहकारी रुप से अल्पतम विकसित राज्य/संघ शासित क्षेत्र :</u>** (अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा) ;
- **<u>सहकारी रुप से अल्प विकसित राज्य/संघ शासित क्षेत्र :</u>** (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र) तथा लक्ष द्वीप (संघ शासित क्षेत्र) ;
- **<u>सहकारी रुप से विकसित राज्य/संघ शासित क्षेत्र :</u>** गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महारा ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) दादरा एवं नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) दमन एवं दीव (संघ शासित क्षेत्र), पुडुचेरी (संघ शासित क्षेत्र) तथा दिल्ली।

3. **कमजोर वर्ग** के कार्यक्रम में (i) विपणन (ii) प्रसंस्करण (कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित लघु तथा मध्यम आकार की प्रसंस्करण इकाइयाँ), (iii) भंडारण, शीत भंडारण समेत तथा (iv) (क) मात्स्यिकी, (ख) डेयरी एवं पशुधन, (ग) कुक्कुटपालन (घ) कॉयर, (ड.) जूट, (च) कोशकीटपालन, (छ) हथकरघा एवं (ज) तम्बाकू सहकारिताओं द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता कारोबार तथा कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित कार्यकलाप सम्मिलित होंगे। इन कार्यक्रमों/कार्यकलापों के अलावा उपर्युक्त कार्य करने के लिए कमजोर वर्गों के लाभ, जनजातीय/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ पर्वतीय क्षेत्रों, श्रम तथा महिला सहकारिताओं तक भी विस्तारित किए जाएंगे।

4. **विभिन्न कार्यक्रमों के निधिपोषण की पद्धति निम्न प्रकार से है :**

क. <u>व्यापार विकास</u>

रा.स.वि.नि. द्वारा निधिपोषित क्षेत्रों/कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय, राज्यीय, जिला, क्षेत्रीय तथा प्राथमिक स्तर की सभी सहकारिताओं हेतु,'

ख. <u>संरचना सृजन (परियोजना सुविधाएं)</u>

कार्य–कलाप	विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त पोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त पोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त पोषण
मार्जिन मनी	उपर्युक्त पैरा – 3 में दिए गए अनुसार केवल कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों हेतु								
	ऋण 85% सब. 15%	ऋण या हि.पू. 85% सब. 15%	ऋण 85% सब. 15%	ऋण 80% सब. 20%	ऋण या हि.पू. 80% सब. 20%	ऋण– 80% सब.– 20%	ऋण 75% सब. 25%	ऋण या हि.पू. 75% सब. 25%	ऋण 75% सब. 25%
	अन्य सभी कार्यक्रमों हेतु								
	ऋण 100%	ऋण या हि.पू.	ऋण 100%	विकसित राज्यों की तरह					
कार्यशील पूंजी	ऋण 100%	ऋण	ऋण	विकसित राज्यों की तरह					
हिस्सा पूंजी	नि. ऋण 100%	हि.पू.	–	विकसित राज्यों की तरह					
नोट–हि.पू. = हिस्सा पूंजी सब.= सब्सिडि; नि. ऋण = निवेश ऋण प्रति प्रोजेक्ट/प्रति प्रस्ताव 5 करोड़ रूपये की पूंजी									

- ✓ लघु औद्योगिक इकाइयों, कुटीर और ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्पों, अन्य उत्पादों हेतु संबद्ध उद्योगों, बेंत एवं बांस इकाइयों, कॉयर इकाइयों, आदि समेत (कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को छोड़कर) सभी किस्म की लघु और मध्यम आकार की इकाइयाँ
- ✓ एकीकृत परियोजनाओं (आईसीडीपी को छोड़कर) सहित प्लांट एवं मशीनरी/उपकरण
- ✓ गोदामों, भंडारों की स्थापना/नवीकरण/विस्तारण/अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण
- ✓ शीत भंडारणों का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण
- ✓ शीत श्रृंखला अवयवों – एकीकृत पैक हाउस/परिवहन/शीत भंडारण (नजदीकी थोक फार्म)/शीत भंडारण (नजदीकी थोक बाजार)/रीपनिंग इकाइयाँ आदि
- ✓ वर्कशेडों की स्थापना, लूम सहकारिताओं/ औद्योगिक सम्पदाओं की खरीद
- ✓ सेवा और मरम्मत केन्द्रों, शोरुमों, शोरुम एवं गोदामों
- ✓ मार्केट यार्डों, रियरिंग इकाइयों और ग्रेनेजों
- ✓ मत्स्य टैंकों/ फार्मों, मत्स्यपालन के लिए अन्य निवेशों और अन्य संरचनात्मक सुविधाओं सहित नावों का निर्माण
- ✓ पौल्ट्री फार्मों,
- ✓ पशुधन पशुओं की रियरिंग, बूचड़खानों की स्थापना, ब्रीडिंग तथा रियरिंग, मांस, खाल, ऊन तथा अन्य उपोत्पादों के लिए पशुओं की खरीद तथा पशुधन के जानवरों के प्रसव बीज फार्मो आदि
- ✓ फर्नीचर एवं फिक्सचर,
- ✓ रेफ्रीजरेटिड और इंसुलेटिड वाहनों सहित परिवहन वाहनों,
- ✓ कम्प्यूटरों की स्थापना/ खरीद/कम्प्यूटरीकरण आदि,
- ✓ कृषि सेवा/कृषक सेवा केन्द्रों की स्थापना
- ✓ कृमिनाशक/कीटनाशक निर्माण इकाइयों,
- ✓ जैव उर्वरकों/दानेदार उर्वरकों, जैविक खाद जैसी निवेश निर्माण इकाइयों की स्थापना
- ✓ जल संचयन/सिंचाई ढांचागत सुविधाओं के सृजन
- ✓ आधुनिक बैंकिंग इकाई के रूप में पीएसीएस का संरचनात्मक सृजन
- ✓ सेवा सहकारिताओं आदि और
- ✓ रा.स.वि.नि. को दिए गए अन्य कार्यकलाप।

विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त–पोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त–पोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त–पोषण
पैरा–3 में दिए गए अनुसार केवल कमजोर वर्गों के कार्यक्रम हेतु			(पैरा–3 में बताए गए अनुसार सभी कार्यक्रमों और कार्यकलापों हेतु)			(पैरा–3 में बताए गए अनुसार सभी कार्यक्रमों और कार्यकलापों हेतु)		
ऋण 75% सब. 15%	ऋण 50% हि.पू. 25% सब. 15%	ऋण 65% सब. 15%	ऋण 70% सब. 20%	ऋण 50% हि.पू. 20% सब. 20%	ऋण 65% सब. 20%	ऋण 70% सब. 25%	ऋण 50% हि.पू. 20% सब. 25%	ऋण 65% सब. 25%
सदस्य अंशदान	10%	20%		10%	15%		5%	10%
अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए								
ऋण 90%	ऋण 50% हि. पू./सब. 40%	ऋण 65%	अन्य सभी कार्यक्रमों हेतु – विकसित राज्यों/संघ राज्यों की तरह					
सदस्य अंशदान	10%	35%						

- ✓ **रा.स. – राज्य सरकार; सब. – सब्सिडी; हि.पू. – हिस्सा पूंजी; स.यो.– सदस्य योगदान;**
- ✓ सब्सिडी भारत सरकार से प्राप्त होने पर अन्यथा रा.स.वि.नि. से समकक्ष ऋण ;
- ✓ **कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के मामले में 100% सहायता (अर्थात ऋण/सब्सिडी/अंश पूंजी के रूप में) राज्य की सभी लाभभोगी सहकारिताओं को राज्य सरकार के जरिए अथवा सीधे दिए जा सकते हैं।**

ग. प्रसंस्करण

(i) चीनी मिलें

कार्यकलाप	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
नई इकाइयाँ	आवधिक ऋण – 60% निवेश ऋण – 30% सदस्य अंशदान – 10%	आवधिक ऋण – 60% हिस्सा पूंजी – 30% सदस्य अंशदान – 10%	आवधिक ऋण – 70% सदस्य अंशदान – 30%
5000 टीसीडी तक का आधुनिकीकरण/विस्तारण	ऋण 50% जमा भारत सरकार द्वारा यथा स्वीकृत एसडीएफ से ऋण 40%	रा.स.वि.नि. से प्राप्त शर्तों पर	परियोजना लागत की राशि का ऋण 50% जमा भारत सरकार द्वारा यथा स्वीकृत एसडीएफ से ऋण 40%
चीनी उपोत्पाद–कोजेनरेशन एवं एथानॉल इकाइयाँ	–वही–	–वही–	–वही–
5000 टीसीडी से अधिक विस्तारण	ऋण 65%	रा.स.वि.नि. से प्राप्त शर्तों पर	ऋण 65%
कार्यशील पूंजी	ऋण आवश्कतानुसार	रा.स.वि.नि. से प्राप्त शर्तों पर	ऋण आवश्यकतानुसार

(परि.ला; = परियोजना लागत; हि.पू; = हिस्सा पूंजी; – ची.वि.नि.; = चीनी विकास निधि)

नोटः– राज्य सरकारों को निवेश ऋण केवल उन्हीं चीनी सहकारिताओं हेतु दिया जाएगा जिनको वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से आवधिक ऋण की निश्चित स्वीकृति मिल चुकी है तथा संयंत्र एवं मशीनरी आदि हेतु आदेशों को अंतिम रुप दिया जा चुका है। नई चीनी सहकारिताओं को आवधिक ऋण अवयव वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा दिया जाएगा। दिनांक 01.01.2015 से चीनी विकास निधि (एसडीएफ) ने मात्र विस्तारण वाली परियोजनाओं को सहायता देना बंद कर दिया है। तथापि, कोजेनरेशन अथवा एथानॉल परियोजना के साथ 5000 टीसीडी तक क्षमता विस्तारण होता है तो ऐसी परियोजनाओं हेतु एसडीएफ की सहायता उपलब्ध है।

बैगेस आधारित कोजेनरेशन परियोजना हेतु एएसडीएफ की सहायता विभिन्न संरूपों हेतु नियामक लागत पर आधारित है

बॉयलर प्रेशर/तापमान डिग्री सेल्सियस	संस्थापित क्षमता (मैगावाट)	कुल परियोजना लागत (लाख रूपयों में)	परियोजना लागत प्रति मेगावाट उत्पादन (लाख रूपयों मे/मेगावाट में)
67/510	84.5	32496	385
87/515	159.5	70565	442
110/540	110.95	60285	543

ii) लघु एवं मध्यम किस्म की कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ

तेल मिलों, खाद्यान्न इकाइयों, फल एवं सब्जी इकाइयों, बागानी फसलों प्रसंस्करण इकाइयों, डेयरी इकाइयों, मत्स्य इकाइयों/सिल्क रीलिंग/टविस्टिंग, रेशम कताई, ऊन कताई और जूट प्रसंस्करण जैसी इकाइयाँ और अन्य कोई ऐसा कृषि प्रसंस्करण कार्यकलाप जो रा.स.वि.नि. के अधिदेश में सम्मिलित हो, की सहकारिताओं द्वारा नई इकाइयों की स्थापना, विस्तारण, आधुनिकीकरण, विविधीकरण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है :

विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त पोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त पोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त पोषण
(पैरा–3 में बताए गए अनुसार केवल कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों के लिए)			(पैरा–3 में बताए गए अनुसार सभी कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए)			(पैरा–3 में बताए गए अनुसार सभी कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए)		
ऋण 75% सब. 15%	ऋण 50% हि.पू. 25% सब. 15%	ऋण 65% सब 25%	ऋण 70% सब. 20%	ऋण 50% हि.पू. 20% सब. 20%	ऋण 65% सब. 20%	ऋण 70% सब. 25%	ऋण 50% हि.पू. 20% सब. 25%	ऋण 65% सब. 25%
सदस्य अंशदान	10%	20%		10%	15%		5%	10%
अन्य सभी कार्यक्रमों हेतु								
ऋण 90%	ऋण 50% हि.पू./सब. 40%	ऋण 65%	अन्य सभी कार्यक्रमों हेतु – विकसित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समान					
सदस्य अंशदान	10%	35%						

✓ रा.स.–राज्य सरकारय सब. –सब्सिडी; हि.पू.– हिस्सा पूंजी;
✓ सब्सिडी भारत सरकार से प्राप्त होने पर अन्यथा रा.स.वि.नि. से समकक्ष ऋण;
ऋण इक्विटी अनुपात प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकता है।

(iii) सहकारी कताई एवं जिन्निंग कार्यक्रम

इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कार्यकलाप तथा निधि पोषण की पद्धति निम्न प्रकार से हैः–

रा.स. वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त पोषण
क. नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना		
आवधिक ऋण 50% निवेश ऋण 25% सब्सिडी 15%	आवधिक ऋण 50% हिस्सा पूंजी 25% सिब्सिडी 15% सदस्य अंशदान 10%	आवधिक ऋण 60% सब्सिडी 15% सदस्य अंशदान 25%
ख. वर्तमान कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तारण		
आवधिक ऋण 45% निवेश ऋण 30% सब्सिडी 15%	आवधिक ऋण 45% हिस्सा पूंजी 30% सब्सिडी 15% सदस्य अंशदान 25%	सदस्य अंशदान 10% आवधिक ऋण 60% सब्सिडी 15%
ग. सहकारी कताई मिलों तथा राज्य सहकारी कपास संघों हेतु मार्जिन मनी सहायता		
आवधिक ऋण 85% सब्सिडी 15%	आवधिक ऋण 85% सब्सिडी 15%	आवधिक ऋण 85% सब्सिडी 15%
घ. आधुनिक जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों की स्थापना, वर्तमान मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तारण		
आवधिक ऋण 50% निवेश ऋण 25% सब्सिडी 15%	आवधिक ऋण 50% हिस्सा पूंजी 25% सब्सिडी 15% सदस्य अंशदान 10%	आवधिक ऋण 50% सब्सिडी 15% सदस्य अंशदान 35%
ड. रुग्ण सहकारी कताई मिलों की पुनर्स्थापना		
निवेश ऋण 75% सब्सिडी 15%	निवेश ऋण 75% सिब्सिडी 15% सदस्य अंशदान 10%	लागू नहीं (राज्य सरकार की संलिप्तता अनिवार्य है)
सब्सिडी भारत सरकार से प्राप्त होने की शर्त पर अन्यथा रा.स.वि.नि. से समकक्ष ऋण		

घ. एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं (आईसीडीपी)

	कार्यकलाप	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को			राज्य सरकार से समिति को			
		ऋण	सब्सिडी	योग	ऋण	हि.पू.	सब्सिडी	योग
क.	**सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम विकसित राज्य**							
i)	अवसंरचनात्मक सृजन (घटक 1 तथा 2)	75%	25%	100%	50%	25%	25%	100%
ii)	लाभार्थी समितियों को मार्जिन मनी	75%	25%	100%	–	75%	25%	100%
iii)	डीसीसीबी को शेयर पूँजी	100%	–	100%	–	100%	–	100%
iv)	जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण	–	50%@	50%@	–	–	100%	100%
v)	प्रबंधकीय सहायता (पीआई.ए. तथा मॉनीटरिंग सेल पर भी लागू)	–	50%@	50%@	–	–	100%	100%
ख	**सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्य**							
i)	अवसंरचनात्मक सृजन (घटक 1 तथा 2)	80%	20%	100%	50%	30%	20%	100%
ii)	लाभार्थि समितियों को मार्जिन मनी	80%	20%	100%	–	80%	20%	100%
iii)	डीसीसीबी को शेयर पूँजी	100%	–	100%	–	100%	–	100%
iv)	जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण	–	50%@	50%@	–	–	100%	100%
v)	प्रबंधकीय सहायता (पीआई.ए. तथा मॉनीटरिंग सेल पर भी लागू)	–	50%@	50%@	–	–	100%	100%
ग.	**सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य**							
क)	**कमजोर वर्ग कार्यक्रम गतिविधियाँ**							
i)	अवसंरचनात्मक सृजन (घटक 1 तथा 2)	85%	15%	100%	50%	35%	15%	100%
ii)	लाभार्थी समितियों को मार्जिन मनी	85%	15%	100%	50%	35%	15%	100%
iii)	डीसीसीबी को शेयर पूँजी	100%	–	100%	–	100%	–	100%
iv)	जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण	–	50%@	50%@	–	–	100%	100%
v)	प्रबंधकीय सहायता (पीआई.ए. तथा मॉनीटरिंग सेल पर भी लागू)	–	50%@	50%@	–	–	100%	100%
ख)	**कमजोर वर्ग कार्यक्रम / गतिविधियों के अतिरिक्त**							
i)	अवसंरचनात्मक सृजन (घटक 1 तथा 2)	100%	–	100%	50%	50%	–	100%
ii)	लाभार्थी समितियों को मार्जिन मनी	100%	–	100%	50%	50%	–	100%
iii)	डीसीसीबी को शेयर पूँजी	100%	–	100%	–	100%	–	100%
iv)	जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण	–	50%@	50%@	–	–	100%	100%
v)	प्रबंधकीय सहायता (पीआई.ए. तथा मॉनीटरिंग सेल पर भी लागू)	–	50%@	50%@	–	–	100%	100%

नोटः

- ✓ परियोजना में कुल सब्सिडी घटक कुल परियोजना लागत की 30% राशि से अधिक नहीं होगा।
- ✓ किसी भी विभाग/मंत्रालय/एजेंसी से प्राप्त सब्सिडी सहायता सहकारिता को दिए जाने हेतु समन्वित की जाएगी।
- ✓ रा.स.वि.नि. एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर सब्सिडी साझा की जाती है।
- ✓ उपर्युक्त तालिका में/के रूप में इंगित दर के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में, रा.स.वि.नि. द्वारा सम्पूर्ण सब्सिडी–घटक प्रदान किया जाता है। विशेष श्रेणी के राज्य सभी पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड हैं

ङ. युवा सहकार : सहकारी उद्यम सहायता एवं नवीन स्कीम 2019

इस स्कीम का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों के साथ स्टार्ट–अप को सक्षम बनाना है।

पात्रता :–

क) नवीन, इनोवेटिव एवं वैल्यू चैन संवर्द्धन योजना समेत किसी भी प्रकार की सहकारिताएं।

ख) सहकारी समिति न्यूनतम तीन महीने से परिचालन में होनी चाहिए।

ग) सहकारी समिति का सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए।

घ) सहकारी समिति को परिचालन के पिछले वर्षों के दौरान नकद राशि की हानि नहीं होनी चाहिए, जैसा लागू हो, और पिछले तीन वर्षों में कोई नकद राशि की हानि नहीं हुई है (यदि समिति 3 वर्षों से अधिक कार्यरत/परिचालन में है।

परियोजना लागत :–

क) ऐसी सहकारी समिति जो एक वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत है, तो परियोजना लागत 3 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख) ऐसी सहकारी समिति जो तीन महीने से अधिक एवं एक वर्ष से कम समय से कार्यरत है, तो परियोजना की लागत 1 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि सहकारी समिति अपने कार्यकाल के एक वर्ष की अवधि एकबार पूरी करने के बाद, यह सहकारी समिति सहायता हेतु स्वीकार्य योग्य हो जाएगी, जिसमें एक या उससे अधिक वर्षों से प्राप्त सहायता लाभों को छोड़कर है, यदि कोई हो।

ग) परियोजना की प्रकृति एवं गतिविधियों के आधार पर कार्यशील पूंजी ऋण सहायता के तौर पर प्रदान किया जा सकता है, हालांकि कार्यशील पूंजी कुल परियोजना लागत का 20% से अधिक नहीं होगी।

ऋण अवधि :–

ऋण की अवधि 5 वर्ष है, जिसमें मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष का स्थगन शामिल है। परियोजना के प्रकार एवं राजस्व सृजन की क्षमता के आधार पर स्थगन की अवधि भिन्न होगी।

ब्याज दर :–

प्रोत्साहन के तौर पर, परियोजना कार्यकलापों हेतु आवधिक ऋण पर लागू ब्याज दर की तुलना में 2% कम ऋण देय होगा। ब्याज प्रोत्साहन केवल समयानुसार ऋण भुगतान पर लागू होगा।

प्रतिभूति :–

रा.स.वि.नि. की संतुष्टि के लिए ऋण हेतु समितियां निम्नलिखित में से कोई एक या मिश्रित रूप में प्रतिभूति पेश कर सकती है–

क) संपतियों के बंधक समेत प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत सृजित किये जाने वाली संपत्तियां।

ख) अनुसूचित बैंकों की स्थाई जमा रसीदें।

ग) विश्वसनीय सहकारी संस्थानों की गारंटी अर्थात वह संस्था जिसकी मजबूत वित्तीय स्थिति एवं प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड हो।

घ) राज्य/केन्द्र सरकार की गारंटी।

ड़) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सी.एस.आर. फाउंडेशन।

च) लघु किसान कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.)/पूर्वोत्तर वित्त विकास निगम (एनईडीएफआई)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) की गारंटी।

छ) स्थाई जमा रसीद के रूप में निदेशक मंडल/सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी और/या अनुसूचित बैंकों की गारंटी।

सब्सिडी :–

यदि केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता स्कीम (सी.एस.आई.एस.ए.सी.) अथवा अन्य किसी स्रोत के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यकलाप यदि सब्सिडी के योग्य हों, तो यथारूप में लागू होगा। हालांकि यदि परियोजना लागत में कार्यशील पूंजी ऋण अवयव शामिल है, तो सीएसआईएसएसी सब्सिडी केवल परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) पूंजी निवेश हेतु पात्र होगा। परियोजना के तीव्र एवं सुगम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सब्सिडी के बदले में योग्य ऋण प्रदान किया जा सकता है। रा.स.वि.नि.

द्वारा आगे के संवितरण के लिए मिलने वाली सब्सिडी को ऋण खाते में समायोजित किया जाएगा।

<u>वित्त पोषण पद्धति</u> :–

परियोजनाओं को ऋण : इक्विटी अनुपात के आधार पर वित्त पोषण प्रणाली समेत निम्नलिखित रूप में सहयोग प्रदान किया जाएगा–

<u>श्रेणी –क</u> :–

80% : 20%	पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहकारी समितियां। नीति आयोग द्वारा चिन्हित महत्वाकांक्षी जिलों में पंजीकृत एवं कार्यरत कोई भी सहकारी समिति। 100% महिला सदस्यों वाली कोई भी सहकारी समिति। 100% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजनों वाली कोई भी सहकारी समिति।

<u>श्रेणी–ख</u> :–

70% : 30%	किसी भी प्रकार की सहकारी समिति, जो सभी प्रकार की कार्यकलापों के लिए श्रेणी–क के अंतर्गत नहीं आता है। प्रस्तावति कार्यकलापों हेतु सब्सिडी के लिए पात्र होने की स्थिति में, उपलब्धता की शर्त पर, ऋण अवयव आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।

च. आयुष्मान सहकार

योजना के उद्देश्य हैं :

क. सहकारी समितियों द्वारा अस्पतालों/स्वास्थ्य/शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से किफायती और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सहायता करना,

ख. सहकारी समितियों द्वारा आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देने में सहायता करना,

ग. सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करना,

घ. सहकारी समितियों को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में भाग लेने में सहायता के लिए,

ङ. सहकारी समितियों को शिक्षा, सेवाओं, बीमा और उससे संबंधित गतिविधियों सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायता करना।

सम्मिलित गतिविधियाँ :

अवसंरचना निर्माण: अस्पताल निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे सम्मिलित किया गया है।

क सभी प्रकार के अवसंरचनात्मक संरचना :

– अस्पताल और/या मेडिकल/आयुष/दंत चिकित्सा/नर्सिंग/फार्मेसी/पैरामेडिकल/फिजियोथेरेपीकॉलेजों में स्नातक और/या स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने के लिए,
– योग कल्याण केंद्र
– आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी अन्य पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र
– बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
– उपशामक देखभाल सेवाएं
– विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ
– मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ,
– आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ और आघात केंद्र
– फिजियोथेरेपी सेंटर
– मोबाइल क्लिनिक सेवाएँ
– हेल्थ क्लब और जिम
– आयुष फार्मास्युटिकल विनिर्माण

- – औषधि परीक्षण प्रयोगशाला
- – डेंटल केयर सेंटर
- – नेत्र देखभाल केंद्र
- – प्रयोगशाला सेवाएं
- – डायग्नोस्टिक्स(निदान) सेवाएं
- – ब्लड बैंक/रक्ताधान सेवाएं
- – पंचकर्म/थोक्कनम/ क्षार सूत्र चिकित्सा केंद्र,
- – यूनानी चिकित्सा पद्धति (इलाज बिल तदबीर) की रेजिमेंटल थेरेपी
- – मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाएँ,
- – प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं,
- – किसी भी अन्य संबंधित केंद्र या सेवाओं को रा.स.वि.नि. द्वारा सहायता के लिए उपयुक्त माना जा सकता है

ख. टेलीमेडिसिन और दूरस्थ सहायक चिकित्सा प्रक्रिया,

ग. रसद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा,

घ. डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

ङ. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्यबीमा

2) दिन–प्रतिदिन के कार्यों हेतु आवश्यक कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए मार्जिन राशि, जिसका उल्लेख उपर्युक्त पैरा 1 में प्रस्तुत है।

3) दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी।

पात्रता

देश में किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई सहकारी समिति, अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा/स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं प्राप्त करने हेतु उप–नियमों में उपयुक्त प्रावधान के साथ, इस योजना के दिशानिर्देशों की पूर्ति के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी। रा.स.वि.नि. सहायता या तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से या सीधे उन सहकारी समितियों को प्रदान की जाएगी, जो रा.स.वि.नि. प्रत्यक्ष वित्त पोषण दिशानिर्देशों को पूरा करती हैं। भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्त–पोषण एजेंसी की अन्य योजनाओं या कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति है।

परियोजना लागत

वास्तविक आवश्यकता के अनुसार।

ऋण अवधि

ऋण की अवधि 8 वर्ष के लिए होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1–2 वर्ष की अधिस्थगन सम्मिलित है, जो परियोजना के प्रकार और राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

ब्याज दर

रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय–समय पर ब्याज दर संशोधित किया जाता है। प्रोत्साहन के रूप में, रा.स.वि.नि.उधारकर्ता सहकारी समिति के मामले में परियोजना गतिविधियों के लिए आवधि ऋण पर लागू ब्याज दर से 1% कम प्रदान करेगा, जब ऋण के पूरे अवधि के दौरान महिला सदस्य की संख्या अधिकतम रहती हैं, और पुनर्भुगतान उचित समय पर किया जाता है।

प्रतिभूति

रा.स.वि.नि. सहायता या तो राज्य सरकार के माध्यम से या प्रत्यक्ष वित्त पोषण के तहत प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, सहकारी समिति रा.स.वि.नि. की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या संयोजन में ऋण के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकती है :

क. रा.स.वि.नि. ऋण के 1.5 गुना की सीमा तक परियोजना के तहत सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियों सहित परिसंपत्तियों

का बंधक;

ख. राज्य/केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;

ग. अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर की प्रतिज्ञा, रा.स.वि.नि. ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक;

घ. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर फाउंडेशनों द्वारा गारंटी;

ङ. अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;

च. रा.स.वि.नि. ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक सरकारी बांडों/प्रतिभूतियों का बंधक एवं समनुदेशन।

सब्सिडी

रा.स.वि.नि. ऋण सहायता को सब्सिडी/अनुदान/वीजीएफ/भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य वित्त पोषण एजेंसी के किसी अन्य तंत्र के साथ जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

वित्त पोषण पद्धति

परियोजनाओं को निम्नलिखित वित्त पोषण पैटर्न के साथ समर्थन प्रदान किया जाएगा :

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		सीधा वित्त पोषण
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	**राज्य सरकार से समिति**	**रा.स.वि.नि. से समिति**
अवसंरचना निर्माण (परियोजना सुविधाएं) :		
ऋण – 90%	ऋण – 50% ; हिस्सा पूँजी – 40%	ऋण – 70%
समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा – 30%
मार्जिन मनी :		
बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण। 100%	ऋण' या हिस्सा पूँजी या ऋण– सह– हिस्सा पूंजी 100%	ऋण 100%
कार्यशील पूँजी :		
आवश्यकतानुसार ऋण	ऋण	ऋण

छ. नंदिनी सहकार

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। यह महिला सहकारिताओं के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता का समर्थन करता है। यह महिलाओं संबंधी उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण एवं सब्सिडी और/या अन्य योजनाओं के ब्याज सबवेंशन के महत्वपूर्ण इनपुट को एकत्रित करेगा। रा.स.वि.नि., स्वयं या कई मंत्रालयों के प्रमुख कार्यक्रमों की एजेंसी के रूप में क्षेत्रीय योजनाओं को लागू कर रहा है। नंदिनी सहकार एक केंद्रित रुपरेखा होगा और इसका उद्देश्य रा.स.वि.नि. क्रेडिट लिंकेज के सीमा के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में सम्मिलित महिला सहकारिताओं को विशेष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा।

पात्रता :

देश में किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी महिला सहकारी समिति पात्र होगी। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 50% महिला सदस्यों वाली कोई भी सहकारी समिति भी पात्र है। नवीन एवं/अथवा नवाचारी विचारों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में, महिला सहकारी समितियां जो न्यूनतम तीन महीने से संचालन में हैं, वे भी रा.स.वि.नि. की योजना के अंतर्गत सहायता की पात्र हैं।

योजना के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां :

- ✓ अवसंरचनाः निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए;
- ✓ दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए मार्जिन मनी।

✓ दिन–प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी।

सांकेतिक व्यावसायिक गतिविधियाँः

नंदिनी सहकार शहरी आवास को छोड़कर, किसी भी व्यवसाय योजना आधारित गतिविधि/रा.स.वि.नि. अधिदिष्ट सेवा, उदहारण स्वरुप कृषि–प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला, मूल्यवर्धन, लॉजिस्टिक, कृषि यंत्रीकरण, खुदरा, खाद्यान्न के विपणन, निवेश आपूर्ति, बागानी, बागवानी, ग्रामीण आवासीकरण, कमजोर वर्ग के कार्यक्रम, जनजातीय सहकारिताएँ, डेयरी, कुकुक्ट–पालन, पशुधन, मत्स्य पालन, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीट पालन, कम्प्यूटरीकरण, वस्त्र, पैक्स के बुनियादी ढांचे/ऋण/विपणन सहकारिताएं, कृषि बीमा, जल संरक्षण कार्य/सेवाएं, पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन, अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल/योग कल्याण सुविधा, शिक्षा, बिजली उत्पादन तथा वितरण, ऊर्जा के नए, गैर–पारंपरिक एवं नवीकरणीय स्रोत आदि हेतु सहायता करेगी।

सहायता की पद्धति :

रा.स.वि.नि. द्वारा प्रत्यक्ष अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से पात्र सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाती है। रा.स.वि.नि. क्रेडिट लिंकेज को सरकार की वर्तमान योजनाओं (यथा. एआईएफ, सीसैक, डीआईडीएफ, एफआईडीएफ, 10,000 एफपीओ, एफएफपीओ, पीएमएमएसवाई, पीएम एफएमई, एमएसएमई इत्यादि) अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/अथवा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता अथवा विकासात्मक एजेंसी/सीएसआर मेकैनिज्म के साथ क्रेडिट लिंकेज के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है।

परियोजना लागत :

महिला सहकारी समितियों द्वारा व्यवहार्य प्रस्तावों के मामले में परियोजना लागत पर कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है जो कम से कम तीन वर्षों से सफलतापूर्वक परिचालित हैं। परियोजना लागत में अवसंरचना निर्माण, मार्जिन मनी एवं कार्यशील पूंजी सम्मिलित है। परियोजना की लागत सीमाएँ इस प्रकार हैं

क्र. सं.	आवेदक समिति के संचालन का कार्यकाल	अधिकतम परियोजना लागत(करोड़ रुपये में)
1.	> 3 माह एवं < 1 वर्ष	1.00
2.	> 1 वर्ष एवं < 3 वर्ष	3.00
3.	> 3 वर्ष	वास्तविक आवश्यकता के अनुसार (कोई सीमा नहीं)

ऋण की अवधि :

ऋण की अवधि 5–8 वर्षों के लिए होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1–2 वर्षों का अधिस्थगन भी सम्मिलित है, जो परियोजना के प्रारूप एवं राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

ब्याज–दर एवं ब्याज सबवेंशन :

क्रेडिट लिंकेज हेतु, बाजार की स्थितियों के आधार पर समय–समय पर प्रकाशित ब्याज दर पर रा.स.वि.नि. परिपत्र लागू करेगा।

गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर ब्याज सबवेंशन के रूप में सहायता निम्नानुसार होगी :

- **क. नवीन एवं नवाचारी गतिविधियों हेतु ब्याज सहायता :** रा.स.वि.नि. नवीन एवं नवाचारी गतिविधियों हेतु आवधिक ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करेगा।
- **ख. नवीन एवं नवाचारी के अतिरिक्त गतिविधियों हेतु ब्याज सहायता :** रा.स.वि.नि. सभी गतिविधियों से संबंधित परियोजना के लिए आवधिक ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करेगा।

उचित समय पर पुनर्भुगतान हेतु रा.स.वि.नि. ब्याज सबवेंशन प्रोत्साहन लागू होगा। ब्याज सबवेंशन या सब्सिडी या भारत सरकार की अन्य योजनाओं से समर्थन या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विकास एजेंसियों की किसी भी योजना या द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता को प्रोत्साहित एवं अनुमति दी जाएगी।

प्रतिभूति :

रा.स.वि.नि. सहायता या तो सहकारी समिति को सीधा वित्त पोषण के माध्यम से या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से प्रदान की जाती है। सीधा वित्त पोषण की स्थिति में, सहकारी समिति, रा.स.वि.नि. की संतुष्टि के लिए ऋण हेतु सुरक्षा के तौर पर निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक का संयोजित रूप गिरवी में रख सकती है :

क. रा.स.वि.नि. ऋण के 1.5 गुना की सीमा तक परियोजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली संपत्ति सहित संपत्तियों को गिरवी रख सकती है;

ख. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;

ग. रा.स.वि.नि. ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर को गिरवी रख सकती है;

घ. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर फाउंडेशन द्वारा गारंटी;

ङ. अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;

च. रा.स.वि.नि. ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक सरकारी बॉन्ड/प्रतिभूतियों का असाइनमेंट एवं गिरवी;

छ. विश्वसनीय सहकारी संस्थानों की गारंटी, अर्थात स्वस्थ वित्तीय स्थिति और प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थान;

ज. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी)/पूर्वोत्तर वित्त विकास निगम (नेडफी)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की गारंटी;/ऋण गारंटी फंड

झ. आवधि जमा प्राप्तियों (एफडीआर) के रूप में निदेशक मंडल/सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी।

सब्सिडी

नंदिनी सहकार को सरकार की वर्तमान योजनाओं या भविष्य में सरकार की किसी भी योजना के साथ या द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता या विकासात्मक एजेंसियाँ/सी.एस.आर. तंत्रों के साथ क्रेडिट लिंकेज के रूप में संघटित किया जा सकता है। यद्यपि, यदि परियोजना की लागत में कार्यशील पूंजी ऋण घटक सम्मिलित है, सब्सिडी केवल परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) के पूंजी निवेश के लिए योग्य होगी। परियोजनाओं के त्वरित और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सब्सिडी के बदले में योग्य ऋण प्रदान किया जा सकता है। भविष्य में रा.स.वि.नि. द्वारा आगे संवितरण के लिए जब कभी भी सब्सिडी प्राप्त होगी, ऋण खाते में समायोजित किया जाएगा।

वित्त पोषण पद्धति :

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		**सीधा वित्त पोषण**
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	**राज्य सरकार से समिति**	**रा.स.वि.नि. से समिति**
अवसंरचनात्मक सृजन (परियोजना सुविधाएँ) :		
ऋण – 90%	ऋण – 50% हिस्सा पूँजी – 40%	ऋण – 70%
समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा – 30%
मार्जिन मनी :		
बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण 100%	ऋण या हिस्सा पूँजी या ऋण–सह –हिस्सा पूँजी 100%	ऋण 100%
कार्यशील पूँजी :		
आवश्यकतानुसार ऋण	ऋण	ऋण

नई एवं नवाचारी परियोजना गतिविधियों की स्थिति में, महिला सहकारिताओं को प्रत्यक्ष निधि के तहत 80:20 के इक्विटी अनुपात में वित्त पोषण पद्धति के साथ सहायता प्रदान की जाएगी।

ज. <u>तकनीकी तथा संवर्द्धनात्मक प्रकोष्ठ</u>

(i) सभी राज्य स्तरीय सहकारी संघ (कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों से जुड़े संघों को छोड़कर)

अल्प–विकसित राज्य	अल्पतम–विकसित राज्य
व्यावसायिकों के नियोजन हेतु सब्सिडी 5 वर्षों की अवधि के लिए टेपरिंग स्केल पर प्रदान की जायेगी। i) प्रथम 2 वर्षों में 100%। ii) तीसरे और चौथे वर्ष में 80%। iii) पांचवें वर्ष में 70%।	व्यावसायिकों के नियोजन हेतु सब्सिडी 7 वर्ष की अवधि के लिए टेपरिंग स्केल पर प्रदान की जायेगी। i) प्रथम 5 वर्षों के लिए 100%। ii) अगले 2 वर्षों के लिए 80%।

(ii) कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों से जुड़े सभी संघ

व्यावसायिकों के नियोजन हेतु सब्सिडी 7 वर्षों की अवधि के लिए टेपरिंग स्केल पर प्रदान की जायेगी।
i) प्रथम 5 वर्षों में 100%
ii) अगले 2 वर्षों के लिए 80%

संबंधित संघों द्वारा विभिन्न विशेषज्ञों/व्यावसायियों की योग्यताएं, वेतनमान और अन्य परिलब्धियां रा.स.वि.नि. के साथ सलाह–मशविरा करके निर्धारित की जाएंगी। सब्सिडी **यदि केन्द्र सरकार से उपलब्ध होगी**, तो वह 5 से 7 वर्ष की अवधि तक के लिये केवल वेतन, मकान किराया भत्ते, महंगाई भत्ते के लिए ही उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। यह सहायता निगम द्वारा संस्थाओं के प्रस्तावों पर ध्यान पूर्वक विचार किये जाने और ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता का आकलन करने के पश्चात स्वीकृत की जाएगी।

अन्य केंद्रीय क्षेत्रक योजना

निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत रा.स.वि.नि. से जुड़ी सहायता :

झ. कृषिक विपणन संरचना योजना (एएमआई) भंडारण संरचना के अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन योजना (सीएस–आईएसएएम) की उपयोजना

भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.10.2004 से क्रियान्वित पूर्ववर्ती एएमआईजीएस योजना, दिनांक 01.04.2014 से केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन योजना (सीएस–आईएसएएम) की उप योजना कृषिक विपणन संरचना एएमआई)– भंडारण संरचना के अतिरिक्त में सम्मिलित कर दी गई है।

रा.स.वि.नि. उपर्युक्त योजना के अंतर्गत विपणन ढांचे के सृजन हेतु सहकारिताओं को धन देने के लिए एक क्रियान्वयन एजेंसी है। एएमआई– भंडारण संरचना के अतिरिक्त के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय तथा जनजाति क्षेत्रों, महिलाओं तथा अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के लिए 33.33% सब्सिडी तथा अन्य लाभभोगी श्रेणियों के लिए 25% सब्सिडी उपलब्ध है। निगम द्वारा आवधिक ऋण सहायता निगम प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत दी जाती है।

भंडारण संरचना के अतिरिक्त एएमआई के अंतर्गत सब्सिडी का पैटर्न

	श्रेणी	सब्सिडी की दर (पूंजी लागत पर)	अधिकतम सब्सिडी सीमा (रुपये लाख में)#
क)	पूर्वोत्तर राज्य – सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथाअंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र, पर्वतीय' तथा जनजातीय क्षेत्र	33.33%	30.00
ख)	**अन्य क्षेत्रों में:** 1. पंजीकृत एफपीओ, महिला, अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के लाभभोगी तथा उनकी सहकारिताएं ''	33.33%	30.00
2.	अन्य सभी लाभभोगी श्रेणियों के लिए	25%	25.00

* पर्वतीय क्षेत्र वह स्थान है जो समुद्र तल से 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है।
** अनु0जा0/अनु0ज0जा0 की सहकारिताएं राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित की जाएंगी।
# पल्स स्प्लिटिंग और ऑयल क्रशिंग की परियोजनाओं के लिए 25% श्रेणी के लिए अधिकतम सब्सिडी केवल 12.50 लाख रूपये और 33.33% श्रेणी में केवल 16.66 लाख रूपये हैं।

सब्सिडी सीमा

1) वर्ष 2019–20 के अंत तक योजना के प्रारंभ के बाद से जिलों में अपनी सभी परियोजनाओं (भूतपूर्व जी.बी.वाई.) के लिए प्रमोटर द्वारा लाभ उठाया जा सकता है, जो कुल सब्सिडी अधिकतम 10,000 एम.टी. (मी0टन) क्षमता तक सीमित होगी। यदि एक प्रमोटर के पास, एक ही जिले में, भंडारण परियोजना सहित विभिन्न प्रकार की, एक से अधिक परियोजना होती है, ऐसी स्थिति में वह अधिकतम 75 लाख रूपये या 133.20 लाख रूपये तक की सब्सिडी के लिए पात्र होगा।

2) अधिकतम अनुमेय सब्सिडी हेतु परियोजनाओं की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्था द्वारा ऋण की स्वीकृति की तिथि 22.10.2018 से 31.03.2021 के बीच होनी चाहिए।

ञ. केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन संरचना योजना (सीएस – आईएसएएम) की उपयोजना कृषिक विपणन संरचना स्कीम (एएमआई) – भंडारण संरचना

गोदामों का निर्माण

सब्सिडी के लिए, परियोजना की पूंजी–लागत की गणना एक वित्तीय संस्थान या एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अवयवों की वास्तविक लागत के अनुसार परियोजना लागत पर की जाएगी, जो भी प्रति (मेट्रिक टन) एम.टी. सब्सिडी की सीमा साथ ही नीचे दी गई सीमा से कम हो।

उक्त परियोजनाओं के निधिपोषण की पद्धति निम्न प्रकार से है

(i) नए गोदामों हेतु – पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों तथा महिलाओं, अनु0जा0/अनु0ज0जा0 की सहकारिताओं के लिए

रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को		राज्य सरकार से समिति को		सीधा निधि पोषण	
आवधिक ऋण	56.67%	आवधिक ऋण	50%	ऋण	46.67%
सब्सिडी	33.33%	हिस्सा पूंजी	6.67%	सब्सिडी	33.33%
		सब्सिडी	33.33%	समिति का अंश	20%
		समिति का अंश	10%		

नोटः सब्सिडी भारत सरकार से प्राप्त होने पर दी जाएगी अन्यथा रा.स.वि.नि. से समकक्ष ऋण दिया जाएगा।

(ii) नए गोदामों हेतु – पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षदीप द्वीप समूह, पर्वतीय क्षेत्रों तथा महिलाओं, अनु0जाति/अनु0ज0जाति की सहकारिताओं हेतु

रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को		राज्य सरकार से समिति को		सीधा निधि पोषण	
आवधिक ऋण	65%	आवधिक ऋण	50%	ऋण	50%
सब्सिडी	25%	हिस्सा पूंजी	15%	सब्सिडी	25%
		सब्सिडी	25%	समिति का अंश	25%
		समिति का अंश	10%		

नोटः सब्सिडी भारत सरकार से प्राप्त होने पर दी जाएगी, अन्यथा, रा.स.वि.नि. से समकक्ष ऋण दिया जाएगा।

एएमआई के अंतर्गत सब्सिडी का पैटर्न –भंडारण संरचना

सब्सिडी के उद्देश्य से परियोजना की पूंजी लागत, रा.स.वि.नि. द्वारा यथा मूल्यांकित परियोजना लागत अथवा सनदी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा यथा प्रमाणित अर्हक अवयवों की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, नीचे दी गई सब्सिडी सीमा के आधार पर परिकलित की जाएगी।

श्रेणी		सब्सिडी की दर (पूंजी लागत आधार पर)	सब्सिडी की सीमा		
			50–1000 मेट्रिक टन (रुपयों / मे.ट.) में	1000 मेट्रिक टन से अधिक तथा 10000 मे.ट. तक (रुपयों / मे.ट.) में	अधिकतम सीमा (लाख रूपये में)
क.	पूर्वोत्तर के राज्य, सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र, तथा पर्वतीय क्षेत्र	33.33%	1333.20	1333.20	133.20
ख.	अन्य क्षेत्रों में				
(i)	अनु.जा. / अनु.ज.जाति की सहकारिताओं हेतु	33.33%	1166.55	1000.00	100.00
(ii)	अन्य सहकारिताओं हेतु	25%	875.00	750.00	75.00

* पर्वतीय क्षेत्र वह स्थान है जो समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर स्थित है

** राज्य सरकार संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अनु0 जाति / अनु0 जनजाति की सहकारिताएं

– सिलोस के लिए सब्सिडी की गणना के हेतु लागत मापदंड अन्य भंडारण संरचना के ही समान होंगे।

ट. राष्ट्रीय कृषि विस्तारण एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) के बीज एवं पौधरोपण सामग्री (एस.एम.एस.पी) के उपमिशन के अंतर्गत बीज उत्पादन अवयव की वृद्धि हेतु सहायता

निगम राष्ट्रीय कृषिक विस्तारण एवं प्रौद्योगिकी (एनएमएईटी) के बीज एवं पौधारोपण सामग्री (एस.एम.एस.पी.) हेतु उप मिशन के अंतर्गत उपयुक्त अवयव को क्रियान्वयन कर रहा है। इस अवयव के अंतर्गत सहायता बीज सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, बीज शोधन, पैकेजिंग तथा भंडारण इकाइयों तथा अनुसंधान एवं विकास समेत बीज परीक्षण सुविधाओं से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के सृजन तक सीमित होगी। इस अवयव के क्रियान्वयन तथा मानिटरिंग के लिए राष्ट्रीय बीज निगम नोडल एजेंसी होगी।

ऋण संबद्ध बैक एडिड सब्सिडी की राशि सामान्य क्षेत्रों में परियोजना पूंजी लागत की 40% की दर से तथा पर्वतीय तथा अधिसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 150 लाख रुपये प्रति परियोजना के आधार पर 50% की दर से दी जायेगी। प्रयुक्त कुल निधि की 2% राशि नोडल एजेंसी के प्रशासनिक प्रभारों के रुप में देने की अनुमति दी जायेगी। इस अवयव के अंतर्गत बीज गोदामों के निर्माण तथा उपर्युक्त अन्य सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता रा.स.वि.नि. द्वारा दी जाती है। निधि पोषण की पद्धति में ब्लाक लागत की अधिकतम 52% राशि आवधिक ऋण के रुप में, ब्लाक लागत की 38% राशि सब्सिडी (अधिकतम 150.00 लाख रुपये की ब्लाक लागत के आधार पर) के रुप में तथा ब्लाक लागत की न्यूनतम 10% राशि समिति के अंश के रुप में सम्मिलित होगी।

ठ. रा.स.वि.नि. द्वारा कार्यान्वित डेयरी (दुग्ध) प्रसंस्करण एवं संरचना निधिकोष (डी.आई.डी.एफ.) योजना

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, डेयरी विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने रा.स.वि.नि. को नाबार्ड में स्थापित डीआईडीएफ से संसाधन उधार लेने के लिए एक **नोडल, ऋण इकाई (एनएलई)** के तौर पर चिन्हित किया गया है और योग्य उधारकर्ता (ईईबी) के द्वारा जमा की गई परियोजना को वित्त पोषण देता है।

डी0आई0डी0एफ0 के अवयव :–

डी0आई0डी0एफ0 के अंतर्गत योग्य व्यापक निवेश कार्यकलाप / गतिविधियां हैं :–

i. नई दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं निर्माण
ii. मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण सुविधाएं
iii. दूध चिल्लिंग (ठंडक) संरचना
iv. इलैक्ट्रानिक दूध परिक्षण उपकरण स्थापित करना।
v. डेयरी क्षेत्र से संबंधित किसी भी अन्य गतिविधि को डी0आई0डी0एफ0 के उद्देश्यों में योगदान करने के लिए लक्षित किया और भारत सरकार द्वारा हित धारकों के परामर्श से निर्णय लिया गया।

योग्य संस्थान :

डी0आई0डी0एफ0 से प्राप्त ऋण का उपयोग रा.स.वि.नि. निम्नलिखित संस्थानों को उधार (ऋण) देकर करेगा

* सहकारी दुग्ध संघ
* राज्य सहकारी डेयरी फैडरेशन
* बहुराज्यीय दुग्ध सहकारिताएं

नाबार्ड द्वारा रा.स.वि.नि. और उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण पर ब्याज दर

नाबार्ड त्रैमासिक अंतराल प्रतिदेय पर प्रतिवर्ष 6% की ब्याज दर पर रा.स.वि.नि. को ऋण देगा। रा.स.वि.नि. द्वारा उधारकर्ताओं से प्रति वर्ष 6.5% की ब्याज दर पर वसूला जाएगा। डी.आई.डी.एफ. के अंतर्गत वित्तीय सहायता उन उधारकर्ताओं के लिए होगी, जो वित्तीय रूप से व्यवहार्य है और निधि (धन) का लाभ उठाने के इच्छुक हैं और योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों को भी पूरा करते हैं। (संदर्भ : परिपत्र सं0 एफ. सं0 02023/2/ 2017–सी0डी0डी0 दिनांकित 13.04.2018, 14.02.2019 एवं 09.04.2020 को www.dahd.nic.in पर देखें)

ड. <u>बागवानी एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच)/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन0एच0बी0) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)</u>

सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर ऋण उत्तरवर्ती सब्सिडी (क्रेडिट लिंकड बैक एंडिट सब्सिडी) और पर्वतीय पूर्वोत्तर और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत 50% की दर पर एकीकृत पैक हाउस, प्री–कूलिंग इकाईयों, कोल्ड रूम, मोबाइल प्री–कूलिंग इकाई, रीपिंग चैम्बर और रेफ्रीजरेटेड ट्रांसपोर्ट वाहन की स्थापना के लिए एमआईडीएच/एनएचबी/एनएचएम योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। एमआईडीएच/एनएचबी/एनएचएम योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रणाली निम्नानुसार होगाः–

सामान्य क्षेत्र			पूर्वोत्तर, पर्वतीय एवं अनुसूचित क्षेत्र		
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	प्रत्यक्ष निधि पोषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	प्रत्यक्ष निधि पोषण
ऋण 55% उत्तरवर्ती सं0 35%	ऋण 45% अनु0जा0 10% उत्तरवर्ती सब्सिडी 35%	ऋण 55% उत्तरवर्ती सब्सिडी 35%	ऋण 40% उत्तरवर्ती सब्सिडी 50%	ऋण 30% अनु0जा0 10% उत्तरवर्ती सब्सिडी 50%	ऋण 40% उत्तरवर्ती सब्सिडी 50%
सदस्यों का योगदान	10%	10%	10%	10%	10%

* विशेष शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) अवयवों के लिए उत्तरवर्ती सब्सिडी भारत सरकार से प्राप्त होने पर दी जाएगी अन्यथा रा.स.वि.नि. से समकक्ष ऋण दिया जाएगा।

हालांकि कुछ लघु अवयवों जैसे 9M* 6M के आकार वाले समेत लघु पैकहाउस, वाष्पीकरण/कम ऊर्जा वाला ठंडा कक्ष (8MT), संरक्षण इकाई (कम लागत), कम लागत वाले प्याज भंडारण संरचना (25MT) और पूसा, शून्य ऊर्जा ठंडा कक्ष (100 कि.ग्रा.) के लिए उच्च सब्सिडी उपलब्ध है और इस स्थिति में कुल लागत का 50% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। लागत मानदंड, सहायता प्रणाली, परिचालन दिशा–निर्देश आदि का विवरण www.midh.gov.in एवं www.nhb.gov.in जैसी वेबसाइटों पर देखा जा सकता है।

क. कानूनी इकाई होनी चाहिए तथा उपनियमों के अनुसार अपने सदस्यों से इक्विटी एकत्रित की जानी चाहिए
ख. शेयर धारकों की संख्या योजना के अनुसार है
ग. लघु एवं सीमांत तथा भूमिहीन किरायेदारों में से न्यूनतम 50% शेयर धारक
घ. प्रति सदस्य अधिकतम शेयरधारिता कुल इक्विटी के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए
ङ. निदेशक मंडल एवं संचालन निकाय में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए
च. स्थायी राजस्व मॉडल के आधार पर अगले 18 महीनों के लिए व्यवसाय योजना एवं बजट होना चाहिए

ढ. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन हेतु योजना – डीएसी एंड एफडब्ल्यू, एमओए एंड एफडब्ल्यू

रा.स.वि.नि. को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा जुलाई 2020 में शुरू की गई अपनी योजना "10,000

किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन'' के तहत एक कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पहल के साथ, भारत सरकार कृषि क्षेत्र के परिवर्तन को उत्प्रेरित करने की आशा करता है, जहां 2 हेक्टेयर से कम की छोटी और सीमांत जोत किसान आबादी का 80% से अधिक है और दुख की बात है कि इस आबादी के पास भूमि के एक छोटे हिस्से का स्वामित्व है।

योजना

इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2023–24 तक 10,000 एफपीओ के गठन के लिए एक समग्र और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के माध्यम से समावेशी और स्थायी परिवर्तन प्राप्त करना है, तथा विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उनकी स्थापना से पांच साल की अवधि में उनका पोषण, हैंडहोल्डिंग और क्षमता निर्माण करना है जो जीवंत और सतत आय उन्मुख खेती के द्वारा समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास और कृषि समुदायों के लिए लाभकारी होगी।

एफपीओ के संवर्धन में रा.स.वि.नि. की भूमिका

योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, रा.स.वि.नि., अपने अधिदेश के अनुसार, एफ.पी.ओ. की आवंटित संख्या का गठन तथा संवर्धन करेगा, जिसे राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा। पहले के राज्य सहकारी अधिनियमों के अलावा, इनमें पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त या आत्मनिर्भर सहकारी समिति अधिनियम या किसी भी नाम से जाना जाता है, या बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम (एमएससीएस अधिनियम) सम्मिलित हैं।

रा.स.वि.नि. अपने पैनलबद्ध क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से एफपीओ को बढ़ावा देगा, जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करेगा और योजना के तहत रा.स.वि.नि. को आवंटित एफपीओ के गठन के लिए जिम्मेदार होगा। ब्लॉक स्तर पर जहां इन एफपीओ का गठन किया जाएगा, रा.स.वि.नि. अपने पैनलबद्ध क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से कार्य करेगा।

योजना के उद्देश्य और उद्देश्य

इस योजना के शुरू होने से पहले 6500 से अधिक एफपीओ काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य अधिक किसानों, विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों जैसे बाजार तक पहुंच का अभाव, क्रेडिट लिंकेज, अपर्याप्त वित्तीय सहायता, प्रबंधकीय कौशल की कमी आदि का समाधान करने के लिए गठित एफपीओ के तहत लाना है। डीए एंड एफडब्ल्यू ने 10000 एफपीओ के गठन और संवर्धन पर एक समर्पित केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। योजना के मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(i) जीवंत और टिकाऊ आय उन्मुख खेती की सुविधा के लिए और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 10000 एफपीओ को एक समग्र और व्यापक आधारित सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।

(ii) कुशल लागत प्रभावी और प्रभावी संसाधन उपयोग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए और उनकी उपज के लिए बेहतर तरलता और बाजार संबंधों के माध्यम से उच्च रिटर्न प्राप्त करना।

(iii) एफपीओ, इनपुट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, मार्केट लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज और टेक्नोलॉजी के उपयोग आदि के प्रबंधन के सभी पहलुओं में सृजन से 5 वर्षों तक के लिए नए एफपीओ को हैंड होल्डिंग और समर्थन प्रदान करना।

(iv) सरकार से समर्थन की अवधि के अलावा आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए एफपीओ को प्रभावी क्षमता निर्माण प्रदान करना।

(v) संयुक्त सचिव (विपणन), डीएसी एंड एफडब्ल्यू के साथ सदस्य सचिव के रूप में सचिव डीएसी एंड एफडब्ल्यू की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन सलाहकार और फंड मंजूरी समिति (एन–पीएमएएफएससी) के समग्र मार्गदर्शन में कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सी.बी.बी.ओ.)

(i) एफपीओ बनाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य/क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) की पहचान करेंगी।

(ii) किसी दिए गए राज्य में, भूगोल उत्पाद समूहों, फसल पैटर्न आदि के आधार पर एक या एक से अधिक सीबीबीओ हो सकते हैं और एक सीबीबीओ एक से अधिक राज्यों में भी काम कर सकता है।

(iii) सीबीबीओ के पास कृषि और संबद्ध क्षेत्र में एफपीओ की व्यावसायिक विशेषज्ञता और अपेक्षित अनुभव की जानकारी होनी चाहिए और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक पैनल होना चाहिए।

विभिन्न हितधारकों को योजना के तहत उपलब्ध लाभ

क. क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) को प्रोत्साहन

सीबीबीओ के गठन और ऊष्मायन लागत, अधिकतम 25 लाख रुपये/एफपीओ समर्थन या वास्तविक जो भी कम हो, तक सीमित है, गठन के वर्ष से पांच साल के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें आधारभूत सर्वेक्षण, किसानों को जुटाने, जागरूकता आयोजित करने की लागत शामिल है। कार्यक्रमों और प्रदर्शन यात्राओं का आयोजन, पेशेवर हैंड होल्डिंग इन्क्यूबेशन और अन्य परिव्यय।

सीबीबीओ को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भुगतान किया जाएगा और पूर्व में संवितरित राशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद संवितरित किया जाएगा।

ख. एफपीओ प्रबंधन लागत

योजना के अंतर्गत, एफपीओ को गठन के वर्ष से तीन वर्षों के लिए अधिकतम 18.00 लाख/एफपीओ या वास्तविक, जो भी कम हो, तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। चौथे वर्ष से, एफपीओ को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन स्वयं करना होगा

सांकेतिक वित्तीय सहायता निम्नानुसार है : –

- सीईओ/प्रबंधक का वेतन अधिकतम रु.25000 प्रति माह
- लेखाकार का वेतन अधिकतम रु.10000 प्रति माह।
- एकमुश्त पंजीकरण लागत अधिकतम रु.40000 तक
- यात्रा और बैठक की लागत अधिकतम रु.18000 प्रति वर्ष
- कार्यालय किराया अधिकतम रु.48000 प्रति वर्ष
- उपयोगिता शुल्क (मोबाइल और बिजली) अधिकतम रु.12000 प्रति वर्ष
- फर्नीचर और फिक्स्चर के लिए एकमुश्त लागत अधिकतम रु.100000
- विविध (सफाई/स्टेशनरी) अधिकतम रु.12000 प्रति वर्ष

इसके अलावा संचालन, प्रबंधन, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और बुनियादी ढांचे के विकास आदि के किसी भी खर्च को एफपीओ द्वारा अपने स्रोतों से पूरा किया जाना है।

ग. एफपीओ को इक्विटी अनुदान

(i) इक्विटी अनुदान एफपीओ के प्रति किसान सदस्य के लिए 2000 रुपये तक के मिलान अनुदान के रूप में होगा, जो अधिकतम 15.00 लाख रुपये प्रति एफपीओ की सीमा के अधीन होगा।

(ii) इक्विटी अनुदान के उद्देश्य

क) एफपीओ की व्यवहार्यता और स्थिरता में वृद्धि।

ख) एफपीओ की क्रेडिट योग्यता बढ़ाना।

ग) सदस्यों के स्वामित्व और उनके एफपीओ में भागीदारी बढ़ाने के लिए शेयर होल्डिंग बढ़ाना।

व्यापक पात्रता मानदंड

(iii) इक्विटी अनुदान प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर, एफपीओ को शेयरधारक सदस्यों को अतिरिक्त शेयर जारी करने होंगे।

(iv) एफपीओ अधिकतम 3 चरणों में (पहले आवेदन के 4 वर्ष की अवधि के साथ) इक्विटी अनुदान प्राप्त कर सकता है, यह सीमा के अधीन और अतिरिक्त विपणन अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सदस्य इक्विटी जुटाने में सक्षम है।

(v) किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, कार्यान्वयन एजेंसी को उचित नुकसान के साथ स्वीकृत इक्विटी अनुदान की पूरी राशि के पुनर्भुगतान की मांग करने और लागू करने का अधिकार होगा।

घ. ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए ऋण गारंटी सुविधा

पात्र ऋणदात्री संस्थाओं (ईएलआई) को एक क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करना जिससे वे एफपीओ को अपने ऋण जोखिम को कम करते हुए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर सकें।

(i) नाबार्ड सहकारी समिति अधिनियम और कंपनी अधिनियम दोनों के तहत सवंर्धित एवं पंजीकृत एफपीओ के लिए 1000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी बनाएगा और यथावत रखेगा।

(ii) बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और/या थर्ड पार्टी गारंटी के आवेदन की तारीख से 6 महीने के भीतर स्वीकृत क्रेडिट सुविधा आवधिक ऋण, कार्यशील पूंजी या समग्र ऋण)।

(iii) प्रति एफपीओ लिमिटेड 2.00 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरः

क. 1 करोड़ रु. तक का ऋण – गारंटी कवर 85% परियोजना ऋण के साथ रु.85 लाख (अधिकतम गारंटी शुल्क 0.75%) ऋण सुविधा

ख. 1–2 करोड़ रुपये के लिए, 150 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 75% गारंटी कवर (क्रेडिट सुविधा का अधिकतम शुल्क 0.75%)

योजना के संचालन संबंधी दिशानिर्देश (https://agricoop.nic.in/en) पर उपलब्ध हैं।

रा.स.वि.नि. सहायता प्राप्त करने के लिए नोटः

5. सामान्य मानदंड

i) प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में ऋण–इक्विटी अनुपात को परियोजनाओं की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जा सकता है। सदस्यों के योगदान को कम किया जा सकता है बशर्ते राज्य सरकार सदस्यों के हिस्से का उचित हिस्सा बनाए।

ii) भारत सरकार/अन्य संस्थानों की विशिष्ट योजनाओं के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में, उनकी सहायता का पैटर्न लागू होगा।

iii) रा.स.वि.नि. की योजनाओं को भारत सरकार के विभाग/कोई अन्य स्रोत की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। सहायता पद्धति को तदनुसार समायोजित किया जाएगा; इस शर्त के साथ कि केवल एक केंद्रीय सब्सिडी उपलब्ध होगी। तथापि, राज्य सरकारें अपने स्रोतों से सब्सिडी का अंशदान कर सकती हैं, यदि वांछित हो।

iv) एक से अधिक राज्यों में संचालन के क्षेत्र वाली सहकारी समितियों को सहायता सीधे संपत्ति आदि के बंधक के माध्यम से उपयुक्त सुरक्षा के अधीन प्रदान की जा सकती है।

v) प्रत्यक्ष वित्त पोषण रा.स.वि.नि. द्वारा समय–समय पर तय दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

vi) सहायता का पैटर्न प्रदान की जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा को इंगित करता है।

vii) कार्यक्रम/परियोजना को सांविधिक/अनिवार्य आवश्यकताओं अर्थात प्रदूषण, पर्यावरण, स्वच्छता आदि को पूरा करना चाहिए।

viii) सहकारी समितियों में आम तौर पर एक लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित बोर्ड होगा, जो व्यावसायिक रूप से प्रबंधित होगा एवं आगे और पीछे के संबंधों के लिए उचित व्यवस्था करेगा।

<u>प्रत्यक्ष वित्त पोषण के लिए मानदंड</u>

6. पात्रता मानदंड

6.1 रा.स.वि.नि. निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए वर्तमान सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर सकता हैः

i) सहायता चाहने वाली समिति के पास सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए और उसकी शेयर पूंजी का क्षरण नहीं होना चाहिए;

ii) सभी दीर्घकालिक ऋणों को ध्यान में रखते हुए ऋण इक्विटी अनुपात सामान्य रूप से विनिर्माण/प्रसंस्करण गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं के लिए 65:35 से 70:30 के बीच होना चाहिए;

iii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर खाते की लेखापरीक्षा पिछले वर्ष तक पूरी होनी चाहिए। यदि सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है और पूरा नहीं किया जाता है, तो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित खातों को प्रस्तुत किया जाएगा। नवगठित सोसायटी के मामले में 6 महीने की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जब वह उस अधिनियम के अनुसार देय है जिसके तहत सोसायटी पंजीकृत है;

iv) रा.स.वि.नि. सहायता मांगने वाली सहकारी समिति, या कोई अन्य सहकारी समिति जिसके निदेशक किसी अन्य सहकारिता के निदेशक रहे हैं, द्वारा रा.स.वि.नि. / बैंकों / वित्तीय संस्थानों को ऋण के पुनर्भुगतान में कोई बड़ी चूक नहीं होनी चाहिए;

v) ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में रा.स.वि.नि. को गिरवी रखी जाने वाली परिसंपत्तियों का पर्याप्त प्रतिभूति मार्जिन होना चाहिए, जो सामान्यतः 1.25 से 1.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए। (सुरक्षा में कमी को अनुसूचित बैंक की गारंटी या रा.स.वि.नि. के पक्ष में अनुमोदित अनुसूचित बैंक की एफडीआर के माध्यम से पूरा किया जा सकता है)। एफडीआर की सुरक्षा के मामले में मार्जिन कार्यशील पूंजी ऋण के लिए 1.1 गुना और परियोजना ऋण के लिए 1.2 गुना से कम नहीं हो सकता है;

vi) सहकारी समितियों / संघों को कार्यशील पूंजी ऋण स्टॉक / देनदारों / अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा न्यूनतम 20% का मार्जिन रखते हुए सुरक्षित किया जा सकता है। यदि आवश्यक समझा जाता है, तो रा.स.वि.नि.अचल संपत्तियों पर पहले या दूसरे प्रभार की अतिरिक्त सुरक्षा मांग सकता है। सरकारी खरीद या मूल्य समर्थन कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के मामले में न्यूनतम मार्जिन पर जोर नहीं दिया जा सकता है;

vii) रा.स.वि.नि. निम्नलिखित में से एक या अधिक के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिभूतियों की मांग कर सकता है;

– सरकारी गारंटी
– अनुसूचित बैंक की गारंटी
– निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी और संपार्श्विक सुरक्षा

6.2 केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से सहकारी समिति रा.स.वि.नि. से सीधे वित्त पोषण के लिए पात्र नहीं हो जाती है। रा.स.वि.नि. विभिन्न मापदंडों के संबंध में परियोजनाओं की व्यवहार्यता की जांच करेगा जैसा कि नीचे दिया गया है:

(क) परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता;
(ख) सहकारिता की वित्तीय सुदृढ़ता;
(ग) सहकारिता के पिछले वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन (जहां लागू हो);
(घ) सहकारिता के प्रबंधन / कर्मचारियों की व्यावसायिक विशेषज्ञता;
(ड़) समान परियोजनाओं को संभालने में सहकारी के प्रबंधन का अनुभव;
(च) सहकारिता का आंशिक ऋण चुकौती प्रदर्शन (जहां लागू हो);
(छ) परियोजना लागत के अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए सहकारिता की क्षमता;
(ज) रा.स.वि.नि. से मांगे गए ऋणों के लिए पर्याप्त प्रतिभूति की उपलब्धता

केवल ऐसी परियोजनाएं, जो रा.स.वि.नि. की राय में इन मापदंडों के आधार पर व्यवहार्य हैं, रा.स.वि.नि. से सीधे वित्त पोषण सहायता के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा, जिन सहकारी समितियों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा, और सहकारिता के संवर्धकों की पृष्ठभूमि और क्षमता का आकलन किया जाएगा।

6.3 अन्य नियम, शर्तें और मानदंड रा.स.वि.नि. की वेबसाइट www.ncdc.in पर उपलब्ध हैं

6.4 **संवितरण:**

क) रा.स.वि.नि. 25% तरीके और साधन अग्रिम जारी करने पर विचार तभी करेगा जब सोसायटी 50% जुटाए और सदस्यों / राज्य सरकार के माध्यम से परियोजना के 40% इक्विटी हिस्से का उपयोग करे। शेयर पूंजी और आंतरिक उपार्जन।

ख) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, बाद में जारी किए जाने पर सामान्यतः एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एक महीने के लिए किए गए खर्च और प्रतिबद्ध खर्चों के आधार पर विचार किया जाएगा। 10 करोड़ से अधिक की रा.स.वि.नि. सहायता या एमडी, रा.स.वि.नि. द्वारा तय की गई परियोजनाओं के लिए, ऐसा प्रमाणन रा.स.वि.नि. द्वारा अनुमोदित पैनल से चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है।

ग) **प्रसंस्करण शुल्क:** प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, रा.स.वि.नि. की मंजूरी के लिए स्वीकृत राशि के 0.5% की दर से प्रसंस्करण शुल्क लिया जाएगा, जो प्रत्येक मामले में 3.00 लाख रुपये (6.00 करोड़ रुपये का 0.5%) से अधिक नहीं होगा। हालांकि, एक वर्ष तक के कार्यशील पूँजी ऋण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अनुबंध – VI

दिनांक 31.03.2021 को रा.स.वि.नि. में कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु0 जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियों में अनु0 जाति का प्रतिशत	अनु0जन जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियों में अनु0 जन जाति का प्रतिशत
क – I (समूह 'क' के निम्नतम संवर्ग के अतिरिक्त)	67	09	13.43	06	8.96
क – II (समूह 'क' का निम्नतम संवर्ग)	67	11	16.42	05	7.46
उप–योग (क)	134	20	14.93	11	8.21
ख	110	18	16.36	09	8.18
ग	83	14	16.87	08	09.64
कुल योग	**327**	**52**	**15.90**	**28**	**8.56**

वर्ष 2020–21 के दौरान रा.स.वि.नि. में अनुसूचित जातियों और अनु.जन जातियों के सदस्यों द्वारा भरी गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या

विवरण	अधिसूचित की गई रिक्तियों की कुल संख्या	भरी गई	अनुसूचित जातियां आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त किये गये अनु. जा. के उम्मीदवारों की संख्या	पिछले वर्ष से आगे लाई गई अ.जा. की रिक्तियों की संख्या	अनु.जा की तीसरे वर्ष में आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त किये गये अ.जन.जा. के उम्मीदवारों की संख्या	तीन वर्ष तक आगे ले जाने के बाद समाप्त हुए आरक्षित स्थानों की संख्या	अनुसूचित जनजाति आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त किये गये अनु.जन जा. के उम्मीदवारों की संख्या	पिछले वर्ष से लाई गई अ.ज.जा. की रिक्तियों की संख्या	अनु.जन.जा. की तीसरे वर्ष में आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त किये गये अनु.जाति के उम्मीदवारों की संख्या	तीन वर्ष तक आगे ले जाने के बाद समाप्त हुए आरक्षित स्थानों की संख्या
			कालम 2 में से	कालम 3 में से					कालम 2 में से	कालम 3 में से				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पद														
समूह 'क' के निम्नतम संवर्ग के अतिरिक्त	3	6*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'क' का निम्नतम संवर्ग	9	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
वर्ग 'ख'	9	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
वर्ग 'ग'	9	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
II. पदोन्नति द्वारा भरे गये पद														
समूह 'क' के निम्नतम संवर्ग के अतिरिक्त	30	11	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
समूह 'क' का निम्नतम संवर्ग	28	13	6	–	1	–	–	–	4	–	1	–	–	–
वर्ग 'ख'	44	10	8	–	3	–	–	–	3	–	1	–	–	–
वर्ग 'ग'														

*वर्ष 2019–20 में अनुबंध के आधार पर मुख्य निदेशक के पद हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध पदभार ग्रहण किया

अनुबंध–viii

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार विमुक्तियों का विवरण
केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम

क. सं.	राज्य/संस्था का नाम	सहकारी विकास हेतु विपणन,प्रसंस्करण एवं भंडारण आदि हेतु सहायता																	
		विपणन		निवेश		उपभोक्ता		बागानी फसलें	फल एवं सब्जी	खाद्यान्न		तेलहन	भंडारण		कम्प्यूटरों की स्थापना		युवा सहकार (सी.आई.सी. एवं एस.सी.)		आईसीडीपी परियोजना हेतु सहायता
		ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	सब्सिडी	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	सब्सिडी
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	अंडमान एवं निकोबार																		
2	आंध्र प्रदेश									5.00000	1.97500								1955.09900
3	अरूणाचल प्रदेश							143.75000											
4	असम														403.96800	155.37300			
5	बिहार				1300.00000														233.34300
6	छत्तीसगढ़																		
7	गुजरात																		
8	गोवा	14.96000	4.27000																
9	हरियाणा																		
10	हिमाचल प्रदेश	11.76000	552.94000			57.54000	15.67400								43.09100	76.57600			
11	जम्मू एवं कश्मीर																		
12	झारखंड																		70.00000
13	केरल																20.51000	6.15400	
14	कर्नाटक																		
15	मध्य प्रदेश												95.58900	36.00120					373.80148
16	महाराष्ट्र																		
17	मेघालय																		
18	मिजोरम																		27.32400
19	नागालैंड								3.51100										57.65900
20	ओडिशा	64.00000	16.00000																
21	पंजाब																		
22	राजस्थान					8.15000													66.94300
23	तमिलनाडु																		159.64900
24	तेलंगाना										60.00000	165.37132	124.41800	49.71000					
25	उत्तराखंड		78.28000		229.18000						40.13000				10.25000	4.10000			70.36900
26	उत्तर प्रदेश	23.20000	5.80000										22.99300	1.98100	343.43900	142.67900			485.28400
27	प. बंगाल			450.00000	690.00000										1008.00000	900.00000			
28	आईएफएफडीसी																		
	योग	**113.92000**	**657.29000**	**450.00000**	**2219.18000**	**65.69000**	**15.67400**	**143.75000**	**3.51100**	**5.00000**	**102.10500**	**165.37132**	**243.00000**	**87.69220**	**1808.74800**	**1278.72800**	**20.51000**	**6.15400**	**3499.47148**

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार विमुक्तियों का विवरण
केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम

क. सं.	संस्था/राज्य का नाम	सहकारी विकास हेतु विपणन प्रसंस्करण एवं भंडारण आदि हेतु सहायता										
		कमजोर वर्ग								योग 1 से 26		
		मत्स्य सह0		पशुधन		डेरी		हथकरघा				
		ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	योग
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	अंडमान एवं निकोबार									0.00000	0.00000	0.00000
2.	आंध्र प्रदेश				689.68700					5.00000	2646.76100	2651.76100
3.	अरूणाचल प्रदेश									0.00000	143.75000	143.75000
4.	असम									403.96800	155.37300	559.34100
5.	बिहार					0.00000	612.41700			0.00000	2145.76000	2145.76000
6.	छतीसगढ़									0.00000	0.00000	0.00000
7.	गुजरात					77.99000	585.31200			77.99000	585.31200	663.30200
8.	गोवा									14.96000	4.27000	19.23000
9.	हरियाणा									0.00000	0.00000	0.00000
10.	हिमाचल प्रदेश									112.39100	645.19000	757.58100
11.	जम्मू एवं कश्मीर									0.00000	0.00000	0.00000
12.	झारखंड									0.00000	70.00000	70.00000
13.	केरल	3315.10000	470.00000							3335.61000	476.15400	3811.76400
14.	कर्नाटक						34.02000			0.00000	34.02000	34.02000
15.	मध्य प्रदेश									95.58900	409.80268	505.39168
16.	महाराष्ट्र					315.06800	8.52800			315.06800	8.52800	323.59600
17.	मेघालय			4434.53500	1345.87000					4434.53500	1345.87000	5780.40500
18.	मिजोरम							67.50000	22.50000	67.50000	49.82400	117.32400
19.	नागालैंड									0.00000	61.17000	61.17000
20.	ओडिशा									64.00000	16.00000	80.00000
21.	पंजाब									0.00000	0.00000	0.00000
22.	राजस्थान						2436.51000			8.15000	2503.45300	2511.60300
23.	तमिलनाडु									0.00000	159.64900	159.64900
24.	तेलंगाना	5996.21800	1394.99000		3806.83837					6120.63600	5476.90969	11597.54569
25.	उत्तराखंड		604.04300		595.35900		51.70800			10.25000	1673.16900	1683.41900
26.	उत्तर प्रदेश									389.63200	635.74400	1025.37600
27.	प. बंगाल		28.31200		1710.00000					1458.00000	3328.31200	4786.31200
28.	आईएफएफडीसी									0.00000	0.00000	0.00000
	योग :	**9311.31800**	**2497.34500**	**4434.53500**	**8147.75437**	**393.05800**	**3728.49500**	**67.50000**	**22.50000**	**16913.27900**	**22575.02137**	**39488.30037**

अनुबंध–viii जारी...

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार विमुक्तियों का विवरण केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम/अन्य स्कीम

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	राज्य/संस्था का नाम	कपास विकास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग तथा कताई मिलों हेतु सहायता		एफपीओ किसान उत्पादक संगठन	आईसीडीपी (चयनित जिलों में परियोजनाएं)	महाराष्ट्र सरकार (ब्याज सब्सिडी)	योग (30 से 34 तक)		
		ऋण	सब्सिडी	सब्सिडी	सब्सिडी	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	कुल
		30	31	32	33	34	35	36	37
1	आंध्र प्रदेश				246.66100		0.00000	246.66100	246.66100
2	बिहार				85.95800		0.00000	85.95800	85.95800
3	हरियाणा			232.00000			0.00000	232.00000	232.00000
4	हिमाचल प्रदेश				9.39300		0.00000	9.39300	9.39300
5	जम्मू एवं कश्मीर						0.00000	0.00000	0.00000
6	झारखंड						0.00000	0.00000	0.00000
7	केरल						0.00000	0.00000	0.00000
8	मध्य प्रदेश	721.87500	183.78000		138.20200		721.87500	321.98200	1043.85700
9	महाराष्ट्र				220.05300		0.00000	220.05300	220.05300
10	मिजोरम	22.90000	5520.18200			50.00798	22.90000	5570.18998	5593.08998
11	नागालैंड				10.71500		0.00000	10.71500	10.71500
12	ओडिशा				117.99900		0.00000	117.99900	117.99900
13	राजस्थान						0.00000	0.00000	0.00000
14	तमिलनाडु				68.59900		0.00000	68.59900	68.59900
15	तेलंगाना		81.43000		219.37400		0.00000	300.80400	300.80400
16	उत्तर प्रदेश						0.00000	0.00000	0.00000
17	उत्तराखंड				200.50000		0.00000	200.50000	200.50000
18	पश्चिम बंगाल				244.16000		0.00000	244.16000	244.16000
19	आईएफएफडीसी				38.93400		0.00000	38.93400	38.93400
20	अन्य	771.86000	354.37000				771.86000	354.37000	1126.23000
	योग						**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
					26.62080		0.00000	26.62080	26.62080
		1516.63500	**6139.76200**	**232.00000**	**1627.16880**	**50.00798**	**1516.63500**	**8048.93878**	**9565.57378**

अनुबंध–viii जारी...

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार विमुक्तियों का विवरण
केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन संरचना स्कीम (आईएसएएम)

(लाख रूपयों में)

क्र. सं.	राज्य एवं संस्था का नाम	भंडारण अवयव					भंडारण अवयव के अतिरिक्त			योग (38 से 45)		
		विपणन गोदाम		ग्रामीण गोदाम		आईसीडीपी	आईसीडीपी	डेयरी				
		ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	सब्सिडी	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	योग
		38	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
1	छत्तीसगढ़			6.25000	1.09375					6.25000	1.09375	7.34375
2	गुजरात			5.21700	2.37125			17.89000	12.77500	23.10700	15.14625	38.25325
3	हरियाणा									0.00000	0.00000	0.00000
4	झारखण्ड	22.37500								22.37500	0.00000	22.37500
5	कर्नाटक			132.02600	24.16100					132.02600	24.16100	156.18700
6	केरल			44.49400	2.67250					44.49400	2.67250	47.16650
7	मध्य प्रदेश									0.00000	0.00000	0.00000
8	मणिपुर									0.00000	0.00000	0.00000
9	तमिलनाडु					0.24950	20.00000			0.00000	20.24950	20.24950
10	आईएफएफडीसी	122.57500	31.25000							122.57500	31.25000	153.82500
	योग :	**144.95000**	**31.25000**	**187.98700**	**30.29850**	**0.24950**	**20.00000**	**17.89000**	**12.77500**	**350.82700**	**94.57300**	**445.40000**

अनुबंध –viii जारी...

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार विमुक्तियों का विवरण

निगम प्रायोजित स्कीमें

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संस्था का नाम	विपणन एवं निवेश					शीत	भंडारण (अन्य) श्रृंखला कक्ष का निर्माण	ग्रामीण कार्यालय/ बैठक	कार्यशील उपभोक्ता (सेवा सहकारिताएं)	योग (49 से 58) पूंजी वित्त
		कार्यशील पूंजी वित्त		निवेश (मार्जिन मनी)	निवेश (कृषक सेवा सहकारिताओं को सहायता)	फल एवं सब्जी बागवानी विकास					
		(विपणन)	(निवेश)								
		ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
1	आंध्र प्रदेश									57500.00000	57500.00000
2	बिहार									160000.00000	160000.00000
3	छत्तीसगढ़	1200000.00000									1200000.00000
4	गुजरात										0.00000
5	हरियाणा	634400.00000				10.00000					634410.00000
6	हिमाचल प्रदेश										0.00000
7	कर्नाटक	238.00000								2881.20000	3119.20000
8	केरल			110.50000					8.00000	16800.00000	16918.50000
9	मध्य प्रदेश									19990.00000	19990.00000
10	महाराष्ट्र									2720.00000	2720.00000
11	पंजाब										0.00000
12	ओडिशा										0.00000
13	राजस्थान									13200.00000	13200.00000
14	तमिलनाडु										0.00000
15	तेलंगाना	42000.00000	390.00000							20000.00000	62390.00000
16	उत्तर प्रदेश	80000.00000									80000.00000
17	पश्चिम बंगाल										0.00000
18	नेफैड										0.00000
	योग	**1956638.00000**	**390.00000**	**110.50000**	**0.00000**	**10.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**8.00000**	**293091.20000**	**2250247.70000**

अनुबंध –viii जारी....

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार विमुक्तियों का विवरण
निगम प्रायोजित स्कीमें (जारी) :–

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संस्था का नाम	प्रसंस्करण						कमजोर वर्ग		योग (59 से 68)
		चीनी				वस्त्र	बागवानी फसलें	मत्स्य	कार्यशील पूंजी	
		सह. चीनी मिलों के आधु./विस्ता. हेतु अंशपूंजी/मा.मनी	चीनी उपोत्पाद	सह उत्पाद	कार्यशील पूंजी	कार्यशील पूंजी				
	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	
	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
1	आंध्र प्रदेश									0.00000
2	छत्तीसगढ़									0.00000
3	गुजरात			4523.51200					4523.51200	
4	हरियाणा				30000.00000					30000.00000
5	हिमाचल प्रदेश									0.00000
6	कर्नाटक	7980.90300		2859.72500		135.00000				10975.62800
7	केरल								0.00000	
8	मध्य प्रदेश									0.00000
9	महाराष्ट्र	1299.56500	1850.74500		99767.73000	1799.00000	76.99800	109.08700	119.00000	105022.12500
10	ओडिशा								0.00000	
11	पंजाब								0.00000	
12	तमिलनाडु									0.00000
13	उत्तर प्रदेश									0.00000
	योग	**9280.46800**	**1850.74500**	**2859.72500**	**134291.24200**	**1934.00000**	**76.99800**	**109.08700**	**119.00000**	**150521.26500**

अनुबंध –viii जारी...

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार विमुक्तियों का विवरण
निगम प्रायोजित स्कीमें (जारी) :–

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संस्थाओं का नाम	संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम		अन्य स्कीमें						योग (68 से 75)		
					सेवा सहकारिताओं को सहायता							
		प्रशिक्षण एवं शिक्षा	प्रचार कार्यक्रम	चुनिंदा जिलों में आईसीडीपी	अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल	भवन निर्माण/ संरचना सृजन	हिस्सा पूंजी आधार को मजबूत करना	शिक्षा	पर्यटन			
		सब्सिडी	सब्सिडी	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	सब्सिडी	योग
		68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	अंडमान एवं निकोबार									0.00000	0.00000	0.00000
2	आंध्र प्रदेश									0.00000	0.00000	0.00000
3	अरूणाचल प्रदेश									0.00000	0.00000	0.00000
4	बिहार			1128.38500						1128.38500	0.00000	1128.38500
5	दिल्ली									0.00000	0.00000	0.00000
6	हरियाणा						92.00000			92.00000	0.00000	92.00000
7	हिमाचल प्रदेश			2932.84800						2932.84800	0.00000	2932.84800
8	कर्नाटक									0.00000	0.00000	0.00000
9	केरल			2093.41500	1070.84725	5368.50000				8532.76225	0.00000	8532.76225
10	मध्य प्रदेश			120.83000						120.83000	0.00000	120.83000
11	महाराष्ट्र									0.00000	0.00000	0.00000
12	मिजोरम			87.97300						87.97300	0.00000	87.97300
13	नागालैंड			428.01900						428.01900	0.00000	428.01900
14	राजस्थान									0.00000	0.00000	0.00000
15	तमिलनाडु			1677.45000						1677.45000	0.00000	1677.45000
16	त्रिपुरा			119.52500						119.52500	0.00000	119.52500
17	उत्तराखण्ड									0.00000	0.00000	0.00000
18	उत्तर प्रदेश			1525.93600						1525.93600	0.00000	1525.93600
19	एनएलसी फेड									0.00000	0.00000	0.00000
20	एनसीसीटी									0.00000	0.00000	0.00000
21	प्रचार एवं प्रशिक्षण	396.97783	51.30491							0.00000	448.28274	448.28274
	योग	**396.97783**	**51.30491**	**10114.38100**	**1070.84725**	**5368.50000**	**92.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**16645.72825**	**448.28274**	**17094.01099**

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार विमुक्तियों का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संस्था का नाम	चीनी विकास निधि	निगम प्रायोजित स्कीमें			केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें/अन्य			सभी स्कीमों का योग		
			योग			योग					
		ऋण	ऋण	सब्सिडी	योग	ऋण	सब्सिडी	योग	ऋण	सब्सिडी	योग
		79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
1	अंडमान एवं निकोवार		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
2	आंध्र प्रदेश		57500.00000	0.00000	57500.00000	5.00000	2893.42200	2898.42200	57505.00000	2893.42200	**60398.42200**
3	अरूणाचल प्रदेश		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143.75000	143.75000	0.00000	143.75000	**143.75000**
4	असम		0.00000	0.00000	0.00000	403.96800	155.37300	559.34100	403.96800	155.37300	**559.34100**
5	बिहार		161128.38500	0.00000	161128.38500	0.00000	2231.71800	2231.71800	161128.38500	2231.71800	**163360.10300**
6	छत्तीसगढ़		1200000.00000	0.00000	1200000.00000	6.25000	1.09375	7.34375	1200006.25000	1.09375	**1200007.34375**
7	दिल्ली		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232.00000	232.00000	0.00000	232.00000	**232.00000**
8	गोवा		0.00000	0.00000	0.00000	14.96000	4.27000	19.23000	14.96000	4.27000	**19.23000**
9	गुजरात		4523.51200	0.00000	4523.51200	101.09700	600.45825	701.55525	4624.60900	600.45825	**5225.06725**
10	हरियाणा		664502.00000	0.00000	664502.00000	0.00000	9.39300	9.39300	664502.00000	9.39300	**664511.39300**
11	हिमाचल प्रदेश		2932.84800	0.00000	2932.84800	112.39100	645.19000	757.58100	3045.23900	645.19000	**3690.42900**
12	जम्मू एवं कश्मीर		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
13	झारखंड		0.00000	0.00000	0.00000	22.37500	70.00000	92.37500	22.37500	70.00000	**92.37500**
14	कर्नाटक	2784.32500	14094.82800	0.00000	14094.82800	132.02600	58.18100	190.20700	17011.17900	58.18100	**17069.36000**
15	केरल		25451.26225	0.00000	25451.26225	4101.97900	800.80850	4902.78750	29553.24125	800.80850	**30354.04975**
16	मध्य प्रदेश		20110.83000	0.00000	20110.83000	95.58900	629.85568	725.44468	20206.41900	629.85568	**20836.27468**
17	महाराष्ट्र	900.30000	107742.12500	0.00000	107742.12500	337.96800	5578.71798	5916.68598	108980.39300	5578.71798	**114559.11098**
18	मणिपुर		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
19	मेघालय		0.00000	0.00000	0.00000	4434.53500	1345.87000	5780.40500	4434.53500	1345.87000	**5780.40500**
20	मिजोरम		87.97300	0.00000	87.97300	67.50000	60.53900	128.03900	155.47300	60.53900	**216.01200**
21	नागालैंड		428.01900	0.00000	428.01900	0.00000	179.16900	179.16900	428.01900	179.16900	**607.18800**
22	ओडिशा		0.00000	0.00000	0.00000	64.00000	16.00000	80.00000	64.00000	16.00000	**80.00000**
23	पंजाब	2276.89000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2276.89000	0.00000	**2276.89000**
24	राजस्थान		13200.00000	0.00000	13200.00000	8.15000	2572.05200	2580.20200	13208.15000	2572.05200	**15780.20200**
25	तमिलनाडु		1677.45000	0.00000	1677.45000	0.00000	480.70250	480.70250	1677.45000	480.70250	**2158.15250**
26	तेलंगाना		62390.00000	0.00000	62390.00000	6120.63600	5476.90969	11597.54569	68510.63600	5476.90969	**73987.54569**
27	त्रिपुरा		119.52500	0.00000	119.52500	0.00000	200.50000		119.52500	200.50000	**320.02500**
28	उत्तर प्रदेश		81525.93600	0.00000	81525.93600	389.63200	879.90400	1269.53600	81915.56800	879.90400	**82795.47200**
29	उत्तराखंड		0.00000	0.00000	0.00000	10.25000	1712.10300	1722.35300	10.25000	1712.10300	**1722.35300**
30	पश्चिम बंगाल		0.00000	0.00000	0.00000	2229.86000	3682.68200	5912.54200	2229.86000	3682.68200	**5912.54200**
31	फिशकोफेड		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
32	प्रचार व प्रशिक्षण		0.00000	448.28274	448.28274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	448.28274	**448.28274**
33	अन्य		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.62080	26.62080	0.00000	26.62080	**26.62080**
34	एनसीसीटी		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
35	एनएलसी फेड		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
36	नैफेड		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
37	आईएफएफडीसी		0.00000	0.00000	0.00000	122.57500	31.25000	153.82500	122.57500	31.25000	**153.82500**
	योग	**5961.51500**	**2417414.69325**	**448.28274**	**2417862.97599**	**18780.74100**	**30718.53315**	**49298.77415**	**2442156.94925**	**31166.81589**	**2473323.76514**

अनुबंध– IX

वर्ष 1962–63 से 2020–21 तक सभी रा.स.वि.नि. सह0 विकास योजनाओं के अंतर्गत विमुक्त राज्यवार निधियां

(लाख रूपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्था	कुल ऋण	कुल सब्सिडी	योग
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5068.606	630.721	5699.327
आंध्र प्रदेश	523622.413	19488.030	543110.443
अरूणाचल प्रदेश	9941.471	3144.795	13086.266
असम	13398.365	1903.772	15302.137
बिहार	358930.525	20246.673	379177.198
चंडीगढ़	0.450	0.150	0.600
छत्तीसगढ़	5753510.771	1734.247	5755245.018
दमन एवं दीव	170.480	0.000	170.480
दिल्ली	0.000	340.121	340.121
गोवा	419.638	88.942	508.580
गुजरात	316141.651	14570.112	330711.763
हरियाणा	1653415.116	5888.007	1659303.123
हिमाचल प्रदेश	83074.920	11123.095	94198.015
जम्मू एवं कश्मीर	3094.760	840.968	3935.728
झारखंड	12257.537	2929.802	15187.339
कर्नाटक	291887.980	5315.041	297203.021
केरल	852475.735	8137.215	860612.950
लक्षद्वीप	9.920	3.720	13.640
मध्य प्रदेश	839079.801	15906.957	854986.758
महाराष्ट्र	1729998.082	13849.378	1743847.460
मणिपुर	2931.181	529.071	3460.252
मेघालय	10710.534	3486.890	14197.424
मिजोरम	5524.446	1951.198	7475.644
नागालैंड	12833.805	3996.233	16830.038
ओडिशा	331105.997	1760.945	332866.942
पुडुचेरी	4457.638	508.514	4966.152
पंजाब	115612.917	1331.472	116944.389
राजस्थान	1244036.648	20732.807	1264769.455
सिक्किम	964.505	308.316	1272.821
तमिलनाडु	363071.042	8883.079	371954.120

तालिका जारी...

तेलंगाना	1370871.195	14529.169	1385400.364
त्रिपुरा	2607.356	801.359	3408.715
उत्तर प्रदेश	671385.056	10057.822	681442.878
उत्तराखंड	25444.813	5728.299	31173.112
पश्चिम बंगाल	180137.209	14410.746	194547.955
उप योग	**16788192.562**	**215157.664**	**17003350.227**
एफकोस्पिन	2.514	313.561	316.075
एआईएचएफएमसीएस	25.725		25.725
फेडसुकॉप	12.500	15.396	27.896
वित्तीय प्रबंधन एवं विशेष अध्ययन	5.952	183.090	189.042
फिश्कोफेड	49.013	68.579	117.592
इफको	170693.790	6.450	170700.240
आईएफएफडीसी	642.082	224.261	866.343
आईपीएल	3.400	0.000	3.400
जेआईएमसीआई/एनएचईसी	158.220	5.790	164.010
कृभको	100.000	0.000	100.000
भूमि विकास बैंक संघ	0.000	1.140	1.140
नैकोफ	9930.000	0.000	9930.000
नैफेड	535438.088	192.682	535630.770
एनसीसीएफ	1388.885	37.500	1426.385
एनसीसीटी	0.000	38.364	38.364
एनसीयूआई	0.000	27.150	27.150
एनएलसीएफआई	10.000	5.893	15.893
एनपीसी	0.000	15.551	15.551
एनपीएल	13.600	0.000	13.600
अन्य	112.627	1970.666	2083.293
पेट्रोफिल्स	1089.930	0.000	1089.930
प्रचार एवं प्रशिक्षण	0.000	6504.253	6504.253
टोबैकोफेड	30.000	0.000	30.000
ट्राइफेड	5.000	76.606	81.606
उप योग	**719711.326**	**9686.932**	**729398.258**
कुल योग	**17507903.888**	**224844.596**	**17732748.484**

अनुबंध–X

संक्षिप्तियां

एईपी	कृषि निर्यात नीति
एआईएफसीओएसपीआईएन	अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल संघ लि.
एएमआई	कृषि विपणन संरचना
एएमसीएस	ऑटोमेटिक दूध एकत्रीकरण तंत्र
अमूल	आणंद मिल्क यूनियन लि.
एपीडा	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण
बीओएम	प्रबंध मण्डल
बी–टू–बी	व्यवसाय–से–व्यवसाय
सीबीबीओ	क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन
सीआईसीएएफ	सहकारी संस्थान साइबर सुरक्षा सलाहकार मंच
सीआईसीटीएबी	केन्द्रीय कृषि बैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं प्रशिक्षण केन्द्र
कॉपएक्सिल	कृषि क्षेत्रक निर्यात संवर्धन परिषद्
सीपीआईओ	मुख्य जन–सूचना अधिकारी
सीएसआईएसएसी	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम
सीएसआईएसएएम	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन स्कीम
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
ईईएस	पात्र संस्थाएं
ईटीपी	गन्दा पानी निस्तारण संयंत्र
एफडीपी	संकाय विकास कार्यक्रम
एफएफपीओ	मछली किसान उत्पादक संगठन
एफआईडीएफ	मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि
फिशकापफैड	राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लि.
एफपीओ	किसान उत्पादक संगठन
जीसी	सामान्य परिषद्
जीओआई	भारत सरकार
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
आईसीए	अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडीपी	एकीकृत सहकारी विकास योजना
इफको	भारतीय कृषक उवर्रक सहकारी लि.
ईडक	भारतीय कृषि सहकारी वानिकी विकास लि.
आईआईसीटीएफ	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला
आईपीएल	इंडियन पोटाश लिमिटेड
आईएमआरए	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्य समूह
लिफिक	मत्स्यपालन व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र
लिनाक	लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी

एमडीपी	प्रबंधन विकास कार्यक्रम
एमएनआरई	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
एमओआई	आशय ज्ञापन
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटी	मीट्रिक टन
नैफकब	राष्ट्रीय शहरी सह0 बैंक एवं ऋण समिति लि.
नैफसकॉब	राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ लि.
एनसीसीएफ	अखिल भारतीय सहकारी उपभोक्ता संघ
रा.स.वि.नि.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
एनई	पूर्वोत्तर
नेडैक	एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र कृषिक सहकारी विकास नेटवर्क
एनएचबी	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
एनएचएम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
एनएलई	नोडल ऋणदायी संस्था
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
एनपीए	गैर निष्पादक परिसंपत्तियाँ
पीएसीएस (पैक्स)	प्राथमिक कृषिक सहकारी समितियां
पीसीएमएस	प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां
पीएफसीएस	प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति
पीआईए	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
पीआईटी	परियोजना कार्यान्वयन टीम
पीएमएमएसवाई	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आईटीसी	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र
रबरमार्क	केरल राज्य सहकारी रबड़ विपणन संघ
एससी	अनुसूचित जाति
एसडीएफ	चीनी विकास निधि
एसआईपी	प्रशिक्षुता कार्यक्रम योजना
एसटी	अनुसूचित जनजाति
ट्राईफैड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
टीयूएफएस	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
यूटी/एलडी	अल्प विकसित/अल्पतम विकसित
यूटी	संघ शासित क्षेत्र
वैमनीकॉम	वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान
डब्ल्यूडीआरए	भण्डारण विकास नियामक प्राधिकरण
एक करोड़	10 मिलियन अथवा 100 लाख
एक लाख	100 हजार
एक टन	10 क्विंटल अथवा 1000 कि0ग्रा0

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always !
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

4, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली–110016

www.ncdc.in @MdNcd NCDC India NCDC India Sahakar Cooptube NCDC India